अष्टम माला, खंड 46, अंक 2

बुधवार, 22 फरवरी, 1989
3 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 22 फरवरी, 1989/3 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
32	नीचे से 3	"पूर्ति मंत्री" के स्थान पर "पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री" पढ़िये।
68	नीचे से 7	शीर्षक में से "बि" शब्द निकाल दीजिये।
113	1	शीर्षक में "जवाणुयुक्त" के स्थान पर "जीवाणुयुक्त" पढ़िये।
133	नीचे से 8	"श्रम भवी" के स्थान पर "श्रम मंत्री" पढ़िये।
200	12	"(क) और (घ)" के स्थान पर "(क) से (घ)" पढ़िये।
242	नीचे से 3	"करती" के स्थान पर "करता" पढ़िये।
245	9	"सम्बन्धान" के स्थान पर "सम्बन्ध में" पढ़िये।
245	12	"उगोग मंत्री" के स्थान पर "उद्योग मंत्री" पढ़िये।
246	नीचे से 11	"एस0चार्ल्स" के स्थान पर "ए0 चार्ल्स" पढ़िये।

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 46, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 2, बुधवार, 22 फरवरी, 1989/3 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 5	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	23—205
तारांकित प्रश्न संख्या : 6 से 20	23—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 6, 8 से 35, 37 से 43, 45 से 87, 89 से 115, 117 से 126 और 128 से 184	34—205
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	205—207
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	207
रेल अभिसमय समिति	208
13वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	208—212
(एक) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में केवल परमाणु खनिज और बहुमूल्य धातुओं को सम्मिलित किए जाने के लिए उसमें संशोधन किए जाने की मांग	
डा० कृपासिन्धु भोई	208
(दो) केरल के पालघाट जिले में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग	
श्री वी० एस० विजयराघवन	208
(तीन) बिहार में अगस्त, 1988 में आए भूकम्प से हुए नुकसान का सही मूल्यांकन करने के लिए वहां एक अन्य केन्द्रीय दल भेजा जाना	
डा० गौरी शंकर राजहंस	209

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(चार) उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाए जाने के लिए दक्षिण कोरिया के ह्यून्डाइ कारपोरेशन के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने तथा पारादीप पत्तन का विकास किए जाने की मांग

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 209

(पांच) इटावा-कोटा मार्ग को मुरैना और श्योपुर कलां होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की मांग

श्री कम्मोदीलाल जाटव 210

(छः) मूंगफली के बीज का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अर्ध-शुल्क क्षेत्र फसल अनुसन्धान संस्थान को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 210

(सात) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा असम राइफल्स के कार्मिकों के वेतन और भत्तों में समानता लाए जाने की मांग

श्री बसुदेव आचार्य 211

(आठ) पृथक राज्यों की मांग करने और उसके लिए आन्दोलन करने वाले दलों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा विचार-विमर्श किए जाने की मांग

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 211

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक 212—245

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० बी० चव्हाण 212

श्री बी० बी० रमैया 217

डा० गौरी शंकर राजहंस 220

श्री एन० टोम्बी सिंह 222

श्री अमल दत्ता 224

श्री शरद दिघे 227

श्री मुरली देवरा 229

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 230

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 232

विषय	पृष्ठ
श्री एच० एम० पटेल	234
श्री गिरधारी लाल व्यास	237
श्री शांताराम नायक	239
श्री विजय एन० पाटिल	241
नियम 193 के अधीन चर्चा	245—272
भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच हुए समझौते से उत्पन्न स्थिति	
प्रो० मधु दण्डवते	245
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	255
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	258
श्री के० एन० प्रधान	261
श्री सैफुद्दीन चौधरी	267
कार्य मंत्रणा समिति	272
65वां प्रतिवेदन	

लोक सभा

बुधवार, 22 फरवरी, 1989/3 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : शाहबुद्दीन साहब को बधाई दे दो साहब, न मालूम ये कौन से दल के नेता हो गए हैं ।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामन्त : हम दोनों एक पार्टी बना रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तब तो आपकी संख्या ग्यारह हो जाएगी ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में "रेफरल" अस्पताल खोलने सम्बन्धी मानदण्ड

*1. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या, क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए "रैफरल" अस्पताल खोलने सम्बन्धी मानदण्ड क्या हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार की तथा कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) अब तक राज्य-वार कितने "रेफरल" अस्पताल खोलने के लिए मंजूरी दी गई, कितनों का निर्माण किया गया और कितने चल रहे हैं;

(घ) राज्य-वार ऐसे कितने "रैफरल" अस्पतालों का निर्माण तो किया गया लेकिन अभी तक चालू नहीं किए गए;

(ङ) राज्य-वार ऐसे कितने अस्पताल निर्माणाधीन हैं; और

(च) राज्य-वार ऐसे कितने अस्पताल खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सातवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, और उप-केन्द्र खोलने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है । स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण अस्पतालों को खोलने का प्रस्ताव है जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कहा जाता है जिनमें विशेष सुविधाएं होंगी और इन्हें ब्लाक स्तर के मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर बनाया जाएगा । प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 1 लाख से 1.20 लाख ग्रामीण आबादी को काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा और प्रसूति और स्त्री रोगों के सम्बन्ध में विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करेगा । प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए रेफरल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और इसमें अन्तरंग दाखिले के लिए 30 पलंग होंगे और साथ ही इसमें एक्सरे और प्रयोगशाला सुविधाएं भी होंगी ।

ग्रामीण अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है । इसके लिए योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान हुई चर्चा के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जाता है । योजना आयोग द्वारा आवंटित धन राज्यक्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर की जा रही है । इसमें अतिरिक्त जनशक्ति की व्यवस्था, अतिरिक्त कक्षों का निर्माण और अतिरिक्त उपकरणों आदि की आपूर्ति शामिल है । जनवरी, 1989 तक मंजूर किए गए तथा स्थापित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण संलग्न उपबन्ध में दिया गया है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के बारे में अलग से सूचना एकत्र नहीं की जा रही है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में 1989-90 के राज्यवार वार्षिक लक्ष्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

उपाबन्ध

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत और स्थापित

क्रम सं०	राज्य	1988-89 तक स्वीकृत	जनवरी, 1989 तक उपलब्धि
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	86	46
2.	अरूणाचल प्रदेश	6	5

1 2	3	4
3. असम	49	49
4. बिहार	97	78
5. गोवा, दमण व द्वीव	5	4
6. गुजरात	129	105
7. हरियाणा	42	32
8. हिमाचल प्रदेश	32	32
9. जम्मू व कश्मीर	28	27
10. कर्नाटक	115	126
11. केरल	54	29
12. मध्य प्रदेश	135	115
13. महाराष्ट्र	277	277
14. मणिपुर	12	9
15. मेघालय	5	3
16. मिजोरम	5	4
17. नागालैंड	4	3
18. उड़ीसा	109	83
19. पंजाब	54	44
20. राजस्थान	91	86
21. सिक्किम	2	0
22. तमिलनाडु	96	72
23. त्रिपुरा	9	8
24. उत्तर प्रदेश	179	142
25. पश्चिम बंगाल	111	81
26. पांडिचेरी	1	1
27. अण्डमान व निकोवार द्वीप समूह	2	1
28. चण्डीगढ़	1	1
29. दादरा व नागर हवेली	0	0
30. दिल्ली	01	01
31. लक्षद्वीप	1	1

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का कार्यक्रम सातवीं योजना के अन्तर्गत शुरू किया गया था। हम सातवीं योजना का चौथा वर्ष समाप्त करने वाले हैं। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 1989 तक की उपलब्धि 1464 अर्थात् लगभग 1500 है। यहां पर यह मानदण्ड दिया गया है कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 1 लाख से 1 लाख 20 हजार ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करेगा। इस मानदण्ड के अनुसार सारी ग्रामीण जनसंख्या के लिए हमें लगभग 600 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जरूरत है। अभी तक कागजों के मुताबिक तो उपलब्धि 1500 है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को इसके अन्तर्गत लाने के लिए लक्षित वर्ष कौन सा है तथा एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने पर एक बार में कितनी अनुमानित लागत आती है तथा ऐसे प्रत्येक केन्द्र पर बाद में हर वर्ष अनुमानित कितना खर्च आता है।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा गठन इस प्रकार है कि इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं और इसके नीचे कुछ उप-केन्द्र हैं।

स्थिति यह है कि ग्रामीण स्वास्थ्य निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है। राज्य सरकारें अन्य निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम के आवन्टन सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने हेतु आती हैं; तथा ग्रामीण स्वास्थ्य भी इसमें सम्मिलित है। इसलिए माननीय सदस्य ने जिन कमियों का उल्लेख किया है वे इसलिए हैं क्योंकि राज्य सरकारों ने वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत जो आश्वासन दिए थे उन्हें पूरा नहीं किया। लक्ष्य पूरा न करने का कारण यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा आवंटन के बावजूद यह आवंटित राशि भी खर्च नहीं हो पाती है। अतः समस्या तो प्राथमिकता की है, अर्थात् राज्य सरकारों को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। लक्ष्यों की प्राप्ति में इस प्रकार की कमी तब तक रहेगी जब तक कि बुनियादी स्थिति में सुधार नहीं होता है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : उन्होंने मेरे प्रश्न के एक भाग का भी उत्तर नहीं दिया है। मैं दायित्व के आबंटन के लिए नहीं कह रहा हूं।

महोदय, मैंने यह प्रश्न किया है : सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को इस सेवा के अन्तर्गत लाने हेतु प्रस्तावित लक्ष्य वर्ष क्या हैं ? मैंने पूछा है प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक बार और फिर हर वर्ष होने वाला अनुमानित व्यय कितना है ? इससे हमें आवश्यक संसाधनों का अनुमान हो जाएगा।

श्री राम निवास मिर्धा : कितनी आवश्यकता है इसके लिए मुझे नोटिस की जरूरत है। लेकिन सदस्य के प्रश्न का मूल भाव यह है : ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में कमी क्यों हुई है ? इसका उत्तर मैंने दिया है।

इसके लिए एक बार कितनी राशि खर्च करनी होगी तथा बाद में हर वर्ष कितना व्यय करना होगा इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भी राज्य के आवंटनों से आना है। इसके लिए भवन उनके द्वारा ही प्रदान किए जाने हैं। राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए कुछ कर्मचारी तथा प्रशिक्षण सुविधाएं तो इसका बहुत कम हिस्सा है। वस्तुतः समस्या यह है कि राज्य सरकारों को अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से कहीं अधिक करना चाहिए।

जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य को इस बारे में बताऊंगा।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : महोदय, इसका अभिप्राय यह है कि सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को इसके अन्तर्गत लाने के लिए और तीन या चार पंचवर्षीय योजनाएं लग जाएंगी। छः हजार में से पन्द्रह सौ को इस पंचवर्षीय योजना में मंजूरी दी गई।

अध्यक्ष महोदय : धैर्यपूर्वक कार्य करने से सफलता मिलती है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मेरा दूसरा यह प्रश्न है कि आमतौर पर समय में देरी होती है यह मैंने बुनियादी ढांचे के निर्माण और फिर उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू करने के बीच अपने व्यक्तिगत सम्पर्क से देखा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, दो अस्पतालों का बाकायदा एक के बाद एक दो मुख्यमंत्रियों द्वारा उद्घाटन किया गया और दोनों ही लगभग बन्द पड़े हैं। एक तो आउट-डोर डिस्पैंसरी के रूप में चल रहा है जिसमें एक डाक्टर है तथा कोई विशेषज्ञ नहीं है जबकि दूसरा एकदम बन्द पड़ा है। मैं जानना चाहूंगा कि इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पूर्णतया चालू करने के लिए क्या केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य की उपलब्धि के स्तर की निगरानी का प्रयास किया है मैं उनसे यह बताने का अनुरोध करूंगा कि उदाहरण के लिए इन 1464 स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितने केन्द्र आज पूर्ण रूप से चालू हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय बिहार की स्थिति को माननीय सदस्य.....

श्री सैयद शाहबुद्दीन : बिहार अपवाद नहीं है। यह सारे देश में ही ऐसा होगा।

श्री राम निवास मिर्धा : मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र से विशेष आवंटन किया गया था जिसका कुछ भाग उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी इस्तेमाल किया गया। बिहार के लिए, 16.5 करोड़ की लागत की, संयुक्त राष्ट्र के धन से एक परियोजना को मंजूरी दी गई और वित्तीय लागत तथा व्यय किए गए। फिर भी 14 करोड़ से कम धनराशि का उपयोग किया गया। यह सच है कि अनेक भवनों का निर्माण इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भी नहीं हुआ है और इसका कारण यह है कि जैसा कि राज्य सरकार ने हमें बताया है ऐसे दूरदराज के इलाके हैं जहां निर्माण की एजेंसियों ने अपेक्षित कार्य निष्पादन नहीं किया। इसलिए धनराशि का उपयोग नहीं हुआ तथा इन केन्द्रों के लिए भवन तैयार नहीं हुए। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ऐसे कुछ अवसर हो सकते हैं जब उपकरण नहीं होते और बहुत कम कर्मचारी होते हैं। हम इस पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और हमें उपलब्ध संस्थाओं के माध्यम से हम हर राज्य से निजी तथा सामूहिक रूप से भी चर्चा करते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि बुनियादी ढांचा अर्थात विशेषज्ञ चिकित्सा कर्मचारी, अर्ध-चिकित्सा कर्मचारी; दवाएं इत्यादि प्रदान की जाएं तथा इसके लिए वार्षिक योजनाओं में धनराशि भी आवंटित की जानी है। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस परियोजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए धनराशि वार्षिक योजनाओं में दी गई है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्राथमिकता की कमी के कारण अथवा राज्यों की किन्हीं अन्य व्यस्तताओं के कारण स्वास्थ्य की उपेक्षा की जाती है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : पुनः मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इनमें से कितने कार्य कर रहे हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : आपको यह बताना मेरे लिए संभव नहीं है। हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर हमने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया था तथा परिणाम संतोषजनक नहीं थे। यह ठीक है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। लगातार व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, जैसाकि उन्होंने सवाल के जवाब में अपने स्टेटमैंट में दिया है कि—

[अनुवाद]

स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में ग्रामीन अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनमें विद्यमान खण्ड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का स्तर ऊंचा करके विशेषज्ञ सुविधाएं दी जाएं। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दवाओं, शल्य चिकित्सा, बाल चिकित्सा, प्रसूति तथा स्त्री रोगों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों को सेवाएं प्रदान करेगा तथा लगभग 1 लाख से 1.20 लाख तक की ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करेगा।

[हिन्दी]

जब उन्होंने यह स्टेटमैंट दिया है तो मैं सारे राजस्थान की जानकारी चाहता हूं।

राजस्थान की आबादी 4 करोड़ है और इस पर आपने 91 रैफरल हस्पताल मंजूर किये हैं और उसमें से 86 ओपन हुए हैं। पौपूलेशन के हिसाब से 340 हस्पताल खुलने चाहिए लेकिन आपने केवल 91 मंजूर किये हैं; बकाया यों के यों ही पड़े हुए हैं। 91 जो आपने खोले हैं उनमें भी जो फैसिलिटीज आपने अपने स्टेटमैंट में दी हैं, वह वहां एवेलेबल नहीं हैं, बिल्डिंग कहीं नहीं बनी है और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब एनुअल प्लान में सारी बातें देते हैं तो स्टेट गवर्नमैंट क्यों नहीं खोलती है और फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड की जाती हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् राजस्थान में 91 सैंक्शन किये गये थे जिसमें से 86 आज काम कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले यह स्थिति काफी ठीक लगती है। मैं फिर स्पेशलिस्ट की बात दोहराना चाहूंगा और यह जानकारी देना चाहूंगा कि अभी जो सेंटर मंजूर हुए हैं उनके लिए कुल 5700 स्पैशलिस्ट की आवश्यकता है। हमारे पास जून 1981 के जो आंकड़े आये हैं उनके अनुसार केवल 425 स्पैशलिस्ट वहां मौजूदा थे। मैं मानता हूं कि स्टाफ, नर्सिस और बिल्डिंग वगैरह की कमी है। हम समय-समय पर राज्य सरकारों को कहते रहते हैं, उनसे सम्पर्क करते हैं और मॉनिटरिंग भी करते हैं। हम इस बात पर खास जोर देते हैं कि जो सालान प्लान में राशि स्वीकृत हुई है उसको तो इम्पलीमेंट करें।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वक्तव्य के अनुसार अस्पतालों की अनुमोदित संख्या जनसंख्या पर आधारित नहीं है। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राज्यवार अनुमोदन करने का मानडण्ड क्या हैं ? कुछ राज्यों ने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और कुछ राज्यों ने नहीं किये हैं। इस लक्ष्य के पूरे न करने के क्या कारण हैं ? क्या इसके लिए योजना आयोग का आवंटन उत्तरदायी है ? अथवा क्या राज्य सरकारों ने अपना कार्य पूरा नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसाकि मैंने पहले यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है, प्रक्रिया यह है कि राज्य सरकारें अपनी वार्षिक योजना के लिए चर्चा करने हेतु योजना आयोग के पास आती हैं। अन्य बातों के अलावा निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम पर चर्चा होती है तथा ग्रमीण स्वास्थ्य सेवा निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है जिसमें जल पूर्ति, सड़कें तथा इस प्रकार के मुद्दे शामिल हैं। जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है ये सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से मन्जूर होते हैं तथा इसमें यह भी होता है कि वे इतने केन्द्र एक विशेष वर्ष के दौरान स्थापित करेंगे। वे इसे करने में विभिन्न कारणों से सफल नहीं हुए हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनको एक विशेष क्षेत्र के लिए, इस उद्देश्य हेतु दी गई धनराशि का इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस धनराशि का उपयोग किया गया है।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का सुधार

+

*2. **श्री अनिल बसु** :
श्री अजित कुमार साहा :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु वर्ष 1987-88 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) 1987-88 के दौरान वित्तीय और वास्तविक निष्पादन इस प्रकार था :

वित्तीय परिव्यय :		850.00 लाख रुपए
व्यय	:	733.44 लाख रुपए
वास्तविक :		
लक्ष्य		2.83 लाख
(लाभभोगियों की संख्या)		
उपलब्धि		
(लाभ भोगियों की संख्या)		2.45 लाख

(ख) और (ग) यह कमी मुख्यतः मलिनबस्ती सुधार कार्यक्रमों नामतः विभिन्न सुविधाओं के निर्माण के लिए कुछ मामलों में उनके वास के विन्यास परिवर्तन में मलिनबस्ती निवासियों से दबाव, मलिनबस्ती निवासियों के लिए स्थाई सुविधाओं के प्रावधान के प्रति पास-पड़ौस के क्षेत्रों के निवासियों द्वारा विरोध और सुधार कार्य आरम्भ करने के लिए मलिनबस्ती विकास अभिकरणों के प्राधिकारियों

के प्रवेश के बारे में भूमिधारक अभिकरणों का कभी-कभी आरक्षण के कार्यान्वयन में वर्ष-प्रतिवर्ष महसूस की जाने वाली समस्याओं के कारण थी।

श्री अनिल बसु : दिल्ली देश की राजधानी होने के कारण इसे योजना आयोग के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार से भी धनराशि आबंटित की जाती है। दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली की स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है। हाल ही में किए गए मूल्यांकन के अनुसार सन् 2000 तक दिल्ली के 70 प्रतिशत लोग गन्दी बस्तियों में रहेंगे। यदि ऐसी समस्या है और सभा ने गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु अधिनियम बनाया है तो आश्चर्य की बात है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्दी बस्ती निवासियों की सेवाओं में सुधार हेतु केन्द्र सरकार का योगदान नगण्य है। दक्षिण दिल्ली की टीकरी पुनर्वास कालोनी के निवासियों को बिजली, पीने का पानी तथा मल निकास की सुविधाएं नहीं हैं। त्रिलोकपुरी तथा अन्य जे० जे० कालोनियों में कूड़ा-कचरा हटाने जैसी उन्नत सुविधाओं की भी व्यवस्था नहीं की गयी है। संघ राज्य क्षेत्र में सम्बन्धित प्राधिकरण को धनराशि दे दी गयी है। महोदय जवाब में कहा गया है कि वर्ष 1987-88 के दौरान वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धि लक्ष्य से कम रही है इसके बड़े आश्चर्यजनक कारण बताए गए हैं। इसके कारण बताए गए हैं कि अनुमति नहीं दी गयी है अथवा जमीन उपलब्ध नहीं है। यदि ऐसी समस्या है तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि शहरी पर्यावरण विकास योजना के लिए दी गयी धनराशि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस धनराशि का दूसरे कार्यों पर व्यय करने के क्या कारण हैं। क्या यह भी सच है कि खर्च दिखाने के लिए दिल्ली प्रशासन प्राधिकरण ने निश्चय किया था···

अध्यक्ष महोदय : क्या आप वक्तव्य दे रहे हैं ?

श्री अनिल बसु : जी नहीं, मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री अनिल बसु : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि शहरी पर्यावरण विकास योजना की धनराशि को कुछ दूसरी योजनाओं पर व्यय किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य एक ही वक्त में पूरी चीजें समझना चाहते हैं। सवाल इसमें स्लम एरियाज का है लेकिन रीसैटिलमेंट कालोनीज को भी वह बात पूछ रहे हैं और स्लम बस्तियों की भी पूछ रहे हैं। मैं उनकी इन्फार्मेशन के लिए बताना चाहती हूं···

अध्यक्ष महोदय : क्या उनको पता है कि वह क्या पूछ रहे हैं ?

श्रीमती मोहसिना किदवई : शायद उन्हें यह पता नहीं कि क्या पूछना चाहिए। आखिरी बात उन्होंने यह कही कि इसका पैसा किसी दूसरे काम में खर्च किया गया। यह बिल्कुल गलत बात है, किसी दूसरे काम में पैसा खर्च नहीं किया गया है।

दिल्ली में दो तरह के स्लम्स हैं। एक तो वाल्ड सिटी के स्लम्स हैं जिनकी कि एक एक्ट के तहत देख-रेख होती है। जैसाकि आप जानते हैं, स्लम एक्ट 1956 में बना था और उस वक्त यह था कि स्लम क्लियरेंस होना चाहिए, उठाकर उन्हें दूसरी जगह बसाना चाहिए। उसके तहत रीसैटिलमेंट

कालोनीज आई, उनको जगह दी गई, किसी को 80 गज, किसी को 45 गज और किसी को 25 गज। दूसरे स्लम्स वह हैं जो कि झुग्गी झोंपड़ी कहलाती हैं, जिन्होंने जमीनों के ऊपर आकर एन्क्रोचमैण्ट किया हुआ है। वह बस जाते हैं तो उसके बाद हम उनको फैसिलिटीज देते हैं। इन दो तरह के स्लम्स को प्लान से पैसा मिलता है और उसको खर्च किया जाता है। अगर आप देखें तो कोई इतना बड़ा शार्ट फॉल नहीं है। वाल्ड सिटी में अनलिमिटेड काम है क्योंकि वहां पर इतना कन्जेशन है कि हम उनको जो सारी सुविधा देना चाहते हैं, वह दे चुके हैं जैसे लाइट है, पेवमेंट्स हैं, पानी है, इन सारी चीजों की व्यवस्था है। जो लैट्रीन बाथरूम्स हैं, उनके लिए दिल्ली अथॉरिटीज ने कहा है कि जो बहुत पुराने हो गए हैं उनको फिर से हम बनायें। वह काम भी हमने शुरू किया है।

झुग्गी झोंपड़ियों में उससे ज्यादा परेशानियां हैं क्योंकि वे बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मैं आपसे कह सकती हूं कि हर झुग्गी झोंपड़ी के लिए हम पानी दे रहे हैं जो उनकी सबसे बेसिक नीड है। अब सरकार की यह योजना है कि उनको क्लियरेंस न करके एन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट आफ दि अर्बन स्लम्स करें। उसके तहत हमने जो योजनायें बनाई हैं, उनमें पीने का पानी, बिजली, ड्रेनेज आदि सारी चीजों की व्यवस्था करनी है और वह हम पूरी तरह से कर रहे हैं। जो पैसा हमें इसमें प्लान से मिलता है, इसी में खर्च होता है, इन दोनों तरह के स्लम्स में, किसी दूसरी चीज में उसका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। सरकार का पूरा मकसद यह है कि किसी सूरत में हम इन गरीब लोगों को वह सुविधा दें जिसके वह मुस्तहक हैं और जिनकी उनको जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : विगत वर्ष की महामारी के बाद जिसमें लगभग 1200 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी, क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों, झुग्गी झोंपड़ियों तथा पुर्नवास कालोनियों में किए गए कार्य का पुनरीक्षण और मूल्यांकन किया ? यदि हां तो उस मूल्यांकन और पुनरीक्षण का क्या परिणाम निकला तथा क्या सरकार ने उस पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, बदकिस्मती से जो बीमारी फैली थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां गए थे और उसकी पूरी तरह से देखरेख की जा रही है। जो वाटर बाण्ड डिसीजेज थीं, उनकी सबसे बड़ी नीड तो यह है कि साफ ड्रिंकिंग वाटर उनको पहुंचाया जाय। पानी की व्यवस्था हर झुग्गी झोंपड़ी में है। कहीं हम टैंकर के जरिए पानी पहुंचा रहे हैं, कहीं म्युनिसिपल बोर्ड के हाइड्रेंस से पानी पहुंचा रहे हैं। उनको पीने के पानी की दिक्कत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : मैं शहरी विकास मन्त्रालय के पुनरीक्षण के बारे में कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई : उसी रेव्यू के बाद ये सारी चीजें आयेंगी। अपने आप कंसे आ जायेंगी।

[अनुवाद]

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली विकास प्राधिकरण और अनेक ऐसी एजेंसियां हैं जो इस कार्यक्रम का निरीक्षण कर रही हैं।

[हिन्दी]

उसमें जो कच्ची गलियां हैं उनको पक्का करने की बात कह दी गई है, लाइट्स की बात कह दी गई है। ये काम कहीं तो शुरू भी हो चुके हैं और उम्मीद है कि थोड़े दिनों में पूरी तरह से लागू हो जायेंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दिल्ली की गन्दी बस्तियों में, झुग्गी-झोंपड़ियों में बहुत काम किए गए हैं, लोगों को सहूलियतें दी गई हैं और इसके लिए वे मुबारकबाद की मुस्तहक हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि पुरानी दिल्ली के लिए जो स्लम क्लियरेंस की स्कीम थी जो आपने कहा कि चालू है, उसको रोक दिया गया है। जिन लोगों से आपने वायदा करके 1982 में उठाया था, यह कह कर उनके मकान तोड़े थे कि हम आपको वापिस लाकर यहां क्वार्टर्स में बसायेंगे, वह वायदा खिलाफी आपने की है। उनको आपने आज तक नहीं बसाया। वे आज भी बेघर मिन्टो-रोड पर पड़े हुए हैं। इस बात का मुझे दुःख है। आपने वायदा किया था कि हम एक महीने में उसे पूरा करेंगे।

दूसरी बात यह है कि स्लम क्लियरेंस या स्लम इम्प्रूवमेंट का मतलब यह नहीं है कि जो डी०डी०ए० के अन्तर्गत आपने प्रापर्टी ली है उसी में आप काम करें और वही स्लम वर्क्स माने जायेंगे। स्लम प्रापर्टी वह है जहां पांच-पांच सौ लोग एक मकान में जानवरों की तरह से रहते हैं, जिनके घरों में सूरज की रोशनी तक नहीं जाती है। उनमें काम करने के लिए इन्दिरा जी ने एक स्कीम बनाई थी लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है। ये डी०डी०ए० वालों ने खुद ही अपनी एक स्कीम बना दी और उसके तहत काम करने लगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप उन लोगों को दोबारा वहां पर जल्दी बसायेंगे। और दूसरे जो उन्होंने स्कीम तब्दील कर दी है बिला वजह अपने आप, आपको भी यह नहीं मालूम होगा, तो क्या आप उसको ठीक करायेंगे ? वरना क्या होगा कि जैसे कमला नेहरू नामक पार्केट को बने हुए 33 साल हो गए लेकिन उसकी सर्विसेज कारपोरेशन को ट्रांसफर नहीं हुई हैं। इसी तरह से लाला लाजपत राय नामक मार्केट जो सबसे बड़ी दिल्ली की मार्केट बनी, उसकी भी यही हालत है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप कोई मीटिंग बुलाकर फैसला करवायेंगे और जो स्कीम में तब्दीली की गई है, उसको ठीक करायेंगे।

श्रीमती मोहसिना किदवई : अध्यक्ष जी, जय प्रकाश जी की वह कांस्टीटुएन्सी है इसलिए उनको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। अभी थोड़े दिन पहले आपसे बातचीत हो चुकी है। जिन लोगों का आप तजकिरा कर रहे हैं जिनसे वायदा किया था कि हम उनको वहीं पर बसायेंगे तो हम अभी तक उस वायदे पर कायम हैं, हम उन्हें बसायेंगे लेकिन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज के जरिए से। यह आपसे बात हुई है। मिन्टो रोड और माता सुन्दरी रोड पर लोग बसे हुए हैं। आप या तो उन कटराज की बात कर रहे हैं जो वाल्ड सिटी में है और जो बहुत पुरानी हालत में हैं। जो आप स्लम्स की बात कर रहे हैं, अगर आप उनको आइडेंटिफाइ करके दीजिए तो हम देखें कि आप उसमें क्या कमी बता रहे हैं और उसको हम दूर करें। जहां तक स्लम क्लियरेंस की बात है तो अब नहीं है। यह तो आप बहुत पहले की बात कर रहे हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आपका वायदा है, सरकार का वायदा है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : वायदे पर हम आज भी कायम हैं, हम उनको बुलायेंगे।

[अनुवाद]

श्री खुर्शीद आलम खां : मन्त्री महोदय ने शाहजहांबाद का उल्लेख किया है। मूलतः शाहजहांबाद 60,000 लोगों के लिए बनाया गया था जहां आज 700 हजार से अधिक लोग रह रहे हैं। इस शहर में सैकड़ों कटरे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन लोगों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए क्या कदम उठाए हैं जो इन कटरों में रह रहे हैं ? इन कटरों मे जीवन अवमानवीय है। उन्हें आवश्यक आवासीय सुविधा प्रदान करने में कितना समय लगेगा ? इस सम्बन्ध में शुरूआत कब की जाएगी ?

[हिन्दी]

श्रीमती मोहसिना किदवई ; अध्यक्ष जी, जो गवर्नमेंट के कटराज हैं, आलम साहब सही फरमा रहे हैं कि यहां जो बहुत डेंजरस हों उनके बारे में कह दिया जाए कि यह बहुत डेंजरस हैं, यहां लोग नहीं रह सकते। मैंने आर्डर्स कर दिए हैं कि माता सुन्दरी लेन पर जो जगह है वहां पर, जो पुराने कटराज हैं गवर्नमेंट उनके लोगों को ले जाकर बसाया जाए। तब इनमें एक-करके जो भी कमी होगी वह पूरी की जाएगी। हालांकि इतनी बड़ी तादात में कटरे हैं, कुछ गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ प्राइवेट हैं, लेकिन फिलहाल जो गवर्नमेंट के हैं उनके लिए हमने यह स्कीम बनाई है दिल्ली के लोगों के लिए कि माता सुन्दरी लेन या रोड पर जो जगह है वह उनको रिजर्व कर दी जाए और उनको वहां पर बसाया जाए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं प्रधान मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे हमें एसेम्बली दे दें, हम अपने फैसले खुद कर लेंगे।

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, जय प्रकाश जी ने मन्त्री महोदया को सिंगल बधाई दी है, मैं उनको डबल बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने वायदा किया, निकाला और फिर उनको नहीं बसाया। उसके लिए उन्होंने बधाई दी और उसके पीछे इतना सारा कहा। यह कौन सी बधाई है जय प्रकाश जी, आप इसको वापिस लें। मैं यह नहीं कहता कि काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन वहां जो गरीब लोग बसे हुए हैं, उनको निकाला है और उनकी रिपोर्ट वगैरह मंगवाई है। जो रिलीफ दिए हैं, उसमें क्या रिपोर्ट आई है और आप क्या करने जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? अगर कर रहे हैं तो फिर मैं जयप्रकाश जी से कहूंगा कि वे आपको फिर बधाई देंगे और अगर नहीं कर रहे हैं, तो बधाई वापिस ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप ये लेने देने के चक्कर में पड़ना चाहते हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं यही कहना चाहती हूं कि जय प्रकाश जी जिन लोगों की बात कर रहे हैं, वे बहुत बड़ी संख्या में हटाए गए थे और बहुत बड़ी तादात में बसा दिया गया था और थोड़े लोग बाकी हैं। आप यह बताइए कि इतने लोग बाकी हैं, जिनको बसाने का मसला है। तुलसीराम जी आप दिल्ली को घूम फिरकर देखकर समझ लीजिए और फिर आप अपनी बात कहिए। यह उनकी कांस्टीट्यूऐंसी है, उनको मालूम है कि मैं क्या कर रही हूं और उन्हें मालूम है कि वे क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये हैदराबादी आंख से देख रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, वे जानना चाहते थे कि आप आंध्र का मलबा कब साफ कर रहे हैं।

चीनी उद्योग मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट

[अनुवाद]

+

*3. **श्री जी० एस० बासवराजू** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग के कामगारों ने चीनी उद्योग सम्बन्धी तृतीय मजूरी बोर्ड द्वारा सरकार को हाल ही में प्रस्तुत रिपोर्ट में उनकी मांगों के रद्द किए जाने पर अपना विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो कामगार की मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो इनमें कौन सी मांगें सरकार ने स्वीकार की हैं;

(ङ) इनमें से कितनी मांगें रद्द की गई हैं और उसका क्या कारण है; और

(च) क्या सरकार का विचार मजूरी पुनरीक्षण तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के हल के लिए कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) मजदूरी बोर्ड रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने से पहले केवल यह मान कर कि उनकी मांगों को रद्द कर दिया गया है, चीनी कर्मकार राष्ट्रीय समन्वय समिति ने 14-1-1989 को अपना वक्तव्य देकर अपनी मांगों को रद्द करने के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया है। दूसरी ओर, चीनी मजदूरी बोर्ड ने अब 31-1-1989 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) चीनी कर्मकार राष्ट्रीय समन्वय समिति की प्रमुख मांगें न्यूनतम मजदूरी, मंहगाई भत्ते की दर, गारन्टी शुदा न्यूनतम लाभ, प्रतिधारक भत्ते, फ्रिंज लाभों, आदि के सम्बन्ध में हैं।

(ग) से (च) केन्द्रीय सरकार ने चीनी मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों को उनके विचार जानने के लिए भेज दी है, जिसके प्राप्त होने पर ही केन्द्रीय सरकार इस मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है।

श्री जी० एस० बासवराजू : विगत अनेक वर्षों से चीनी उद्योग के कामगारों की मांगें विचाराधीन हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या मजूरी बोर्ड ने चीनी उद्योग के कामगारों की द्वितीय अन्तरिम सहायता के भुगतान समेत अनेक मांगों को रद्द कर दिया है।

यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में हस्तक्षेप करके मजूरी बोर्ड से चीनी उद्योग के कामगारों को अन्तरिम सहायता देने के लिए क्यों नहीं कहा ?

श्री बिन्देशवरी दुबे : यह सच नहीं है कि मजूरी आयोग ने अनेक मांगों को रद्द कर दिया है। सभी माँगों के मंजूर न किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें रद्द समझा जाए। उन्होंने अपने समक्ष प्रस्तुत यूनियनों की माँगों पर विचार किया है। उन्होंने अनेक मामलों के सम्बन्ध में अनुकूल निर्णय दिये हैं। इसलिए मांगों को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री जी० एस० बासवराजू : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या चीनी उद्योग के कामगारों ने माँग की है कि सरकार को चीनी कामगारों की मांगों को तय करने के लिए तृतीय मजूरी बोर्ड की सम्पूर्ण रिपोर्ट को रद्द करके सरकार के प्रतिनिधियों तथा नियोजकों का एक नया त्रिपक्षीय तंत्र गठित करना चाहिए यदि हां तो क्या सरकार इस मांग पर विचार कर रही है अथवा नहीं।

श्री बिन्देशवरी दुबे : चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को रद्द करने के लिए हमें ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि ऐसी मांगें की जायेंगी तो इससे कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं होगी। आखिरकार मजूरी बोर्ड में नियोजकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि थे। इसकी अध्यक्षता एक विधिवेत्ता ने की थी। सभी ने अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने उपभोक्ताओं की बातें सुनी हैं। उन्होंने किसानों, कामगारों तथा नियजकों के प्रतिनिधियों की बातें सुनी हैं तथा सम्पूर्ण समस्या का गहराई से अध्ययन किया है और इसके परिणामों का भी अध्ययन किया है। यदि इससे सन्तोष नहीं है तो मेरे ख्याल से नयी त्रिपक्षीय कमेटी के गठन से कामगारों के हितों की रक्षा नहीं होगी। इसमें अनावश्यक रूप से अधिक समय लगेगा तथा इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है कि उसमें मतैक्य होगा।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो चालू मिलें हैं, उनके वर्कर्स की डिमान्ड्स के एक्सेप्टेन्स और रिजेक्शन की बात कही लेकिन देश में ऐसी भी बहुत सी शूगर मिल्स हैं, जो प्रोडक्शन ओरियेन्टेड हैं पर उनको बन्द करके रखा गया है। उन मिलों के जो वर्कर्स हैं, वे भी मंत्रालय के तहत में आते हैं और उसके द्वारा उनकी देखरेख होती है। इसी कन्टेक्स्ट में मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहूंगा कि बिहार में जो गोरारू शूगर मिल है और जिसमें 1500 वर्कर्स काम करते हैं, वह दो साल से बन्द पड़ी हुई है और उसके वर्कर्स ने अपनी डिमान्ड्स के लिए कई बार प्रदर्शन किये, कई बार धरने दिए गए और डेमोक्रेसी के प्रोसेस से लड़ाई लड़ी गई। चालू मिल्स के वर्कर्स के लिए तो आपने कहा है लेकिन जो बन्द मिलें पड़ी हुई हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। श्रम मंत्रालय उनके इन्ट्रेस्ट्स को भी देखता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो क्लोज्ड मिल्स हैं और जिनमें बहुत ज्यादा वर्कर्स हैं, उनकी देखरेख के लिए भी आपने कोई कमेटी बनाई है ताकि उनके इन्ट्रेस्ट्स को सेफगार्ड किया जा सके।

श्री बिन्देशवरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है, उससे यह सप्लीमेन्टरी उठता नहीं है लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने बोर्ड जरूर बनाया है सिक मिल्स के लिए, नेशनल फाइनेन्शियल एण्ड रिकन्सट्रक्शन बोर्ड और वह सिक मिल्स के बारे में विचार करता है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : चीनी मिलों के कामगार अपनी कुछ मांगों के लिए बहुत दिनों से आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार ने चीनी मिलों के कामगारों के लिए तृतीय मजूरी बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कामगारों की क्या मांगें हैं तथा इस मजूरी बोर्ड की क्या सिफारिशें हैं। राष्ट्रीय चीनी कामगारों की समन्वय समिति ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्यों रद्द कर दिया है? उसने भी कहा है कि मजूरी बोर्ड ने कामगारों की प्रमुख मांगें नहीं स्वीकार की हैं। उनकी मांगों को रद्द किये जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस मुद्दे को मैत्रीपूर्ण ढंग से तय करने के लिए कामगारों और नियजकों से त्रिपक्षीय विचार-विमर्श करने पर विचार कर रही है?

श्री विन्देशवरी दुबे : मैंने पहले ही बता दिया कि मजूरी बोर्ड ने कामगारों की सिफारिशें रद्द नहीं की हैं। उसने कुछ सिफारिशें की हैं। यह हो सकता है कि सब मांगें स्वीकार नहीं की है परन्तु उसने मजूरी में वृद्धि करने की सिफारिश की है तथा उसने प्रतिधारण भले में भी वृद्धि करने की सिफारिश की है। उसने महंगाई भत्ते के लिए एक नया फार्मूला बनाया है। उसने उपयुक्तता नीति में वृद्धि की भी सिफारिश की है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उनकी मांगें रद्द कर दी हैं। परन्तु यदि आप मुझसे सभी सिफारिशें बताने के लिए कहें तो इसमें अधिक समय लगेगा। यह विस्तृत रिपोर्ट है। मैंने कहा है कि विभिन्न राज्य सरकारों के विचार प्राप्त होने के बाद सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अन्तिम निर्णय लेगी। जब तक सरकार अन्तिम निर्णय नहीं लेगी तब तक सिफारिशों को बताने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि परिहार्य विवाद पैदा हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मानयीय अध्यक्ष जी, यह चीनी मिलों के मजदूरों से सम्बन्धित मामला है। चीनी मिलों में गन्ना बोने वाले किसान अपनी बैलगाड़ी ले करके मार्च के महीने में, बरसात में हजारों की संख्या में जाते हैं। वहां गाड़ीवान जाते हैं, बैल जाते हैं। चूंकि मजदूरों का संगठन है इसलिए उनकी मांग आ जाती है। किसानों का कोई संगठन नहीं है, इसलिए उनके बारे में यहां मांग नहीं आ पाती। किसान मार्च के महीने में, जाड़े में बैल ले करके गाड़ीवान मिलों पर जाते हैं। वहां उनके रहने के लिए कोई शेड नहीं हैं। जबकि नियम यह है कि वहां मिल वाले गाड़ीवानों के लिए, बैलों के लिये शेड बनवाएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस नियम का पालन करवायेंगे और उनके लिये शेड बनवायेंगे?

श्री विन्देशवरी दुबे : जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि फैक्टरी एक्ट या दूसरे एक्ट में जो प्रोवीजन हैं उसके एनफोर्समेंट की मशीनरी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उनके इम्पलीमेन्टेशन की जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट की है कि वह वहां शेड बनवाए। मुझे इस बात से तो सिम्पेथी है लेकिन जहां तक शूगर मिल से संबंधित प्रोवीजस के पालन का सवाल है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहना चाहिए, हम यहां से उनको एन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। जहां तक वेज बोर्ड का सवाल है, उसमें किसानों के इन्ट्रेस्ट को ध्यान में रखा है।

श्री राम नगीना मिश्र : ये एक्ट सैन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट से इसका पालन करवाएं।

"एड्स" के रोगियों की संख्या में वृद्धि

[अनुवाद]

+

*4. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 2 फरवरी, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स, में प्रकाशित समाचार के अनुसार गत तीन महीनों में एड्स से प्रभावित रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने रोगियों की जांच की गई है तथा एड्स से पूरी तरह प्रभावित कितने रोगियों का पता लगा है;

(ग) क्या देश में रक्त-दाताओं तथा गर्भवती महिलाओं को एड्स से विशेष रूप से प्रभावित पाया गया है;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एड्स के रोगियों के समुचित उपचार हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो रोग को फैलने से रोकने तथा इस रोग के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत में एच०आई०वी० संक्रमण की जांच अक्तूबर 1985 में शुरू की गई थी 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार अधिक खतरे वाले समूहों के 2,09,825 व्यक्ति अर्थात् विदेशियों, रक्त दाताओं, इतरलिंगकामी असंयमी पुरुषों और वेश्याओं की स्क्रीनिंग की गई थी और उनमें से 764 को एच० आई० वी० सीरो पाजिटिव पाया गया था जिनमें 18 भारतीयों और 11 विदेशियों को मिलाकर 29 व्यक्ति पूर्णतया: एड्स रोग से ग्रस्त थे।

मार्च 1987 से 31-1-1989 तक समाप्त अवधि में स्क्रीन किए गए अधिक खतरे वाले समूहों के व्यक्तियों की संख्या एच०आई०वी० सीरो पाजिटिव व्यक्तियों की संख्या और पूर्ण रूप से एड्स रोग से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

31-1-89 तक पता चले एच०आई०वी० सीरो पाजिटिव व्यक्तियों में से 68 रक्त दाता थे और 9 गर्भवती महिलाएं थीं। एच०आई०वी० सीरो पाजिटिव अधिकतर व्यक्ति दो अधिक खतरे वाले समूहों के थे अर्थात् असंयमी पुरुष (197) और असंयमी महिलाएं (310)।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को एच० आई० वी० संक्रमण की निगराने आयोजित

करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा परिषद विषाणु वियोजन पर भी अनुसंधान कर रही है।

भारत में एड्स को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्यों की योजना बनाई है :—

— एच०आई०वी० संक्रमण का पता लगाने के लिए निगरानी करना।

— रक्ताधान के लिए प्रयुक्त रक्त का परीक्षण और रक्त उत्पादों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

— महानगरों में स्वास्थ्य जांच और परामर्श के लिए क्लिनिकों की स्थापना करना।

— मेडिकल कालेजों/जिला अस्पतालों में एस०टी०डी० क्लिनिकों को सुदृढ़ करना।

— सुनिर्धारित प्रमुख अस्पतालों में एड्स के रोगियों के उपचार के लिए चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का विकास करना।

— रोगी की चिकित्सा में चिकित्सा/अर्ध-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करना।

— निम्नलिखित स्वास्थ्य शिक्षा कार्य कलापों को गहन करना :—

— आम जनता में इस रोग के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना।

— स्कूलों और कालेजों में स्वास्थ्य शिक्षा।

— अधिक खतरे वाले समूहों तथा एच०आई०वी० संक्रमण वाले व्यक्तियों को शिक्षा व परामर्श देना।

अनुबंध

अप्रैल 1986 से 31-1-1989 तक समाप्त होने वाली अवधि के दौरान जांच किए गए उच्च खतरे वाले वर्गों, एच०आई०वी० सीरो पाजिटिव और पूर्ण रूप से ग्रस्त एड्स के रोगियों की संख्या

श्रेणी	1986 अप्रैल	1987 अप्रैल	1988 अप्रैल	1988 अक्तूबर	1989 जनवरी	संचयी
1	2	3	4	5	6	7
जांच किए गए रोगियों की संख्या	3027	34,866	65,366	63,317	43,259*	2,09,8
एच०आई०वी० पाजिटिव वाले रोगियों की संख्या	10	99	196	227	232*	764

1	2	3	4	5	6	7
सीरो-पाजिटिव दर [प्रति एक हजार व्यक्तियों के पीछे एच०आई०वी० सीरो पाजिटिव व्यक्तियों की संख्या]	3.3	2.8	3.0	2.8	5.4*	3.6
पूर्ण रूप से ग्रस्त एड्स के रोगियों की संख्या	0	9	11	5	4*	29

*पिछले तीन मास के दौरान एड्स के रोगियों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुइ है वैसे, सीरो-निगरानी के कार्य को तेज करने के कारण जांच किए गए व्यक्तियों और सीरो-पाजिटिव व्यक्तियों और पता लगाए गए एड्स के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है उच्च खतरे वाले ग्रुपों जैसे एस०टी०डी० क्लीनिकों में आने वाली वेश्याओं और रोगियों की बहुत बड़ी संख्या का सीरो-पाजिटिव होने का पता लगा।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : माननीय अध्यक्ष जी, इस बीमारी के बारे में कानून 1985 में बना था और जून 1986 में इस सदन में जानकारी हासिल हुई थी जिसको लेकर इस सदन में गंभीर चिंता व्यक्त की गयी थी। उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसकी रोकथाम के लिए पूरे उपाय किए जायेंगे आज परिस्थिति यह है कि करीब दो लाख केसिज स्क्रीनिंग किए गए हैं और 'एड्स' के सात सौ केसिज डिटेक्ट हुए हैं। ज्यों-ज्यों दवा की त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। 1985 में एक केस डिटेक्ट हुआ था और आज सात सौ केसिज हैं। यह देश के सामने गंभीर चिंता का विषय है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन ढाई तीन वर्षों में इसकी रोकथाम के लिए क्या-क्या कारगर उपाय किए गए जिससे कि यह बीमारी न बढ़ सके? आपकी आगे इसके लिए क्या प्लेनिंग है? आपने प्रश्न का जो जवाब दिया उससे स्पष्ट नहीं होता। उससे ऐसा महसूस होता है कि इन ढाई-तीन वर्षों में सरकार की ओर से जोरदार प्रयास नहीं किए गए जिससे कि यह बीमारी रोकी जा सके और पनपे नहीं।

[अनुवाद]

श्री राम निवास मिर्धा : जहां तक 'एड्स' रोग का सम्बन्ध है उसका पता लगाने और उसके बाद में आगे की जाने वाली कार्यवाही के बारे में सरकार बहुत चिन्तित है। 1986 में जिसका माननीय सदस्य ने जिक्र किया था, हमने बहुत से कदम उठाए हैं जिनके बारे में मैंने अपने उत्तर में बताया है। यह कहना ठीक नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था कि एड्स से ग्रस्त 764 व्यक्ति थे जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था। जांच के फलस्वरूप एच० आई० वी० पाजिटिव के 764 मामले एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों के थे। मैंने अपने वक्तव्य में बताया है कि 29 व्यक्ति एड्स से पूर्णतया ग्रस्त थे। सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं उनमें से एक यह है कि हमने पूरे देश में 40 निगरानी केन्द्र खोले हैं जहां एड्स ग्रस्त व्यक्ति समय-2 पर जांच करा सकते हैं। इस रोग के रोगियों की संख्या में जांच करने और निगरानी केन्द्र खोलने के कारण वृद्धि हुई है अप्रैल 1986 तक 3,027 व्यक्तियों की जांच की गई थी, तथा जनवरी 1989 तक 43,259 एड्स के रोगियों की जांच की गई। जांच के कारण

बहुत से मामलों का पता चला था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि रोग फैल रहा है। हमने निगरानी स्तर पर काफी कदम उठाए हैं। हमने एक बड़ा ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है। हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन योजना के अधीन डाक्टर और नर्सों को भेजा है। वह ट्रेनिंग लेकर अब दूसरे लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे अब बहुत से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। निगरानी केन्द्रों में इस समय आवश्यक आयातित किट्स हैं। हम भी विदेशों में किट्स निर्माताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि हम स्वयं इसे अपने देश में बना सकें। हम क्रमशः अपने देश में निगरानी बढ़ा रहे हैं जो कि एक आवश्यक बात है।

दूसरी बात यह है कि देश में एक स्रोत रक्त बैंक हैं, और व्यावसायिक रक्तदाता तथा अन्य लोग हैं जो वहां रक्त दान करते हैं। अतः हम इन रक्त बैंकों के कार्यकरण को नियमित करने का गम्भीर प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने बम्बई और मद्रास में इसे आवश्यक बना दिया है कि प्रत्येक रक्तदाता जो रक्त देने के लिए आता है उनकी जांच की जानी चाहिए कि क्या उनका रक्त एच०आई०वी० पाजिटिव है या नहीं तथा बहुत से कदम उठाए गए हैं जिससे कि जहां से रोग की शुरूआत हो सकती है, उसका पहले ही पता चल जाए और रोकथाम की जा सके।

[हिन्दी]

श्री बनवारीलाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो 200000 केसेस का स्क्रीनिंग किया गया है, लेकिन इससे यह पता नहीं लगता कि इतने बड़े भारत देश में कहां पर बीमारी का प्रकोप अधिक है, किन प्रांतों में यह बीमारी अधिक है। इसके लिए क्या मंत्री महोदय राज्यवार जानकारी देंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने बताया है कि अभी 40 सेंटर्स खोले गए हैं, उनकी लिस्ट में माननीय सदस्य को भेज दूंगा। इसके अलावा और सेंटर्स खोलने की कोशिश भी की जा रही है। कहां पर कितनी बीमारी है, यह कहना अभी संभव नहीं है, अभी तो हम सेंटर्स बनाने में लगे हुए हैं, इसके बाद हम कह सकेंगे कि किन क्षेत्रों में यह बीमारी मौजूद है।

[अनुवाद]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : महोदय, आए-दिन एक-दो समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में 'एड्स' के बारे में समाचार आते रहते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार 'एड्स' समलिंगकामी गतिविधियों के माध्यम से फैला है। अब देश में समलिंग कामुकता पर प्रतिबंध लगा दिया है और यह एक दण्डनीय अपराध है मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस रोग से पीड़ित लोग जो स्वैच्छिक रूप से इस रोग के बारे में बताना चाहते हैं, उनके लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य की टिप्पणी यह है कि समलिंग कामी एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप है। यह ग्रुप भारत की अपेक्षा विदेशों में अधिक है। हमारे देश में अन्य अधिक खतरनाक ग्रुप हैं जो समलिंगकामी से अधिक खतरनाक हैं। माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित समस्या के प्रति हम सचेत हैं। हम इस पहलू पर एक कानून बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं जिसमें माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह मालूम है कि दो दवाइयों जिनका नाम विनोबुलिन और डरग्लोब हैं, जिसे भारत सिस्टम्स एण्ड वैक्सीन लिमिटेड द्वारा

गया है जिसमें एड्स वाइरस है अगर हां तो सरकार ने इन दो दवाइयों की पूरे भारत में बिक्री को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं क्या सरकार ने इस दवाई के बारे में कोई जांच की है कि इसे बनाने की प्रक्रिया में यह मुख्य दोष कैसे आ गया है, और अगर हां, तो ब्यौरा क्या है?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने एड्स से ग्रस्त जिन व्यक्तियों का पता चला है, उनका तथा कुछ दवाइयों का जिक्र किया है और आल इंडिया इस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइस में एक ऐसी दवाई का परीक्षण किया गया था और यह पाया गया था कि इस दवाई में एड्स वाइरस था। इस दवाई की बिक्री बन्द करने के लिए शीघ्र कदम उठाये गये थे और उस दवाई को बनाने पर रोक लगा दी गई थी। महाराष्ट्र के औषध नियन्त्रक से शीघ्र सम्पर्क किया गया और उन्होंने शीघ्र ही कार्यवाही की उन्होंने कानून के तहत आर्डर जारी किए क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम हैं। हमने बम्बई में अपने मंत्रालय के तत्वावधान में एक बैठक की थी। हमारे माननीय सदस्य ने जिसका जिक्र किया था उन दो औषध निर्माताओं के साथ-साथ सभी औषध निर्माता वहां उपस्थित थे। हमने अब एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है कि इन दवाइयों के निर्माण में प्रयुक्त रक्त उत्पादों की किस प्रकार जांच की जानी चाहिए तथा सही प्रक्रिया प्रमाणित करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। यहां अधिकतर दवाइयां रक्त से बनाई जाती हैं और इन फैक्टरियों में पंजीकृत रक्त बैंक भी हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा था कि यही समस्या आती है कि रक्त बैंक जो इन बातों के स्रोत है, को नियमित किया जाये। हम केवल फैक्टरियों में ही ऐसा नहीं कर रहे हैं जो इन दवाइयों का निर्माण कर रही हैं, बल्कि पूरे देश में ऐसे कदम उठा रहे हैं।

श्री शान्ताराम नायक : सरकार ने एक बहुत अच्छी नीति अपनाई है कि जो विदेशी नागरिक 'एड्स' के शिकार हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निर्वासित किया जाना चाहिए। लेकिन क्या कई ऐसे मामले भी हैं जहां 'एड्स' के शिकार हैं विदेशी नागरिक निर्वासन से पहले ही लापता हो गए हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे इसके लिए नोटिस दीजिए।

स्टेट बैंक आफ इंदौर की दिल्ली स्थित शाखाओं के कर्मचारियों का स्थानांतरण

+

*5. **श्री तम्पन थामस** :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इंदौर की संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली स्थित शाखाओं के ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है, जिन्होंने अपने स्थानांतरण आदेशों के संबंध में सहायक श्रमायुक्त के कार्यालय में बैंक के प्रबन्धकों के विरुद्ध मामले दायर किए हैं;

(ख) क्या सहायक श्रमायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आदेशों का पालन न किए जाने के कारण बैंक प्रबन्धकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देशवरी दुबे) : (क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर इम्पलाइज यूनियन ने उस बैंक की चांदनी चौक शाखा से कर्मकार को अपनी राहोगढ़ शाखा, मध्य प्रदेश में स्थानान्तरित किए जाने के विरुद्ध एक कर्मचारी के संबंध में एक औद्योगिक विवाद उठाया था।

(ख) संराधन अधिकारी द्वारा बैंक को भेजे गए पत्र संराधन कार्यवाही में भाग लेने के लिए नोटिस थे और प्रबंधतंत्र को यह सलाह दी गई थी कि संसाधन में विवाद के लम्बित रहने तक यथा पूर्व स्थिति बनाई रखी जाए।

(ग) और (घ) संराघन कार्यवाही की गई और प्रबंधतंत्र तथा विवाद उठाने वाली कर्मचारी यूनियन के मध्य एक समझौता हो गया था। समझौते के अनुसार, कर्मकार को पहले बैंक की राहोगढ़ शाखा में कार्य के लिए उपस्थित होना था। कर्मकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया इसलिए प्रबंधतंत्र के विरुद्ध समझौते की शर्तों का पालन न करने के लिए कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री तम्पन थामस : स्थानान्तरण को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए कर्मचारी को सताने प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार सक्षम है ? क्या सरकार बैंक सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को स्थानान्तरण नीति बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी कर रही है ? यह नोट किया जाए कि एक कर्मचारी अधिकारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के तथ्यों को सामने लाया था उसका स्थानान्तरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया था। आप भली प्रकार जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को दण्डित किया जाता है तो उसे नोटिस दिया जाता है और जांच की जाती हैं। लेकिन स्थानान्तरण में ऐसा नहीं किया जाता है। यह तरीका सही नहीं है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि क्या स्थानान्तरण के मामले में इस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं और क्या सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिसमें बैंक भी शामिल है को निर्देश देगी।

श्री बिन्देशवरी दुबे : वास्तव में प्रशासनिक कारणों के लिए स्थानान्तरण दण्ड नहीं है। ट्रांसफर (स्थानान्तरण) आर्डर को अनुशासन संहिता के तहत तभी अनुचित माना जाता है जब यह श्रमिक संघ की गतिविधियों के लिए सजा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए, अधिनियम में प्रावधान है। इस मामले में, स्थानान्तरण हुआ था। संराधन (समाधान) अधिकारी ने संराधन कार्यवाही के दौरान यथापूर्ण स्थिति बनाए रखने की सलाह दी। लेकिन, वास्तव में झगड़ा इसलिए हुआ था कि स्टेट बैंक आफ इंदौर की प्रबंधव्यवस्था स्थानान्तरण पर विचार कर रही थी। तब सलाह दी गई कि यथापूर्ण स्थिति बनाई रखी जाए। वास्तव में बैंक सम्बन्धित कर्मचारी को एक दिन पहले स्थानान्तरण चुका था। बैंक की प्रबंध व्यवस्था ने निर्णय लिया कि···(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : नहीं, नहीं।

श्री बिंदेशवरी दुबे : यह सच है···(**व्यवधान**) महोदय, पहले उन्हें मेरी बात सुनने दीजिए। वास्तव में, झगड़ा 4 जून, 1985 को हुआ था। संराधन अधिकारी ने शीघ्र आर्डर जारी किये और संराघन कार्यवाही शुरू की। संराधन कार्यवाही के नोटिस में संराधन अधिकारी ने यथापूर्व स्थिति बनाये रखने की सलाह दी। लेकिन बैंक ने निश्चय किया कि स्थानान्तरण आर्डर पर विचार नहीं किया गया था।लेकिन वास्तव में एक दिन पहले स्थानान्तरण आर्डर एक दिन पहले इसलिए जारी किए गए कि

स्थानान्तरण बरकरार रहेगा। तत्पश्चात् एक उपचारात्मक उपायथा जिसे शायद यूनियन ने स्वीकार नहीं किया था, और वह है कि यदि यूनियन ने योग्य अधिकारी को लिखित में शिकायत की होती कि स्थानान्तरण ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए सजा के रूप में किया गया था, तब उनके लिए एक प्रावधान है कि ऐसे स्थानान्तरण को अनुचित श्रम कार्य के रूप में लिया जाता है। इसके लिए उपचारात्मक उपाय भी है और मालिकों के खिलाफ दण्डनीय उपबन्ध भी हैं। किन्तु शिकायत दर्ज नहीं की गई। संगठन ने कार्यवाही जारी रखने को ही तरजीह दी। संगठन ने समाधान कार्यवाही जो जारी रखने की ही राय दी। यदि वे संतुष्ट न होते तो उन्होंने असफलता पर ही जोर दिया होता। अन्त में समाधान कार्यवाही समझौते पर ही समाप्त हुई।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मुझे खेद है कि मन्त्री महोदय ने मेरे पूछे गए सीधे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या सरकार के पास बैंकों समेत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति है। इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि इस मामले में यह कहा गया है कि श्रम उपायुक्त के आदेशों के बावजूद यथापूर्व स्थिति नहीं बनाए रखी जा सकी। मेरी जानकारी के अनुसार केवल महाराष्ट्र में ही अनुचित श्रम प्रथा अधिनियम है जिसमें कहा गया है कि अन्तरिम आदेश पारित किए जा सकते हैं। श्रम के मामलों में, न्यायालयों को भी यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति नहीं है। महोदय, वह श्रम मन्त्री हैं, और श्रमिकों के नेता भी हैं। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसे मामलों में यथास्थिति बनाए रखने के लिए कानून बनाने की व्यवस्था पर विचार करेगी।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : महोदय, यह विचार-विमर्श के लिए निवेदन है और हम निश्चय ही इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अ-यक्ष महोदय, इस केस में चार तारीख को स्टेट्स को मेनटेन करने के लिए लेबर कमिश्नर ने आदेश दिया, एक दिन पहले ट्रांसफर का लैटर दिया और डिसपैंच है सात तारीख का। मेरे पास उसकी फोटोस्टेट कापी है। इससे पता चलता है कि स्टेट्स को मेनटेन करने के लिए और दोषी लोगों को बचाने के लिए एक दिन पहले उन्हें ट्रांसफर आर्डर मिलते हैं और डिसपैंच होता है 7 तारीख को। मैनेजमेंट ने अपने को बचाने के लिए उनके खिलाफ केस कर दिया जिन्होंने इसकी शिकायत की थी। डिसपैंच की फोटोस्टेट कापी की एक प्रति मैं उनको भेज रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वहां से भेज देना।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : माननीय सदस्य कह रहे हैं वैसी सम्भावना हो सकती है। मैंने यह कहा कि बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि हमने 3 तारीख को ट्रांसफर आर्डर कर दिए हैं···अब स्टेट्स-को का मतलब यह होगा कि उसका ट्रांसफर आर्डर स्टैंड करता है। बैंक की जो कंटैंशन थी, वह मैं बता रहा हूं, लेकिन जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसकी संभावना हो सकती है। वैसी परिस्थितियों में ऐसा होना चाहिए था कि यूनियन कम्पलेंट फाइल करती बाजाब्ता स्टेट्स-को कि उसने अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के प्रावीजन्स के अण्डर वायोलेशन की है, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। औथोरिटी बिना उसका काग्नीजैंस लिए, कोई निर्णय नहीं ले सकती। उन्हें एक्ट का प्रोवीजन समझना चाहिए। इसके बजाय, यूनियन कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्स कन्टीन्यूएशन के साथ, उनकी रिक्वैस्ट चलती रही और

कन्सीलिएशन प्रोसीडिंग्स कन्टीन्यू करती रहीं। जब अल्टीमेटली सैटलमेंट हुआ, उसमें एक और पिकूलियर सिचुएशन एराइज़ हो गयी कि जो एग्रीव्ड परसन था, उसने लिखकर दे दिया कि मैंने तो यूनियन को औथोराइज ही नहीं किया था, स्टेटमेंट करने के लिए या हमारी तरफ से कोई एग्रीमेंट करने के लिए। इससे सारा केस ही बदल गया और सैटलमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस तरह से केस फालन हो गया।

श्री सी० गंगा रेड्डी : अध्यक्ष जी, मैं यहां मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : आपका जवाब तो हो गया। एक प्रश्न ही आप पूछ सकते थे।

श्री राज कुमार राय : क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि यह केस बहुत दिनों से लोक सभा और राज्य सभा के माध्यम से सरकार की नजरों से गुजर रहा है जिसमें एक एम्पलाई का ट्रांसफर किया गया। जब कन्सीलिएशन आफिसर ने कहा कि स्टेट्स-को मेन्टेन किया जाए तो उससे एक दिन पहले के ट्रांसफर आदेश दिखा दिए गए। जब लोकसभा में कहा गया कि जिस आदमी ने सही इन्फार्मेशन दी, करोड़ों-करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार पकड़वाया, उसे आपने सर्विस से निकाल दिया और जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, उन सबको आपने प्रोमोट कर दिया। आपने कई बार यहां अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। राज्य सभा में माननीय सदस्य बापू कालदाते के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय वित्त मन्त्री ने कहा था कि मैं डा० बापू कालदाते की राय से मुत्तफिक हूं और इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। यदि उसने सारी खबर दी, इसलिए उसे सर्विस से हटाया गया, ऐसा है तो क्या माननीय श्रम मन्त्री जी उस न्यक्ति को फिर से सेवा में बहाल करने पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप राज्य-सभा को कोट मत करिए।

श्री राज कुमार राय : मैं कोट नहीं कर रहा हूं, मैं तो भावनाएं बता रहा हूं। अब तो श्रम मन्त्री जी सारी स्थिति जान गए हैं। मैं इस सम्भावना से इन्कार नहीं करता कि एक दिन पहले ट्रांसफर आर्डर हो गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न करिए।

श्री राज कुमार राय : साहब, इसमें एक गरीब एम्पलाई को सर्विस से निकालने का प्रश्न शामिल है, सारी परिस्थितियों को देखते हुए, महज इन्फार्मेशन देने या टेक्निकल एडवाइज देने के लिए उसे निकाला गया, क्या आप उस सी० एल० वर्मा को पुनः सर्विस में लेने की कृपा करेंगे।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अध्यक्ष महोदय, समझौते के अनुसार सी० एल० वर्मा नाम का व्यक्ति सर्विस से निकाल दिया गया, ऐसी बात नहीं है। यूनियन के साथ यह समझौता हुआ था कि सी० एल० वर्मा·····

श्री राज कुमार राय : मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि उसे सर्विस से निकाल दिया गया। सर, ये तो भूमिका में ही दो मिनट खा जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। बाद में प्रश्न आएगा कि उसे सर्विस से निकाला गया या नहीं, पहले आप उत्तर सुन लीजिए। फिर पता करेंगे।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : मैं सूचना ग्रहण करता हूं, आप मेरी बात भी सुनिए। अध्यक्ष महोदय,

यूनियन के साथ यह सैटलमेंट हुआ था कि श्री सी० एल० वर्मा पहले राहोन्द शाखा में, जहां उनका ट्रांसफर हुआ है, ज्वाइन करेंगे और 6 महीने के बाद उन्हें फिर मथुरा में ज्वाइन करा दिया जाएगा। जहां तक इन्टरवीनिंग पीरियड का सवाल है, उसके लिए वे छुट्टी की दरख्वास्त देंगे, यदि उनके खाते में इतनी छुट्टियां ड्यू होंगी तो उन्हें छुट्टियां मंजूर कर दी जाएंगी। यही समझौते की शर्त थी। परन्तु जब सी० एल० वर्मा ने लिख कर दे दिया कि मैंने यूनियन को डिस्प्यूट उठाने के लिए औथोराइज ही नहीं किया, यूनियन के साथ जो समझौता हुआ है, मैं उससे मानता ही नहीं, तो समझौते की शर्तों के अन्तर्गत उनकी सर्विस डिसकन्टीन्यू हुई ऐसा न समझा जाए। एबसैंस पीरियड के बारे में मैंने बताया, जब समझौते को उन्होंने अस्वीकार कर दिया और दो वर्ष उन्हें एबसैंट रहते हो गए इसलिए सम्भव है, मुझे इन्टीमेशन नहीं है, उनकी सर्विस डिसकन्टीन्यू हो गयी होंगी।

श्री राज कुमार राय : अब क्या सरकार उन्हें फिर से सर्विस में लेने पर विचार करेगी।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : अगर डिस्प्यूट रेज करेंगे तो उस पर विचार कर लिया जाएगा, यदि विचारणीय समझा गया तो।

श्री राज कुमार राय : क्या उन्हें फिर से सेवा में रखेंगे।

श्री बिन्देश्वरी दुबे : किसी इण्डीविज्यूअल एम्पलाई के ट्रांसफर का मामला, जब तक उसमें विक्टेमाइजेशन का प्रश्न इन्वौल्व न हो, वह खुद डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकता, अण्डर दि प्रौवीजन्स ऑफ एक्ट प्रोहिबिटिड है। हां, यूनियन उसकी बात को जरूर उठा सकती है। यूनियन ने उसके पक्ष को उठाया, दो साल तक यूनियन लड़ी, परन्तु उस यूनियन को भी उसने डिस-ओन कर दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन-आवर इज ओवर।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का विकास"

[अनुवाद]

*6. **श्री अगन्नाथ पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के विकास हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया;

(ख) क्या राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की प्रबन्ध-व्यवस्था में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण निदेशालय द्वारा कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) वन्य प्राणी अभयारण्यों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा 1988 में

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए क्रमश: 590.69 लाख रुपए और 566.66 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा सुरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों के नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयासों में भारत सरकार के आदेश से भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार की गई "प्लानिंग ए वाइल्ड लाइफ एरिया नेटवर्क इन इण्डिया" नामक रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—यह रिपोर्ट, जिसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से सिफारिश की गई है, में 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 148 राष्ट्रीय उद्यानों और 503 वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। राज्यों को मौजूदा सुरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों के विस्तार और नये सुरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों की स्थापना के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत

*7. **डा० दत्ता सामंत** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में कपड़े की, प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही;

(ख) क्या करघा मिलों में कपड़े का उत्पादन कम हो गया है, जबकि विद्युत करघा उद्योग में इसका उत्पादन बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1985, 1986 और 1987 के दौरान कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत निम्नलिखित है :—

वर्ष	कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत मीटर में
1985	15.35
1986	15.79
1987	16.35

(ख) जी, हां।

(ग) संगठित मिल क्षेत्र में अकुशल वस्त्र एकक अपनी उच्च उत्पादन लागत के कारण विद्युत-चालित करघों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहे हैं।

आवास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

*8. **श्री चित्त महाता** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आवास समस्या सुलझाने के लिए सरकार का प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) एक प्रौद्योगिकी मिशन के माध्यम से "आवास" के कुछ पहलुओं पर विचार करने से सम्बन्धित प्रस्ताव अभी भी इसके वैचारिक स्तर में है। इससे सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने और निर्णय लेने में कुछ और समय लगेगा।

मूल्य-वृद्धि की स्थिति

*9. **श्री शांतिलाल पटेल** :
श्री एस० एम० गुरुडी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मूल्य वृद्धि की स्थिति पर निगरानी रखने की सलाह दी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 1988 में कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति प्रबन्ध, जिसमें मूल्य स्थिति भी शामिल है, से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए गए तथा सिफारिशें की गईं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे और मोबाइल वैनें चलाएं, पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं उपलब्ध करें, प्रवर्तन उपायों में तेजी लाएं तथा मूल्यों की निरन्तर पुनरीक्षा करें।

बड़ी दुर्घटना के खतरों को रोकने की पद्धति

*10. **श्री के० एस० राव** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से चलाई जा रही "इस्टेबलिशमेंट एण्ड इनिशियल ओपरेशन आफ मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड्स कन्ट्रोल सिस्टम" सम्बन्धी परियोजना में भाग

नहीं ले रहे हैं और यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और उनके द्वारा भाग न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन राज्यों में बड़ी दुर्घटना के खतरे वाले कारखानों द्वारा एहतियाती उपाय किए जाएं और किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए और बड़ी दुर्घटना होने की स्थिति में तुरन्त सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार की जाएं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) "इस्टेबलिशमेंट एण्ड इनिशियल ओपरेशन आफ मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड्स कन्ट्रोल सिस्टम" पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की परियोजना में नौ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अर्थात् महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा और दिल्ली भाग ले रहे हैं। इस परियोजना के लिए राज्यों के चुनाव का निर्णय रसायन उद्योगों के संकेन्द्रण के आधार पर लिया गया था। इस परियोजना के अन्तर्गत दाता की सहायता सीमित होने के कारण इस परियोजना को अन्य राज्य में भी चलाना सम्भव नहीं था। तथापि, सरकार द्वारा किए गए अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अब इस परियोजना में तीन और राज्यों अर्थात् केरल, आन्ध्र प्रदेश और बिहार को भी शामिल करने पर सहमत हो गया है।

2. 1987 में यथा संशोधित कारखाना अधिनियम, 1948 में एक नया अध्याय (IV-क) दिया गया है जिसमें जोखिम पूर्ण संक्रियाओं में लगे कारखानों में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम जोखिमपूर्ण संक्रियाओं में लगे किसी कारखाने के अधिष्ठाता पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों के बारे में उत्तरदायित्व निश्चित करता है :—

(i) कर्मचारी, निरीक्षणालय और स्थानीय प्राधिकारी को जोखिमों और उन पर काबू पाने के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचना को अनिवार्य रूप से बताना।

(ii) स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति बनाना।

(iii) अपने कारखाने के लिए कार्य-स्थल आपातकालीन योजना बनाना और विस्तृत दुर्घटना नियन्त्रण उपाय करना।

इस अधिनियम के प्रावधान पूरे देश में लागू किए गए हैं।

3. अ० श्र० सं० परियोजना के प्रारम्भिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) श्रम संस्थानों और कारखाना निरीक्षणालयों में प्रमुख दुर्घटना जोखिमों को रोकने और उन पर नियन्त्रण करने के लिए विशेषज्ञता सृजित करना;

(ii) कार्यान्वयन एजेन्सी, उद्योग और कर्मकारों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देना; और

(iii) जोखिम पूर्ण पदार्थों, प्रमुख दुर्घटना जोखिमों को उत्पन्न करने वाले प्रतिष्ठानों, प्रमुख दुर्घटनाओं और प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियन्त्रण सम्बन्धी विशेषज्ञों के बारे में टाटा बेस सर्जित करना।

इस परियोजना के अन्तर्गत श्रम संस्थानों में विकसित विशेषज्ञता और उनके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सभी राज्यों के लिए उपलब्ध हैं चाहे वे इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल हो या

हीं। इसके अतिरिक्त डाटा बैंक भाग न लेने वाले राज्यों से सम्बन्धित सूचना भी शामिल करेगा।

4. दिसम्बर, 1988 तक भाग लेने वाले राज्यों में 259 प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखानों और भाग न लेने वाले राज्यों में 48 प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखानों का पता लगाया गया है। भाग लेने वाले राज्यों और भाग न लेने वाले राज्यों में प्रमुख दुर्घटना जोखिम उत्पन्न करने वाले पदार्थों की संख्या क्रमशः 46 और 17 है। इन सभी कारखानों को आपातकाल योजनाएं बनानी हैं और इन्हें राज्य मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रस्तुत करना है।

मिनर्वा मिल्स, बंगलौर का बन्द रहना

*11. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिनर्वा मिल्स, बंगलौर कितने दिन बन्द रही ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त मिल, जो 28 जुलाई, 1988 को खुली थी, फिर 10 सितम्बर, 1988 को पुनः बन्द कर दी गई;

(ग) यदि हां, तो इसके बार-बार बन्द होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मिल इस समय चल रही है ;

(ङ) इस मिल में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं; और

(च) क्या सरकार मिलों के घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के लिए कदम उठाएगी ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1988 के दौरान मिनर्वा मिल्स, बंगलौर 167 दिनों तक बन्द रही।

(ख) जी, हां।

(ग) मिल के लगातार बन्द होने का कारण कामगारों द्वारा हिंसात्मक कार्य तथा मिल की सम्पत्ति को हानि पहुंचाना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) दिनांक 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार मिल के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गई है :—

स्थाई कामगार	अधिकारी तथा स्टाफ
1682	195

(च) जी, नहीं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद और सप्लाई पर खर्च

[हिन्दी]

*12. **श्री दिनेश गोस्वामी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्न खरीदता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सामान्य उपभोक्ता को इसकी सप्लाई करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान खाद्यान्नों की खरीद के लिए निगम द्वारा प्रति क्विंटल कितना खर्च किया गया;

(ग) उक्त वर्षों के दौरान सामान्य उपभोक्ता को खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए निगम द्वारा प्रति वर्ष कितना खर्च किया गया;

(घ) क्या सरकार ने इस व्यय को कम करने सम्बन्धी उपायों पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) भारतीय खाद्य निगम किसानों से खाद्यान्नों की वसूली करता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए इन्हें राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सप्लाई करता है।

(ख) 1986-87 और 1987-88 के दौरान निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली पर प्रति क्विंटल किया गया खर्च निम्नानुसार था।

	1986-87	1987-88
	(रुपए प्रति क्विंटल)	(रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं	34.81	34.13
चावल	12.98	13.16

(ग) निगम द्वारा गेहूं और चावल के वितरण पर किया गया खर्च निम्नानुसार था :

वर्ष	रुपए प्रति क्विंटल
1986-87	16.23
1987-88	62.05

(घ) और (ङ) सरकार और भारतीय खाद्य निगम, दोनों द्वारा निगम की परिचालन लागतों को कम करने की ओर लगातार ध्यान दिया जाता रहा है। लागत को कम करने के लिए जो विभिन्न

उपाय किए गए हैं उनमें ये शामिल हैं—पूंजी की पुनः संरचना, स्टाफ की संख्या में कमी करना, भण्डारण और मार्गस्थ हानि की प्रतिशतता को कम करना, अलाभकारी गोदामों को खाली करना, आदि। भारतीय खाद्य निगम के परिचालनों की विस्तृत लागत लेखापरीक्षा करने के लिए हाल ही में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को नियुक्त किया गया है।

रोहिणी में प्लाटों का आवंटन

*13. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन सभी व्यक्तियों को रोहिणी में प्लाट आवंटित नहीं किए गए हैं; जिन्होंने इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1981 में पंजीकरण कराया था;

(ख) यदि हां, तो रोहिणी क्षेत्र में विकास की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1989 के दौरान सभी पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट आवंटित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुल 82384 पंजीकृत व्यक्तियों में से 31-12-88 तक 30732 पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन किया है।

(ख) जल पूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा मलनिर्यास से सम्बन्धित योजनाओं की आयोजना करने में तथा निष्पादन में मुख्यतः सामने आई समस्याओं के कारण धीमा विकास हुआ है।

(ग) वर्ष के लिये कुल 10,000 के लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 1989 के दौरान आवंटन के लिए 4704 प्लाट रिलीज किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

*14. **श्री शरद दिघे** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट और विशेषकर स्थानीय निकायों की वित्तीय तथा प्रबन्धकीय क्षमता का सुधारने और बजट तथा संस्थानों के माध्यम से अधिक धन उपलब्ध कराने के प्रस्तावित उपायों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग की सिफारिशों पर क्या निर्णय किया गया; और

(ग) स्वीकृत सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट अगस्त, 1988 में प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में मदों की व्यापक किस्मों पर मुख्य सिफारिशें विनिर्दिष्ट है जैसा कि शहरीकरण, भूमि, जल तथा स्वच्छता, शहरी क्षेत्रों ऊर्जा मांग, परिवहन, शहरी निर्धनता, आवास, शहरी स्वरूप, संरक्षण, स्थानिक आयोजना, वित्त, प्रबन्ध तथा सूचना प्रणाली।

2. इस रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा अभिकरणों और सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया है। इस रिपोर्ट पर आवास

मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन, शहरी विकास मंत्रियों तथा स्थानिय शासन की केन्द्रीय परिषद् और अखिल भारतीय महापौर परिषद् में चर्चा की गई थी। आयोग की सिफारिशों पर व्यापक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना सरकार का अभिप्राय है ताकि सरकार द्वारा स्वीकार करने हेतु सिफारिशों के सम्बन्ध में उचित कार्य योजना तैयार की जा सके।

3. तथापि, आयोग की कुछ सिफारिशों का निम्न प्रकार से कार्यान्वयन किया गया है :—

(i) आवास के लिए बचत करने, परिव्यय को बढ़ने, आवास के लिए ऋण देने के लिए अनुसूचित बैंकों को राजी करने, पुनः वित्त सुविधाएं देने और देश में आवास वित्त प्रणाली के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन एक राष्ट्रीय आवास बैंक का सृजन किया गया है।

(ii) आवास तथा नगर विकास निगम में एक शहरी आधारभूत सुविधा खिड़की की स्थापना की गई है।

(iii) दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया गया है और राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे भी किराया नियंत्रण कानूनों में इसी प्रकार के संशोधन पर विचार करें।

(iv) आयोग द्वारा आर्थिक संवेग के उत्पादकों के रूप में दिए गए स्थानों की सूची को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की स्थापना के लिए विकास केन्द्रों का पता लगाने हेतु उद्योग मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखा है।

4. राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने अधिक महत्व दिया है और जिन भिन्न अभिकरणों को रिपोर्ट परिचालित की गई है उनकी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए सिफारिशों के आधार पर स्वीकार्य कार्य योजना तैयार करने का इसका विचार है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में किए गए अध्ययन के निष्कर्ष

*15. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सेवाओं में सुधार लाने तथा उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) ये निष्कर्ष केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की हाल ही में हुई बैठक में प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। कि वे कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाएं।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आई सी एम आर) ने सम्बन्धित राज्य स्वास्थ्य निदेशालय के सहयोग से मई, 87 से अप्रैल, 1988 के दौरान 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 99 जिलों के यादृच्छिक आधार पर चुने गए 198 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में निम्नलिखित का मूल्यांकन शामिल था :—

(i) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधाएं—जिनमें कार्मिकों की स्थिति, औषधी, वैक्सीनों की उपलब्धता तथा दूसरी सहायक सुविधाओं का स्तर (आपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष और परिवहन आदि);

(ii) कवरेज के आकलन के लिए विभिन्न रिकार्डों/रिपोर्टों का अध्ययन;

(iii) फील्ड में सहायक नर्स मिडवाइफों का कार्यकरण;

(iv) विभिन्न सेवाओं के उपयोगकर्ताओं/स्वीकारकर्ताओं की बानगी का कई प्रकार से सत्यापन करके रिकार्डों की गुणवत्ता; और

(v) नसबन्दी सम्बन्धी सेवाओं की गुणवत्ता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्बन्ध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के निष्कर्षों से पता चलता है कि :—

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित आधारभूत ढांचे को विशेषतया उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में अभी तक पूरी तरह संचालन योग्य नहीं बनाया गया है जहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अभी भी औसतन 1.2 लाख से अधिक जनसंख्या को लाभान्वित कर रहा है।

(ख) जहां तक सहायक नर्स मिडवाइफों की उपलब्धता का सम्बन्ध है, उप-केन्द्रों में इनकी काफी कमी पाई गई।

(ग) कुछ मिलाकर सामान्य श्रेणियों की सभी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थीं।

(घ) कुल मिलाकर प्रसव कक्षों और आपरेशन थियेटरों की मुख्य कमी देखी गई जहां अधिकतर मामलों में सुविधाओं की कमी या उपयुक्त उपकरण नहीं थे।

(ङ) प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण उप-केन्द्रों में कार्य कर रही सहायक नर्स मिडवाइफें अपना कार्य निभाने में प्रवीण नहीं थीं।

इन निष्कर्षों के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश

की है कि जहां जनशक्ति तथा आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है वहां जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता तथा कवरेज दोनों में सुधार लाने के लिए चिकित्सा तथा दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी और तकनीकी कौशल में वृद्धि करने पर अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का सृजन करना राज्यक्षेत्र के न्यूनतम कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है ।

फार्मेसिस्ट समन्वयन समिति की रिपोर्ट

[हिन्दी]

*16. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मेसिस्ट समन्वयन समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो किन मुद्दों पर निर्णय ले लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उन पर कब तक निर्णय लिया जाएगा;

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को न तो ऐसी किसी समिति का पता है और न ही कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

उपभोक्ता समितियां

[अनुवाद]

*17. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं के उचित वितरण पर निगरानी रखने, मिलावट रोकने तथा व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए किन-किन राज्यों/क्षेत्रों में उपभोक्ता आन्दोलन अथवा उपभोक्ता समितियां कार्य कर रही हैं; और

(ख) सरकार द्वारा देश में उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वितरण पर नजर रखने के लिए अधिकांश राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में परामर्शदात्री/सतर्कता समितियां गठित कर ली गई हैं ।

(ख) एक मजबूत तथा व्यापक आधार वाले उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियमित किया है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं में उनके अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं, जन माध्यमों के जरिए प्रचार किया जा रहा है। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट तालमेल रखा जा रहा है। जिला मंच, राज्य आयोग तथा राष्ट्रीय व राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषदें स्थापित की गई हैं।

"वायु प्रदूषण के कारण वनों को हानि के बारे में अध्ययन"

*18. **श्री सी० सम्बु :**
श्री मानिक रेड्डी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु प्रदूषण से वनों में वृक्षों की हानि का अनुमान लगाने के लिए वन अनुसंधान संस्थान द्वारा अध्ययन कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा पहले ऐसा कोई अध्ययन किया गया था अथवा प्रायोजित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल के मूल्य में वृद्धि

*19. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु केरल को भेजे गए चावल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार और सभी राजनैतिक दलों तथा संगठनों द्वारा इस अत्यधिक मूल्य वृद्धि के विरुद्ध कड़ी आपत्ति की गई है; और

(घ) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किए जाने वाले चावल का मूल्य कम करने पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) खरीफ विपणन मौसम, 1988-89 के लिए धान के समर्थन मूल्यों में वृद्धि कर देने के फलस्वरूप, भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल से सप्लाई किए जा रहे चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से वृद्धि कर दी है। ये मूल्य केरल राज्य सहित देश भर में एक-समान रूप से लागू होते हैं। साधारण, बढ़िया और उत्तम किस्मों के चावल के मूल्यों में क्रमशः 5 पैसे, और 40 पैसे और 46 पैसे प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है।

(ग) कुछ राज्य सरकारों और प्रतिनिधि निकायों ने इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिए हैं।

(घ) जी, नहीं।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

*20. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां तो उन नियोक्ताओं का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध भविष्य निधि की बकाया राशि की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही की गई है; और

(घ) उन नियोक्ताओं के नाम क्या हैं जिन्हें 1988 के दौरान सिद्धदोष पाया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री विश्वेश्वरी दुबे) : (क) से (घ) हालांकि प्राप्त कुल अन्शदान को प्रतिशतता के रूप में कुल बकाया राशि में कुछ वृद्धि हुई है, पिछले कुछ वर्षों से बकाया राशि लगभग वही रही है। वर्ष 1987-88 में निम्नलिखित कार्रवाई की गई :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 8 के अधीन 20,183 राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14 के अधीन 12,515 अभियोजन मामले दायर दिए गए।

(iii) कर्मचारियों को मजदूरी से कटौती किए गए अन्शदान के कर्मचारियों के हिस्से की अदायगी न करने के कारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस प्राधिकारियों के पास 865 शिकायतें दर्ज की गई।

(iv) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14ख के अधीन 13,000 मामलों में हजनि लगाए गए।

वर्ष 1987-88 के दौरान, 4,289 अभियोजन मामलों में दोषसिद्धी हुई। दोषी नियोक्ताओं के नामों से सम्बन्धित सूचना क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालय में क्षेत्रवार रखी जाती है न कि केन्द्रीय रूप से।

दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा मकानों के लिए नया पंजीकरण

1. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों के लिए नया पंजीकरण के बारे में 16 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 806 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्रत्येक योजना के अन्तर्गत रिहायशी मकान के आवंटन के लिए कितने पंजीकृत आवेदकों के नाम अभी बकाया हैं;

(ख) काफी संख्या में बकाया लोगों को रिहायशी मकान आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बकाया लोगों को कब तक मकान दिये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या दिल्ली में मकानों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई दीर्घावधि नीति तैयार की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"आन्ध्र प्रदेश में सेशाचलम पर्वतमाला में वनस्पति उद्यान"

2. **श्री टी० बाल गौड** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में सेशाचलम पर्वतमाला तिरूपति में एक वनस्पति उद्यान लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत स्वयंसेवी एजेंसियां

3. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत स्वयंसेवी एजेंसियों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या इन एजेंसियों की समेकित सूची तैयार कर ली गई है तथा जनता और राज्य सरकार के प्रयोग के लिए उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) देश भर में स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत कार्य कर रही सभी पंजीकृत और गैर-पंजीकृत स्वयं सेवी एजेन्सियों की प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है ।

दूर-दराज क्षेत्रों में आवश्यक जिन्सों के वितरण की व्यवस्था

4. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के दूर-दराज क्षेत्रों में आवश्यक जिन्सों के वितरण की वर्तमान व्यवस्था क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के दूर-दराज क्षेत्र में आवश्यक जिन्सों के वितरण के केन्द्रीय कार्यक्रम को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का दूर-दराज क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए एक निष्पक्ष सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को सात प्रमुख आवश्यक वस्तुएं, अर्थात गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक तथा कंट्रोल का कपड़ा, सप्लाई करती है । यह राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है कि वे इन वस्तुओं को उठाएं तथा उन्हें, दुर्गम क्षेत्रों सहित, सारे राज्य में उपभोक्ताओं को वितरित करने की व्यवस्था करे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि ऐसे क्षेत्रों में बेहतर सेवा के लिए वे स्थिर उचित दर की दुकानों के अलावा मोबाइल वैनें चलाएं ।

(ग) और (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परिवीक्षा तथा पुनरीक्षा करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा, कार्य की फील्ड स्तर पर देख-रेख करने के अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य के बारे में देश के कुछ राज्यों/क्षेत्रों में कुछ अध्ययन किए गए हैं। इस तरह के अध्ययन निरन्तर किए जा रहे उपायों का एक अंग है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र को संरक्षण

5. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र की कपड़ा मिलों से होने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उसे पर्याप्त संरक्षण देने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या योजना की शेष अवधि के दौरान ऐसे कोई कदम उठाए जाएंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति में हथकरघों की अनोखी भूमिका को बनाए रखने पर और साथ ही उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में समर्थ बनाने पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति निर्धारण के अनुसरण में अन्य बातों के साथ-साथ सरकार ने जो अनेक वित्तीय उपाय किए हैं उनका उद्देश्य सातवीं योजना के दौरान हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत विशेषकर हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन के लिए सूती, रेशमी, ऊनी और मिश्रित 22 मदों का आरक्षण करने के साथ-साथ हथकरघों द्वारा अनुभव की जा रही लागत सम्बन्धी कठिनाई को दूर करना है।

ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को मासिक पारिश्रमिक तथा दवाइयां न देना

6. **श्री चिन्तामणि जेना** :
श्री बृजमोहन महन्ती :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या काफी समय से उड़ीसा राज्य के किसी भी ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड को मासिक पारिश्रमिक और दवाइयों का मासिक कोटा नहीं दिया गया है; यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को पारिश्रमिक के नियमित भुगतान और औषधियों की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय के भुगतान तथा अन्य खर्चे के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने उड़ीसा सरकार को 105.86 लाख रु० की राशि जारी की थी। चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा सरकार को इस योजना के अन्तर्गत सहायता की पहली किस्त के रूप में 58.39 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी। साधनों की कठिनाई के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को दी जाने वाली दवाइयों के लिए आबंटन करना सम्भव नहीं हो सका है।

(ग) साधनों की कठिनाई के कारण चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को दवाइयां सप्लाई करना सम्भव नहीं हो सका है। केन्द्रीय सरकार ने ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय, जिसमें पिछला बकाया मानदेय भी शामिल है, का सातवीं योजना के अन्त तक भुगतान करने के लिए धन उपलब्ध करने हेतु कदम उठाए हैं।

विवरण

जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार ग्राम स्वास्थ्य गाइड

क्रम सं०	राज्य	ग्राम स्वास्थ्य गाइड
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	35624
2.	अरुणाचल प्रदेश	*
3.	असम	20107
4.	बिहार	11180
5.	गोवा	884
6.	गुजरात	27847
7.	हरियाणा	10280
8.	हिमाचल प्रदेश	5591
9.	जम्मू और कश्मीर	*
10.	कर्नाटक	15128
11.	केरल	*
12.	मध्य प्रदेश	37000
13.	महाराष्ट्र	44809
14.	मणिपुर	1718
15.	मेघालय	2300
16.	मिजोरम	813
17.	नागालैण्ड	548
18.	उड़ीसा	22718
19.	पंजाब	11968
20	राजस्थान	12634
21.	सिक्किम	345
22.	तमिलनाडु	*

1 2	3
23. त्रिपुरा	1931
24. उत्तर प्रदेश	85220
25. पश्चिम बंगाल	41082
26. दमन और दीव	0
27. पांडिचेरी	270
28. अण्डमान और निकोबार द्वीव	346
29. चण्डीगढ़	44
30. दादरा और नगर हवेली	74
31. दिल्ली	127
32. लक्षद्वीप	32
कुल योग :	390620

*जम्मू व काश्मीर, केरल, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश ने ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना शुरू नहीं की है लेकिन वे वैकल्पिक योजना चला रहे हैं।

महाराष्ट्र के लिए कपास का निर्यात कोटा

8. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कपास का रिकार्ड उत्पादन देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के लिए चालू वर्ष में कपास की गांठें निर्यात करने का कोई कोटा आबंटित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) सरकार अब तक बंगाल देशी काटन की 51241 गांठों का कोटा रिलीज कर चुकी है। किसी राज्य के लिए कोई विशिष्ट कोटा आबंटित नहीं किया जाता है। निर्यात कोटा की और रिलीज निर्यात योग्य बेशी माल तथा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर निर्भर करेगी।

अमरीकी सहायता से परती भूमि विकास कार्यक्रम

9. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका ने परती भूमि विकास योजना पैनग्रोव, आर्द्रभूमि, जीवमण्डल भण्डार तथा भू-वैज्ञानिक सूचना प्रणालियों में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस समझौते में किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) कच्छ वनस्पति, आर्द्रभूमि तथा जीवमण्डल रिजर्वों के संरक्षण में सहयोग के सम्भव क्षेत्रों का पता लगाना तथा जैव-मात्रा की अधिकता के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली को उपयोग में लाने के लिए जनवरी, 1989 में नई दिल्ली में सम्बद्ध संस्थानों के भारतीय वैज्ञानिकों और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियों और विसकोंसिन विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इन क्षेत्रों का पता लगाने का कार्य प्रारम्भिक स्तर पर चल रहा है।

हेमोफिलिया रोग का प्रभाव

10. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हेमोफिलिया रोग के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि पैतृक रक्त विकार लगभग प्रति 10,000 व्यक्तियों में से एक को है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रोग का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसको रोकने हेतु क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) हीमोफीलिया का समग्र उपचार के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई, क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लौर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में किया जाता है। जहां पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन टास्कफोर्स कार्य कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार भारत में हीमोफीलिया से पीड़ित रोगियों की घटनाएं अस्पतालों में बहिरंग रोगी विभागों में उपचार के लिए आने वाले रोगियों में प्रति एक हजार के पीछे लगभग एक है।

(ग) उपयुक्त केन्द्र अस्थि रोग परामर्श, कायोप्रेसिपिटेट सुविधाओं और पुनर्वासीय उपायों के रूप में विस्तृत उपचार प्रदान करते हैं।

मिश्रा आयोग की रिपोर्ट

[हिन्दी]

11. **श्री एस० डी० सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** भारतीय खाद्य निगम में वेतन में संशोधन के बारे में 16 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिश्रा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकार किया जाएगा तथा कार्यान्वित किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बंठा) : (क) जी, हां।

(ख) संसद पुस्तकालय में यह रिपोर्ट रख दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है। इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

उड़ीसा में वायु प्रदूषण

[अनुवाद]

12. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य में वायु प्रदूषण से प्रभावित खान क्षेत्र का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इन क्षेत्रों में कितने औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए हैं और इनके द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण के लिए क्या विशिष्ट प्रबन्ध किए गए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने इब घाटी और तलचर खान क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है। उड़ीसा सरकार के खनन और भू-विज्ञान विभाग ने मानव और पर्यावरण केन्द्र, कलकत्ता के सहयोग से क्योंझर जिले में खान क्षेत्र का एक सर्वेक्षण भी किया है।

खनन, औद्योगिक, परिवहन और अन्य घरेलू क्रियाकलाप प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।

(ग) और (घ) उन क्षेत्रों में स्थापित कतिपय प्रमुख औद्योगिक इकाइयां इस प्रकार हैं :— (1) तलचर ताप विद्युत केन्द्र, (2) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, तलचर, (3) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) स्मेल्टर, अंगुल (4) नाल्को केप्टिव पावर प्लांट, अंगुल, (5) ओरियन्ट पेपर मिल, ब्रजराज नगर, सम्बलपुर, (6) टाटा रिफ्रेक्टोरीज, बेलफर, (7) फेरो-मैंगनीज प्लांट, जोडा और (8) आई० पी० आई०-टाटा स्पांज आयरन आदि।

उद्योगों ने विद्युत अवक्षेपक (इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स), शुष्क मार्जन प्रणाली (ड्राई स्क्रबिंग सिस्टम) आदि जैसे प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण स्थापित किया है। जहां ये उपकरण पर्याप्त नहीं हैं, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा उन्हें अद्यतन बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

13. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में अनुमानतः कितने लोग गन्दी बस्तियों में रहते हैं;

(ख) गन्दी बस्तियों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या पुरानी दिल्ली में भी स्थित गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) लगभग 28 लाख का अनुमान लगाया गया है।

(ख) (i) विभिन्न नागरिक सेवाओं जैसे पानी, नालियां, स्ट्रीट, विद्युत और सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान।

(ii) पुरानी दिल्ली में कटरों की संरचनात्मक सुरक्षा का प्रबोधन और जहां कहीं आवश्यक है, वहां सुधारात्मक उपाय करना।

(ग) यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान मलिनबस्ती उन्मूलन की अपेक्षा विद्यमान मलिनबस्तियों में रहन-सहन की स्थितियों के सुधार पर बल दिया गया है, फिर भी जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, मलिनबस्ती उन्मूलन का कार्य आरम्भ किया जाता है।

(घ) मलिनबस्ती निवासियों को आबंटन के लिए नए स्थलों पर 20,000 से अधिक फ्लैटों का निर्माण किया गया है।

क्षेत्रीय मेडिकल कालेज तथा केन्द्रीय जिला अस्पताल, इम्फाल के लिए जारी की गई धनराशि

14. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल तथा केन्द्रीय जिला अस्पताल, इम्फाल के विभिन्न विभागों में आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए इस राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्यों में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन हेतु केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम के अन्तर्गत हाल ही में पृथक-पृथक धनराशि जारी की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में धनराशि जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की किसी भी राज्य में, जिसमें मणिपुर राज्य

और अन्य पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं, चिकित्सा सुविधाओ के ग्रेड को बढ़ाने के लिए विधि की व्यवस्था करने सम्बन्धी कोई स्कीम नहीं है । तथापि, गृह मन्त्रालय ने 20-6-1986 को क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल को एक पूर्वोत्तर परिषद कार्यक्रम के रूप में इस स्कीम के लिए नीचे दिए गए विवरणानुसार 1902.00 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की ।

1. भवन और अन्य निर्माण कार्य	—	1565.00 लाख रुपए
2. उपस्कर, यन्त्र, उपयन्त्र, उपकरण	—	240.00 लाख रुपए
3. फर्नीचर	—	50.00 लाख रुपए
4. वस्त्र	—	10.00 लाख रुपए
5. पुस्तकालय	—	35.00 लाख रुपए
6. अन्य परिसम्पत्तियां	—	2.00 लाख रुपए
	योग :	1902.00 लाख रुपए

पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय ने इस योजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 700 लाख रुपए के परिव्यय की अनुमति दी है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 31 मार्च, 1988 तक पूर्वोत्तर परिषद द्वारा क्षेत्रीय मेडिकल कालेज, इम्फाल को 475 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं। वर्ष 1988-89 के लिए अनुमोदित परिव्यय 190 लाख रुपए है । तथापि, प्रत्याशित व्यय केवल 110 लाख रुपए है ।

भारतीय वन अधिनियम में संशोधन

15. **श्री शान्ताराम नायक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को समामेलित करने पर भी विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कर्नाटक में हथकरघा बुनकरों के लिए आवास योजना

16. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हथकरघा बुनकरों के लिए उनके काम के स्थान के नजदीक मकान बनाने की किसी आवास योजना को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) 1989 के दौरान कर्नाटक में ऐसे मकान बनाने की केन्द्रीय सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक के कितने बुनकर इससे लाभान्वित होंगे ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से कर्नाटक सहित सम्पूर्ण देश के बुनकरों के लिए 'कार्यशाला-सह-आवास योजना' नामक एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरू की है । इस योजना पर कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा राज्य एपैक्स हथकरघा सहकारी समितियों/निगमों या आवासीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विशिष्ट अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है । इस योजना के अधीन वित्तीय व्यवस्था को नीचे दिया जा रहा है :—

क्रम सं०	एककों की प्रकृति	एकक लागत रु०	प्रति एकक केन्द्रीय अनुदान रु०	प्रति एकक राज्य अनुदान रु०	हुडको से ऋण रु०	बुनकरों का अंशदान रु०
1.	ग्रामीण कार्यशाला-सह-गृह	9,000	3,000	3,000	3,000	—
2.	शहरी कार्यशाला-सह-गृह	15,000	2,500	2,500	9,700	300
3.	कार्यशाला	3,000	1,500	1,500	—	—

कर्नाटक में बुनकरों के विद्यमान घरों से लगी हुई कार्यशालाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1988-89 में 15 लाख रुपए की राशि मंजूर की थी जिससे 1000 बुनकरों को लाभ होने की सम्भावना है ।

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार हेतु उनके मूल्यों पर नियन्त्रण के लिए किए गए उपाय

17. **श्री टी० बशीर** :
श्री अमरसिंह राठवा :
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने और उनकी उपलब्धता में सुधार हेतु कोई नए उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने तथा उनकी उपलभ्यता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर अनेक उपाय किए गए हैं। सरकारी नीति में मुख्य जोर विभिन्न आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है। देशीय आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कुछ वस्तुओं, जैसे दालों, खाद्य तेलों और चीनी आदि के आयात की अनुमति दी है तथा आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को नियमित किया है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए किए गए अन्य उपायों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना, अधिक उचित दर की दुकानें खोलना तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की परिवीक्षा करना शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 4000 से अधिक उचित दर की दुकानें खोली गई हैं और 30-9-1988 की स्थिति के अनुसार उचित दर की दुकानों की संख्या 3.51 लाख थी। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे जमाखोरों, चोरबाजारियों तथा समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के कानूनों के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें। दूर तक फैले क्षेत्रों में कुछ आवश्यक वस्तुओं का वितरण मोबाइल वैनों के जरिए भी किया जा रहा है। उचित दर की दुकानों के कार्य की परिवीक्षा करने के लिए राज्य तथा जिला स्तरों पर सतर्कता समितियां स्थापित की गई हैं। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलभ्यता की नियमित आधार पर परिवीक्षा करे।

स्वास्थ्य पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिए "एक्शन" नामक कार्यक्रम को सहायता

18. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के सेवन के दुष्प्रभाव और स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न खतरों की रोकथाम के लिए "एक्शन" नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार "एक्शन" के स्वैच्छिक कार्य और देश भर में फैली इसकी शाखाओं को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सरकार को प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से पता चलता है कि भारतीय स्वयं सेवी स्वास्थ्य संगठन का विचार एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना है, जिसका नाम "एक्शन" टू काम्बैट टोबेको इण्डियन आर्गेनाइजेशन्स नेटवर्क (एक्शन) में है। तथापि, किसी प्रकार की सहायता के लिए "एक्शन" से इस मन्त्रालय में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भूखण्डों का आबंटन

19. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मकान बनाने के लिए राज्य-वार कितने भूखण्ड आबंटित किए गए तथा कितने भूखण्डों का वास्तव में कब्जा दिया गया; और

(ख) सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सभी शेष भूखण्डों का शीघ्रता से वास्तविक रूप से कब्जा देने और उन पर आबंटितियों का कब्जा कराने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय होने के कारण, सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों द्वारा अपने योजना संसाधनों में से अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित ग्रामीण भूमिहीन कामगारों तथा कारीगरों के लिए "आवास स्थल आबंटन एवम् निर्माण सहायता" योजना राज्य क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 31-12-1988 तक 32.41 लाख परिवारों को आवास स्थलों का आबंटन किया गया है और 15.56 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है।

इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित परिवारों और मुक्त किए बन्धुआ मजदूरों के लिए 1985-86 में इन्दिरा आवास योजना चलाई। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय अनुदान से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 31-12-1988 तक 4.67 लाख रिहायशी एकक उपलब्ध कराए गए हैं। इस कार्यक्रम का बीस सूत्री कार्यक्रम के अंग के रूप में प्रबोधन किया जा रहा है।

1988-89 (31-12-1988 तक) के दौरान उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तीन योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यवार वास्तविक उपलब्धियों के विवरण 1, 2 और 3 संलग्न हैं।

विवरण-1

20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन सूत्र सं० 14(क) : ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थलों की व्यवस्था

(परिवार)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-12-88 तक उपलब्धि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	89902
2.	असम	1331

1	2	3
3.	बिहार	22012
4.	गोवा	89
5.	गुजरात	27177
6.	हरियाणा	281
7.	जम्मू तथा कश्मीर	168
8.	कर्नाटक	24263
9.	केरल	2391
10.	मध्य प्रदेश	69121
11.	महाराष्ट्र	15241
12.	उड़ीसा	15764
13.	राजस्थान	30091
14.	तमिलनाडु	237267
15.	त्रिपुरा	1859
16.	उत्तर प्रदेश	47500
17.	पश्चिम बंगाल	9662
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	211
2.	चण्डीगढ़	2116
3.	दादर तथा नागर हवेली	38
4.	दिल्ली	0
5.	पाण्डिचेरी	613
	योग :	597097

टिप्पणी : यह योजना (1) आन्ध्र प्रदेश (2) हिमाचल प्रदेश (3) मणिपुर (4) मेघालय (5) नागालैण्ड (6) पंजाब (7) सिक्किम (8) मिजोरम तथा (1) दमण तथा दीव (2) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में परिचालन में नहीं है।

विवरण-2

20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

सूत्र सं० 14(ख) : आबंटित आवास स्थलों पर निर्माण सहायता

(परिवार)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-12-88 तक उपलब्धि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	89272
2.	अरुणाचल प्रदेश	127
3.	आसाम	1331
4.	गोवा	65
5.	गुजरात	11505
6.	हरियाणा	392
7.	जम्मू तथा कश्मीर	96
8.	कर्नाटक	28952
9.	केरल	28540
10.	मध्य प्रदेश	16215
11.	महाराष्ट्र	10862
12.	मेघालय	0
13.	मिजोरम	0
14.	उड़ीसा	2240
15.	राजस्थान	72125
16.	सिक्किम	4025*
17.	तमिलनाडु	15578
18.	त्रिपुरा	2381
19.	उत्तर प्रदेश	2810
20.	पश्चिम बंगाल	3151

1	2	3
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	0
2.	दादर तथा नागर हवेली	51
3.	दिल्ली	17
4.	दमण तथा द्वीव	13
5.	पाण्डिचेरी	1293
	योग :	291041

टिप्पणी : यह योजना (1) बिहार (2) हिमाचल प्रदेश (3) मणिपुर (4) नागालैण्ड (5) पंजाब और (1) चण्डीगढ़ (2) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में परिचालन में नहीं है।

*आवास कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित मकान भी शामिल हैं।

विवरण-3

20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

सूत्र सं० 14(ग) : इन्दिरा आवास योजना

(रिहायशी एकक)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31-12-88 तक उपलब्धि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	6333
2.	अरुणाचल प्रदेश	44
3.	असम	514
4.	बिहार	23156
5.	गोवा	85
6.	गुजरात	2937
7.	हरियाणा	348
8.	हिमाचल प्रदेश	541

1 2	3
9. जम्मू तथा कश्मीर	947
10. कर्नाटक	537
11. केरल	5943
12. मध्य प्रदेश	5187
13. महाराष्ट्र	3456
14. मणिपुर	8
15. मेघालय	142
16. मिजोरम	51
17. नागालैण्ड	70
18. उड़ीसा	3004
19. पंजाब	0
20. राजस्थान	2913
21. सिक्किम	118
22. तमिलनाडु	25296
23. त्रिपुरा	242
24. उत्तर प्रदेश	14691
25. पश्चिम बंगाल	3928
संघ राज्य क्षेत्र	
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	30
2. दादर तथा नागर हवेली	14
3. दिल्ली	0
4. दमण तथा द्वीप	0
5. लक्षद्वीप	0
6. पाण्डिचेरी	74
योग :	100609

टिप्पणी : यह योजना चण्डीगढ़ में परिचालन में नहीं है।

डाक्टरों को पेशकश की गई सुविधाओं को क्रियान्वित न किया जाना

20. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1987 में सरकार द्वारा डाक्टरों को पेशकश की गई सुविधाओं में से किन-किन सुविधाओं को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में डाक्टरों के विभिन्न संगठनों ने शिकायत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जैसे कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिए गए विवरण में बताया गया है, इन प्रावधानों को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

क्रम सं०	घोषित लाभ	की गई कार्रवाई
1.	साधारण ड्यूटी उप-संवर्ग में वरिष्ठ ड्यूटी पदों की कुल संख्या के 15% पदों का अ-क्रियात्मक चयन ग्रेड में रूपान्तरण तथा अ-क्रियात्मक चयन ग्रेड में पात्र मुख्य चिकित्साधिकारी की प्रोन्नति ।	आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पात्र मुख्य चिकित्साधिकारी की अ-क्रियात्मक चयन ग्रेड में प्रोन्नति के प्रस्ताव की सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।
2.	ऐसे एसोसिएट प्रोफेसरों की जिनकी 6 वर्ष की सेवा हो और ऐसे विशेषज्ञ ग्रेड-II अधिकारियों की जिनकी 9 वर्ष की सेवा हो 4500-5700 रुपये के वेतन-मान में नियुक्ति ।	आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लोक स्वास्थ्य उपसंवर्ग के एसोसिएट प्रोफेसर और विशेषज्ञ ग्रेड-II अधिकारियों को 4500-5700 रुपए के वेतनमान में रखने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल के मूल्य में वृद्धि

21. **श्री पी० कुलनदईवेलू** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचे जाने वाले चावल के मूल्य में जनवरी, 1989 से वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) खरीफ मौसम 1988-89 के लिए धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय पूल से **राज्य** सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सप्लाई किए जा रहे चावल के मूल्य में 25-1-1989 से वृद्धि की गयी है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन

[हिन्दी]

22. **श्री राज कुमार राय** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों को यूनियनों के हस्तक्षेप के बिना श्रम आयुक्त/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय में अपने मामलों को सीधे दर्ज करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक विधेयक लाए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो कर्मचारियों को यूनियनों के प्रतिनिधियों से सुरक्षा प्रदान कराने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) "व्यवसाय संघ तथा औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1988" नामक एक विधेयक राज्यसभा में 13 मई, 1988 को पहले ही पेश किया जा चुका है। विधेयक में यह व्यवस्था है कि जहां कोई नियोक्ता किसी कर्मकार को सेवामुक्त, बरखास्त, उसकी छंटनी या अन्यथा उसकी सेवाओं को समाप्त करता है या ऐसे कर्मकार की सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन करता है, तो उस कर्मकार तथा उसके नियोजक के मध्य ऐसी सेवामुक्ति, बरखास्तगी, छंटनी, सेवा समाप्ति या सेवा शर्तों में परिवर्तन से सम्बन्धित या उससे उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद को इस बात के होते हुए भी औद्योगिक विवाद के रूप में माना जाएगा कि न तो कोई अन्य कर्मकार और न ही कर्मकारों की ट्रेड यूनियन विवाद में पक्षकार है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्येक राज्यों में "रिकैनलाइजेशन केन्द्र" की स्थापना

[अनुवाद]

23. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में "रिकैनालाइजेशन केन्द्रों" की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में एक "रिकैनालाइजेशन केन्द्र" स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) मंत्रालय ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में 4 सूक्ष्म शल्य चिकित्सा सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। वर्ष 1990-92 के दौरान बड़े राज्यों में 12 और रिकैनलाइजेशन सेवा केन्द्र खोले जाएंगे।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों को वित्तीय सहायता

24. **श्री सांभाजी राव कक्काडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अस्पताल चलाने वाली स्वयंसेवी संगठनों को अस्पतालों के सुधार के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को स्वयंसेवी संगठनों से इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें सहायता दी गई और उनके लिए कितनी सहायता राशि मंजूर की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) ऐसी अनेक स्कीमें हैं जिनके अन्तर्गत वर्तमान सुविधाओं में सुधार लाने के लिए या नई सुविधाएं देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। जिन प्रमुख स्कीमों के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को वित्तपोषित किया जाता है, वे हैं—ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य स्कीम तथा चिकित्सा सेवा में सुधार की स्कीम। दोनों स्कीमों की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

बहुत बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं परन्तु केन्द्र सरकार केवल उन्हीं आवेदन पर विचार करती है जिनकी राज्य सरकारों द्वारा सिफारिश की जाती है। 1987-88 के दौरान 32 संगठनों को तथा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 19 स्वयंसेवी संगठनों को अलग-अलग राशि की जो कि 70,000 रुपए से 6 लाख रुपए तक है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

चिकित्सा परिचर्या के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए दो प्रमुख स्कीमें हैं :—

(i) चिकित्सा सेवाओं में सुधार की स्कीम; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य स्कीम्।

इन दो स्कीमों के अन्तर्गत केवल अनावर्ती प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। स्कीमों की मुख्य-मुख्य बातें और इन स्कीमों के लिए किया गया बजट प्रावधान नीचे दिया गया।

(i) **चिकित्सा सेवाओं में सुधार की स्कीम**

इस स्कीम के अन्तर्गत उन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में या घनी आबादी वाली गन्दी शहरी बस्तियों वाले शहरी क्षेत्रों में अस्पताल को चला रहे हैं। अनुदान नीचे दिए गए प्रयोजनों के लिए दिए जाते हैं :—

(क) एक्स-रे, एम्बुलेंस, आपरेशन कक्ष के उपकरण जैसे आवश्यक व मंहगे उपकरणों की खरीद के लिए।

(ख) अस्पताल सुविधाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए।

एक संस्था को एक वर्ष में 2.00 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है और सामान्यत: तीन वर्ष में एक बार अनुदान दिया जाता है।

योजना आयोग द्वारा वर्ष 1988-89 के लिए 35.00 लाख रुपए के बजट के प्रावधान की स्वीकृति दी गई है।

(ii) **ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य स्कीम**

इस स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 पलंगों की संख्या वाले अस्पताल खोलने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। प्राथमिक तौर पर अनुदान भूमि की खरीद, अस्पताल भवन निर्माण, आपरेशन थिएटर, आवास इकाइयों, अस्पताल के आवश्यक उपकरणों की खरीद के लिए दिया जाता है। इस स्कीम में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संस्था निम्नलिखित अनुपात में अंशदान देती है :—

(क) निर्माण कार्य (आवास गृह तथा उपकरणों को छोड़कर)

केन्द्र सरकार	—	40%
राज्य सरकार	—	40%
संस्था	—	20%

(ख) निर्माण कार्य (आवास गृह)

केन्द्र सरकार	—	50%
राज्य सरकार	—	35%
संस्था	—	15%

योजना आयोग द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 के लिए 15.00 लाख रुपए की बजट व्यवस्था स्वीकृत की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं का आबंटन

[हिन्दी]

25. **श्री हरीश रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए गेहूं की कितनी मात्रा आबंटित की गई है;

(ख) कम मात्रा आबंटित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य को गेहूं की जितनी मात्रा पहले मिल रही थी, उसे पुनः उतनी ही मात्रा जारी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) पिछले चार महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का निम्नानुसार आबंटन किया गया :—

	(मीटरी टन में)
नवम्बर, 88	50,000
दिसम्बर, 88	50,000
जनवरी, 89	55,000
फरवरी, 89	57,750

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"लीज होल्ड" का "फ्री-होल्ड" में परिवर्तन

[अनुवाद]

26. **श्री विष्णु मोदी** :
श्री कमल चौधरी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य संघ शासित क्षेत्रों में "लीज होल्ड" के प्लाटों/फ्लैटों को "फ्री-होल्ड" में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली में लीज-होल्ड पद्धति को फ्री-होल्ड में बदलने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

दिल्ली और कलकत्ता में प्रतिष्ठानों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि की अनियमितताओं के लिए कार्यवाही

27. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और कलकत्ता में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के संचालन में अनियमितता करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन दोषी प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है जिनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के नाम तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

क्रम सं०	प्रतिष्ठान का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	मै० करम चन्द थापड़ एण्ड ब्रदर्स लि० पी० एफ० ट्रस्ट, कलकत्ता ।	विधान के अधीन यथा अपेक्षित कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद, क्षेत्रीय भविष्य निधि, कलकत्ता ने प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में छूट के आदेश वापस ले लिए उन्होंने प्रबन्धतन्त्र और न्यासी बोर्ड के विरुद्ध अभियोजन मामला भी दायर किया है ।
2.	मै० बिरला इण्डस्ट्रीज पी० एफ० ट्रस्ट, कलकत्ता ।	विभिन्न उल्लंघनों के लिए बिरला इण्डस्ट्रीज पी० एफ० ट्रस्ट के विरुद्ध अभियोजन मामले दायर किए गए हैं ।
3.	मै० रामदत्त रामकिशन दास ई० पी० एफ० कलकत्ता ।	प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध अभियोजन मामले चलाए गए हैं । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को

1	2	3
		दी गई छूट को रद्द करने की भी सिफारिश की है।
3.	मै० डी० सी० एम० ई० पी० एफ०, दिल्ली।	प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध अभियोजन मामले दायर किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7क के अधीन देय राशि को निर्धारित करने के लिए भी कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

मध्य प्रदेश में फाइब्रोसरकोमा (कैंसर) का फैलना

28. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में फाइब्रोसरकोमा (कैंसर) रोग के स्वरूप तथा फैलाव का पता लगाने के लिए केन्द्र से विशेषज्ञों का एक दल भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो उस दल के द्वारा यदि कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए इस रोग का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद से एक विशेषज्ञ दल सरगुजा जिले के आदिवासी क्षेत्र में फाइब्रोसरकोमा रोग के स्वरूप तथा फैलाव का मूल्यांकन करने के लिए भेजा गया था। इस दल ने सरगुजा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, होली क्रास अस्पताल, अम्बिकापुर, जिला अस्पताल, सरगुजा और राज्य स्वास्थ्य निदेशालय भोपाल का दौरा किया।

12 वर्षों की अवधि अर्थात् 1976 से 1988 तक अम्बिकापुर स्थित होली क्रास अस्पताल से फाइब्रोसरकोमा के कुल 24 रोगियों की सूचना मिली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् इन आंकड़ों का विश्लेषण कर रही है।

"गंगा थाले में रेडियोधर्मी पदार्थ"

29. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गंगा थाले के लिए एकीकृत पारिस्थितिक-विकास परियोजना

के अंग के रूप में प्रायोजित एक अध्ययन से पता चला है कि "वाराना" तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्य भागों के भू-जल में भारी मात्रा में विषैले पदार्थों के अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रदूषण और रेडियोधर्मी पदार्थ के स्रोत का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गंगा बेसिन के लिए एकीकृत पारिस्थितिक-विकास अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित 14 विश्वविद्यालयों द्वारा भूपृष्ठ जल के भौतिक-रासायनिक और जैव गुणवत्ता सम्बन्धी 49 अध्ययन हाथ में लिए जा चुके हैं। ये अध्ययन सामान्य रूप से नदी जल गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित हैं। परन्तु इनमें अपवाद-स्वरूप बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का एक अध्ययन ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से बलिया तक के भूखण्ड के भू-जल की गुणवत्ता से सम्बन्धित है। केवल सीसे का एकले मामला पाया गया है। रेडियोधर्मी पदार्थ की मौजूदगी की पुष्टि नहीं हुई है। अतः भूमिगत जल में विषैले और रेडियोधर्मी पदार्थ के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश से कपास का निर्यात

30. **श्रीमती एम० पी० झांसीलक्ष्मी** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश से वर्ष 1985 से 1988 की अवधि के दौरान निर्यात की गई कपास की मात्रा, गुणवत्ता तथा उससे अर्जित विदेशी आय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कपास के निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढने के बारे में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) आंध्र प्रदेश स्टेट कापरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि० ने 1985-86 में 2.08 करोड़ रु० मूल्य की स्टेपल रुई की लगभग 7000 गांठों का निर्यात किया। परिसंघ द्वारा 1986-87 तथा 1987-88 में कोई निर्यात नहीं किया गया।

(ख) और (ग) रुई का निर्यात परम्परागत रूप से जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, पोलैंड आदि को होता रहा है। वर्ष 1986-87 में तुर्की, सिंगापुर, श्रीलंका, बेल्जियम आदि में नए बाजार बनाए गए।

बाल रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम

31. **श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा** :
श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन दक्षिणी राज्यों तथा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के कितने प्रतिशत बच्चों को रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम से लाभ पहुंचाने की आशा है;

(ख) अभी तक इस योजना से कुल कितने प्रतिशत बच्चे लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) वर्ष 1989 में कितने बच्चों को इस कार्यक्रम से लाभान्वित किया जावेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सहित देश के चुनिंदा जिलों में कम से कम 85 प्रतिशत शिशुओं को टीका लगाकर निम्नांकित छह रोगों से बचाव करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक तमिलनाडु के 13 जिलों को, कर्नाटक के 16 जिलों को और केरल के 14 जिलों को लाभान्वित किया गया है। देश के शेष सभी जिलों को 1989-90 के दौरान कवर करने का प्रस्ताव है।

(ख) सम्बन्धित राज्यों ने बताया है कि वर्ष 1987-88 के दौरान प्रत्येक एन्टीजन के अन्तर्गत का निम्नलिखित प्रतिशत शिशुओं को लाभान्वित किया गया था :—

	तमिलनाडु	कर्नाटक	केरल
टी०टी० गर्भवती महिलाएं	77.01	76.93	91.69
डी० पी० टी०	94.08	76.72	90.91
पोलियो	93.49	72.13	98.81
बी० सी० जी०	70.84	83.96	87.38
खसरा	99.12	54.59	51.38
डी० टी०	76.61	66.65	51.61

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान सारे देश में कम से कम 85 प्रतिशत शिशुओं और 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का प्रस्ताव है।

प्रतिबन्धित औषधों की सूची

32. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने विभिन्न घटिया, अप्रभावी अथवा हानिकारक औषधों पर प्रतिबन्ध लगाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में प्रतिबन्धित औषधों की राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की सूची तैयार की गई है और यदि हां, तो क्या यह सूची अस्पतालों और अन्य सम्बन्धित संस्थानों के मार्ग-निर्देश हेतु सरलता से उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र समेकित सूची की तरह की एक सूची प्रकाशित करने का है और यदि हां, तो यह सूची कब तक प्रकाशित कर दी जाएगी; और

(घ) क्या देश में किसी स्वैच्छिक स्वास्थ्य दल ने सरकारी वित्तीय सहायता या इसके बिना ऐसी कोई सूची तैयार की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत चिकित्सीय रूप से अप्रभावकारी, हानिकारक अथवा अयुक्तिसंगत, औषधों पर रोग लगाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है। औषध तकनीकी परामर्शी बोर्ड की सिफारिशों पर आधारित और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से अब तक 27 श्रेणियों के औषध (योगों संलग्न विवरण में दिए गए हैं) के निर्माण पर रोक लगा दी है। और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन औषध-योगों को बाजार से हटा लिया जाए।

औषध और प्रशाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों के पास ऐसी शक्ति नहीं है। वैसे यदि किसी औषध के विशेष बैच को घटिया पाया जाता है तो राज्य सरकारों को प्राधिकृत किया गया है कि वे बाजार में उक्त बैच को हटाने समेत औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करें।

देश में रोक लगाई गई औषधों के बारे में आम जनता और अस्पतालों समेत व्यावसायिक निकायों की सूचना के लिए भारत के राजपत्र असाधारण में अधिसूचित कर दिया जाता है।

(ग) रोक लगाई गई औषधों की अधिसूचित सूची संयुक्त राष्ट्र की समेकित सूची से बहुत मिलती जुलती है जिसमें संसार के विभिन्न देशों में रोक लगाई औषधों की सूचना दी गई है। सरकार इस सूची के संकलन के लिए देश में रोक लगाई गई औषधों की सूचना देती है।

(घ) सरकार को स्वयं सेवी स्वास्थ्य संगठनों द्वारा संकलित की गई ऐसी किसी सूची की जानकारी नहीं है। जिसमें सरकार द्वारा रोक लगाए गए औषध योगों की सभी 27 श्रेणियां शामिल हों।

विवरण

औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित औषधों/फार्मूलेशन

1. एमिडोपाइरिन।
2. प्रदाहक-रोधी अभिकारकों और प्रशांतकों के साथ विटामिन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।
3. दर्द-रोधी और ज्वर-रोधकों में एट्रोपाइन के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।
4. टॉनिकों में स्ट्रिकाइन और कैफीन की निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण।
5. टेस्टोस्ट्रोन और विटामिनों के साथ योहिम्बाइन और स्ट्रिकाइन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण।

6. स्ट्रिकनाइन, आरेसेनिक और योहिम्बाइन के साथ लौह के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

7. अन्य औषधों के साथ सोडियम ब्रोमाइड/क्लोरल हाइड्रेट के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

8. फोनेसेटिन ।

9. अतिसार-रोधी औषधों के साथ हिस्टेमिनिक्स के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

10. सल्फोनेमाइडज से युक्त पेंसिलीन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

11. दर्द-रोधकों के साथ विटामिनों के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

12. विटामिन सी के साथ टेट्रासाइक्लिन के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

13. उन सम्पादकों को छोड़कर जिनका अतिसार और पेचिश के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है और जिसका केवल बाह्य रूप से लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाइड्राक्सीक्यूनोलाइन समूह की औषधि के निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ;

14. आन्तरिक इस्तेमाल के लिए किसी अन्य औषध के साथ कार्टिकॉस्ट्रायडस के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

15. आन्तरिक इस्तेमाल के लिए किसी अन्य औषध के साथ क्लोरेम्फेनिकोल के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

16. अर्गाट का निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण ।

17. पायरीडाक्सीन हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी 6) के साथ आइसोनियाजाइड के सम्मिश्रण को छोड़कर क्षय रोग-रोधी औषधों के साथ विटामिनों के निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण ।

18. पेनिसिलिन त्वचा/नेत्र मरहम ।

19. टेट्रासाइक्लिन लिविक्ड ओरल प्रिपरेशन ।

20. नियालेमाइड ।

21. प्रैक्टोलॉल ।

22. मेथापिरिलीन तथा इसके लवण ।

23. मेथाक्यूलोन ।

24. आक्सीटेट्रासाइक्लिन लिविक्ड ओरल सम्पाक ।

25. डेमोक्लोसाइक्लीन लिविक्ड ओरल सम्पाक ।

26. अन्य औषधों के साथ एनेबालिक स्टेरॉयडस का सम्मिश्रण ।

27. ओइस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन (खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों को छोड़कर) के

निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण जिसमें एक गोली में एस्ट्रोजन की मात्रा 50 मि० ग्रा० से अधिक (ऐथेनाइल एस्ट्रेडियोल के समतुल्य) तथा एक गोली में प्रोजेस्टीन की मात्रा 3 मि० ग्रा० से अधिक (नोरेथिस्ट्रोन ऐसिटेट के समतुल्य) हो।

"विद्युत परियोजनाओं हेतु पर्यावरणीय मंजूरी"

33. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना में शामिल की जाने वाली कई प्रस्तावित विद्युत परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी हेतु लम्बित पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी कब तक दी जाएगी; और

(घ) क्या विद्युत उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने हेतु जिसके विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा परियोजनाएं चलाने के कारण असंतुलन होने की संभावना है, कोई मार्गनिर्देश तैयार किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सिर्फ आठवीं योजना अवधि से सम्बन्धित सत्रह ताप विद्युत परियोजनाएं और सात जल विद्युत परियोजनाएं 31 दिसम्बर, 1988 तक मंजूरी के लिए लम्बित हैं। ये परियोजनाएं परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने के कारण लम्बित हैं। इन परियोजनाओं का एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के भीतर परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

(घ) इस प्रकार के एकरूप मार्गदर्शी सिद्धांत विद्यमान नहीं हैं, परन्तु प्रदूषण नियन्त्रण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ दीर्घकालीन विद्युत उत्पादन के उद्देश्य का ध्यान रखा जाता है। परियोजनाओं का अनुमोदन करते समय इस उद्देश्य को मद्देनजर रखकर पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक नियंत्रण उपायों और सुरक्षा उपायों की शर्त लगाई जाती है।

विवरण

(क) ताप विद्युत परियोजनाएं :

1. पानीपत ताप विद्युत स्टेशन, चरण-4 (1 × 210 मेगावाट) हरियाणा।
2. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन की राजस्थान लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजना (2 × 210 मेगावाट) राजस्थान।
3. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का रिहन्द ताप विद्युत स्टेशन चरण-2 (2 × 500 मेगावाट) उत्तर प्रदेश।

4. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का दादरी गैस टरबाइन ताप विद्युत स्टेशन (4 × 100) (जी० टी० + 2 × 100 मेगावाट) उत्तर प्रदेश ।
5. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का चन्द्रपुर ताप विद्युत स्टेशन (2 × 500 मेगावाट) महाराष्ट्र ।
6. चन्द्रपुर ताप विद्युत स्टेशन (2 × 500 मेगावाट) महाराष्ट्र ।
7. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन, (2 × 500 मेगावाट) म०प्र० ।
8. वीरसिंहपुर ताप विद्युत स्टेशन, चरण-2 (2 × 210 मेगावाट), मध्य प्रदेश ।
9. मंगलौर ताप विद्युत स्टेशन (2 × 210 मेगावाट) कर्नाटक ।
10. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कायाकुलम ताप विद्युत परियोजना (2 × 210 मेगावाट) केरल ।
11. कोचीन गैर टरबाइन ताप विद्युत स्टेशन (2 × 30 + 1 × 30 मेगावाट) ।
12. नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन का नेवेली ताप विद्युत स्टेशन, चरण-3 (2 × 210 + 1 × 210 मेगावाट) तमिलनाडु ।
13. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का कहलगांव ताप विद्युत स्टेशन (4 × 210 मेगावाट), बिहार ।
14. दामोदर वैली कार्पोरेशन का मैथन ताप विद्युत स्टेशन (4 × 210 मेगावाट) बिहार ।
15. बक्रेश्वर ताप विद्युत स्टेशन (3 × 210 मेगावाट), पश्चिम बंगाल ।
16. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का फरक्का ताप विद्युत स्टेशन (1 × 500 मेगावाट), प० बं० ।
17. आमगुरी (गैस टरबाइन) ताप विद्युत स्टेशन (8 × 30 + 4 × 30 मेगावाट) असम ।

(ख) जल विद्युत परियोजनाएं :

1. विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश ।
2. कोल बांध जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश ।
3. सावल कोट जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर ।
4. बगलीहर जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर ।
5. शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, कर्नाटक ।
6. चालाकुडी चरण-2 जल विद्युत परियोजना, केरल ।
7. अन्नाकयाम जल विद्युत परियोजना, केरल ।

"उद्योग स्थापित करने के लिए पारिस्थितिकीय दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्र"

34. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में दून घाटी और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मुरूद-जंजीरा क्षेत्र को पारिस्थितिकीय दृष्टि से कतिपय किस्म के उद्योगों की स्थापना के लिए अनुपयुक्त घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध से इन क्षेत्रों मे पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) दून घाटी की कमजोर पारि-प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकासात्मक गतिविधियां पर्यावरणीय संरक्षण सिद्धांतों के अनुरूप हों, इस क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना करने पर पाबन्दी लगा दी गई है । उद्योगों को तीन वर्गों में बांटा गया है जैसे :—

(1) वे उद्योग जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं तथा जिन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती;

(2) वे उद्योग जिन्हें आवश्यक पर्यावरणीय सुरक्षापायों के साथ अनुमति दी जा सकती है; और

(3) वे उद्योग जो गैर-प्रदूषक स्वरूप के हैं और जिन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजे बिना ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने पर विचार किया जा सकता है ।

मुरूद-जंजीरा क्षेत्र में पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण तटीय भागों को पर्यावरणीय खराबियों से बचाने के लिए रेवडण्डा क्रीक से देवगढ़ तक और राजपुरी क्रीक से महसाल तक के 1 किलोमीटर उच्च ज्वारीय संकेत (हाई टाइट मार्क) के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना पर पाबन्दी लगी दी है । यह प्रतिबन्ध उन उद्योगों के लिए नहीं है जो पर्यटन की उन्नति और विकास से सम्बन्धित हैं और जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरणीय पहलुओं की जांच करने के पश्चात् अनुमति दी जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि

35. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया है ।

लघु उद्योगों को भूमि का आवंटन

[हिन्दी]

37. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1976 की योजना के अन्तर्गत 120 लघु उद्योगों को, 12 वर्ष तक उनकी जमाराशि अपने पास रखने के बावजूद भूमि का आवंटन करने से इंकार कर दिया है जिसके अनुसार उन्हें गैर-औद्योगिक क्षेत्रों (नान-कोनफर्सिंग एरियाज) में स्थानान्तरित किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन 120 उद्योगों को कब तक भूमि आवंटित की जायेगी; और

(ग) क्यी मल्टी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने सरकार से इन उद्योगों को भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया है और यदि हां, तो भूमि आवन्टन में देरी होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किए गए 15,000 आवेदन-पत्रों में से, प्राथमिक संवीक्षा में 299 आवेदन-पत्र उपयुक्त पाए गए। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों कि एक समिति द्वारा विस्तृत जांच-पड़ताल करने पर वह इस परिणाम पर पहुंची की कुल 299 में से 110 आवेदन प्रचालन और वास्तविक निष्पादन के मानदण्डों के आधार पर भूमि के आवन्टन के लिए उपयुक्त नहीं थे। इन अस्वीकृत मामलों में किसी भूमि का आवन्टन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मल्टी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अनुरोध पर भी विचार किया गया था परन्तु समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, भूमि के आवन्टन के लिए उनके अनुरोध को मानना व्यवहार्य नहीं है।

महाराष्ट्र में विद्युत करघा और हथकरघा उद्योग को हो रही आर्थिक कठिनाइयां

[अनुवाद]

38. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण तथा साथ ही नई वस्त्र नीति के कारण महाराष्ट्र में विद्युत करघा और हथकरघा उद्योग को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत विद्युत करघा उद्योग को बड़ी (कम्पोजिट) मिलों के बराबर माना गया है तथा उत्पाद शुल्क और अन्य तत्सम्बन्धी आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में उसे अलाभकारी स्थिति में रखा गया है; और

(ग) क्या विद्युत करघा उद्योग की समस्याओं और उसे हो रही कठिनाइयों की जांच की गई है; और यदि हां, तो उनके हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) महाराष्ट्र में हथकरघा तथा विद्युत-चालित करघा क्षेत्रों सहित कुल मिलाकर वस्त्र क्षेत्र सूती धागे की कीमत में वृद्धि की समस्या का सामना कर रहा है। तथापि, नई वस्त्र नीति का विद्युत चालित करघा तथा हथकरघा क्षेत्रों पर अनुकूल

प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि नीति कार्यान्वित करने के बाद कुल कपड़ा विनिर्माण में इन क्षेत्रों के भाग में निरन्तर वृद्धि होती रही है।

(ख) जून, 1985 की वस्त्र नीति में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में स्थित विद्युतचालित करघों को तथा संगठित मिल क्षेत्र में स्थिति विद्युतचालित करघों को बराबर माना गया है ताकि उन्हें उनकी क्षमताओं और कमजोरियों के आधार पर मुकाबला करने की अनुमति दी जा सके। तदनुसार, इन दोनों क्षेत्रों के बीच राजकोषीय ढांचे को तटस्थ बना दिया गया है।

(ग) विगत वर्षों के दौरान कुल कपड़ा उत्पादन में विद्युतचालित क्षेत्र के भाग में निरन्तर वृद्धि होती रही है। तथापि, सरकार को इस क्षेत्र के सामने आने वाली निश्चित समस्याओं की पूरी तरह जानकारी है और जब कमी जरूरी होता है तब समुचित कदम उठाए जाते हैं।

अमेरिका द्वारा वस्त्रों तथा जूतों के आयात पर लगाया गया प्रतिबन्ध

39. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को यह जानकारी है कि अमरीका को कपड़े, सिले सिलाए वस्त्रों और जूतों के आयात पर नये प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वस्त्रों, परिधानों और जूतों के आयात पर नये प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में कानून बनाने के संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के किसी विशिष्ट प्रस्ताव की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति में तथाकथित कुप्रबन्ध

40. **श्री सलाउद्दीन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति तथा क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड बिहार के कार्यकरण में कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच के लिए किसी समिति के गठन का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) वर्ष 1986 तथा 1987 के दौरान केन्द्र सरकार को कुछ शिकायतें मिली जिनमें बिहार में क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा जनता कपड़े के उत्पादन में हुई अनियमितताओं के बारे में आरोप लगाए गए थे। शिकायतें यार्न की जाली खरीदारियों तथा झूठे वित्तीय सहायता सम्बन्धी दावे प्रस्तुत करने से सम्बन्धित थीं। चूंकि जनता कपड़ा योजना के

क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिए प्राप्त शिकायतें बिहार सरकार को मामले की आवश्यक जांच करने के लिए भेज दी गई। केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि भी राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए भेजे गए। बाद में, कुछ क्रियान्वयन एजेंसियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सूचना दी है कि कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। कुछ अन्य एजेंसियों के मामले में राज्य सरकार द्वारा सतर्कता जांच करायी गयी केन्द्र सरकार ने जनता उपदान के लिए बिहार सरकार द्वारा दावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया युक्तिपूर्ण बना दी है। कुछ ऐसी क्रियान्वयन एजेंसियों के सम्बन्ध में जिनके खिलाफ जांच करायी जा रही है, उपदान दावों को रोक रखा गया है। बिहार सरकार द्वारा पहले ही प्रारम्भ की गई कार्रवाई को देखते हुए, केन्द्र सरकार का, मामले की जांच के लिए कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

"राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र"

41. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वृक्षारोपण कार्य की गति को बनाए नहीं रखा गया है और लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो परती भूमि के विकास के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मई, 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना के समय से अब तक केवल एक सदस्य ने स्वास्थ्य खराब रहने के कारण बोर्ड की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान वनीकरण की प्रगति निम्न प्रकार है :—

(मिलियन हैक्टयरों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-86	1.45	1.51
1986-87	1.71	1.76
1987-88	1.79	1.77
1988-89	2.00	1.90 (दिसम्बर 88 तक)

वर्ष 1988-89 में उपलब्धियां लक्ष्यों से भी अधिक होने की संभावना है।

असम में चीनी मिलें खोलने का प्रस्ताव

42. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में सहकारी क्षेत्र में कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) क्या असम में ऐसी कुछ और चीनी मिलें खोलने के कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) असम में कितनी सहकारी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) असम में सहकारी क्षेत्र में दो चीनी मिलें हैं ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी उद्योग में लाइसेंस प्रदान करने के लिए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की घोषणा करने के बाद, असम राज्य से नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद भी असम में स्थित सहकारी चीनी मिलें वार्षिक वित्तीय विवरण नहीं भेज रही हैं । तथापि, सहकारी चीनी फैक्ट्रियों, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 1250 टी० सी० डी० है, ने तीन चीनी मौसमों के दौरान चीनी की निम्नलिखित मात्रा का उत्पादन किया है :—

(मीटरी टन में)

वर्ष	बरुआबामुनगांव	नवगांव
1986-87	4781	194
1987-88	6756	3443
1988-89 (31-1-89 तक)	2527	641

वि टेक्सटाइल इंजीनियरों का राष्ट्रीय सम्मेलन

43. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक पुरानी वस्त्र मिलों को बन्द कर दिया गया है और अनेक मिलें बन्द होने वाली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या हाल ही में नई दिल्ली में चौथा टेक्सटाइल इंजीनियरों का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) दिनांक 31-1-1989 की स्थिति अनुसार देश में 140 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हुई थीं ।

(ख) सरकार ने संगठित वस्त्र उद्योग को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । पिछले बजट में दी गई रियायतों के अतिरिक्त इनमें शामिल हैं :—

(1) रुग्ण लेकिन संभाव्य रूप से अर्थक्षम वस्त्र मिलों के लिए पुनर्स्थापना पैकेज बनाने तथा उनका प्रबंध करने के लिए नोडीय अभिकरण स्थापित करना ।

(2) वस्त्र आधुनिकीकरण निधि जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 1988 तक 164 मामलों में 665 करोड़ रु० की सहायता मन्जूर की गई ।

(3) वस्त्र मिलों सहित रुग्ण एककों के मामलों पर विचार करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) चतुर्थ वस्त्र अभियंता सम्मेलन 27-28 दिसम्बर, 1988 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में हुआ । इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा वस्त्र मशीनरी की प्रवृत्तियां था। भारत और विदेशों के लगभग 20 वक्ताओं ने सम्मेलन में लेख प्रस्तुत किए ।

"केरल में नदियों की सफाई योजना"

45. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रदूषण से प्रभावित नदियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों में नदियों की सफाई की कोई केन्द्रीय स्कीम/योजना है; और

(घ) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केरल में पेरियार, चालियर, चालाकुड्डी, भुवातुपूझा, पम्बा, कल्लड़ा और कारामना आदि नदियों के कुछ भागों के प्रदूषण से प्रभावित होने का पता लगाया गया है।

(ख) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) नदी जल गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं;

(2) उद्योगों को अपने बहिस्रावों को निर्धारित मानकों के अनुसार शोधित करने के निर्देश दिए गए हैं और केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उनकी अनुपालन की स्थिति की नियमित जांच की जाती है।

(3) राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क के अधीन स्थापित 12 निगरानी केन्द्रों के जरिए इन नदियों की जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ी दुर्घटना नियंत्रण व्यवस्था के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता

46. **श्री वी० तुलसीराम :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं में बड़ी दुर्घटनाओं नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था को किन-किन राज्यों में स्थापित किया जाएगा;

(ग) किन-किन राज्यों में पहले से ही यह व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और इस व्यवस्था में शामिल फैक्टरियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता इसे इस व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली फैक्टरियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे दुर्घटनाओं के बचाव में कितनी सहायता मिलेगी ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ङ) "प्रतिष्ठान तथा भारत में प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियन्त्रण प्रणाली पर प्रारम्भिक कार्य" पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता प्राप्त परियोजना इस समय कार्य कर रही है । इस परियोजना के सीमा क्षेत्र में नौ राज्य—महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा तथा दिल्ली आते हैं । श्रम मंत्रालय के अनुरोध पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तीन राज्यों—आन्ध्र प्रदेश, केरल, तथा बिहार को सीमाक्षेत्र में लाने पर सहमत हो गया है । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है ताकि जोखिमपूर्ण पदार्थों तथा संक्रियाओं को उत्पन्न करने वाली औद्योगिक क्रियाकलापों का पता लगाया, विश्लेषण और नियन्त्रण किया जा सके जिनसे प्रमुख दुर्घटनाएं होने की सम्भावना हो ।

सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को प्रमुख दुर्घटना जोखिमों को उत्पन्न करने वाले प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रतिष्ठानों तथा पदार्थों की सूची तैयार करने के लिए कहा गया है जो कि वर्ष 1985 में भारत के दौरे पर आए विशेषज्ञ की अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में दिए गए प्रमुख दुर्घटना जोखिमों के मानदण्ड पर आधारित है । भाग लेने वाले राज्यों में 259 प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखानों तथा भाग न लेने वाले राज्यों में 48 प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखानों का दिसम्बर, 1988 तक पता लगाया गया है । इन प्रतिष्ठानों से जोखिमों का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने तथा उन्हें न्यूनतम बनाने के लिए उपाय करने की अपेक्षा की जाती है और कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से बाहर आपातकालीन योजनाओं को तैयार करने की अपेक्षा की जाती है । कार्यान्वयन एजेंसियों से भी इन प्रतिष्ठानों पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है ।

उड़ीसा में शहरों का विकास

47. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों के समेकित विकास सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में अब तक कितने शहरों का विकास किया गया है;

(ख) सरकार का विचार वर्ष 1989-90 के दौरान उड़ीसा में विकास के लिए कुछ और अधिक शहरों को चुनने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) अब तक नौ शहरों को लाभान्वित किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। 1989-90 के दौरान दो और शहरों—कोरापुर और पारादीप को शामिल करने का निर्णय लिया गया।

पंजाब के शहरों में यातायात के लिए योजना

48. **श्री कमल चौधरी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के बड़े शहरों में वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि का सामना करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) केन्द्र सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

न्यूनतम मजदूरी

[हिन्दी]

49. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ श्रम संगठनों ने न्यूनतम मजदूरी के रूप में प्रति माह 1050 रुपए की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मांग स्वीकार कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मजदूरी का भुगतान किस तारीख से किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन समुचित सरकार दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि कई श्रम संगठनों ने 1050/- रुपए प्रति माह की न्यूनतम मजदूरी की मांग की है और यह मामला उनके विचाराधीन है।

हथकरघा बुनकरों का वित्तीय संकट

[अनुवाद]

50. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को देश के कुछ भागों में हथकरघा बुनकरों द्वारा आत्महत्या किए जाने सम्बन्धी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इन हथकरघा बुनकरों द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए विवश होने के पीछे क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के वित्तीय संकट को हल करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार को चिराला तथा आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य भागों में कुछ हथकरघा बुनकरों द्वारा आत्महत्याओं की सूचना मिली है। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि लुंगियों की मांग में आई भारी कमी के कारण चिराला क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों की जीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है।

आंध्र प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार से प्रभावित बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और गुंटूर जिले में हथकरघा बुनकरों की संकटग्रस्त स्थिति को सुधारने के उपाय के रूप में, बेरोजगार बुनकरों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 60.00 लाख रुपए की राशि, विशेष पेशगी के रूप में पहले ही रिलीज कर दी है।

चिराला के बुनकरों के उत्पादों के लिए निर्यात क्षेत्र उपलब्ध कराने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का एक अधिकारी भी प्रतिनियुक्त किया है, जिसने चिराला में बुनकर अभिकरणों के नमूनों के लिए आदेश दिए हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर पाना

51. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही हैं;

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ग) लक्ष्य प्राप्त करने में कौन-कौन से राज्य असफल रहे तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार लाने के लिए यदि कोई कदम उठाने का विचार है तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) 1990 तक जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है और दिसम्बर, 1988 तक जितने केन्द्र खोले गए हैं उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है । उप-केन्द्रों के बारे में इसी प्रकार की सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है । राज्यों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वे अधिकतर वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त किए जाते हैं । आशा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के लक्ष्य सातवीं योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिए जाएंगे ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-1

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में हुई प्रगति

क्रम सं०	राज्य	1990 तक जितने केन्द्र की आवश्यकता है	दिसम्बर, 88 तक की उपलब्धियां	प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1705	1283	75.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	25	21	84.00
3.	असम	437	437	100.00
4.	बिहार	2296	555	67.73
5.	गोवा, दमण और द्वीव	22	19	86.36
6.	गुजरात	1000	668	66.80
7.	हरियाणा	375	304	81.07
8.	हिमाचल प्रदेश	200	160	80.00
9.	जम्मू और कश्मीर	323	259	80.19
10.	कर्नाटक	1170	629	53.76
11.	केरल	1032	595	57.66
12.	मध्य प्रदेश	1411	1034	73.28
13.	महाराष्ट्र	1800	1539	85.50
14.	मणिपुर	64	51	79.69

1	2	3	4	5
15.	मेघालय	54	56	103.70
16.	मिजोरम	37	32	86.49
17.	नागालैंड	33	27	81.82
18.	उड़ीसा	984	789	80.18
19.	पंजाब	2036	1856	91.16
20.	राजस्थान	1150	598	52.00
21.	सिक्किम	20	20	100.00
22.	तमिलनाडु	1463	838	56.13
23.	त्रिपुरा	47	49	104.26
24.	उत्तर प्रदेश	3669	2476	67.48
25.	पश्चिम बंगाल	1660	1411	85.00
26.	पांडिचेरी	20	18	90.00
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप	11	13	118.18
28.	चंडीगढ़	3	अप्राप्त	अप्राप्त
29.	दादरा और नागर हवेली	3	4	133.33
30.	दिल्ली	8	8	100.00
31.	लक्षद्वीप	7	7	100.00
	योग :	23095	16756	72.55

विवरण-2

उप-केन्द्र खोलने में हुई प्रगति

क्रम सं०	राज्य	1990 तक जितने उपकेन्द्रों की आवश्यकता है	दिसम्बर, 88 तक की उपलब्धि	प्रतिकूल उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	10129	7894	77.93
2.	अरुणाचल प्रदेश	145	140	96.55

1 2	3	4	5
3. असम	6132	3642	70.97
4. बिहार	14799	10449	70.61
5. गोवा, दमण और द्वीव	159	155	97.48
6. गुजरात	6656	6366	95.64
7. हरियाणा	2358	2186	92.71
8. हिमाचल प्रदेश	1512	1128	74.60
9. जम्मू और कश्मीर	1976	1415	71.61
10. कर्नाटक	7050	5714	81.05
11. केरल	5103	3974	77.88
12. मध्य प्रदेश	12000	8915	74.29
13. महाराष्ट्र	10810	9238	85.46
14. मणिपुर	364	401	110.16
15. मेघालय	447	303	67.79
16. मिजोरम	220	199	90.45
17. नागालैंड	234	201	85.90
18. उड़ीसा	5927	5291	89.27
19. पंजाब	2853	2753	96.49
20. राजस्थान	8000	4792	59.90
21. सिक्किम	132	126	95.45
22. तमिलनाडु	8860	8200	92.55
23. त्रिपुरा	530	365	68.87
24. उत्तर प्रदेश	23119	20153	87.17
25. पश्चिम बंगाल	10700	7873	73.58
26. पांडिचेरी	73	73	100.00
27. अण्डमान और निकोबार द्वीप	73	63	86.30
28. चण्डीगढ़	12	12	100.00
29. दादर और नगर हवेली	34	27	79.41
30. दिल्ली	42	42	100.00
31. लक्षद्वीप	24	14	58.33
योग :	139473	112104	80.38

गुजरात में बंद कपड़ा मिलों के कामगारों के लिए पुनर्वास सहायता

52. **श्री हरुभाई मेहता** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई झुकाव प्राप्त हुआ है कि गुजरात की बंद कपड़ा मिलों के कामगारों को संबंधित कम्पनी के लिए उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अस्थायी पमिसमापक के निदेशानुसार पुनर्वास सहायता प्रदान की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जा सकी। यह योजना तब लागू हुई है जबकि न्यायालय द्वारा बन्द करने के आदेश दे दिया गए (जबकि अस्थाई परिसमापक सरकारी परिसापक बन जाता है)।

बिहार और बंगाल स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड की मिलों में घाटा

53. **श्री एच० जी० घोलप** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल और बिहार में स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड की मिलें भारी घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना घाटा हो रहा है और अब तक कितना घाटा हो चुका है;

(ग) क्या कुछ मिलों का एकीकरण करने और कुछ मिलों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो बंगाल राज्य सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या पुराने उपकरणों को धीरे-धीरे बदला जाता है जिससे कोई प्रतिफल नहीं मिलता; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) बंगाल तथा बिहार में स्थित एन० टी० सी० मिलों को 1988-89 (अप्रैल-दिसम्बर, 1988) तक हुई संचयी हानि की राशि 209.82 करोड़ रु० (अनन्तिम) है।

(ग) जी, हां। एन० टी० सी० ने इस सम्बन्ध में प्रायोगिक प्रस्ताव तैयार किए हैं।

(घ) सरकार ने इन प्रस्तावों को बंगाल सरकार को नहीं भेजा है।

(ङ) और (च) वित्तीय अवरोधों के कारण मशीनरी का पूर्ण आधुनिकीकरण/नवीकरण संभव नहीं हो पाया है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को मकानों का आवंटन

54. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को कुल कितने फ्लैट आबंटित किए गए हैं; और

(ख) उनके लिए कितना किराया निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 46 ।

(ख) एफ० आर० 45-ए के अन्तर्गत पूर्ण स्टैंडर्ड लाइसैंस फीस या लाइसैंस फीस की समान दर, इनमें जो भी अधिक हो ।

पित्ताशय में कैंसर

55. **श्री प्रतावराव बी० भोसले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में पित्ताशय में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बीमारी के कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार का विचार देश में इस भयंकर बीमारी के और आगे फैलने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) पित्ताशय में कैंसर की बीमारी की घटना के बारे में समग्र देश के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की कैंसर रजिस्ट्री परियोजना के आंकड़े से यह प्रमाणित नहीं होता है कि भारत में पित्ताशय में कैंसर की बीमारी बढ़ रही है ।

(ग) और (घ) पित्ताशय में कैंसर की बीमारी के सही कारण ज्ञात नहीं हैं । सामान्यतया इसका सम्बन्ध पित्ताशय में पथरी की बीमारी और चिरकारी पित्ताशयशोथ से बताया जाता है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पित्ताशय में पथरी रोग और चिरकारी पित्ताशयशोथ का उपचार ही एकमात्र उपलब्ध नियंत्रण उपाय है ।

मोतिया खान व्यापारिक परिसर में सुविधाएं

[हिन्दी]

56. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोतिया खान व्यापारिक परिसर, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक सिनेमा हाल, एक छोटा होटल, एक डाकखाना और विपणन केन्द्र के निर्माण करने का प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"वृक्षारोपण"

[अनुवाद]

57. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में सरकार द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने भू-क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए;

(ग) क्या टीक, बांस परतदार लकड़ी प्लाईवुड के वृक्ष आदि जैसे अधिक महत्व के लाभकारी वृक्षों के लगाए जाने में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में किए जाने वाले प्रस्तावित परीक्षणों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वृक्षारोपण कार्यक्रमों को केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक परियोजनाओं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण श्रम रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, बीहड़ क्षेत्रों का सुधार, लघु वनोत्पाद वृक्षारोपण, हिमालय क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण, ग्रामीण ईंधन लकड़ी, वृक्षारोपण, सिल्वी चारागाह तथा बीज विकास, विकेन्द्रीकृत जन-पौधशालाएं, स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान सहायता, आदि के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है ।

(ख) उड़ीसा में 1988-89 (दिसम्बर, 88 तक) के दौरान समस्त वनीकरण कार्यकलापों के अन्तर्गत लाया गया कुल क्षेत्र लगभग 1.38 लाख हैक्टेयर है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय/राज्य क्षेत्र परियोजनाओं के अन्तर्गत टीक, बांस जैसी प्रजातियों तथा वे प्रजातियां जिनसे प्लाईवुड प्राप्त होती है, का वृक्षारोपण किया जा रहा है बशर्ते कि संसाधन और उपयुक्त स्थान उपलब्ध हों ।

खाद्यान्न भण्डार की स्थिति

58. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपलब्ध विभिन्न खाद्यान्नों की वर्तमान भण्डार-स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह भण्डार देश के सूखा एवं बाढ़ पीड़ित राज्यों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है; और

(ग) बिहार को पिछले तीन महीनों के दौरान सप्लाई किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) पहली जनवरी, 1989 को स्थिति के अनुसार सरकारी एजेन्सियों के पास 94.8 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) पिछले तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल का उत्पादन निम्नानुसार हुआ है :—

(हजार मीटरी टन में)

माह तथा महीने	गेहूं	चावल
नवम्बर, 1988	41.4	2.4
दिसम्बर, 1988	56.1	2.3
जनवरी, 1989	51.0	5.2

अस्पतालों में स्टाफ नर्सों के रिक्त पद

59. **श्री प्रकाश चन्द्र :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में काफी संख्या में स्टाफ नर्सों के पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक अस्पताल में कितने पद रिक्त पड़े हैं और कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का सरकारी अस्पतालों के बेहतर कार्यकरण हेतु इन सभी रिक्त पदों को भरने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

महाराष्ट्र के लिए खाद्यान्नों का कोटा

60. **श्री उत्तमराव पाटिल** : **क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए फरवरी, 1989 से चावल और अन्य खाद्यान्नों के कोटे के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का उक्त मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता की दृष्टि में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के आबंटनों के बारे में की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप, फरवरी, 1989 से महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों के चावल के कोटे 20% कम कर दिए गए हैं। तदनुसार, महाराष्ट्र का चावल का कोटा, जो जनवरी में 65,000 मीटरी टन था, कम करके फरवरी, 1989 में 52,000 मीटरी टन कर दिया गया है। तथापि महाराष्ट्र का गेहूं का कोटा, जो जनवरी, 1989 में 90,000 मीटरी टन था, बढ़ाकर फरवरी, 1989 से 94,500 मीटरी टन प्रति मास कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इन आबंटनों में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों के आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं और ये केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता तथा अन्य संगत तथ्यों की दृष्टि में मास प्रतिमास के आधार पर किए जाते हैं। 1988-89 के दौरान देश में उत्तम कृषि उत्पादन की दृष्टि में, राज्य की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समग्र रूप से कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नेशनल इलेक्ट्रोपैथी होमियोपैथी मेडिसन आफ इंडिया को भूमि का आबंटन

61. **श्री गंगा राम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इलैक्ट्रोपैथी होमियोपैथी मेडीसन आफ इण्डिया नई दिल्ली ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से अप्रैल 1985 में भूमि आवंटन हेतु आवंटन किया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज इस संस्था ने दे दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो भूमि कब तक आबंटित की जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) आवेदनकर्त्ताओं से अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में भूमि के आबंटन पर विचार नहीं किया जा सकता है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पद

62. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के कई अस्पतालों में डाक्टरों और अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों के स्वीकृत पद काफी लम्बे समय से भरे नहीं गए हैं;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के कई अस्पतालों में औषधियों और दवाओं की कमी है;

(ग) क्या कर्मचारी राज्य बीमा के कई अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञ और एम्बुलेंस गाड़ियां नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-3-1988 तक विभिन्न क० रा० बी० अस्पतालों में डाक्टरों, मेडिकल स्पेशलिस्टों और अन्य परा चिकित्सा विशेषज्ञों के काफी संख्या में पद रिक्त पड़े थे। दवाईयों और औषधियों की कमी तथा एम्बुलेंस वैनों के उपलब्ध न होने के बारे में भी इक्की-दुक्की शिकायतें आती हैं। तथापि, दिल्ली को छोड़कर जहां क० रा० बी० निगम सीधे चिकित्सीय देख-रेख का प्रशासन करता है क० रा० बी० योजना के अधीन चिकित्सीय देख-रेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है, इसलिए समुचित निवारक उपाय सम्बन्धित राज्य सरकारों को ही करने हैं। फिर भी क० रा० बी० निगम रिक्त पदों को भरने और अन्य निवारक उपाय करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को लिखता रहता है।

कुत्ते के काटने से होने वाले रोग के टीके का विकास

63. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुत्ते के काटने से होने वाले रोग के किसी नए टीके का देश में विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नए टीके के उपचार प्रभार जानने हेतु कोई परीक्षण किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो परिणाम सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारतीय पास्च्यूर संस्थान, कुनूर, तमिलनाडु में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से वीरो कोशिका पर आधारित टिशू कल्चर केनाइन जलांतक वैक्सीन विकसित की गई है। यह कैनाइन टिशू कल्चर वैक्सीन केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में की गई सभी गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण सम्बन्धी जांचों में खरी उतरी है। और कुत्तों पर इसका परीक्षण करने के लिए इसे सीमित मात्रा में सप्लाई किया गया है।

(ग) और (घ) कुत्तों पर कैनाइन जलांतक वैक्सीन की जांचें कुनूर तमिलनाडु में की गई हैं और इन्हें अच्छा पाया गया था। इसी प्रकार फ्रांस से आयातित वीरो-कोशिका पर आधारित जलांतक-रोधी वैक्सीन की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा हाल ही में क्षेत्रीय जांच की गई है और इसके परिणाम सन्तोषजनक पाए गए थे।

दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार

64. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 31 दिसम्बर, 1988 को पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या का रोजगार कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 31 दिसम्बर, 1988 को किस तारीख तक पंजीकृत बेरोजगारों को नौकरी हेतु बुलाया गया ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) दिल्ली में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) 1986 — 1,70,617

1987 — 1,90,527

1988 — 1,83,085

(ग) पंजीकृत व्यक्तियों को जिस तिथि तक प्रायोजित किया गया है, वह भिन्न-भिन्न व्यवसायों के लिए भिन्न-भिन्न है ।

विवरण

क्रम सं०	रोजगार कार्यालय	चालू रजिस्टर पर संख्या
1	2	3
1.	व्यावसायिक एवं कार्यकारी रोजगार कार्यालय, आर० के० पुरम	66,695
2.	उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड	94,386
3.	उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, दरियागंज	2,82,887
4.	भूतपूर्व सैनिकों हेतु उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, दिल्ली कैंट	11,000
5.	उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, पूसा	1,08,636
6.	उपक्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शाहदरा	43,500
7.	विकलांगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड	5,048

1	2	3
8.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, दिल्ली	4,525
9.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, जामिया मीलिया	812
10.	विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	4,289
11.	जोनल रोजगार कार्यालय, ओखला	3,799
12.	जोनल रोजगार कार्यालय, आर० के० पुरम	2,859
13.	जोनल रोजगार कार्यालय, शाहदरा	25,834
14.	जोनल रोजगार कार्यालय, पूसा	9,533
15.	जोनल रोजगार कार्यालय, सब्जीमंडी	6,680
16.	जोनल रोजगार कार्यालय, नरेला	2,745
17.	जोनल रोजगार कार्यालय, बादली	2,078
18.	जोनल रोजगार कार्यालय, नांगलोई	7,536
19.	जोनल रोजगार कार्यालय, नजफगढ़	3,080
20.	जोनल रोजयार कार्यालय, महरौली	1,331
21.	जोनल रोजगार कार्यालय, दिल्ली कैंट	19,193

नोट :—यह अनिवार्य नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्ति बेरोजगार हों।

"रोल आफ वोल्यून्टरी आरगेनाइजेशन इन हैल्थ केयर डिलीवरी" सम्बन्धी कार्यशाला के विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

65. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1988 के दौरान दिल्ली में आयोजित "रोल आफ वोल्यून्टरी आरगेनाइजेशन इन हैल्थ केयर डिलीवरी" सम्बन्धी कार्यशाला के अनुरूप एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया था; और

(ख) क्या सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने अपर महानिदेशक (जन स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया।

इस कार्य-दल की दो बार बैठकें हुईं और उसने अनन्तिम सिफारिशें तैयार कीं। इस दल ने एक पैनल के गठन का भी सुझाव दिया।

(ख) इस कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने के लिए सरकार ने एक विषय निर्वाचन समिति के गठन का निर्णय लिया है।

औद्योगिक दुर्घटनाएं

66. **श्री के० प्रधानी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जनवरी, 1988 से 31 अगस्त, 1988 के दौरान राज्यवार कितनी औद्योगिक दुर्घटनाएं हुईं; और

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) देश में औद्योगिक दुर्घटनाओं पर आंकड़ को वार्षिक आधार पर संकलित किया जाता है और इसलिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

कारखाना अधिनियम, 1948 में विनिर्माण संक्रियाओं में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई उपबन्ध किए गए हैं। अधिनियम में सुरक्षा उपबन्धों को और अधिक कठोर तथा कारगर बनाने के लिए वर्ष 1987 में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। केन्द्रीय सरकार सुरक्षा उपबन्धों को लागू करने तथा आपात कालीन स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती है।

"प्रतिष्ठान तथा भारत में प्रमुख दुर्घटना जोखिम नियन्त्रण पद्धति पर प्रारम्भिक कार्य" पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक परियोजना को श्रम मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय प्रणाली को सुदृढ़ बनाना है ताकि जोखिम-पूर्ण पदार्थों तथा संक्रियाओं से सम्बद्ध उन औद्योगिक कार्यकलापों का पता लगाया जा सके, विश्लेषण या नियन्त्रण किया जा सके, जिनसे प्रमुख दुर्घटनाओं के उत्पन्न होने की संभावना होती है।

"हिमाचल प्रदेश में वन कटाई की योजनाएं"

67. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलासपुर जिले की चूमर विन तहसील के कोट घर क्षत्र में और हमीरपुर जिले के बरसार जिले में सड़क निर्माण के लिए वृक्षों के काटने की अनुमति प्रदान करने की दो योजनाएं स्वीकृति के लिए सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों क्षेत्रों की सड़क निर्माण की प्रत्येक योजनाओं के नाम क्या हैं, ये सरकार के पास कब से लम्बित पड़ी हैं और उनकी स्वीकृति प्रदान करने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में बिलासपुर और हमीरपुर के शेष भागों तथा ऊना और कांगड़ा जिलों के मामलों की क्या स्थिति है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिलों में सड़क निर्माण परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। केन्द्र सरकार के पास मंजूरी के लिए कोई मामला लम्बित नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	सड़क का नाम तथा जिला	वन क्षेत्र हे० में	इस मन्त्रालय में प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	बिलासपुर जिले में स्लापर से हारनौर तक कोल बांध के साथ सड़क	7.08 हे०	10-2-84	मन्त्रालय ने राज्य सरकार से 23-2-84 और 19-3-88 को स्पष्टीकरण और अतिवार्य ब्यौरे मांगे थे। उपर्युक्त के प्राप्त न होने पर प्रस्ताव को सूचना न भेजने के कारण रद्द कर दिया गया।
2.	हमीरपुर जिले में जन्द्राना से जोर अम्ब तक जीप जाने योग्य सड़क	3 हे०	16-3-84	इस मन्त्रालय द्वारा 7-4-84 और 7-2-85 को अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए थे। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।
3.	हमीरपुर जिले में चबूतरा-अमसोह सड़क का निर्माण	1.48 हे०	8-10-84	13-9-85 को अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सूचना न मिलने के कारण रद्द कर दिया गया।
4.	हमीरपुर जिले में भोटे-बिल्ली वाया रोपरी पी० डब्ल्यू० डी० सड़क का निर्माण	1.5 हे०	24-1-85	चूंकि इस मामले में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का भारी उल्लंघन शामिल था, राज्य सरकार से 23-3-85 को उल्लंघन की परिस्थितियों का स्पष्टीकरण देने और एक संशोधित प्रस्ताव

1	2	3	4	5
				प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। सूचना न मिलने के कारण प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।
5.	ऊना जिले में दौलतपुर-चिन्दपुरै वाया बदमाना सड़क का निर्माण	2.42 हे०	31-7-84	27-8-84 को अनिवार्य ब्यौरे मांगे गए थे जो प्राप्त नहीं हुए। सूचना न मिलने के कारण प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया।
6.	बिलासपुर जिले में माल्लारी-कल्लार सारहली खुड ब्रिज सड़क का निर्माण	2.16 हे०	28-5-83	20-6-83 को मंजूरी दी गई।
7.	बिलासपुर जिले में तलई-देवसिद्ध सड़क का निर्माण	3.6 हे०	27-7-84	31-8-84 को मंजूरी दी गई।
8.	कांगड़ा जिले में अम्बघाटा टेहरी सड़क का निर्माण	3 हे०	20-12-83	30-1-87 को मंजूरी दी गई।
9.	ऊना जिले में कारलूही-भारती-किना सड़क का निर्माण	0.85 हे०	30-10-84	28-12-84 को मंजूरी दी गई।
10.	कांगड़ा जिले में बोध-चकीधार सड़क का 47.895 किलोमीटर से 61/360 किलोमीटर तक का निर्माण	25.91 हे०	18-7-85	5-6-86 को मंजूरी दी गई।
11.	पठानकोट-मंडी-कुलू सड़क से इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प के लिए आवागमन की व्यवस्था।	0.008 हे०	31-5-88	22-7-88 को मंजूरी दी गई।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यकरण में सुधार

68. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान कुल कितने आवासीय स्थानों का विकास किया गया और उनमें से कितने आवंटित किए गए;

(घ) वर्ष 1988 के दौरान कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया और उनमें से कितने आवंटित किए गए;

(ङ) वर्ष 1988 के दौरान कितनी अनधिकृत आवासीय कालोनियों को नियमित किया गया; और

(च) वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कार्यक्रम के अतिरिक्त दिल्ली के सर्वांगीण विकास पर कितना व्यय किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेशम और कृत्रिम धागे का आयात और निर्यात

69. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988 के दौरान रुई रेशम और कृत्रिम धागे का कितना-कितना निर्यात किया गया;

(ख) 1988 के दौरान उपरोक्त वस्तुओं का कितना-कितना आयात किया गया;

(ग) वर्ष के दौरान रुई का कितना आयात और निर्यात किया गया;

(घ) इसी वर्ष के दौरान सरकारी और अर्ध-सरकारी एजेंसियों द्वारा हथकरघा बुनकरों को सप्लाई किया गया सूती और रेशमी धागे के मूल्य में कितना अन्तर रहा; और

(ङ) 1988 के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित जनता कपड़े के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"परियोजनाओं को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति"

70. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति के लिए उनके मन्त्रालय के भेजे गए प्रमुख औद्योगिक विद्युत और विकास सम्बन्धी अन्य परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण क्या है;

(ख) इनमें से किन-किन को स्वीकृति नहीं दी गई थी तथा तत्सम्बन्धी कारण क्या थे; और

(ग) मन्त्रालय द्वारा बताए गए समुचित परिवर्तनों के बाद स्वीकृत की गई परियोजनाओं का विवरण क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 1988 के दौरान मन्त्रालय को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए भेजी गई औद्योगिक, विद्युत और अन्य विकास परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) वे विकास परियोजनाएं जिन्हें स्वीकृति नहीं दी गई और जिन्हें मंजूरी दी गई, के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण 2 और 3 में दिए गए हैं ।

विवरण-1

1988 के दौरान ताप विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	ग्राम सेलोन, वारली जिला मध्य प्रदेश के पास गैस टर्बाइन पावर स्टेशन	3 × 100 मेगावाट
2.	पिपावाव के पास दक्षिण सौराष्ट्र में गैस पर आधारित संयुक्त साइक्लिल पावर स्टेशन	750 मेगावाट
3.	उमरेड थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-1 और 2	2 × 210 मेगावाट
4.	कोटा थर्मल पावर स्टेशन (स्टेज-3)	1 × 210 मेगावाट
5.	उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर, रायबाघ में गैस पर आधारित साइकल पावर प्लान्ट	2 × 35 मेगावाट
6.	नेवली लिगनाइट कार्पोरेशन, राजस्थान का बारसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन	2 × 210 मेगावाट
7.	वेस्टहीट रिकवरी सिस्टम डेसू, दिल्ली के गैर टर्बाइन	6 × 30 मेगावाट
8.	एन० टी० पी० सी० का दादरी गैस आधारित पावर प्लान्ट, उत्तर प्रदेश	600 मेगावाट
9.	एन० टी० पी० सी० का मानुगुरू सुपर थर्मल पावर स्टेशन, आन्ध्र प्रदेश	4 × 500 मेगावाट
10.	रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, आन्ध्र प्रदेश	3 × 200 मे०वा० + 3 × 500 मेगावाट

1	2	3
11.	एन० टी० पी० सी० का चन्द्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, महाराष्ट्र	4 X 500 मेगावाट
12.	भवनगिरी में गैस टर्बाइन, तमिलनाडु	3.3 मेगावाट
13.	जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में सागरडिघी थर्मल पावर स्टेशन	2 X 50 मेगावाट
14.	बम्बूका द्वीप, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में डीजल जेनरेटिंग पावर हाउस	2 X 24 कि० वाट
15.	नारकोंडम द्वीप, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में डीजल जेनरेटिंग पावर हाउस	2 X 24 कि० वाट
16.	लिटिल निकोबार, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में डीजल जेनरेटिंग पावर हाउस	2 X 24 कि० वाट
17.	बाड़ी, ब्राहमाना, जम्मू तवी, (जम्मू और कश्मीर) में गैस टर्बाइन जेनरेटिंग स्टेशन	1 X 25 कि० वाट
18.	अंगूरी, अपर असम में गैस पर आधारित पावर स्टेशन	360 मेगावाट
19.	गुना गैस टर्बाइन पावर स्टेशन संयुक्त साइकल मध्य प्रदेश	3 X 100 मेगावाट + 1 X 150 मेगावाट
20.	कुडालौर, तमिलनाडु में कैप्टिव कम्बाइड साइकल पावर स्टेशन	210 मेगावाट
21.	गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन, एक्सटेंशन, भटिंडा, पंजाब	2 X 210 मेगावाट
22.	गोइन्डवाल थर्मल पावर स्टेशन, तमिलनाडु	2 X 210 मेगावाट
23.	विजयश्वरम, आंध्र प्रदेश में गैस आधारित साइकल पावर स्टेशन	3 X 33 मेगावाट
24.	झाबना गैर टर्बाइन पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश	3 X 100 मेगावाट + 1 X 150 मेगावाट
25.	राजगढ़ गैर टर्बाइन पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश	3 X 100 X 100 मेगावाट + 1 X 150 मेगावाट
26.	गैस टर्बाइन कम्बांइड साइकल थर्मल पावर स्टेशन, वाटवा, अहमदाबाद, गुजरात	116 मेगावाट
27.	हजीरा में कैपिटव पावर पलान्ट रिलाइंस पेट्रोकैमिकल्स गुजरात	60 मेगावाट

1	2	3
28.	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन स्टेज-2 मध्य प्रदेश,	1×120 मेगावाट
29.	रामागुंडम में कैप्टिव प्लांट, भारतीय खाद्य निगम लि०, आन्ध्र प्रदेश	40 मेगावाट
30.	थर्मल पावर स्टेशन, हीराकुण्ड जिला संभलपुर, उड़ीसा	60 मेगावाट

पन विद्युत/सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1.	गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र ।
2.	राजोरी लघु पन विद्युत परियोजना, जम्मू कश्मीर ।
3.	कल्लारा लघु हाइडल स्कीम, माद्दूर ब्रांच, शिवेश्वरेया केनाल, कर्नाटक ।
4.	डाबाना—गेरी हाइडल परियोजना, कर्नाटक ।
5.	मंजाब सिंचाई परियोजना (लाइनिंग आफ वाटर कोर्स) पंजाब ।
6.	महानदी जलाशय लघु हाइडल परियोजना, मध्य प्रदेश ।
7.	भौजूदा बालिमेला पावर हाउस, उड़ीसा में 7वीं और 8वीं यूनिट को लगाना ।
8.	चांतिया सिंचाई केनल लघु हाइडल परियोजना, राजस्थान ।
9.	नायगढ़ नाला पन विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर ।
10.	उत्तर प्रदेश में मेजा बांध परियोजना में वृद्धि करना ।
11.	कोल बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश ।
12.	शिव समुन्द्रम पावर स्कीम, कर्नाटक ।

औद्योगिक परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2
1.	केबिल उत्पादन इकाई रूपनारायणपुर का आधुनिकीकरण ।
2.	पी० सी० यू० टी० से पी० यू० एफ० केबल्स, हैदराबाद के लिए अतिरिक्त क्षमता ।
3.	इलाहाबाद में फाइबर आप्टिक्स फैक्ट्री लगाना ।

1	2

4. बाक्राला में उर्वरक परियोजना ।
5. भारत सरकार टकसाल, बम्बई का आधुनिकीकरण ।
6. कार्बन फाइबर पाइलट प्लांट प्रोडक्ट एप्लिकेशन डेवलपमेंट सेंटर, बडोदरा ।
7. हजीरा में गैस को हल्का बनाने का संयंत्र फेज-2 ।
8. खोई आधारित न्यूज पेपर परियोजना, हेमपुर ।
9. नामरूप में नामरूप-3 उर्वरक परियोजना ।
10. रामागुंडम उर्वरक संयंत्र, फेज-1 रामागुंडम की पुनः स्थापना ।
11. गुड़गांवा में 1000 सी सी कारों का उत्पादन ।
12. तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा दक्षिण बेसिन (फेज-1) का विकास ।
13. बम्बई-मानमाड उत्पादन पाइपलाइन परियोजना ।
14. तेल शोधक कारखाना, करनाल ।
15. बाक्राला दिल्ली गैस पाइपलाइन ।
16. सीमेन्ट संयंत्र का विस्तार, यरागुंटला ।
17. गोरखपुर में यूरिया संयंत्र का जीर्णोद्धार ।
18. सीमेंट संयंत्र, टोंडुर ।
19. विजयपुर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस रिकवरी संयंत्र ।
20. न्यू नोट प्रेस, सालबोनी ।
21. कच्छर और नागांव में पेपर परियोजना (संशोधित लागत) ।
22. बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकैमिकल्स परियोजना का आधुनिकीकरण ।
23. सेल द्वारा बर्नपुर में आई० आई० एस०,सी० ओ० का आधुनिकीकरण ।
24. ओनला में उर्वरक संयंत्र का विस्तार ।
25. मैसूर में न्यू नोट प्रेस ।
26. ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र में सीमेंट पिसाई यूनिट ।
27. करेंसी नोट प्रेस, नासिक का आधुनिकीकरण ।
28. बोकाजन सीमेंट संयंत्र, बोकाजन ।
29. कुमारघाट, त्रिपुरा में पिसाई यूनिट ।
30. भैराबी, मिजोरम में पिसाई यूनिट ।
31. बुलन्दशहर में ओरल पोलियो वैक्सिन यूनिट की अनुसन्धान एवं विकास इकाई ।

1	2

32. नोट बैंक प्रेस, देवास ।
33. दुर्गापुर में ओपथालमिक ग्लास ब्लैंक्स के उत्पादन के लिए सतत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी (सी० पी० टी०) ।
34. थाल में एक डिमेथिल फारमेलाइड परियोजना ।
35. दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण ।
36. राउरकेला में इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण ।
37. अनुसंधान विकास केन्द्र, गुड़गांव ।
38. हल्दिया रिफायनरी, हल्दिया में ल्यूब आयल बेस स्टाक प्लान्ट का पुन: सज्जीकरण ।
39. आर-7, आर-9 तथा आर-13 स्ट्रक्चर बम्बई आफ-शोर क्षेत्र का विकास ।
40. कांडला-भटिंडा पाइपलाइन ।

खनन परियोजना

क्रम सं०	परियोजना का नाम

1. पाइराइट्स, फासफेट और कैमिकल्स लिमिटेड की मालडोटा खान ।
2. पश्चिमी कोलफील्ड लिमिटेड का दुर्गापुर खुली खदान परियोजना ।
3. येरागुंटला सीमेंट फैक्ट्री, सी० सी० आई० से सम्बद्ध चूना पत्थर खान ।
4. सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की राजरप्पा खुली खदान परियोजना ।
5. नेवेली लिगनाइट कार्पोरेशन की खान-1 (विस्तार) ।
6. ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की रोनाई-मंगलपुर खुली खदान परियोजना ।
7. रविन्द्र खानी—एस० सी० सी० एल० की नई प्रौद्योगिकी भूमिगत परियोजना ।
8. सी० सी० आई० की तान्दुर सीमेंट फैक्ट्री से सम्बद्ध चूना पत्थर खान ।
9. वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की सास्ती खुली खदान परियोजना ।
10. एस० सी० सी० एल० की जवाहर खानी संख्या 5 इनक्लाइन प्रोजेक्ट ।
11. ईस्टर्न कोलफील्ड की बाकुलिया भूमिगत परियोजना ।
12. एस० सी० सी० एल० की पदमावती खानी परियोजना ।
13. एस० सी० सी० एल० की चिन्नूर आई० ए० एण्ड 1 इनक्लाइन प्रोजेक्ट ।
14. एस० सी० सी० एल० के वकिलपली को जोड़ने वाली जी० डी० के 9 इनक्लाइन एक्सटेंशन ।
15. एस० सी० सी० एल० की दुग्गा (भाटगांव) खुली खदान ।

अन्य परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2
1.	तोरसा नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण ।
2.	स्टूडियो उपकरणों आदि को बदलना ।
3.	7वीं योजना के अन्तर्गत उपग्रह के जरिए रेडियो नेटवर्क ।
4.	मेनालिन, हिमाचल प्रदेश में हेली-स्किंग एक्टिविटी ।
5.	कैंडोलिम में एलचा बीच रिसार्ट ।
6.	कोलवा बीच में झोपड़ियां ।
7.	रामदा होटल्स इन्टरनेशनल लिमिटेड, वाराबीच, गोवा ।
8.	केवलोसिम बीच, गोवा में ईस्ट इण्डिया होटल्स लिमिटेड (ओबराय) ।
9.	एल्कान रियल एस्टेट प्राइवेट ।
10.	कालगुटा बीच, गोवा में डिसोजा का होटल ।
11.	कोलवा बीच, गोवा में होटल ।
12.	केवलोसिम बीच, गोवा में एवरिना मोबर इन्टरनेशनल रिसार्ट ।
13.	कनसौलिम बीच, गोवा में कम्फर्ट रिजेन्सी इन ।
14.	कालगुटे बीच, गोवा में बरेटो होटल ।
15.	कंसूलिन बीच, गोवा में होटल ।
16.	माजरोदा, गोवा में मैसर्स स्नेह होटल्स ।
17.	कंडोलिम बीच, गोवा में श्री कुलदीप सिंह का होटल ।
18.	कतिपय नाजुक क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार ।
19.	सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो कवरेज में वृद्धि ।
20.	त्रिवेन्द्रम-कोचीन-कालीकट माइक्रोवेव लिंक का मंगलौर तक विस्तार ।
21.	दिल्ली-एन एच-2 मथुरा सेकसन की चार लाइन ।
22.	दिल्ली में ई० एस० डी०/एन० एस० डी० के लिए नया ब्रोडकास्टिंग रेंज की स्थापना ।
23.	तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि—मद्रास, भुवनेश्वर तथा बम्बई में एक-एक क्षेत्रीय स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ।
24.	पुरी, उड़ीसा में बालीघाट बीच रिसार्ट परियोजना का निर्माण ।

1	2

25. जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों, पूर्वोत्तर राज्यों आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों का निर्माण ।

26. दिल्ली और मद्रास में स्टूडियो सुविधाओं सहित नागपुर में राष्ट्रीय चैनल की स्थापना करना और 1000 कि० वाट मे० वाट ट्रांसमीटर लगाना ।

27. आनन्द पाले से विशाखापतनम और विशाखापतनम से चार लेनों के लिए दो लेन के लिए एगेके को चौड़ा करना ।

28. 27.8 से 69.0 कि० मी० तक चार लेन वाले कैरेज मार्ग को चौड़ा करना और तमिलनाडु में एन० एच०-45 पर मद्रास-विलूपुरम सेक्शन के विद्यमान पेवमेंट को मजबूत बनाना ।

29. रामचन्दी, कोणार्क में बीच रिसार्ट ।

30. चन्डीपुर, उड़ीसा में बीच रिसार्ट ।

31. पारादीप, उड़ीसा में बीच रिसार्ट ।

32. गोपालपुर में बीच रिसार्ट ।

33. बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा पी० ओ० एल० और बड़ी मात्रा में तरल रसायनों की विशेष श्रेणी के संचालन के लिए पिरपौ, बम्बई पत्तन में नए बर्थ का निर्माण करना ।

34. बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बम्बई पत्तन में कन्टेनर संचालन सुविधाओं का विकास ।

35. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट द्वारा मद्रास पत्तन में बड़ी मात्रा में उर्वरक उतारने और संचालन टर्मिनल की स्थापना ।

36. इन्नौर में कोल संचालन टर्मिनल का प्रस्ताव ।

37. विशाखापत्तनम बाहरी बन्दरगाह को गहरा करना ।

38. हुगली मुहाने में सूखे के सुधार के लिए व्यापक स्कीम ।

39. हल्दिया डाक कम्पलैक्स में दूसरी कोयला जेटी का निर्माण ।

40. पोर्ट ब्लेयर में एक तरल दुग्ध-संयंत्र की स्थापना करना ।

41. अण्डमान ट्रंक रोड का निर्माण ।

42. कालपानी में ब्रेकवाटर परियोजनाएं ।

43. पुरी में यात्री निवास का निर्माण ।

44. गोवा में माजरोदा बीच रिसार्ट का विस्तार ।

45. कावडोलिम, गोवा में ताज होटल विलेज का विस्तार ।

46. बेंका, गोवा में 5 सितारा बीच रिसार्ट के निर्माण के लिए डेम्पो प्रा० लिमिटेड ।

1	2

47. क्वेवेलोसिम बीच, गोवा में गोल्डन टेवाकू बीच रिसार्ट।
48. सालेम, तमिलनाडु में प्रस्तावित हवाई अड्डा।
49. टूटीकोरिन, तमिलनाडु के पास बगाईकुलम में प्रस्तावित हवाई अड्डा।
50. नावा शेवा पोर्ट परियोजना।
51. उड़ीसा के कटक जिले में पारादीप में इन्टीग्रेटेड फिशरी हार्बर परियोजना।
52. विशाखापत्तनम पत्तन में एक नियमित बर्थ में भीतरी हार्बर में मौजूदा पुराने जेटियों डब्ल्यू० जे०-2 और डब्ल्यू० जे०-3 को बदलना।
53. कलकत्ता पत्तन में कन्टेनर संचालन सुविधाओं का विकास।
54. सी० आई० डब्ल्यू० टी० सी० कलकत्ता के राजा बागान डाकयार्ड के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव।
55. विशाखापत्तनम में प्राकृतिक शिप डिजायन रिसार्ट की स्थापना।
56. न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट में 22.5 टन एच० पी० सिच के 3 ट्गस प्राप्त करना।
57. भूतल परिवहन मन्त्रालय द्वारा प्रत्येक 16000 डी० एम० टी० के दो अमोनिया/एल० पी० जी० वाहकों को प्राप्त करना;
58. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के अयरक संचालन कम्पलैक्स में थर्ड वैगन टिप्पलर को लगाना।
59. बम्बई हवाई अड्डे में नए अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल कम्पलैक्स (फेज-3) का निर्माण।
60. टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट में द्वितीय कोल जेटी का निर्माण।
61. पालम जलाशय की ओर रिज रोड के साथ वाटरमेन बिछाना।
62. वन बागान विकास निगम अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह द्वारा हट बे में रेड पाम आयल प्रोसेसिंग संयंत्र क्षमता का विस्तार।
63. पोर्ट ब्लेयर में रनवे का विस्तार।
64. एअरबस ए 320 एअरक्राफट की खरीद।

विवरण-2

वर्ष 1988 के दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से नामंजूर किए गए परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नामंजूर किए जाने के कारण
1	2	3
	ताप विद्युत परियोजनाएं	
1.	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की मानुगुरू ताप विद्युत स्टेशन (4×210 मेगावाट)	आरक्षित वन क्षेत्र के निकट होने के कारण।

1	2	3
	जल विद्युत/सिंचाई परियोजनाएं	
1.	नैगड नाला जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर	पूर्ण ब्यौरे न भेजने के कारण नामंजूर कर दिया गया ।
2.	मेजा बांध परियोजना को आगे बढ़ाना उत्तर प्रदेश	सूचना न भेजने के कारण नामंजूर कर दिया गया ।
	उद्योग	
1.	मैसर्स जनरल इन्जीनियरिंग वर्क्स द्वारा भरतपुर में फाइन/फाइन एल्युमिनियम एलाय कोटेड प्लेन और कोरूगेटेड स्टील कार्ड के निर्माण के लिए एक यूनिट की स्थापना	वायु, जल, भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और इसके केवलदेव और घना राष्ट्रीय उद्यान के निकट होने के कारण नामंजूर कर दिया गया ।
2.	ओखला औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में सीमेंट ग्रिंडिंग यूनिट	वायु और जल में प्रतिकूल प्रभाव के कारण ।
3.	उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले के हेमपुर में खोई पर आधारित अखबारी कागज निर्माण परियोजना की स्थापना	स्थल के जिम कार्बेट पार्क के बिल्कुल निकट होने के कारण नामंजूर कर दिया गया ।
4.	सवाई माधोपुर के निकट उर्वरक संयंत्र	बाघ परियोजना पर पड़ने वाले सम्भावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण इस स्थल को नामंजूर कर दिया गया ।

परियोजना प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सूचना न भेजने के कारण अथवा पर्यावरणीय असंगति के कारण नामंजूर की गई परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अपेक्षित सूचना न भेजे जाने के कारण
1	2	3
1.	वेंकटेश खानी संख्या 7 परियोजना, एस० सी० सी० एल०	—वही—
2.	रवीन्द्र खानी संख्या 8 परियोजना, एस० सी० सी० एल०	—वही—
3.	वेस्ट झारखण्ड "बी" सीम कोलियरी, डब्ल्यू० सी० एल०	—वही—
4.	राजगमार परियोजना, डब्ल्यू० सी० एल०	—वही—
5.	विश्रामपुर खुली खदान, डब्ल्यू० सी० एल०	—वही—
6.	कोतकोना-1 खान, डब्ल्यू० सी० एल०	—वही—

1	2	3
7.	बिजूरी कोलियरी, डब्ल्यू सी० एल०	—वही—
8.	दियासपुर और पाइरोफाइलाइट खनन परियोजना, एम० पी० एस० एम० सी०	—वही—
9.	चिनाकुरी कोयला खान, ई० सी० एल०	—वही—
10.	सागर में रॉक फास्फेट खनन परियोजना, एम० पी० एस० एम० सी०	—वही—
11.	छतरपुर में रॉक फास्फेट खनन, एम० पी० एस० एम० सी०	—वही—
12.	सलादीपुरा फास्फेटिक फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, पी० पी० सी० एल०	—वही—
13.	रामागुंडम खुली खदान-1 परियोजना, एस० सी० सी० एल०	—वही—
14.	काकातिया खानी-1 और 1-ए, एस० सी० सी० एल०	अपेक्षित सूचना न भेजने के कारण
15.	लायो कोलियरी अण्डरग्राउण्ड प्रोजेक्ट, सी० सी० एल०	—वही—
16.	बीना खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०	—वही—
17.	गोविन्द (नया सराकचार) परियोजना, एस० ई० सी० एल०	—वही—
18.	हरीशपुर खुली खदान परियोजना, ई० सी० एल०	—वही—
19.	मूनीडीह परियोजना, बी० सी० सी० एल०	—वही—
20.	शिवपुरी अण्डरग्राउण्ड एक्पैन्सन प्रोजेक्ट, डब्ल्यू० सी० एल०	—वही—
21.	बालगी (नया सराकचार) परियोजना, एस० सी० सी० एल०	—वही—
22.	धेमानमेन ब्लाक (संशोधित) सीतारामपुर क्षेत्र, ई० सी० एल०	—वही—
23.	केडला खुली खदान परियोजना, सी० सी० एल०	—वही—
24.	चिन्नूर 1-ए और 1 इन्कलाइन परियोजना, एस० सी० सी० एल०	—वही—
25.	बाकूलिया अण्डरग्राउण्ड माइन प्रोजेक्ट, ई० सी० एल०	—वही—
26.	गोदावरी खानी संख्या-9, इन्कलाइन, एस० सी० सी० एल०	—वही—
27.	गुजरात हेवी केमिकल्स लिमिटेड का चूना पत्थर खान	—वही—
28.	प्रकाशन खानी संख्या 6 और 7 इन्कलाइन, एस० सी० सी० एल०	—वही—
29.	झरिया ब्लाक-3, बी० सी० सी० एल०	पर्यावरणीय असंगति के कारण

अन्य परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना	नामंजूर किए जाने के कारण
1.	पुरी में यात्री निवास का निर्माण	उच्च ज्वारीय रेखा के 200 मीटर के भीतर निर्माण प्रस्तावित।
2.	गोवा में मजरोदा बीच रेसोर्ट का विस्तार	—वही—
3.	कार्वडीलिम, गोवा में ताज होटल गांव का विस्तार	—वही—
4.	वेंका, गोवा में 5 सितारा बीच रेसोर्ट के निर्माण के लिए डेम्पों प्राइवेट लिमिटेड	90 दिन के अनुबन्धित अवधि के भीतर पर्यावरणीय पैरामीटर से सम्बन्धित सूचना न प्राप्त होने पर
5.	गोवा के कावेलासीम बीच में गोल्डन टेबैको बीच रिसोर्ट	—वही—

विवरण-3

1988 के दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम
1.	टोनुघाट ताप विद्युत केन्द्र चरण-2 (3 × 210 मेगावाट), बिहार।
2.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, दिल्ली का वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम (गैस टर्बाइन) (90 मेघावाट)।
3.	कोटा ताप विद्युत केन्द्र चरण-3 (1 × 210 मेगावाट) राजस्थान।
4.	नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन 1 × 210 मेगावाट का जीरो यूनिट का टी० एस-2 में जोड़ा जाना।
5.	पेंच ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट) मध्य प्रदेश।
6.	बडौदा, गुजरात में गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल विद्युत परियोजना (135 मे० वा०)।
7.	फरीदाबाद हरियाणा में केप्टिव पावर प्लाण्ट (100 मेगावाट)।

जल विद्युत/सिंचाई परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम
1.	गोसी खुर्द सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र ।
2.	राजौरी लघु जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर ।
3.	कालेशामिनी हाइडल स्कीम मदुर ब्रांच, विश्वेश्वरैया केनाल, कर्नाटक ।
4.	देवेनक्वेर हाइडल प्रोजेक्ट, कर्नाटक ।
5.	पंजाब सिंचाई परियोजना (जल मार्ग की लाइनिंग), पंजाब ।
6.	महानदी जलाशय लघु जल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश ।
7.	बेलीमेला उड़ीसा के वर्तमान विद्युत केन्द्र में सातवीं और आठवीं इकाई की स्थापना ।
8.	दातिया सिंचाई नहर, लघु जल विद्युत परियोजना, राजस्थान ।

अन्य परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना का नाम
1.	बरवाला में उर्वरक परियोजना ।
2.	बर्नपुर और मधुकुडा में स्लैग ग्रेनुलेशन प्लाण्ट और सीमेंट ग्राइंडिंग प्लाण्ट ।
3.	अमझोर में फास्फेटिक फर्टिलाइजर प्लाण्ट की स्थापना ।
4.	विजयपुर में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस पुनर्प्राप्ति संयंत्र ।
5.	सालवनी में नया नोट प्रेस ।
6.	अनोला फर्टिलाइजर प्लाण्ट एक्सपेंशन ।
7.	बोंगेगांव रिफाइनरीज एवं पेट्रोकैमिकल्स लि० का संशोधित लागत अनुमान ।
8.	काचर, नौगांव में पेपर प्रोजेक्ट का संशोधित लागत अनुमान ।
9.	रूपनारायणपुर केबल मैनुफैक्चरिंग यूनिट ।
10.	गाडोपान में गैस आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना ।
11.	ऐरोमेटिक्स के उत्पादन का अनुकूलन ।
12.	पी० सी० यू० टी० से पी० आई० जे० एफ० तक 9.0 लाख किलोमीटर केबलों के निर्माण के लिए संरक्षण सुविधाएं स्थापित करना ।
13.	रामागुंडम संयंत्र प्रथम चरण का पुनरूद्धार ।

खनन परियोजनाएं

1. एस० सी० सी० एल० की रामागुंडम खुली खदान परियोजना ।

अन्य परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम
1	2

1. नार्थ ईस्टर्न रीजन टी० वी० कवरेज प्लान ।
2. स्टूडियो उपकरण आदि का स्थानान्तरण ।
3. सातवीं योजना के अन्तर्गत इनसैट के माध्यम से रेडियो नेटवर्किंग ।
4. मनाली, हिमाचल प्रदेश में होली स्कीइंग गतिविधि ।
5. श्री और श्रीमती आई० एम० आई० लेव द्वारा कैण्डोलिय में इणेहा समुद्रतट सैरगाह ।
6. श्री होनरिंगने रोवेल द्वारा कालवा तट पर कुटीर ।
7. रामदा होटल इन्टरनेशनल लिमिटेड, वोरसा बीच, गोवा ।
8. काबलोसिम तट, गोवा में ईस्ट इण्डिया होटल लि० (ओबराय) ।
9. काबलोसिम में आल्कोन रियल इस्टेट प्रा० लि० ।
10. कालनगुट तट, गोवा में डीसौजा का होटल ।
11. कालबा तट, गोवा में होटल ।
12. काबलोसिम तट, गोवा में अवेराइन कोबार इन्टरनेशनल रिजोर्ट ।
13. कान्सोलिम तट, गोवा में कम्फोर्ट रिजेंसी इन ।
14. कालानगुट तट, गोवा में होटल आफ बराटे ।
15. कन्सुलिम तट, गोवा में होटल ।
16. मजरोडा गोवा में मैसर्स स्नेह होटल ।
17. कन्डोलिम तट, गोवा में होटल आफ सिंह ।
18. कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाओं का विस्तार ।
19. सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो कवरेज का विस्तार ।
20. त्रिवेन्द्रम-कोचीन-कालीकट माइक्रोवेव लिंक का मंगलौर तक विस्तार ।
21. एन० एच० 2 के दिल्ली मथुरा अनुभाग में चार लाइनें बिछाना ।
22. दिल्ली में ई० एस० डी०/एन० एस० डी० के लिए नए प्रसारण रेंज की स्थापना ।

1	2

23. तोरास नदी पर एक पुल का निर्माण ।

24. सुन्दरवा क्षेत्र में फ्लोटिंग आवास की स्थापना ।

25. सलेम, तमिलनाडु में प्रस्तावित वायु पत्तन ।

26. तुतीकोरिन, तमिलनाडु के नजदीक वैगेकुलम में प्रस्तावित वायु पत्तन ।

27. नावा सेवा पोर्ट प्रोजेक्ट ।

28. उड़ीसा के कटक जिले में पारादीप में समेकित मत्स्य परियोजना ।

29. विशाखापत्तनम पोर्ट में अन्तः बन्दरगाह में वर्तमान पुराने जेट्टिस डब्ल्यू जे-2 और डब्ल्यू जे-3 को नियमित स्थान के रूप में बदलना ।

30. कलकत्ता पत्तन पर डिब्बों के उपयोग की सुविधाओं का विकास ।

31. विशाखापत्तनम् में प्राकृतिक जलपोताकार सैरगाह केन्द्र की स्थापना ।

32. न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 22.5 टन एच० पी० (प्रत्येक) के तीन नाव हासिल करना ।

33. भू-तल परिवहन मन्त्रालय द्वारा 16000 डी० एम० टी० (प्रत्येक) के दो अमोनिया/एल० पी० जी० कैरियरों का अधिग्रहण ।

34. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के ओर हैण्डलिंग कम्पलेक्स में थर्ड वैगन टिपलर की स्थापना ।

35. तूतीकोरन पोर्ट ट्रस्ट में द्वितीय कोल जेट्टी का निर्माण ।

36. पालम जलाशय को रिज रोड के साथ-साथ पानी की पाइपें बिछाना ।

37. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह वन एवं बागान विकास निगम द्वारा हटवे में रेड पाम आयल संसाधन क्षमता का विस्तार ।

38. पोर्ट ब्लेयर में रनवे का विस्तार ।

39. एयरबस ए-320 एयरक्राफ्टों की खरीद ।

40. बारगेस द्वारा द्रव अमोनिया का परिवहन ।

भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्न की स्टाक स्थिति

71. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1988 और 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास विभिन्न खाद्यान्नों के स्टाक की क्या स्थिति थी;

(ख) वर्ष 1988 के दौरान प्रत्येक खाद्यान्न का अधिकतम और न्यूनतम भंडार कितना था और तत्सम्बन्धी तारीखवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1988 के दौरान कितना खाद्यान्न क्षतिग्रस्त अथवा खाने योग्य नहीं रहा; और

(घ) सुरक्षित खाद्य भंडार की प्रति टन अनुमानित ढुलाई लागत कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1-1-1988 को स्थिति के अनुसार 111.1 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक था जिसमें 58.1 लाख मीटरी टन चावल और 53.0 लाख मीटरी टन गेहूं था। 1-1-1989 को स्थिति के अनुसार 80.5 लाख मीटरी टन स्टाक होने का अनुमान था जिसमें 41.3 लाख मीटरी टन चावल और 39.2 लाख मीटरी टन गेहूं शामिल है।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के पास वर्ष 1988 के दौरान 1-2-1988 की स्थिति के अनुसार चावल का अधिकतम स्टाक 61.5 लाख मीटरी टन था और 1-10-1988 की स्थिति के अनुसार उनके पास 17.2 लाख मीटरी टन का न्यूनतम स्टाक था। भारतीय खाद्य निगम के पास 1-1-1988 की स्थिति के अनुसार 53.0 लाख मीटरी टन गेहूं का अधिकतम स्टाक था जबकि 1-4-1988 की स्थिति के अनुसार उनके पास 25.7 लाख मीटरी टन गेहूं का न्यूनतम स्टाक था।

(ग) मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किए गए खाद्यान्नों की मात्रा का क्षतिग्रस्त स्टाक के रूप में निम्नश्रेणीकरण किया जाता है जिसे बट्टे खाते में नहीं डाला जाता है बल्कि क्षति की मात्रा पर निर्भर करते हुए उसका पशु चारे/मुर्गी दाने के लिए और औद्योगिक इस्तेमाल, खाद आदि के लिए क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के रूप में निपटान किया जाता है।

1987-88 के दौरान 91,000 मीटरी टन खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त के रूप में घोषित किया गया था।

(घ) 1987-88 के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टाक को रखने की एकीकृत लागत 368.30 रु० प्रति मीटरी टन थी और 1988-89 (संशोधित अनुमान) के लिए इसके 586.60 रुपये प्रति मीटरी टन होने का अनुमान हैं।

"इन्दिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण"

72. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर के किनारे की भूमि वृक्षारोपण के लिए कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों/संस्थाओं को सौंप दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वृक्षारोपण के लिए इन्दिरा गांधी नहर के किनारे की भूमि को किसी व्यक्ति/संस्थान को प्रदान करने की स्वीकृति नहीं दी है।

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग का योगदान

73. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में वस्त्र उद्योग का कितना योगदान रहा है; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय सुझाए गए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान मिल क्षेत्र के वस्त्र एंककी की नामावलियों में कामगारों की अनुमानित संख्या तथा हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों में अनुमानित रोजगार का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख में)

	1986	1987	1988
मिल क्षेत्र	12.53	12.05	11.81
हथकरघा क्षेत्र	72.76	82.86	84.22
विद्युत करघा क्षेत्र	31.90	47.05	50.95

(ख) वस्त्र नीति 1985 के ढांचे के अन्तर्गत सरकार ने वस्त्र उद्योग के तीन क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनका प्रभाव यार्न और कपड़े के उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ कुल रोजगार से परिलक्षित होता है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण ढांचे का नवीकरण

74. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा दिल्ली में हाल ही में आयोजित किए गए खाद्य अपमिश्रण-सम्मेलन में राज्यों से भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों और उपभोक्ता के प्रतिनिधियों द्वारा वर्तमान खाद्य अपमिश्रण निवारण ढांचे का नवीकरण करने के सम्बन्ध में एक मत व्यक्त किया गया था;

(ख) क्या इन सिफारिशों की जांच करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए बिना किसी समय सीमा के केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्र और राज्यों में खाद्य अपमिश्रण निवारण के वर्तमान ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे पुनः सक्षम बनाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली में 27 से 28 अक्तूबर, 1988 को आयोजित राष्ट्रीय खाद्य गुणवत्ता आश्वासन और उपभोक्ता भागीदारी सम्मेलन ने खाद्य कानूनों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने की सिफारिश की।

(ख) इन सिफारिशों को अन्तिम रूप देने के लिए एक पांच सदस्यीय समूह का गठन किया गया था। इस समूह में दो गैर-सरकारी सदस्य थे जिनमें से एक सदस्य उपभोक्ता संगठन से था। इस समूह ने पहले ही सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ग) सरकार को पहले ही केन्द्र और राज्यों में खाद्य अपमिश्रण निवारण ढांचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता की जानकारी है।

यमुना विहार, दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाना

75. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के बारे में 2 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना विहार योजना दिल्ली के पाकेट सी-10, सी-11 और सी-12 के साथ अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही में क्या प्रगति हुई है;

(ख) अभी तक हटाये गये अतिक्रमण का पाकेटवार ब्यौरा क्या है और हटाये जाने की तिथियां क्या हैं; और

(ग) क्या अल्पावधि उपाय के रूप में वहां चाहरदीवारी बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति

76. **श्री के० राम चन्द्र रेड्डी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनसंख्या की वृद्धि दर,को 1.9 प्रतिशत तक कम करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है;

(ख) सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में कितनी कमी आई;

(ग) जनसंख्या वृद्धि दर में कमी करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता के लिए कौन-कौन सी रुकावटें जिम्मेवार हैं; और

(घ) जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में योजना के अन्त तक अर्थात् 1990 तक जन्म-दर प्रति हजार 29.1, मृत्यु दर प्रतिहजार 10.4 तक करने की परिकल्पना की गई है और इस प्रकार सहज वृद्धि दर

.87 प्रतिशत होगी। नमूना पंजीयन पद्धति के नवीनतम अनुमानों के अनुसार 1985, 1986 और 1987 में भारत में जनसंख्या की सहज वृद्धि दर क्रमशः 2.11 प्रतिशत, 2.15 प्रतिशत और 2.12 प्रतिशत (अनन्तिम) है। तथापि, यह परिकल्पना की गई है कि सहजवृद्धि दर में सातवीं योजना के बाद के वर्षों में और भी कमी आएगी।

(ग) जन्म-दर की तुलना में मृत्यु दर में भारी कमी के कारण सहज वृद्धि दर प्रायः अधिक रहती है। बहरहाल, जन्म-दर में कम गिरावट के लिए उत्तरदायी कारण हैं : परिवार नियोजन अपनाने वालों की उच्च औसत आयु, शादी के समय कम आयु, सामाजिक धारणाएं, धार्मिक विश्वास, निरक्षरता आदि।

(घ) जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(1) सेवायें प्रदान करने के बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।

(2) कार्यक्रम के ढांचे की दक्षता और कारगरता में सुधार।

(3) जन्म में अन्तर रखने के तरीकों पर बल, विशेष रूप से युवा आयु वर्ग के दम्पतियों के सन्दर्भ में।

(4) कन्या के विरुद्ध भावना को दूर करने के लिए विशेष अभियान।

(5) विवाह के समय न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(6) कम दम्पती सुरक्षा दरों वाले राज्यों पर विशेष ध्यान और शहरी गन्दी बस्तियों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों तथा ग्रामीण निर्धन लोगों पर विशेष ध्यान।

(7) परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों का अधिकाधिक सहयोग।

(8) स्वीकारकर्ताओं को मुआवजा और प्रेरकों को प्रोत्साहन का भुगतान।

(9) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य तथा रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों को गठन करना।

(10) सूचना, शिक्षा और संचार घटकों को सुदृढ़ करना।

(11) स्थानीय समुदायों आदि का और अधिक सहयोग लेना।

"कावेरी नदी सफाई योजना"

77. **श्री जी० एस० बासवराजू :**
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कावेरी नदी की सफाई के लिए पर्यावरण समिति मद्रास द्वारा बनाई गई एक योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, तमिलनाडु सरकार से हाल ही में कावेरी नदी बेसिन के पर्यावरणीय सुधार पर एक परियोजना की योजना प्राप्त हुई है।

(ख) योजना की मुख्य विशेषताओं में कावेरी नदी, उसकी सहायक नदियों तथा कावेरी बेसिन के अन्य जल स्रोतों में अपशिष्ट के उपचार और उसके निपटान की सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) इस प्रस्ताव पर गंगा कार्य योजना के अनुभव के आधार पर और निधियों के उपलब्ध होने पर ही यथासमय विचार किया जा सकता है।

"महाराष्ट्र में खतरनाक उद्योग"

78: **श्री जी० एस० वासवराजू** :
श्री शांति लाल पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे खतरनाक औद्योगिक एकक चल रहे हैं जो पर्यावरण सम्बन्धी विधियों का पालन नहीं कर रहे;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। विभिन्न उद्योगों के विरुद्ध आम शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वस्त्र नीति में संशोधन के लिए ज्ञापन

79. **श्री जी० एस० वासवराजू** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे मुख्य कपास उत्पादक राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से वस्त्र नीति में संशोधन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) वस्त्र नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा जो समिति नियुक्त की गई है, वह कपास के उपजकर्त्ताओं सहित इस उद्योग के विभिन्न हितबद्ध क्षेत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखेगी।

आवास मंत्रियों का सम्मेलन

80. **श्री जी० एस० बासवराजू :**
श्री एस० एम० गुरुडी :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1988 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आवास मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार किया गया उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सम्मेलन में दिए गए सुझावों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्मेलन में आवास वित्त पद्धति, रेहन बाजार, आवास के लिए भूमि और मूलभूत सुविधाएं तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीय आवास नीति के संदर्भ में तैयार की जाने वाली संदर्भ कार्य योजनाओं पर विचार किया गया।

(ग) इस सम्मेलन में पारित किए गए संकल्पों को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और सम्बन्धित नियन्त्रण विभागों को कार्यान्वयनार्थ प्रेषित किए गए हैं।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को नागपुर स्थानान्तरित करना

81. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **शहरी विकास मंत्री** केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को नागपुर स्थानान्तरित करने के बारे में 16 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार के 23 मन्त्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना प्राप्त हो चुकी है तथा प्राप्त उत्तरों के आधार पर 16-11-88 को अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के लिए दिए गए आश्वासन को 17-2-89 के चरण में पूर्ण कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षित ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सरकार के शेष मन्त्रालयों/विभागों की सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उचित दर दुकानों में चावल और गेहूं की उपलब्धता

82. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी की उचित दर दुकानों को चावल और गेहूं का पूरा कोटा नहीं मिल रहा है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए महीने में इन दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजधानी में उचित दर दुकानों में गेहूं और चावल अपेक्षित मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) दिल्ली में कुल मिलाकर उचित दर की दुकानों में विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हैं। तथापि कुछ मामलों में, परिचालन सम्बन्धी समस्याओं के कारण, उचित दर की दुकानों को विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की सुपुर्दगी में अवश्य विलम्ब हो जाता है। स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक होता है, उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

शहरी जनपरिवहन साधन

83. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** :
प्रो० रामकृष्ण भोरे :
डा० कृपासिंधु भोई :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय महानगरों में शहरी जनपरिवहन साधनों के सम्बन्ध में एक उच्चस्तरीय भारतीय शिष्टमण्डल ने जनवरी, 1989 के दौरान कनाडा सरकार से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या तकनीकी और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) जी, हां। कनाडा के परिवहन मन्त्री की अध्यक्षता में 1988 में कनाडा के शिष्टमण्डल के दौरे के अनुसरण में, भारत में सम्भाव्य परिवहन प्रणाली लागू करने के लिए कनाडा की शहरी परिवहन पद्धतियों के अध्ययनार्थ उक्त देश में प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व करने के लिए शहरी विकास मन्त्री को कनाडा सरकार द्वारा एक निमन्त्रण दिया गया था। दौरे के दौरान कनाडा सरकार के साथ कोई औपचारिक करार नहीं किया गया।

सुपर बाजार में "क्रेडिट कार्ड" योजना

84. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार का अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लागू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) सिंडीकेट बैंक ने सुपर बाजार से क्रेडिट कार्ड प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है, जिसका सुपर बाजार के अधिकारी अभी अध्ययन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सिंडीकेट बैंक द्वारा 1967 की अन्तिम तिमाही से 1973 के प्रारम्भिक काल के बीच सुपर बाजार के लिए कूपन प्रणाली के नाम से एक प्रणाली चलाई थी।

खाद्यान्न भंडार की स्थिति

85. **डा० दत्ता सामन्त :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी एजेंसियों के पास दिसम्बर, 1988 के अन्त में कितनी मात्रा में खाद्यान्न-भंडार था;

(ख) मार्च, 1989 तक खाद्यान्न की कितनी मात्रा में खरीद होने की आशा है; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान अनुमानतः कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के खाद्यान्नों का आयात किया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) पहली जनवरी, 1989 को स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास 94.8 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान है।

(ख) यद्यपि दिसम्बर, 1988 के अन्त से मार्च, 1989 के अन्त तक गेहूं की कोई वसूली होने की सम्भावना नहीं है, तथापि, इस अवधि के दौरान 30 लाख मीटरी टन के आसपास चावल की वसूली होने की उम्मीद है।

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 323.93 मिलियन अमरीकी डालर के लागत और भाड़ा मूल्य का 20.11 लाख मीटरी टन गेहूं और लगभग 185.51 मिलियन अमरीकी डालर के लागत और भाड़ा मूल्य का 6.84 लाख मीटरी टन चावल का आयात किया गया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष और पद्धति में परिवर्तन का औचित्य

86. **डा० दत्ता सामन्त :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना का आधार वर्ष 1960 से बदल कर 1982 करने तथा गणना की पद्धति में परिवर्तन करने के लिए क्या कारण हैं;

(ख) इस सूचकांक की संगणना में विभिन्न वस्तुओं के मामले में लागू किये गये परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परिवर्तनों का मौजूदा मूल्य सूचकांक की तुलना में भविष्य में मूल्य सूचकांक के वृद्धि की दरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) आधार वर्ष के रूप में 1960 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 1958-59 के दौरान किए गए परिवार रहन सहन सर्वेक्षण और 50 केन्द्रों में चुने हुए बाजारों से एकत्र किए गए खुदरा मूल्यों के परिणामों पर आधारित था। समय बीतने के साथ 1960 का उपभोक्ता व्यय ढांचा पुराना पड़ गया था। इसलिए आधार वर्ष में परिवर्तन करने को वांछनीय समझा गया था ताकि यह वास्तविक व्यय ढांचे को अधिक निकटता से प्रतिबिंबित करे। परिवार आय एवं व्यय सर्वेक्षण 1981-82 में 70 चुने हुए केन्द्रों में किया गया था। परिवार व्यय के वास्तविक ढांचे में इस सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित परिवर्तनों को प्रकट किया गया है :

मुख्य ग्रुप	वेटेज	
	1960 शृंखला %	1982 शृंखला %
(i) खाद्य	60.92	57.00
(ii) पान, सुपारी, तम्बाकू तथा मादक द्रव्य	4.79	3.15
(iii) ईंधन एवं प्रकाश	5.77	6.28
(iv) आवास	6.26	8.67
(v) वस्त्र, बिस्तरे एवं जूते	8.54	8.54
(vi) विविध	13.72	16.36
कुल :	100.00	100.00

(ग) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की दोनों शृंखलाएं एक दूसरे से सामग्री के बारे में भिन्नताएं रखती हैं और ऐसी कोई तुलना वैध नहीं होगी।

एड्स अनुसंधान पर किया गया व्यय

87. **डा० वत्सा सामन्त :**
श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा एड्स अनुसंधान पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अभी तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को विश्व स्वास्थ्य

संगठन के माध्यम से निगरानी केन्द्रों के लिए किटें और उपकरण खरीदने के लिए 174.50 लाख रुपये दिए हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने एड्स सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के लिए लगभग 9.5 लाख रुपये सीरो सर्वेलैंस के लिए 60 लाख, वायरस को अलग करने के कार्य के लिए पी-3 सुविधाओं की स्थापना के लिए 35 लाख और एड्स अनुसंधान और नियन्त्रण केन्द्र की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए हैं।

(ख) किए गए अनुसंधान कार्य के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य इतरलिंगकामी असंयमी व्यक्तियों सुधारालयों में रखी गई वेश्याओं, रक्त-दाताओं आदि जैसे अधिक जोखिम वाले समूहों में एच० आई० वी० संक्रमण होने के बारे में स्पष्ट तसवीर उभर रही है। 31 जनवरी, 1989 तक कुल 2,09,825 व्यक्तियों की जांच की गई है और 2764 को एच० आई० वी० संक्रमण की दृष्टि से सीरोपाजिटिव पाया गया है। एड्स रोग भारतीय और 11 विदेशी व्यक्तियों में पाया गया है। 40 सर्वेलैंस केन्द्रों को अब ब्लड बैंकों के लिए रक्तदाताओं की जांच करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री

89. **श्री शांतिलाल पटेल :**
श्री एस० एम० गुरुडी :

क्या खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की सम्भावना का पता लगाने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आम खपत की और अधिक वस्तुएं सप्लाई करने पर विचार करें। इस तरह से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाना है और उनके वितरण का पूरा प्रबन्ध उन्हीं के द्वारा किया जाना है। अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध की जाने वाली वस्तुओं के अलावा, उचित दर की दुकानों के जरिए दालों, मोटे अनाज, जनता कपड़ा, चाय, नमक, दियासलाई, साबुन आदि की आपूर्ति करने की व्यवस्था की है।

कपास का निर्यात

90. **श्री शांतिलाल पटेल :**
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या जनवरी से अक्तूबर, 1988 के दौरान कपास का निर्यात वर्ष 1988 की इसी अवधि के दौरान हुए निर्यात से कम है;

(ख) यदि हां, तो माहवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1988-89 के दौरान अब तक कपास का कुल कितना निर्यात हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चालू रुई वर्ष 1988-89 के दौरान बंगाल देशी की 51,241 गांठों की मात्रा निर्यात के लिए रिलीज की जा चुकी हैं। चालू रुई वर्ष के दौरान, इस सम्पूर्ण मात्रा के निर्यात कर दिए जाने की उम्मीद है।

विवरण

(मात्रा लाख गांठों में)

महीना	स्टेपल रुई	बंगाल देशी
1987		
जनवरी	1.07	0.05
फरवरी	1.55	0.03
मार्च	3.09	0.14
अप्रैल	0.90	—
मई	0.90	—
जून	0.49	0.06
जुलाई	0.25	0.10
अगस्त	1.14	0.20
सितम्बर	शून्य	शून्य
अक्तूबर	शून्य	शून्य

घरेलू उपलब्धता और कीमतों को देखते हुए रुई वर्ष 1987-88 के दौरान स्टेपल रुई का निर्यात स्थगित रहा। केवल बंगाल देशी की 5000 गांठों का कोटा निर्यात के लिए रिलीज किया गया।

एड्स के जवाणुयुक्त इन्जेक्शन पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दहशत

91. **श्री के० एस० राव :**
श्री शरद दिघे :
श्रीमती गीता मुखर्जी:
श्री सुरेश कुरूप :
डा० ए० के० पटेल :
श्री सैफुद्दीन चौधरी :
श्री काली प्रसाद पांडेय :
डा० सुधीर राय :
श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इम्यूनोग्लोबुलिन इन्जेक्शनों के दो नमूनों की जांच के दौरान उनमें एड्स रोग के जीवाणु पाए गए थे जिसके फलस्वरूप चिकित्सकों में व्यापक चिंता और दहशत फैल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने रोगियों को परेशानियों से बचाने के लिए और दूषित इंजेक्शनों का इस्तेमाल को रोकने और बाजार से इन इन्जेक्शनों का स्टाक वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इन इन्जेक्शनों के निर्माता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मैसर्ज भारत सीरम एण्ड वैक्सीन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई द्वारा सप्लाई किए गए इन्जेक्शन एंटी-डी के दो नमूनों पर एलिसा तथा वैस्टर्न ब्लाट द्वारा 23-1-1989 को स्वतः एच० आई० वी० एंटीबाडी परीक्षण किए और दोनों ही परीक्षणों में वे एंटनी-बाडीज के पाजिटिव पाए गए। किंतु जब इन नमूनों में वायरल एन्टीजन की विद्यमानता का पता लगाने के लिए जांच की गई तो उनके निगेटिव परिणाम निकले।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से 23-1-1989 को सूचना मिलने पर औषध नियन्त्रक, भारत ने महाराष्ट्र के खाद्य और औषध प्रशासन आयुक्त को निदेश दिया कि वे मैसर्स भारत सीरम एण्ड वैक्सीन, बम्बई द्वारा किए जाने वाले उत्पादन तथा उसका वितरण बन्द कर दें, वितरित स्टाक को जब्त कर लें तथा निर्माण प्रक्रिया की तुरन्त जांच करायें। उन्होंने तत्काल आवश्यक उपचारी कार्रवाई शुरू कर दी है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से भी कहा गया है कि वे इस समस्या के तकनीकी आयामों की जांच करें।

के० आर० मिल्स, मैसूर का बन्द होना

92. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि के० आर० मिल्स, मैसूर को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उपर्युक्त रुग्ण मिल का कार्यभार अपने हाथ मे लेने और गरीब जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का उपर्युक्त मिल को खोलने के लिए कोइ कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां ।

(ख) के० आर० मिल्स, मैसूर दिनांक 6-6-1984 से बन्द पड़ी है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) के० आर० मिल्स, मैसूर का मामला इस समय औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास है । औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और सरकार इस मामले में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दे सकती ।

पटरी पर रहने वालों का पुनर्वास

93. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर शहर में पटरी पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है तथा इसे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पटरी पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु अन्य किन-किन राज्यों ने वित्तीय सहायता मांगी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) महानगरीय शहरों में पटरियों पर रहने वालों के पुनर्वास के लिए अब तक पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश राज्यों ने वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 से छूट

94. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर का दक्षिण क्षेत्रीय स्टेशन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या इस संस्थान को औद्योगिक विवाद अधिनियम से छूट देने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह बिना किसी बाधा के अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्य कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा संशोधित "उद्योग" शब्द की परिभाषा में अन्यों के साथ शैक्षिक, वैज्ञानिक, अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थानों को छोड़ दिया गया है, जो इस तरह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के सीमाक्षेत्र से बाहर हो जाएंगे । तथापि, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के सीमाक्षेत्र से बाहर किए जाने वाले संस्थानों तथा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए किसी वैकल्पिक तन्त्र के अभाव में, "उद्योग" शब्द की संशोधित परिभाषा को अभी तक लागू नहीं किया गया है । "अस्पताल और अन्य संस्थान (कर्मचारियों की शिकायत निवारण) विधेयक" नामक विधेयक 10 दिसम्बर, 1987 को राज्य सभा में पेश किया गया तथा इसने इस विधेयक को 28 अप्रैल, 1988 को पारित कर दिया । इस विधेयक में अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्थानों सहित कतिपय संस्थानों में कर्मचारियों की शिकायत निवारण की व्यवस्था की गई है । तथापि, यह विधेयक अभी लोक सभा द्वारा पारित किया जाना है । उपर्युक्त अस्पताल विधेयक अधिनियम बन जाने पर "उद्योग" शब्द की संशोधित परिभाषा को लागू करने के लिए कदम उठाये जायेंगे ।

खाद्यान्नों की हानि

[हिन्दी]

95. **श्री दिनेश गोस्वामी** :
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :
डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान वर्ष-वार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न के भण्डारण, परिवहन और वितरण में क्रमशः कितनी हानि हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : वर्ष 1987-88 के लिए भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की मार्गस्थ और भण्डारण हानियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

वर्ष	मात्रा (खरीद जमा बिक्री)	हानि	खरीद+बिक्री के प्रति हानि की प्रतिशतता
1987-88	407.00	7.01	1.72

वर्ष 1988-89 के लिए मार्गस्थ और भण्डारण हानियों का पता वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद चलेगा ।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

96. **श्री विनेश गोस्वामी :**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :
श्री काली प्रसाद पांडेय :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेची जा रही चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य तेल इत्यादि जैसा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में पिछले कुछ महीनों के दौरान वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो माह-वार तथा वस्तु-वार वृद्धि का ब्यौरा क्या है तथा कितनी वृद्धि की गई है;

(ग) इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को प्रतिवर्ष कितना लाभ होगा;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस मूल्य वृद्धि को लागू न करने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई किए जाने वाले गेहूं, चावल, आयातित खाद्य तेलों तथा लेवी चीनी के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 1988-89 के दौरान किए गए संशोधन से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :—

गेहूं : कोई संशोधन नहीं।

चावल : चावल के मूल्य में 25-1-1989 से निम्नवत संशोधन किया गया है :—

	सार्वजनिक वितरण के माध्यम से आपूर्ति	समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के माध्यम से आपूर्ति
	(दर रु० प्रति क्विंटल)	
कामन	239.00 से 244.00	160.00 से 194.00
फाइन	264.00 से 304.00	183.00 से 254.00
सुपर फाइन	279.00 से 325.00	198.00 से 275.00

चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में वृद्धि, किसानों को 1988-89 के खरीफ मौसम में देय धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण करनी पड़ी। गेहूं तथा चावल के वास्तविक निर्गम मूल्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नियत किए जाते हैं और ये अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं। समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम योजना के जरिए सप्लाई किए जाने वाले गेहूं तथा चावल का वास्तविक उपभोक्ता मूल्य, केन्द्रीय निर्गम मूल्य में 25 रु० प्रति क्विंटल का मार्जिन जोड़ करके नियत किया जाता है।

केन्द्रीय निर्गम मूल्य के तहत समूची आर्थिक लागत नहीं आती हैं और केन्द्रीय सरकार को इसके लिए भारी वित्तीय राजसहायता देनी पड़ती है।

आयातित खाद्य तेल

आयातित खाद्य तेलों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में 1-9-88 से निम्नवत संशोधन किए गए हैं :—

रु० प्रति मी० टन

थोक में आपूर्ति	11000% से 13150
टीनों में आपूर्ति	12500% से 14500

आयातित खाद्य तेलों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य समय-समय पर पुनरीक्षित तथा संशोधित किए जाते हैं। ऐसा करते समय विभिन्न सम्बन्धित बातों, जैसे आयातित खाद्य तेल के मूल्य, सरकार द्वारा तिलहनों के निर्धारित समर्थन मूल्य आदि को ध्यान में रखा जाता है।

चीनी : लेवी चीनी के खुदरा मूल्य 1-1-1989 से 5.10 रु० प्रति कि० ग्रा० से संशोधित कर 5.25 रु० प्रति कि० ग्रा० कर दिया गया है। यह वृद्धि, 1988-89 के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि के कारण की गई है। लेवी चीनी का अन्तिम खुदरा मूल्य सारे देश में एक समान है।

खाद्य तेलों का आयात

97. **श्री दिनेश गोस्वामी** :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात किया गया है;

(ख) विदेशों से खाद्य तेलों की कितनी मात्रा के आयात के लिए समझौते किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1988 के दौरान खरीफ की भारी फसल को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों के आयात के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31-1-1989 तक खाद्य तेलों की लगभग 11 लाख मी० टन मात्रा का आयात किया गया था।

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान 7.77 लाख मी० टन के आयात का करार किया गया है।

(ग) 1988 के दौरान खरीफ की भारी फसल को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों के आयात में उचित रूप से कमी की गई है।

पंजाब में डाक्टरों द्वारा हड़ताल

98. **श्री दिनेश गोस्वामी :**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1989 से अपनी मांगों के समर्थन में पंजाब में डाक्टर हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों के डाक्टरों ने भी अपनी मांगों को अभी तक स्वीकार न किए जाने के कारण रोष व्यक्त किया है तथा हड़ताल करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार के ध्यान में लाया गया है कि पंजाब में सरकारी डाक्टर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी निम्नलिखित मांगें हैं :—

(1) प्रैक्टिस बन्दी भत्ते को वेतन का भाग माना जाए।

(2) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के पैटर्न पर संवर्ग समीक्षा और समय परक पदोन्नति।

(3) प्रैक्टिस बंदी भत्ते के रूप में मूल वेतन का 50%।

(4) यातायात भत्ता और अन्य भत्ते केन्द्रीय पैटर्न पर।

(5) ग्रामीण स्वास्थ्य भत्ते में वृद्धि।

(6) सभी ग्रामीण डाक्टरों के लिए मकान किराया। इसे राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) राज्य सरकारें अपने वित्तीय संसाधनों और अन्य कारणों को देखते हुए डाक्टरों समेत अपने कर्मचारियों का वेतन ढांचा निर्धारित करती हैं। राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई स्कीम नहीं है।

दिल्ली विकास प्रधिकरण द्वारा मकानों/प्लाटों के लिए नया पंजीकरण

99. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले कई वर्षों से मकानों/प्लाटों के आवंटन का पंजीकरण बंद किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या सरकार नया पंजीकरण आरम्भ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब से आरम्भ करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1985 ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उचित दर की दुकानों/मिट्टी के तेल डिपो के मालिकों को दिया जाने वाला कमीशन

[अनुवाद]

100. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर की दुकानों/मिट्टी के तेल डिपो के मालिकों को दिया जाने वाला कमीशन बहुत कम है और क्या इस कारण उनमें असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) उनके कमीशन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) दिया जाने वाला कमीशन बहुत कम नहीं समझा जाता है। उचित दर दुकान कल्याण संघ (फेयर प्राइस शॉप, वेल्फेयर एसोसिएशन) ने हाल ही में प्रशासन को अभ्यावेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि उचित दर की दुकानों को चलाने की प्रशासनिक लागत में हुई वृद्धि तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं के निर्गम मूल्य में की गई वृद्धि के कारण लाभ के मार्जिन में आई कमी को ध्यान में रखते हुए दिए जाने वाले लाभ के मार्जिन में वृद्धि की जाए तथा उसे प्रतिशत आधार पर नियत किया जाए। कमीशन में जब भी आवश्यक समझा जाता है संशोधन किया जाता है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को रेजीडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन

101. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली की रेजीडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन ने दिनांक 10 जनवरी, 1989 को उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) रेजीडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएशन ने निम्नलिखित मांगें रखी हैं :—

(i) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के आधार पर कनिष्ठ डाक्टरों को प्रैक्टिस-बंदी भत्ता बढ़ाकर 500 रु० करना।

(ii) प्रैक्टिस बन्दी भत्ते पर महंगाई भत्ता दिया जाना।

(iii) अन्य सम्बन्धित सरकारी डाक्टरों को अनुज्ञेय आकस्मिक भत्ता।

(iv) 1 जनवरी, 1986 से उपर्युक्त की बकाया राशि का भुगतान।

(ग) उचित विचार-विमर्श के बाद सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

किडनीस्टोन-सर्जन्स अपोज मशीन इम्पोर्ट्स शीर्षक से समाचार

102. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 दिसम्बर, 1988 के "दि हिन्दू" में "किडनी स्टोन सर्जन्स अपोज मशीन इम्पोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) गुर्दा पथरी का बिना सर्जरी के इलाज के लिए लिथोटिप्सी मशीनों के निःशुल्क आयात एवं प्रयोग के विरुद्ध वरिष्ठ सर्जनों द्वारा व्यक्त की गई शंका पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) इस उपकरण को सीमा शुल्क छूट की रियायत के लिए आयात-निर्यात नीति 1988-91 के परिशिष्ट-6, सूची-11 ओपन जनरल लाइसेंस तथा 1-3-1988 की अधिसूचना संख्या 65/88-कस, में दी गई सूची के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खैराती तथा अर्ध-खैराती संगठनों को विशेषज्ञ समिति जिसमें यूरोलॉजिस्ट/नेफ्रोलॉजिस्ट एक सदस्य के रूप में शामिल होता है, की मंजूरी से इस मद पर सीमा शुल्क से शत-प्रतिशत छूट दी जाती है।

अभी तक हमें किसी रोगी, अथवा किसी शल्य चिकित्सा या नेफोलॉजिस्ट से कोई शिकायत नहीं मिली है। केन्द्र सरकार के किसी भी अस्पताल में लिथोट्रिप्सी मशीन नहीं है। अखिल भारतीय आयु-विज्ञान संस्थान एक मशीन प्राप्त करने वाला ही है।

"इमारती लकड़ी का आयात"

[हिन्दी]

103. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में तथा किन-किन देशों से इमारती लकड़ी का आयात किया जाएगा; और

(ख) क्या इमारती लकड़ी का पहले भी आयात किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वनों के संरक्षण के लिए इमारती लकड़ी के आयात को उदार बनाया गया है और यह खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुज्ञेय है। चालू वर्ष में 200 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की लगभग एक मीलियन घन मीटर इमारती लकड़ी के आयात किए जाने का अनुमान है। जिन देशों से इमारती लकड़ी का आयात किया जा रहा है, उनमें से कुछ सोवियत रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, बर्मा, थाईलैण्ड, ब्राजील, पापुआ न्यू गिनी आदि हैं।

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में आयात की गई इमारती लकड़ी की मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा	राशि
	(घन मी० में)	(करोड़ रुपए में)
1984-85	19,122.15	3.81
1985-86	2,19,506.01	37.46
1986-87	8,44,297.02	136.35

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे

104. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यह सही है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण में वृद्धि हो रही है। तथापि, जब कभी भी सार्वजनिक भूमि पर किसी अतिक्रमण का पता चलता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन्हें हटाने के आवश्यक आदेश जारी किए जाते हैं। दिल्ली प्रशासन ने अतिक्रमणों की रोकथाम के लिए पहले ही पुलिस विभाग को अनुदेश जारी

किए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी सुरक्षा गार्डों, पटवारियों और कनिष्ठ इंजीनियरों को अतिक्रमणों की रोकथाम करने के लिए अनुदेश जारी किए है और अतिक्रमण पर दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। खाली भूमि पर तारों की बाढ़ लगाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) चलता-फिरता मकान गिराऊ दस्ते के माध्यम से नये अतिक्रमण को गिराना।

(2) क्षेत्रीय योजना के अनुसार खाली भूमि के उपयोग के लिए विकास योजनाएं तैयार करना ताकि भूमि पर अतिक्रमण न हो सके।

(3) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (जैसाकि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू है) और लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक भूमि के जबरदस्ती कब्जे को संज्ञेय अपराध माना गया है, के संशोधित उपबन्धों के अन्तर्गत मुकदमा चलना।

वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्रमशः 817 और 1414 अतिक्रमणों को हटाया गया है।

आंध्र प्रदेश को पामोलीन आयल की सप्लाई

[अनुवाद]

105. **श्री सी० सम्बु :**
श्री मानिक रेड्डी :
श्री जी० भूपति :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को "पामोलीन आयल" की आवश्यकतानुसार पूर्णतः सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कम सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले चार महीनों के दौरान राज्य द्वारा पामोलीन आयल की कितनी मात्रा की मांग की गई तथा इसकी कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल, जिसमें पामोलीन शामिल है, का आबंटन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग, खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता, राज्य व्यापार निगम के पास तेल के स्टाक तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आयातित खाद्य तेलों का आबंटन किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची मांग को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि खुले बाजार में उपलब्ध देशीय खाद्य तेलों की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा तेल वर्ष 1988-89 (नवम्बर-अक्तूबर) के लिए की गई 17,000 मी० टन की मासिक औसत मांग की तुलना में राज्य को आयातित खाद्य तेलों (पामोलीन

तेल सहित) की आबंटित की गई उनके द्वारा उठाई गई/मात्रा नीचे दी गई है :—

महीना	आबंटन	उठाई गई मात्रा
अक्तूबर, 88	9,000 मी० टन	2,185 मी० टन
नवम्बर, 88	8,000 मी० टन	4,795 मी० टन
दिसम्बर, 88	2,800 मी० टन	2,656 मी० टन
जनवरी, 89	2,800 मी० टन	4,748 मी० टन
फरवरी, 89	2,800 मी० टन	आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं

"परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी"

106. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए उनके मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई विभिन्न तकनीकी समितियों और राज्यों तथा संगठनों से प्राप्त आवेदनों की जांच के लिए बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरण और वन कानूनों द्वारा जारी किए गए और मंत्रालय मार्ग निर्देशों के उल्लंघन पर निगरानी रखने के लिए यदि इस सम्बन्ध में कोई समितियां स्थापित की गई हैं तो उनका क्या ब्यौरा है; और

(घ) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं, पन, तापीय और परमाणु बिजली, सहित उन परियोजनाओं के नाम और ब्यौरा क्या हैं जिनके 1986-87, 1987-88, और 1988-89 के दौरान मामले निपटाए और जिन्हें स्वीकृति प्रदान की गई, उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिसमें शर्तें लगाई गई हैं और प्रत्येक मामले में जिन विशेष मानदण्डों के अन्तर्गत मंजूरी दी गई है उनका और केन्द्रीय सरकार के पास इस समय लंबित पड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जिन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अपेक्षित है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

— बड़ी सिंचाई और बहु-उद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं;

— सभी हाइडल, थर्मल और परमाणु विद्युत परियोजनाएं;

— खनन परियोजनाएं (सरकारी क्षेत्र);

— औद्योगिक परियोजनाएं; और

— पत्तन, बन्दरगाह; समुद्र तटीय सैरगाह।

(ख) नदी घाटी, खनन, थर्मल पावर और औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की चार मूल्यांकन समितियां हैं। समितियों का गठन संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। समितियों द्वारा पालन किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सारांश संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) बड़ी परियोजनाओं को अनुमोदित करते समय परियोजना प्राधिकारियों द्वारा निगरानी समिति का गठन करने की एक शर्त लगाई जाती है ताकि लगाई गई शर्तों और सुरक्षा उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। शिलांग, कलकत्ता, लखनऊ, चण्डीगढ़, भोपाल और बंगलौर के छः क्षेत्रीय कार्यालय भी पर्यावरणीय मंजूरी देते समय निर्धारित शर्तों और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हैं।

(घ) ब्यौरों के विस्तृत होने के कारण इनका संकलन किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

विवरण-1

1. नदी घाटी परियोजनाओं और पन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का गठन (अनुबंध-1)

2. खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का गठन (अनुबंध-2)

3. थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का गठन (अनुबंध-3)

4. औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का गठन (अनुबंध 4)

अनुबन्ध-1

नदी घाटी और पन विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का गठन

1. प्रो० दिनेश मोहन आर० 1/19, राजनगर, गाजियाबाद	अध्यक्ष
2. प्रो० एम० सी० चतुर्वेदी, जल संसाधन प्रबन्ध और आयोजना आई० आई० टी०, दिल्ली	सदस्य
3. डा० डी० आर० भुम्बला, ग्राम-पालनगर, डा० सी० एस० एस० आर० आई०, करनाल	सदस्य
4. प्रो० वीरेन्द्र कुमार, वनस्पति विभाग, ज़ाकिर हुसैन कालेज, दिल्ली	सदस्य

5. श्री वी० एस० भवानी शंकर,
5 एच० मल्टी स्टोरी फ्लैट,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 सदस्य

6. श्री एम० ए० रशीद,
केतन अपार्टमेंट, फ्लैट न० 103
फतेहगंज कैम्प
बड़ौदा-390002 सदस्य

7. डा० आर० एस० परोदा, निदेशक नेशनल ब्यूरो आफ० प्लांट जेनेटिक रिसोरसेस पूसा, दिल्ली सदस्य

8. डा० एस० मुदगल, निदेशक
पर्यावरण और वन मन्त्रालय, नई दिल्ली सदस्य

10. डा० (श्रीमती) नलिनी भट्ट, सदस्य-सचिव
पर्यावरण अधिकारी
पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली

स्थाई आमंत्रित

1. केन्द्रीय जल आलोग, जल संसाधन मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के प्रतिनिधि ।

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली के प्रतिनिधि ।

3. संयुक्त सलाहकार (आई० एण्ड सी० ए० डी०)
योजना आयोग, नई दिल्ली ।

2. समिति के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(1) सी० डब्ल्यू० सी०/सी० ई० ए० राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नदी घाटी परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आरम्भ करना;

(2) की गई छानबीन के आधार पर सुरक्षा उपायों के साथ या उनके बगैर यदि व्यवहार्य हो तो प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परियोजनाओं को मंजूरी देने या नामंजूर करने की सिफारिश करना; और

(3) सुझाए गए सुरक्षा उपायों के अनुपालन की निगरानी करना ।

अनुबन्ध-2

खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन	
1. श्री ए० एन० बनर्जी, एम-155, ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली	अध्यक्ष

2.	प्रो० जी० एस० मारवाह, 505, बैरमजी टाउन, नागपुर	सदस्य
3.	श्री वी सी० वर्मा, महानिदेशक, खान सुरक्षा, धनबाद	सदस्य
4.	श्री सी० एस० चन्द्रशेखर ई-255, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री पारितोष त्यागी, अध्यक्ष, जल प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण का केन्द्रीय बार्ड, स्काईलार्क, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	सदस्य
6.	प्रो० बी० बी० धर, खनन इन्जीनियरिंग विभाग प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य
7.	डा० बी० सिंह, निदेशक, केन्द्रीय खनन अनुसंधान, संस्थान, धनबाद	सदस्य
8.	डा० सी० आर० बाबू, वनस्पति विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
9.	श्री एम० पाराब्रह्मम, निदेशक, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
10.	श्री० आर० मेहता, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग नई दिल्ली	सदस्य सचिव

स्थाई आमंत्रित

1. कोयला विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली का प्रतिनिधि।

2. खान विभाग, इस्पात और खान विभाग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।

3. इस्पात विभाग, इस्पात और खनन मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।

4. संयुक्त सलाहकार (कोयला), योजना आयोग,
योजना भवन, नई दिल्ली का प्रतिनिधि ।

5. संयुक्त सलाहकार (खनिज) योजना आयोग
योजना भवन, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि ।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) मंत्रालय को भेजे गए खनन परियोजनाओं की जांच करने और सुझाए गए सुरक्षा उपायों के साथ या उनके बगैर उनकी पर्यावरणीय प्रभावों की सम्भाव्यता के आधार पर उन्हें मंजूर या नामंजूर करना ।

(2) अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सूची सहित शमन उपाय और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय सुझाना ।

(3) नई खनन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना की पुनरीक्षा और विश्लेषण करना ।

(4) उपयुक्त निगरानी प्रक्रिया के जरिये यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन ठीक से किया जा रहा है ।

अनुबन्ध-3

ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन

1. श्री एस० के० राय, — अध्यक्ष
बी-90, डिफेंस कालोनी,
नई दिल्ली-110024

2. प्रो० जे० एम० दबे, — सदस्य
स्कूल आफ इन्वायरमेंटल साइन्स
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

3. डा० एस० रमेश,
टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान,
नई दिल्ली-110024

4. प्रो० एम० के सरकार, सदस्य
रसायन इंजीनियरिंग विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
नई दिल्ली-110016

5. डा० पी० एन० विश्वनाथन, सदस्य
सहायक निदेशक
औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र,
लखनऊ

6. श्री एस० सी० शर्मा, सदस्य
निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
मौसम भवन, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003

7. डा० बी० सेनगुप्ता, सदस्य
जल प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण का
केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली

8. श्री एम० पाराब्रह्मम सदस्य
निदेशक, पर्यावरण, वन और
वन्यजीव विभाग, नई दिल्ली

9. डा० बी० पदमनाभमूर्ति, सदस्य
जवाहर लाल नेहरू
विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

10. डा० जी० के० पांडे सदस्य-सचिव
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग,
नई दिल्ली-110003

स्थाई आमंत्रित

1. श्री बी० पी० सी० सिन्हा, चीफ हाइड्रोलोजिस्ट
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, नई दिल्ली ।

2. श्री एम० एस० एस० शास्त्री, निदेशक,
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन
आर० के० पुरम, नई दिल्ली ।

3. कोयला विभाग का प्रतिनिधि ।

4. सम्बन्धित राज्य विद्युत बोर्ड/परियोजना प्राधिकरणों का प्रतिनिधि ।

5. सम्बन्धित राज्यों के प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का प्रतिनिधि ।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(1) सम्भावित पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से भारत सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा भेजे गए परियोजना प्रस्तावों की छानबीन करना और ऐसे प्रभावों को कम करने के लिए सावधानियों और सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना ।

(2) सुझाए गए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया सुझाना ।

(3) थर्मल पावर परियोजनाओं से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों का पता लगाना और मामला अध्ययनों को तैयार करने में मार्गदर्शन देना ।

अनुबन्ध-4

औद्योगिक परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन

1. प्रो० पी० खन्ना, निदेशक — अध्यक्ष
राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जीनियरिंग संस्थान,
नेहरू मार्ग, नागपुर-440020

2. प्रो० जे० एम० दबे, — सदस्य
स्कूल आफ इन्वायरमेंटल साइंसेस
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110007

3. प्रो० टी० शिवाजी राव, — सदस्य
प्रो० इन्वायरमेंटल इन्जीनियरिंग
आंध्र विश्वविद्यालय,
विशाखापतनम-530003

4. श्री एस० सी० शर्मा, — सदस्य
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
मौसम भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली

5. डा० टी० आर० सारनाथन, — सदस्य
सोसायटी फार क्लीन इन्वायरमेंट,
गार्डन रिसोर्ट, सियान-ट्राम्बे रोड,
चेम्बूर, बम्बई-400071

6. प्रो० राजेन्द्र प्रकाश, — सदस्य
डीन, रुड़की विश्वविद्यालय,
रूड़की-247007 (उत्तर प्रदेश)

7. डा० पी० के राय, सदस्य
निदेशक, औद्योगिक विष विज्ञान
अनुसंधान केन्द्र,
लखनऊ-220001

8. श्री श्याम चेनानी, सदस्य
बाम्बे इनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप
9, सेंट जेम्स कोर्ट, मेरीन ड्राइव,
बम्बई-400020

9. अध्यक्ष/नामांकनी, सदस्य
जल प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण का
केन्द्रीय बोर्ड, 60, स्काईलार्क बिल्डिंग
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

10. श्री एम० पाराब्रह्मम, सदस्यसचिव
निदेशक (आई० ए०)
पर्यावरण और वन मन्त्रालय
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग,
नई दिल्ली-110003

स्थाई आमंत्रित

1. उद्योग या भारत सरकार तथा राज्य में सम्बन्धित मंत्रालय का प्रतिनिधि ।

2. सम्बन्धित प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अध्यक्ष या उसका नामांकनी ।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) मंत्रालय को भेजे गए औद्योगिक परियोजनाओं की जांच करना और पर्यावरणीय दृष्टि-कोण से उनकी मंजूरी या नामंजूरी के लिए सिफारिशें करना ।

(2) मंजूरी के लिए सिफारिश की गई परियोजनाओं के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी की रुचि समेत शमन और प्रदूषण नियन्त्रण उपायों को सुझाना ।

(3) सुरक्षा उपायों आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी रुचि, प्रदूषण स्थिति, प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, निगरानी प्रणाली के संदर्भ में चुने उद्योगों के मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना ।

(4) सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रणाली तैयार करना ।

विवरण-2

विभिन्न समितियों द्वारा अपनाए गए मानदण्डों और मागदर्शी सिद्धान्तों का सार नीचे दिया गया है :

1. नदी घाटी परियोजनाएं

एक साकल्यवादी योजना अपनाकर इन्जीनियरिंग कार्यों के लिए निम्नलिखित घटकों को अनिवार्य समझा जाता है :

— आवाह क्षेत्र सुधार;

— कमांड क्षेत्र विकास; और

— इन्जीनियरिंग कार्य।

परियोजना प्राधिकारियों से निम्नलिखित पर कार्य योजनायें तैयार करने की आवश्यकता है :

— कमांड क्षेत्र विकास;

— क्षतिपूरक वनरोपण;

— परियोजना प्रभावित बेदखलियों को फिर से बसाना—भूमि के बदले भूमि मुआवजे पर जोर दिया जायेगा;

— वन्यजीव वासस्थल को पुनः स्थापित करने के लिए वनस्पतिजात और प्राणिजाति का सर्वेक्षण;

— जलाशय प्रवत्त भूकम्पनीयता; और

— जल जनित बीमारियों पर जोर देते हुए जन स्वास्थ्य पहलू।

2. खनन परियोजनाएं

मार्गदर्शी सिद्धान्तों और मानदण्डों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

— जल प्रदूषण नियन्त्रण;

— शोर प्रदूषण नियन्त्रण; और

— वायु प्रदूषण नियन्त्रण।

1. जल प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अपनाए गए मानदण्डों को अपनाया जाना।
2. खनिज क्षेत्रों का साथ-साथ सुधार करने पर जोर दिया गया है।
3. मजदूरों के कल्याण के लिए महानिदेशक, खान सुरक्षा द्वारा निर्धारित मानदण्डों का परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन किया जाता है ताकि काम करने के लिए अच्छा पर्यावरण सुनिश्चित हो सके।

4. प्रभावित आबादी को फिर से बसाना।

3. थर्मल पावर परियोजनाएं

कतिपय शर्तों के साथ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं ताकि थर्मल पावर स्टेशन को महानगरों तथा राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, समुद्री किनारों आदि जैसे पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जा सके। चिमनी की ऊंचाई, प्रदूषकों का ग्राह्य स्तर—एस ओ$_2$ एन ओ एक्स, विविक्त धूल कण (एस० पी० एम०) आदि के बारे में मानदण्ड तैयार किए गए हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वायु, जल और भूमि प्रदूषण के सम्बन्ध में तैयार किए गए मानदण्ड इन परियोजनाओं पर लागू होते हैं।

परियोजना प्राधिकारियों से सम्भावित प्रतिकूल प्रभावों के आकलन करने की अपेक्षा की जाती है तथा तदनुसार उनके निवारण या शमन के लिए पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनायें तैयार करने की भी अपेक्षा की जाती है। वायु और जल गुणवत्ता के सम्बन्ध में ऐसी योजना को तैयार करने के लिए आमतौर पर 4-सत्रों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है।

4. औद्योगिक परियोजनाएं

औद्योगिक परियोजनाओं के मूल्यांकन में निम्नलिखित मुख्य मानदण्डों को अपनाया जाता है :

— वायु जल और भूमि प्रदूषण का नियन्त्रण;

— स्थान का चुनाव ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसका राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों आदि जैसे पारिस्थितिकीय रूप से संवेदी और संरक्षण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

— प्रधान मन्त्री जी ने मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं कि हाई टाइड लाइन के 500 मीटर के भीतर किसी भी उद्योग की स्थापना न की जाए सिवाय उन समुद्री किनारों के सैरगाहों के मामले को छोड़कर जहां 200 मीटर की दूरी से परे मेरिट पर निर्माण के लिए छूट दी जा सकती है।

— विधिवत अनुमोदित संकट प्रबन्ध योजना को प्रस्तुत करने के साथ सन्तोषजनक पुनर्वास योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया जाता है।

— जल प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड द्वारा वायु, जल और भूमि प्रदूषण के सम्बन्ध में तैयार किए मानदण्ड इन परियोजनाओं पर भी लागू होते हैं।

जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को बहिस्राव और गैसीय उत्सर्जनों में प्रदूषकों के ग्राह्य स्तर के सम्बन्ध में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाए।

उचित दर की दुकानों द्वारा पामोलीन तथा अन्य वनस्पति तेलों के मूल्यों में वृद्धि

107. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले पामोलीन तथा अन्य वनस्पति तेलों के मूल्य में हाल ही के महीनों में असामान्य रूप से वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किए जाने वाले आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों को पिछली बार पहली सितम्बर, 1988 में संशोधन किया गया था और उसमें प्रति मी० टन 2000 रु० की वृद्धि की गई थी। मूल्य में यह वृद्धि, उस समय आयातित खाद्य तेलों के खुदरा मूल्यों तथा तिलहनों के समर्थन मूल्यों के आधार पर प्राप्त देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों के बीच बहुत अन्तर होने के कारण आवश्यक हो गई थी। इस अन्तर से एक ओर किसान हतोत्साहित हो रहे थे तथा दूसरी और तिलहनों के अनधिकृत माध्यमों में चले जाने का खतरा पैदा हो गया था।

विदेश में नौकरी के इच्छुक लोगों को पूर्वदत्त टिकिट सूचना (प्री० पेड० टिकिट अड्वाइस)

108. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी के देशों में नौकरी पाने वालों पर एक नई शर्त लगाई है कि उत्प्रवास की मंजूरी के लिए पूर्वदत्त टिकिट सूचना (प्री० पेड० अड्वाइस) अनिवार्य है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस शर्त के कारण खाड़ी के देशों में नौकरी के इच्छुक हजारों व्यक्तियों को, विशेषकर केरल के व्यक्तियों को परेशानी होगी;

(घ) क्या इस निर्णय पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यह व्यवस्था है कि "नियोजक के खर्च पर से आने-जाने की विमान यात्रा" को किसी प्रवासी कर्मकार के नियोजन के लिए प्रत्येक संविदा में शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रावधान 4 फरवरी, 1987 से प्रवृत हुआ है। यह प्रावधान कर्मकारों की सुरक्षा के लिए है। तदनुसार इससे उन्हें परेशान होने के बजाय फायदा होगा।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

एम० डी०/एम० एस० के लिए होने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा का स्थगित किया जाना

109. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों और भारी संख्या में उम्मीदवारों के अनुरोध पर एम० डी०/एम० एस० तथा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए होने वाली अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा को हाल ही में स्थगित किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इन परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के लिए कम्प्यूटर कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर असंगतियां और हेरा-फेरी की गई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच-पड़ताल की गई और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगा गया तथा उन्हें दण्ड दिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और इस प्रकार की खामियों को रोकने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) एम० डी०/एम० एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश-परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों द्वारा प्रवेश पत्र में विसंगतियों/प्रवेश पत्र प्राप्त न होने की शिकायतें मिलने के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) लगभग 18,000 आवेदन पत्रों की कम्प्यूटर द्वारा तथा एक-एक करके हाथ द्वारा फिर से जांच की गई थी और 19 फरवरी, 1989 को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिये गये थे। प्रत्येक छात्र को एक नया पत्र भेजा गया था जिसमें उसके अनुक्रमांक, पंजीकरण तथा परीक्षा की पुष्टी की गई थी। परीक्षा की संशोधित तारीख राष्ट्रीय समाचारपत्रों में घोषित कर दी गई थी। इसकी घोषणा दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी की गई थी। जिस फर्म को आवेदन पत्रों की जांच करने का काम सौंपा गया था उसे कहा गया है कि इस बात की जांच की जाए कि वे विसंगतियां कैसे हुई ताकि संस्थान कम्प्यूटर कार्यक्रम में सुधार करने के लिए उपचारी उपाय कर सके जिससे ऐसी विसंगतियों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान द्वारा फैलोशिप प्रदान किया जाना

110. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान, नई दिल्ली, द इंस्टीट्यूट आफ हाउसिंग स्टडीज रोटरडम और आवास तथा नगर विकास निगम ने फैलोशिप प्रदान करने का कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी फैलोशिप प्रदान की गई है और प्रत्येक फैलोशिप की धनराशि क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय मानव-बस्ती कार्यक्रम को नीदरलैंड सरकार के साथ तकनीकी सहयोग समझौते के अंग के रूप में 1985 में आरम्भ किया गया था। यह कार्यक्रम आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) के मध्य संयुक्त सहयोग के रूप में मानवबस्ती प्रबन्ध संस्थान और दि इंस्टीट्यूट फार हाउसिंग स्टडीज (आई० एच० एस०), रोटरडम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे पूर्व, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एन० आई० यू० ए०) भी संयुक्त सहयोग की एक पार्टी थी। तथापि, 1987 में एन० आई० यू० ए० की सहभागिता हटा ली गई थी।

कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, आई० एच० एस० विभिन्न अनुसंधान प्रस्तावों के लिए फैलोशिप प्रदान करता है। ये अनुसंधान जांच-पड़ताल अनुबन्धित अनुसंधान चक्र के रूप में आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष, बारह अनुसंधान परियोजनायें कार्यान्वित की जाती हैं जिसमें कार्यशाला विषयों अर्थात् आवास परियोजना वित्त, व्यवस्थापन डिजाइन, प्रतिवेश सुधार तथा स्लम उन्नयन, (कम लागत की अधसंरचना साझेदारिता निर्माण प्रबन्ध) लो कास्ट इन्फास्ट्रक्चर पार्टिसिपेटरी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट), लागत वसूली और सम्पदा प्रबन्ध, नगर भूमि प्रबन्ध और मानवबस्ती आयोजना में कम्प्यूटर उपयोग शामिल हैं।

(ग) अब तक, प्रत्येक बारह अनुसंधान फैलोशिप के दो चक्र पूर्ण हो चुके हैं। तीसरा अनुसंधान चक्र चालू है। प्रत्येक फैलोशिप की अधिकतम राशि 45,000/- रुपये है।

राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

111. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शहरी विकास संस्थान, नई दिल्ली में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के कोर स्टाफ के 49 पदों में से, 48 पदों के सम्बन्ध में चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है। शेष एक पद पर एक अधिकारी को अनुबन्ध नियुक्ति पर रखा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान में सेवानिवृत्ति आयु के बारे में विसंगति

112. **श्री मानिक रेड्डी** :
श्री जी० भूपति :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली में कार्यरत संकाय (फैकलटी) सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु चिकित्सा वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस नीति के विरुद्ध "फैकलटी" सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"गुजरात में स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक उद्योग"

113. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक उद्योग हैं जिनमें पर्यावरण दूषित हो रहा है;

(ख) क्या वहां ऐसे अनेक रसायन उत्पादित किए जा रहे हैं जिनके उत्पादन पर अनेक उन्नत देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात में स्थित रसायन उद्योगों से सम्बद्ध मामलों का अध्ययन करने और प्रदूषण रोधी उपाय तथा योजनाएं तैयार करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गुजरात राज्य में प्रदूषण फैलाने वाली तथा पर्यावरण को अवक्रमित करने वाली कई इकाइयों का पता लगाया गया है, इनमें से कुछ स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं ।

(ख) जी, हां । विकसित देशों में उत्पादित रसायनों में से कुछ के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

(ग) वापी, गुजरात में रसायन उद्योगों पर कृत्यक बल की रिपोर्ट पहले से उपलब्ध है ।

पेशेवर रक्त दाताओं द्वारा रक्त की अनियमित बिक्री

114. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेशेवर रक्त दाताओं द्वारा रक्त की सुनियोजित ढंग से अनियमित बिक्री की जाती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या रक्त के वार्षिक कारोबार के कोई अनुमानित आंकड़े उपलब्ध हैं; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) रक्त की बिक्री वाणिज्यिक/प्राइवेट रक्त बैंकों द्वारा की जाती है जो इसे पेशेवर रक्त-दाताओं से एकत्र करते हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में 739 रक्त बैंक हैं जिनमें से 165 प्राइवेट रक्त बैंक हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि लगभग 22.59 प्रतिशत रक्त पेशेवर रक्त-दाताओं से एकत्र किया जाता है।

रक्त संग्रह सेवाओं तथा रक्त की गुणवत्ता की जांच सम्बन्धी प्रक्रिया के आधुनिकीकरण की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। स्वैच्छिक रक्त दान आन्दोलन के फलस्वरूप पेशेवर रक्त-दाताओं पर निर्भर रहने की दर धीरे-धीरे कम होती जाएगी।

राज्यवार रक्त बैंकों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

देश में रक्त बैंकों की सूची

(उपलब्ध सूचना के अनुसार)

(1987 तक)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी	प्राइवेट	स्वैच्छिक	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	असम	6	—	—	6
2.	आंध्र प्रदेश	48	24	1	73
3.	बिहार	19	10	—	29
4.	गुजरात	10	—	—	10
5.	हरियाणा	12	—	—	12
6.	हिमाचल प्रदेश	6	—	—	6
7.	जम्मू व कश्मीर	3	—	—	3
8.	कर्नाटक	33	19	5	57
9.	मध्य प्रदेश	50	6	—	56
10.	महाराष्ट्र	42	56	18	116

1 2	3	4	5	6
11. केरल	53	—	—	53
12. मणिपुर	2	—	—	2
13. मेघालय	1	2	—	3
14. उड़ीसा	6	4	28	38
15. पंजाब	17	4	1	22
16. राजस्थान	15	—	—	15
17. सिक्किम	1	—	—	1
18. तमिलनाडु	77	14	—	91
19. त्रिपुरा	2	—	—	2
20. उत्तर प्रदेश	62	20	—	82
21. पश्चिम बंगाल	33	—	—	33
22. चण्डीगढ़	1	—	—	1
23. दिल्ली (सरकारी हस्पताल)	16	6	1	23
24. गोवा दमण व द्वीप	1	—	—	1
25. पांडिचेरी	1	—	—	2
26. मिजोरम	2	—	—	2
27. नागालैंड		(कोई रक्त बैंक नहीं)		
28. अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह		(—तदैव—)		
29. अरुणाचल प्रदेश		(—तदैव—)		
30. दादरा व नागर हवेली		(—तदैव—)		
31. लक्षद्वीप द्वीप समूह		(—तदैव—)		
योग :	520	165	54	73

हीमोफिलिया के रोगियों में एड्स रोग की पुष्टि

115. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में हीमोफिलिया के 8 रोगियों में एड्स रोग होने की पुष्टि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से मिली सूचना के अनुसार हीमोफिलिया के जांचे गए 98 रोगियों में से हीमोफिलिया के 8 रोगियों में एच० आई० वी० एन्टीबाडीज पाए गए। इन रोगियों में एड्स सहित एच० आई० बी० रोग के कोई नैदानिक लक्षण नहीं थे। हीमोफिलिया एक अत्यधिक खतरे वाला समूह है और इसलिए इसे राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

इन हीमोफिलिया रोगियों ने पिछले अनेक वर्षों से बार-बार क्राइयोप्रीसिपिटेट अथवा फैक्टर VIII अथवा एन्टी-हीमोफिलिया ग्लोब्यूलिन लिया था। उन्होंने ये फैक्टर खुले बाजार या भारतीय हीमोफिलिया संघ के माध्यम से लिए थे। उन्होंने भारत में बने और दूसरे देशों से आयतित उत्पाद लिए। इसलिए उनमें संक्रमण के स्रोत तथा किसी प्रकार की निश्चितता की डिग्री का पता लगाना संभव नहीं था।

एच० आई० वी० एन्टीबाडी पाजिटिव वाले इन रोगियों को प्रशिक्षित डाक्टरों/नर्सों द्वारा एच० आई० बी० संक्रमण के बारे में पहले ही उचित परामर्श दिया गया है और उन रोगियों से सम्पर्क बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं कि वे संक्रमण, नियंत्रण उपायों, रचनात्मक स्वास्थ्य अभ्यास के बारे में उचित परामर्श लेने और प्रोग्नोस्टिकेशन मेकरों के अध्ययन के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आएं।

नई दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति

[हिन्दी]

117. **श्री राज कुमार राय** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान नई दिल्ली क्षेत्र के निवासियों के लिए पेयजल की आपूर्ति बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) किन-किन स्रोतों से जल आपूर्ति बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ग) इस योजना पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली जल पूर्ति मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि नई दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं को आरम्भ किया गया है :—

(i) 10 लाख रुपए की लागत से आयकर कार्यालय के बैराज के समीप 4 रैनी कुओं के पानी के शोधन के लिए ओखला में आयरन रिमूवल प्लांट (120 लाख गैलन प्रतिदिन) का निर्माण।

(ii) 2267 लाख रुपए की कुल लागत से बजीराबाद में 400 लाख गैलन प्रतिदिन के तीसरे जल शोधन संयंत्र के प्रथम चरण (200 लाख गैलन प्रतिदिन) को चालू करना।

(iii) 141 लाख रुपए की लागत से झण्डेवालान से पालम जलाशय को 1000 एम० एम० व्यास की पूर्व बलित कंक्रीट मुख्य लाइन मुहैया करना एवं बिछाना।

(iv) 309.38 लाख रुपए की लागत से दक्षिण जोन क्षेत्र में पानी के दबाव को सुधारने के लिए डीयर पार्क, हौज खास में 50 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता वाले जलाशय का एवं बूस्टर पम्पिंग स्टेशन का निर्माण।

"गंगा सफाई योजना"

118. **श्री राज कुमार राय :**
श्री राम प्यारे पनिका :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा सफाई योजना के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) नदी का पानी किस सीमा तक प्रदूषण मुक्त तथा पीने योग्य हो गया है; और

(ग) कुम्भ मेले के अवसर पर लाखों तीर्थ यात्रियों के एकत्रित होने से इलाहाबाद के निकट गंगा के पानी को और प्रदूषित होने से बचाने के लिए हाल के हफ्तों में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत 257.07 करोड़ रुपए की लागत पर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इन तीन राज्यों में कुल 262 स्कीमें मंजूर की गई हैं। अभी तक 16.39 करोड़ रुपए की लागत पर 50 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं। अपशिष्ट जल के अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की अधिकांश स्कीमें निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक उनके पूरा होने की सम्भावना है। जनवरी, 1988 के अन्त तक 114.06 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

(ख) नदी जल में हुए गुणात्मक सुधार का मूल्यांकन निर्माण-कार्यों के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है।

(ग) नदी के प्रदूषण का कारण संगम के ऊर्ध्वप्रवाह पर विभिन्न नालों और वर्तमान सीवर प्रणाली के माध्यम से यमुना और गंगा नदियों में प्रवाहित होने वाला मलजल है। सभी नालों के अपशिष्ट जल को अवरुद्ध करके उसे पम्पिंग स्टेशनों की ओर मोड़ दिया गया है। मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशनों का नवीकरण कर दिया गया है और गऊघाट के मुख्य पम्पिंग स्टेशन की क्षमता दुगुनी कर दी गयी है। प्रतिदिन 8-9 करोड़ लीटर अपशिष्ट जल जो पहले नदी में प्रवाहित हो रहा था अब गऊघाट पम्पिंग स्टेशन में पहुंच रहा है। यहां से इसे पाइपों द्वारा यमुना नदी के पार नैनी और डांडी सीवेज फार्मों में पहुंचाया जा रहा है। नैनी में मध्यवर्ती सीवेज उपचार संयंत्र के तैयार हो जाने तक इस अपशिष्ट जल को तैयार हो चुके एक विशेष बाई-पास चैनल द्वारा ले जाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में बहुमुखी जन-जागरूकता गतिविधि सहित एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है ताकि जनता जागरूक हो सके।

"परती भूमि सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन"

[अनुवाद]

119. **श्री राज कुमार राय** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती भूमि विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह मिशन राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के साथ कितना सहयोग करेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

"शहरी क्षेत्रों में शोर प्रदूषण"

120. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1987 की अपेक्षा भारत में शोर प्रदूषण का अनुपात अधिक था;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में शोर प्रदूषण किस स्तर तक मान्य है;

(ग) देश में नगरों और शहरों में किस सीमा तक इसका पालन किया जा रहा है; और

(घ) शहरी क्षेत्रों में शोर प्रदूषण कम करने के लिये अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं है ।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय मानक के तहत शहरी क्षेत्रों में शोर प्रदूषण का मान्य स्तर निम्नलिखित है :—

पर्यावरण	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर
औद्योगिक/व्यावसायिक समुदाय/शहरी	75 डेसीबल
दिन के समय	55 डेसीबल
रात के समय	45 डेसीबल
इन्डोर/घरेलू	
दिन के समय	45 डेसीबल
रात के समय	35 डेसीबल

(ग) कुछ महानगरों के कुछ इलाकों और कस्बों में शोर का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है ।

(घ) शहरी क्षेत्रों में शोर प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

— लाउड-स्पीकर के प्रयोग पर नियंत्रण लगाना।

— संवेदनशील क्षेत्रों में शांत क्षेत्र की घोषणा करना।

— वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) संशोधित अधिनियम, 1987 में शोर को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है।

— पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 में शोर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए भी उपबन्ध शामिल किए गए हैं।

— वाहनों में उच्च विद्युत हार्न के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाना।

— भारी वाहनों की नियंत्रित गतिविधि।

— उचित भू-दृश्य प्रबन्ध को प्रयोग करते हुए आवासीय क्षेत्रों में उद्योगों को हटाना।

दिल्ली में वसन्त कुंज के निवासियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का स्वामित्व प्रदान करना

[हिन्दी]

121. **श्री हरीश रावत** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वसन्त कुंज क्षेत्र में स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने फ्लैटों का निर्माण करने का विचार है और इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या आवंटितियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उक्त फ्लैटों का स्वामित्व प्रदान किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने आवंटितियों को स्वामित्व प्रदान किया गया है और शेष आवंटितियों को इन फ्लैटों का स्वामित्व कब तक प्रदान किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का किराया वसूल किया जाना

[अनुवाद]

122. **श्री विष्णु मोदी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का किराया/लीज की राशि की वसूली सम्बन्धी नोटिस आवंटितियों को नियमित रूप से नहीं भेजे जाते हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इस त्रुटि के कारण बहुत अधिक धनराशि की वसूली रुकी पड़ी है; यदि हां, तो वसूली की जाने वाली धनराशि का कालोनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चक्रवृद्धि-ब्याज दर सहित भूमि का किराया/लीज की बकाया धनराशि वसूल किए जाने से आवंटितियों को भारी हानि उठानी पड़ती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि का किराया/लीज की नियमित वसूली के लिए नियमित रूप से नोटिस भेजने की व्यवस्था करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार करेगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उन आवंटितियों जिन्हें पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार पट्टा राशि जमा कराना अपेक्षित हैं, भूमि किराया/पट्टा राशि एकत्र करने के लिए कोई नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। भूमि किराया/पट्टा राशि का भुगतान करना आवंटितियों के लिए अनिवार्य है। विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित फ्लैटों के भूमि किराया लेखों का कम्पयूटरीकरण की प्रक्रिया में है तथा यह आशा की जाती है कि निकट भविष्य में दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए आवंटितियों को भूमि किराए के नियमित नोटिस भेजना सम्भव हो सकेगा।

(ख) 31-3-88 की स्थिति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के विभिन्न पट्टाधारियों से निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में भूमि किराया लेखे पर 9.08 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जानी थी।

(i) रिहायशी	—	3.63 करोड़ रुपए
(ii) औद्योगिक	—	0.69 करोड़ रुपए
(iii) सांस्थानिक	—	1.07 करोड़ रुपए
(iv) वाणिज्यिक	—	3.69 करोड़ रुपए
	योग :	9.08 करोड़ रुपए

सामान्य आवास योजना, 1976 के अन्तर्गत आवंटित फ्लैटों और विभिन्न सुविधाजनक/स्थानीय विपणन केन्द्रों में निर्मित दुकानों का 31-3-88 की स्थिति के अनुसार भूमि के किराए के रूप में 163.52 लाख रुपए की राशि बकाया थी।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर के कारण आवंटितियों को भारी हानि उठानी पड़ी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बकाया राशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूल किया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के अनुसार।

"प्रदूषण नियंत्रण के स्तर की समीक्षा करने के लिए कार्य दल"

123. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** :
श्री एच० एम० मन्जे गौड़ :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के स्तर की समीक्षा करने हेतु कार्य दल गठित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन किया है तथा ऐसे कार्य दल गठित किए हैं;

(ग) क्या सरकार का आवश्यक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए अपशिष्टों के पुनः उपयोग हेतु प्रोटोटाइप एकक स्थापित करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को खतरनाक पदार्थों के प्रबन्ध के लिए राज्य स्तर पर समन्वय समितियां गठित करने का अनुरोध किया है। अब तक 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली) ने ऐसी समितियां गठित की हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रसाशन ने फ्लाई ऐश ईंटें बनाने के लिए 6 इकाइयों को स्थापित करने के लिए एक परियोजना आरम्भ की है।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

124. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने आधुनिक उपकरणों की स्थापना कर अपनी प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अपनी प्रयोगशाओं में कौन-कौन से उपकरण स्थापित किए हैं;

(ग) इस समय किन-किन स्थानों पर भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं;

(घ) क्या देश में ऐसी अन्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं से जनता को कहां तक शीघ्र परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण, योजना आयोग द्वारा मंजूर एक चालू परियोजना है। उक्त

योजना परियोजना के तहत, प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण तथा उनकी क्षमताओं के उन्नतिकरण का कार्य शुरू किया गया है।

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में और परीक्षण उपकरण लगाए गए हैं। 1987-88, 1988-89 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला में शामिल किए गए महत्वपूर्ण उपकरणों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाएं निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रही हैं :—

केन्द्रीय प्रयोगशाला—साहिबाबाद (जिला-गाजियाबाद उ० प्र०) में।

क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा मोहाली (चंडीगढ़ के नजदीक) में।

शाखा कार्यालय प्रयोगशालाएं—बंगलौर, गुवाहाटी तथा पटना में।

(घ) और (ङ) जी, हां। अहमदाबाद में एक प्रयोगशाला निर्माणाधीन है जिसके 1989 के मध्य तक बनकर पूरा हो जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त लखनऊ में एक प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से भूमि अधिगृहीत की जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य ब्यूरो की गुणवत्ता प्रमाणन पद्धति को सहायता देना है। सृजित की जा रही अतिरिक्त आधुनिक परीक्षण सुविधाओं से आशा है कि उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणन के लिए ब्यूरो की सेवा हेतु तीव्र गति से बढ़ती हुई मांगों को पूरा किया जा सकेगा। इस समय वाणिज्यिक परीक्षण के लिए ये प्रयोगशालाएं जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

वर्ष 1987-88, 1988-89 के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में जोड़े गए महत्वपूर्ण उपकरणों की सूची

क्रम सं०	परीक्षण उपस्कर	कहां स्थापित किए गए हैं
1	2	3
1.	माइक्रो हार्डनेस टैस्टर	केन्द्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता, बंगलौर, मोहाली।
2.	प्रोफाइल प्रोजेक्टर्स	केन्द्रीय प्रयोगशाला, बम्बई।
3.	बाईलिंग प्लाइंट/मेल्टिंग प्वाइंट/उपस्कर	केन्द्रीय प्रयोगशाला, मद्रास, मोहाली, कलकत्ता, बम्बई।
4.	मेघम-मीटर	केन्द्रीय प्रयोगशाला, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, मोहाली।
5.	फोटोमीट्रिक इंटीग्रेटर	केन्द्रीय प्रयोगशाला, पटना, बम्बई।
6.	ओजोन रेजिस्टेंस टेस्ट उपस्कर	केन्द्रीय प्रयोगशाला।

1	2	3
7.	प्रेशर गेज केलीब्रेटर्स	केन्द्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता, मोहाली, बम्बई, बंगलौर ।
8.	स्टैन्डर्ड रेजिस्टेंस	केन्द्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर, मोहाली ।
9.	हाईड्रालिक ब्रेक फ्लूईड टेस्ट रिंग	केन्द्रीय प्रयोगशाला ।
10.	स्पैक्ट्रोफोटोमीटर	मद्रास ।
11.	व्हीटस्टोन तथा केलविन ब्रिज	केन्द्रीय प्रयोगशाला ।
12.	वाइब्रशन मीटर्स	केन्द्रीय प्रयोगशाला, मोहाली, मद्रास, बम्बई ।
13.	टेनसाईल टेस्टिंग मशीन फार टेक्सटाईल्स	कलकत्ता ।
14.	अस्तर इवननेस टेस्टर	मद्रास ।
15.	शॉक एब्जार्बर टेस्टिंग मशीन	केन्द्रीय प्रयोगशाला ।
16.	मीटर टेस्टिंग बेंच	केन्द्रीय प्रयोगशाला ।
17.	वोल्टेज एण्ड करेंट केलिब्रेटर्स	केन्द्रीय प्रयोगशाला, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, मोहाली ।
18.	मल्टी फंक्शन केलिब्रेटर्स	केन्द्रीय प्रयोगशाला ।
19.	गैस फ्लोमीटर्स	केन्द्रीय प्रयोगशाला, कलकत्ता, बंगलौर ।
20.	लाईफ साईकिल टेस्टर फार ड्राई सेल बैटरीज	केन्द्रीय प्रयोगशाला ।

चावल और गेहूं का बफर स्टाक

125. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री मोहनभाई पटेल :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमश: वर्ष 1987 और 1988 के अन्त में चावल और गेहूं का बफर स्टाक कितना-कितना था;

(ख) क्या पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1988 के दौरान गेहूं और चावल के बफर स्टाक में कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एस० बैंठा) : (क) वर्ष 1987 के अन्त में सरकारी एजेन्सियों के पास चावल और गेहूं का क्रमश: 64.8 लाख मीटरी टन और 75.7 लाख मीटरी टन का स्टाक था। वर्ष 1988 के अन्त में चावल का लगभग 46.3 लाख मीटरी टन और गेहूं का लगभग 47.4 लाख मीटरी टन का स्टाक था।

(ख) और (ग) जी हां, 1987 के अन्त में सरकारी एजेंसियों के पास चावल और गेहूं के स्टाक की तुलना में 1988 के अन्त में स्टाक में 46.8 लाख मीटरी टन की कमी हुई थी। यह कमी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक उठान तथा 1987 के सूखे के आगे पड़ें प्रभाव के फलस्वरूप कम वसूली के कारण हुई थी।

एड्स रोग से पीड़ित पीढ़ियां

126. **श्री मोहम्मद महफूल अली खां** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के अनुसार, जब कि प्रथम पीढ़ी में एड्स रोग के मामलों में वृद्धि हो रही है, देश में द्वितीय पीढ़ी भी एड्स रोग से पीड़ित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में लोगों को शिक्षित करने के अतिरिक्त इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारत में एच० आई० बी० के संक्रमण के संचरण का सर्वाधिक सामान्य कारण इतरलिंगी सम्पर्क है। संक्रामक पति से सम्भोग द्वारा उसकी पत्नी को भी संचरण की सम्भावना होती है। निरोध के प्रयोग से संचरण का खतरा कम होता है। संक्रमित मां से पैदा हुए बच्चे में संक्रमण की 50 प्रतिशत तक सम्भावना होती है।

(ग) पॉजीटिव सीरम वाली गर्भवती महिलाओं से पॉजिटिव सीरम वाले नवजातों के पैदा होने का पता लगने के बाद गर्भवती महिलाओं में एच० आई० बी० संक्रमण की सीरम जांच कार्य को तेज कर दिया गया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एच० आई० बी० संक्रमण के फैलने में कमी लाने के लिए पॉजिटिव सीरम वाले व्यक्तियों और उनके पति/पत्नियों को आवश्यक परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा और गर्भनिरोधन परिचर्या प्रदान करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सहकारी कताई मिलों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव

128. **श्रीमती एन० पी० झांसीलक्ष्मी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान सहकारी कताई मिलों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मिलों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के लिए इस समय सरकार के पास औद्योगिक लाईसेंस के लिए कोई भी नया प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं है।

मानव अंगों को बेचने वाले गिरोह

129. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समस्त देश में मानव अंग बेचने वाले गिरोह की जानकारी है और यदि हां, तो ऐसे गिरोहों का राज्य-वार और संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बिक्री का प्रति वर्ष अनुमानतः कितना कारोबार होता है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सरकार को देश में जीवित मानव अंगों के व्यवसाय करने सम्बन्धी रिपोर्टें मिली हैं। किन्तु यह व्यवसाय किस हद तक है और ऐसे कार्यों में जो संस्थाएं या व्यक्ति लगे हुए हैं उनके बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। मानव अंगों के बेचने वाले गिरोह को समाप्त करने के विचार से सरकार अंगों के प्रतिरोपण पर एक कानून बनाने के बारे में सक्रियता से विचार कर रही है।

नई कपड़ा नीति के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट

130. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
श्री मोहनभाई पटेल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कपड़ा नीति के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा के लिए गठित की गई निर्यात सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) सरकार ने इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अस्पतालों के डाक्टरों द्वारा काला दिवस मनाना

131. **श्री पी० एम० सईद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अस्पतालों के कनिष्ठ डाक्टरों ने विरोधस्वरूप 31 जनवरी, 1989 को काले दिवस के रूप में मनाया;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित अस्पतालों के नाम क्या हैं; और

(ग) कनिष्ठ डाक्टरों की मुख्य मांगें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) समाचार पत्रों के अनुसार दिल्ली की जूनियर डाक्टर्स फैडरेशन ने 31 जनवरी, 1989 को काला दिवस मनाया था ।

(ख) केवल डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल तथा कलावती सरण बाल चिकित्सालय ने सूचित किया है कि इन अस्पतालों के जूनियर डाक्टरों ने उस दिन काला दिवस मनाया था । अन्य अस्पतालों को ऐसे दृष्टांतों की जानकारी नहीं है ।

(ग) जहां तक सूचना उपलब्ध है जूनियर डाक्टरों की निम्नलिखित मांगें हैं :

(i) 600 रुपए प्रतिमास की दर से सभी डाक्टरों को प्रैक्टिस-बन्दी भत्ता ।

(ii) प्रैक्टिस-बन्दी भत्ते पर महंगाई भत्ता ।

(iii) 1-1-86 से उपर्युक्त भत्तों की बकाया राशि ।

(iv) जूनियर रेजीडेंटों के लिए 100 रुपए प्रति मास का और वरिष्ठ रेजीडेंटों के लिए 250 रुपए प्रतिमास का आकस्मिकता भत्ता ।

(v) 1-1-87 से आकस्मिकता भत्ते की बकाया राशि ।

(vi) ऐसे डाक्टर जो बाद में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनकी रेजीडेंसी की अवधि को सेवाकाल मानना ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रयुक्त रेडियो ऐक्टिव-आई ऐप्लीकेटर का निपटान

132. **श्री पी० एम० सईद** :
श्री कमल नाथ :
श्री के० एस० राव :
श्रीमती डी० के० भण्डारी :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रयुक्त उस रेडियो-ऐक्टिव-आई ऐप्लीकेटर का पता लगा लिया है जिसे विकिरण सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करके किसी कबाड़ी को बेच दिया गया था;

(ख) क्या इसके कारण आम जनता में कैंसर इत्यादि फैलने का कोई खतरा है;

(ग) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र को यह वचन दिया गया था कि विकिरण स्त्रोतों की बिक्री नहीं की जाएगी, इसे किराए पर नहीं दिया जाएगा अथवा इसका हस्तान्तरण नहीं किया जाएगा;

(घ) सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने जून, 1959 में एक बीटा रे आई ऐप्लीकेटर स्ट्रेन्शियम 90 (एस० आर०-90) खरीदा था। इसे मार्च, 1950 में नेत्रविज्ञान के भूतपूर्व विभाग को सप्लाई किया गया था। 1968 में इसकी क्लिनिकल क्षमता अपर्याप्त पाई गई। अतः इसे पनुर्ध्यासमापन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में भेज दिया गया। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में जांच करने पर यह पाया गया कि उत्सर्जन 50 से घटकर 42.72 रैड्स/सेंटीग्रेड रह गया और सतह पर औषध के फैलाव में एकरूपता नहीं थी। प्रभावन समय बढ़ाकर बीटा रे ऐप्लीकेटर को 1984 तक प्रयोग में लाना जारी रखा गया। एक नया बीटा रे ऐप्लीकेटर खरीदा गया और पुराने को भण्डार में वापस भेज दिया गया। संस्थान के कंडेमनेशन बोर्ड की 10-8-1984 को हुई बैठक में अन्य उपकरणों के साथ-साथ बीटा रे ऐप्लीकेटर को अगस्त, 1984 में बेकार घोषित कर दिया गया और तब उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के केन्द्रीय भण्डार डिपो भेज दिया गया। बेकार घोषित सामग्रियों को अन्य शल्य छीजनों के साथ 4-2-85 को नीलाम कर दिया। नीलाम किए गए बीटा रे ऐप्लीकेटर का पता नहीं लगाया जा सका है कि वह कहां है।

(ख) ऐप्लीकेटर की डिस्क से बचाव के लिए बीटा रे ऐप्लीकेटर सीसे के एक मोटे केस में एक लकड़ी के बाक्स में पैक है। पैकिंग की हालत में इससे किसी व्यक्ति को खतरा नहीं है। यदि ऐप्लीकेटर को एक मिनट के लिए त्वचा पर प्रयोग में लाया जाता है तो यह मामूली-सी खारिश और संकुलता उत्पन्न करता है जिससे कैंसर होने का कोई खतरा नहीं है। यदि इसे केसिंग और होल्डर में से हटा भी लिया जाता है और जेब में ले जाया जाता है तो इसका उत्सर्जन किसी गम्भीर शिद्दत के साथ त्वचा तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि इसकी वेधन शक्ति बहुत ही हल्की होती है।

(ग) जी, हां। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नेत्रविज्ञान स्कन्ध द्वारा उस समय वचन दिया गया था जब 6 क्षेत्रीय संस्थानों और डा० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्र के लिए ऐसे 7 आई ऐप्लीकेटर खरीदने की बातचीत चल रही थी परन्तु यह खरीद कभी नहीं की गई।

(घ) वहीं जो ऊपर (क) में दिए गए हैं।

(ङ) सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए एक जांच का आदेश दे दिया गया है। इस जांच के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पटसन मिलों पर भविष्य निधि की देय राशि

133. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता ने भविष्य निधि की राशि की वसूली के लिए कुछ पटसन मिलों पर अपराधिक अभियोग चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो मिलों द्वारा देय राशि का ब्यौरा क्या है और अब तक इन मिलों से कितनी राशि वसूल की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देशवरी दुबे) : (क) जी, हां।

(ख) उन जूट मिलों जिनके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन दायर किए गए हैं के नाम और उनपर देय राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रुपए लाखों में)

क्रम सं०	प्रतिष्ठान का नाम (छूट प्राप्त)	न्यासी बोर्ड को स्थानान्तरित न की गई भविष्य निधि अंशदानों की राशि
1	2	3
1.	मै० श्री अम्बिका जूट मिल्स लि०	238.52
2.	मै० बारांगडी जूट मिल्स लि०	419.57
3.	मै० कनकीनाराह कम्पनी लि०	452.39
4.	मै० नाफर चन्द्र जूट मिल्स लि०	4.50
5.	मै० हावड़ा मिल्स लि०	406.62
6.	मै० डेल्टा जूट इण्डस्ट्रीज लि०	540.36
7.	मै० फोर्टविलियम कम्पनी लि०	58.11
8.	मै० गोरी शंकर जूट मिल्स लि०	129.20
9.	मै० अग्रवारा कम्पनी लि०	178.42
10.	मै० नाईहाटी जूट मिल्स लि०	227.73
11.	मै० अंगुस कम्पनी लि०	609.27
12.	मै० श्यामूगढ़ जूट मिल्स लि०	426.71
13.	मै० विकटोरिया जूट मिल्स लि०	505.74

1 , 2	3
14. मै० नोडिया मिल्स	434.16
15. मै० गोरीवाड़ा कम्पनी	370.92
16. मै० कलवीन जूट कम्पनी	314.31
17. मै० टिटागढ़, जूट कम्पनी लि०	438.02
18. मै० बर्ड जूट एण्ड एक्सपोर्ट लि०	16.83
19. मै० बुदगे-बुदगे जूट कम्पनो	197.88
20. मै० न्यू सेन्ट्रल जूट मिल लि०	670.00
21. मै० डलहौजी जूट मिल लि०	132.74
22. मै० ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी	174.24
23. मै० नोर्थ ब्रोक जूट मिल लि०	115.02
24. मै० वैलिंगटन जूट मिल लि०	38.27
गैर जूट प्राप्त प्रतिष्ठान	
1. मै० एम्पायर जूट कम्पनी लि०	221.17
2. मै० प्रेम चन्द जूट मिल्स लि०	47.27
3. मै० नसकर पारा जूट इण्डस्ट्रीज	32.60
4. मै० भारत जूट मिल्स	152.00
5. मै० कलकत्ता जूट मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि०	30.00

राष्ट्रीय रेशम कीट पालन विकास परियोजना का कार्यान्वयन

134. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1989-90 के दौरान प्रस्तावित राष्ट्रीय रेशम कीट पालन विकास परियोजना क्रियान्वित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा और इन राज्यों में से प्रत्येक में परियोजना पर कितनी लागत आएगी;

(ग) इस परियोजना के किस तारीख तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) देश में शहतूती कच्चे रेशम

का उत्पादन बढ़ाने के लिए रेशम बोर्ड ने राज्य सरकारों के सहयोग से एक राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना बनाई है। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तुत की गई है। परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक का एक शिष्टमण्डल अक्तूबर-नवम्बर, 1988 के दौरान भारत आया था। परियोजना के ब्यौरों में इसके शामिल किए जाने वाले राज्य और लागत भी शामिल हैं तथा इन ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के लिए विश्व बैंक के साथ मार्च, 1989 में अन्तिम समझौता वार्ताएं किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना का कार्यान्वयन वर्ष 1989-90 में आरम्भ होने की आशा है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता

135. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) एन० टी० सी० ने हाल ही में एन० टी० सी० (एच० सी०) के विपणन ढांचे को मजबूत बनाने के लिए विपणन क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। इन पदाधिकारियों में एन० टी० सी० के अनुषंगी निगमों की मुख्य महाप्रबन्धक (विपणन) शामिल हैं।

(ग) एन० टी० सी० ने संस्थागत वित्त की सहायता से चुनिन्दा आधुनिकीकरण पर आधारित एक नई सार्थक नीति बनाई है जिसका उद्देश्य उत्पादन में सुधार लाना और उसका विविधीकरण करना चुनिन्दा मिलों को उन्नत बनाना आदि है जिससे कि वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जा सके।

कर्नाटक में वनरोपण कार्यक्रम

136. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में वर्ष 1988 के दौरान वनरोपण कार्यक्रम पर केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों वाले बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कर्नाटक में वर्ष 1988-89 के दौरान केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र की अनेक परियोजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण कार्यकलापों के लिए कुल परिव्यय क्रमशः 18.90 और 8.67 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही व्यय की गई वास्तविक धनराशि ज्ञात हो सकेगी।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

पर्यावरणीय दृष्टि से विद्युत संयंत्रों को स्वीकृति

137. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय दृष्टि से विद्युत संयंत्रों की स्थापना के अनेक प्रस्ताव स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर, 1988 तक पैंतीस ताप विद्युत परियोजनाएं और 7 जल विद्युत परियोजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित थीं। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण ये परियोजनाएं लम्बित हैं। राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) विद्युत बोर्ड/अन्य (राज्य क्षेत्र)

मध्य प्रदेश :

1. भांड ताप विद्युत स्टेशन (2×210 मेगावाट)।
2. ग्वालियर के निकट गैस टरबाइन स्टेशन (3 × 100 मेगावाट)।
3. गुना गैस टरबाइन विद्युत स्टेशन (3×100 मेगावाट+1×150 मेगावाट)।
4. झाबुआ गैस टरबाइन विद्युत स्टेशन (3×100 मेगावाट+1×150 मेगावाट)।
5. राजगढ़ गैस टरबाइन विद्युत स्टेशन (3×100 मेगावाट+1×150 मेगावाट)।
6. अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन (3×100 मेगावाट+1×150 मेगावाट)।

राजस्थान :

7. चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत स्टेशन (2×210 मेगावाट)।

पश्चिम बंगाल :

8. नकेश्वर ताप विद्युत स्टेशन (3×210 मेगावाट)।
9. सागरदिघी ताप विद्युत स्टेशन (2050 मेगावाट)।

बिहार :

10. तेनूघाट ताप विद्युत स्टेशन (चरण-2) (2×210 मेगावाट)।

महाराष्ट्र :

11. बम्बई उपनगर विद्युत प्रदाय लि० का दहानू ताप विद्युत स्टेशन (1 × 500 मेगावाट)।
12. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड का अमरेद ताप विद्युत यूनिट-1 और 2 (2 × 210 मेगावाट)।

पंजाब :

13. दोराहा ताप विद्युत संयंत्र (2 × 210 मेगावाट)।
14. गुरू नानक देव ताप विद्युत स्टेशन, भटिण्डा (2 × 210 मेगावाट)।
15. गोविन्दवाल ताप विद्युत स्टेशन (2 × 210 मेगावाट)।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह :

16. दक्षिणी अण्डमान में ताप विद्युत स्टेशन (2 × 20 मेगावाट)।
17. ग्रेट निकोबार में डीजल जेनरेटर क्षमता में बढ़ोत्तरी (3.2 मेगावाट)।
18. उत्तरी अण्डमान में डीजल जेनरेटर क्षमता में बढ़ोत्तरी (1.2 मेगावाट)।

केरल :

19. कयामकुलम में ताप विद्युत स्टेशन (3 × 210 मेगावाट)।
20. डीजल विद्युत स्टेशन, कोचीन (100 मेगावाट)।

आन्ध्र प्रदेश :

21. विजयश्वरम् गैस आधारित कम्बाइन्ड साईकल प्रोजेक्ट (3 × 33 मेगावाट)।

उत्तर प्रदेश :

22. जगदीशपुर, रायबरेली में गैस आधारित कम्बाइन्ड साईकल पावर प्लाण्ट (2 × 35 मेगावाट)।

गुजरात :

23. वतवा, अहमदाबाद में गैस टरबाइन कम्बाइण्ड साईकल पावर स्टेशन (116 मेगावाट)।

कर्नाटक :

24. मंगलौर ताप विद्युत स्टेशन (2 × 210 मेगावाट)।

(ख) उद्योग मंत्रालय :

25. हजिरा में मैसर्स रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स लि० का केप्टिव पावर प्लांट (60 मेगावाट)।
26. राष्ट्रीय अखबारी कागज और कागज मिल लि०, उत्तर प्रदेश का केप्टिव पावर प्लान्ट (15 मेगावाट)।

(ग) कृषि मंत्रालय :

27. सिंदरी, बिहार में भारतीय उर्वरक निगम का केप्टिव पावर प्लाण्ट (2 × 15 मेगावाट)।

28. भारतीय उर्वरक निगम, रामागुंडम का केप्टिव पावर प्लान्ट (40 मेगावाट)।

(घ) ऊर्जा मंत्रालय/विद्युत विभाग (केन्द्रीय क्षेत्र) :

29. विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन, चरण-2 (2 × 500 मेगावाट), मध्य प्रदेश।

30. रिहन्द ताप विद्युत स्टेशन, चरण-2 (2 × 500 मेगावाट), उत्तर प्रदेश।

31. नेवेली ताप विद्युत स्टेशन (ताप विद्युत स्टेशन-1 का विस्तार) (2 × 210 मेगावाट) तमिलनाडु।

32. एन० एल० सी० का बरसिंगसर ताप विद्युत स्टेशन (2 × 210 मेगावाट), राजस्थान।

33. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का दादरी गैस आधारित विद्युत संयंत्र (600 मेगावाट), उत्तर प्रदेश।

34. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की रामागुंडम ताप विद्युत स्टेशन (2100 मेगावाट), आन्ध्र प्रदेश।

35. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का चन्द्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन (4 × 500 मेगावाट), महाराष्ट्र।

जल विद्युत परियोजनाएं :

1. विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश।

2. कोल बांध जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश।

3. सावल कोट जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर।

4. बगलीहर जल विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर।

5. शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, कर्नाटक।

6. चालकुडी चरण-2 जल विद्युत परियोजना, केरल।

7. अन्नाकयाम जल विद्युत परियोजना, केरल।

भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

138. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भवन निर्माण सामग्री की उपलब्धता उसकी मांग की तुलना में निरन्तर कम होती जा रही है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप भवन निर्माण सामग्री के मूल्य तेजी से बढ़ रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो भवन निर्माण सामग्री अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या कोई भवन निर्माण सामग्री विकास बोर्ड की स्थापना का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सीमेंट तथा इस्पात की मौसमी अल्पापूर्ति के सिवाय निर्माण सामग्रियों की आमतौर पर कोई कमी नहीं है। कुछ मामलों में ईंटों की उपलब्धता में मौसमी अस्थिरता होती है और 1988-89 के दौरान 6,000 करोड़ के उत्पादन स्तर की तुलना में ईंटों की अनुमानित मांग 9,300 करोड़ है। निर्माण सामग्रियों की मांग सम्पूर्ण लागत सूचकांक में वृद्धि होने से कुछ निर्माण सामग्रियों की लागत में वृद्धि हुई है।

(ग) इस्पात, सीमेंट और ईंटों जैसी परम्परागत निर्माण सामग्रियों की कमी की समस्या का सामना करने के लिए, कई वैकल्पिक निर्माण सामग्रियां तैयार की गई हैं और कतिपय क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है। खोखली कंक्रीट ब्लाक, ल्यूलर ब्लाक, मिट्टी के मजबूत ब्लाक और पत्थरों के ब्लाकों की चिनाई इन सामग्रियों में से कुछ सामग्रियां हैं। इसके अलावा सरकार नई निर्माण सामग्रियों के उत्पादन के लिए उड़न राख जैसे औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा स्थानीय कारीगरों की कला का उन्नयन करने और स्थानीय संसाधनों पर आधारित वैकल्पिक निर्माण सामग्रियों के उत्पादन के लिए भी सम्पूर्ण देश में निर्माण केन्द्रों के नेटवर्क की स्थापना की जा रही है। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रयोगात्मक आधार पर हुडको निर्माण सामग्री उद्योगों की साम्य पूंजी में हुडको हिस्सा ले।

(घ) जी, अभी नहीं।

हथकरघा के लिए विपणन सहायता योजना

139. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** :
श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा के लिए एक नई विपणन सहायता योजना प्रारम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस तारीख से लागू किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) नई सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दिए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) बाजार विकास सहायता योजना 1-4-1989 से लागू की जाएगी।

(ग) योजना में राज्य हथकरघा विकास निगमों, राज्य हथकरघा शीर्ष तथा प्राथमिक समितियों को बहुउद्देशीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जोकि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जा सकती है :

(i) ब्याज उपदान, (ii) छूट/रियायत, (iii) शोरूम आदि स्थापित करने के लिए पूंजीगत/न्यूनतम धन, (iv) केन्द्रीय और/या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उद्देश्य के लिए बशर्ते कि सहायता की राशि राज्य शीर्ष समितियों/निगमों के मामलों में हथकरघा, फैब्रिक, मेड अप्स और

परिधानों (जनता कपड़ा छोड़कर) की औसत बिक्री के 8% से अधिक न हो और प्राथमिक समितियों के मामले में वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा के 15% से अधिक न हो। इस योजना पर होने वाला व्यय केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्यों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

140. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के रूप में चलाए जा रहे उपक्रमों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) किन-किन उपक्रमों ने "प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी" सम्बन्धी योजना कार्यान्वित की है और दुकान संयंत्र और बोर्ड में से किस-किस स्तर पर यह योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ग) क्या गुण दोष के आधार पर, उक्त योजना से छूट के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिए गए हैं; यदि हां, तो प्रत्येक मामले में अब तक पता लगाए गए गुण दोषों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) और (ख) 30 दिसम्बर, 1983 को अधिसूचित प्रबन्ध में श्रमिक भागीदारी की नवीनतम योजना को केवल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लागू किया जाना अपेक्षित है। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल 220 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं जिनमें से 17 प्रतिष्ठान वे हैं जो नए गठित किए जा रहे हैं। शेष 203 प्रतिष्ठानों में से 102 ने प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना को शाप और/या प्लांट स्तर पर लागू कर दिया है। अन्य 40 प्रतिष्ठानों ने भी भागीदारी फोरम गठित कर दिए हैं और अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कुछ फेर बदल करके इस योजना को लागू कर दिया है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान ने निदेशक बोर्ड स्तर पर इस योजना को लागू नहीं किया है।

(ग) अनेक उपक्रमों से शाप/प्लांट स्तर पर इस योजना को लागू करने से छूट दिए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्रशासनिक मन्त्रालय अर्थात् कृषि मन्त्रालय द्वारा अलग स्वरूप और निगम के सीमित कर्मचारियों के कारण इण्डियन डेयरी कार्पोरेशन को छूट दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भागीदारी

[हिन्दी]

141. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारतीय भागीदारी बढ़ाने का प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में वर्ष-वार किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीय कपड़ा मेले में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए छोटे वर्ग के कुछ कपड़ा निर्यातकों/व्यापारियों को विशेष रियायतें देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व नीति का ब्यौरा क्या है और वर्तमान सन्दर्भ में इसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी हां, हाल ही में सरकार ने वस्त्र निर्यातों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं :—वस्त्र मशीनरी के आयात पर शुल्क रियायतें, चुनिंदा वस्त्र मशीनरी मदों पर उत्पाद शुल्क में कटौती, अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत कच्चे माल/फैब्रिक के आयात की अनुमति निर्यात लाभों आदि पर आयकर के भुगतान से 100% छूट, बाजार अध्ययन प्रायोजित करने के लिए उदार सहायता प्रदान करना, क्रेता-विक्रेता बैठक, विदेशों में मेलों आदि में सहभागिता, आदि । इन उपायों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृति रही है ।

(ग) से (ङ) सरकार निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार उपर्युक्त रियायतें छोटे वस्त्र विनिर्माताओं/व्यापारियों को पहले से ही दे रही है और इनकी समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा भी की जा रही है ।

कपास का निर्यात

[अनुवाद]

142. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कपास के निर्यात का कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) इसमें से महाराष्ट्र को कितना कोटा आबंटित किया गया है;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोटे का लक्ष्य पूरा होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्य कितना कम रहेगा तथा इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) सरकार ने चालू रूई वर्ष में अभी तक निर्यात के लिए बंगाल देशी की 51241 गांठों का कोटा रिलीज किया है ।

(ख) किसी राज्य को कोई विशेष कोटा आबंटित नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) रिलीज किए गए कोटे की प्रतिक्रिया अच्छी रही है ।

न्हावा शेवा पत्तन परियोजना को मंजूरी

143. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई पत्तन पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए बम्बई में "सैटलाइट पोर्ट" के रूप में विकसित की जाने वाली न्हावा शेवा पत्तन परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) इस परियोजना में एक घाट का निर्माण किया जाएगा जिसमें डिब्बों व बड़ी मात्रा में जहाजों द्वारा ढोए जाने वाले शुष्क माल को रखने के लिए स्थान और बंकर सुविधाएं होंगी। इस योजना में पीछे के क्षेत्र में पूर्णतया यन्त्रीकृत माल वाहक प्रणाली एव एक कन्टेनर यार्ड युक्त भण्डारण शेडों का निर्माण शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में सहकारी कताई मिलों में घाटा

144. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी मशीनों, संचित घाटे इत्यादि के कारण महाराष्ट्र में अनेक सहकारी कताई मिलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों ने उक्त मिलों को उनकी समस्याओं से निपटने के लिए कोई समयावधि ऋण मंजूर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मिलों की वर्तमान कार्य स्थिति क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ङ) 30-6-1988 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लगभग 16 सहकारी कताई मिलों को पुरानी मशीनरी सहित अनेक कारणों की वजह से हानि हुई बताई गई है। आई०डी०बी०आई० ने आधुनिकीकरण प्रयोजनों हेतु वस्त्र आधुनिकीकरण निधि के अधीन महाराष्ट्र की सहकारी कताई मिलों को 2923 लाख रुपए के ऋण की मंजूरी दी है।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को सरकारी मकान का आबंटन

145. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के कर्मचारी सामान्य पूल तथा दिल्ली प्रशासन पूल से सरकारी आवासीय मकान प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान कर्मचारियों को सामान्य पूल से श्रेणी-वार कुल कितने मकान आबंटित किए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली प्रशासन से यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई है कि उनके पूल से किसी भी कनिष्ठ कर्मचारी को आवास आबंटित नहीं किया गया है;

(घ) क्या अक्तूबर, 1988 से नई नीति लागू होने के कारण हाल ही में अनेक ऐसे कर्मचारियों को सामान्य पूल से मकान आबंटित करने से मना कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो कर्मचारियों के अहित में बीच में ही नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का नीति की समीक्षा करने तथा ऐसे कर्मचारियों, जिन्हें अब तक इस लाभ से वंचित किया गया है को मकान आबंटित करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को सामान्य पूल में होस्टल वास सहित कुल 593 क्वार्टर आबंटित किए गए हैं । टाइपवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

टाईप	सामान्य पूल से दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को आबंटित वास की संख्या
I	115
II	135
III	241
IV	93
V	3
VI	2
होस्टल वास	4
योग :	593

(ग) और (घ) सितम्बर, 1988 में कोई नयी नीति लागू नहीं की गई है । वास्तव में यह तत्कालीन निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा अप्रैल, 1976 में जारी किए गए अनुदेशों की पुनरावृत्ति है जिसमें उल्लेख किया गया है कि जब कभी भी सम्पदा निदेशालय द्वारा दिल्ली प्रशासन के किसी कर्मचारी को आबंटन किया जाता है, तो उस समय दिल्ली प्रशासन इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि प्रतीक्षा सूची में उपर्युक्त आबंटी से कनिष्ठ व्यक्ति को उनके द्वारा अपने पूल से कोई आबंटन नहीं किया गया है ।

(ङ) से (छ) चूंकि निर्धारित नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, इसलिए समीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

बिहार में जनता कपड़ा योजना से लाभान्वित बुनकर

146. **श्री सलाउद्दीन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिहार के उन बुनकरों का कोई रिकार्ड अथवा उनकी कोई सूची है जिन्हें पिछले तीन वर्षों में जनता कपड़ा योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय हथकरघा यूनियन द्वारा लाभ पहुंचाया गया है; और

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय यूनियन द्वारा प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में जनता कपड़े का उत्पादन किया जाता है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान जनता कपड़ा योजना के तहत राज्य के शीर्षस्थ और क्षेत्रीय हथकरघा सहकारी संघों के अन्तर्गत आने वाले 42,600 हथकरघा बुनकर लाभान्वित हुए हैं।

(ख) बिहार में प्रत्येक क्षेत्रीय संघ का जनता कपड़े का अनुमानित वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1. छोटानागपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, रांची।	140 लाख वर्ग मीटर
2. बिहारशरीफ क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, नालन्दा।	20 लाख वर्ग मीटर
3. सिवान क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर संघ लि०, सिवान।	40 लाख वर्ग मीटर
4. भागलपुर क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, भागलपुर।	30 लाख वर्ग मीटर
5. मधुबनी क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी संघ लि०, मधुबनी।	10 लाख वर्ग मीटर

संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं की मूल्य स्थिति

147. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मूल्य सम्बन्धी स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के बावजूद दालों, सब्जियों और अन्य जन उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मूल्यों को नियन्त्रित रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एस० बैद्य) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान 4-2-1989 तक दालों (अरहर के अतिरिक्त), गेहूं, ज्वार, चाय तथा दूध की कीमतों में वृद्धि हुई है । सब्जियों के मामले में आलुओं की कीमत कुछ ऊंची रही परन्तु प्याज के मूल्य काफी कम रहे । चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, वनस्पति को छोड़कर, खाद्य तेलों का थोक मूल्य सूचकांक कम था, जबकि चीनी तथा गुड़ का थोक मूल्य सूचकांक अधिक रहा ।

(ग) दालों के मामलों में कीमतों में वृद्धि पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन में वृद्धि न होने तथा अक्तूबर, 1988 में आयात शुल्क में वृद्धि होने के कारण हुई कही जा सकती है । आमतौर से सब्जियों और खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी, सामान्य रूप से तिलहनों, सब्जियों के उत्पादन में हुई वृद्धि और मौसमजन्य कारणों से आई है । सरकारी नीति में मुख्य जोर आवश्यक वस्तुओं, जिनकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने तथा देशीय उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए वस्तुओं का आयात करने पर दिया गया है । सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलब्धता में आने वाले उतार-चढ़ाव पर बारीकी से नजर रखे हुए है और मूल्यों में किसी भी अवांछित वृद्धि को रोकने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है और दूर तक फैले तथा दुर्गम क्षेत्रों में अधिक उचित दर की दुकानें खोली गई हैं । दुर्गम तथा उन क्षेत्रों में जहां अभी तक उचित दर की दुकानें नहीं हैं, आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए मोबाइल वैनों को काम पर लगाया गया है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा उनकी उपलब्धता पर निरन्तर नजर रखने के लिए नियन्त्रण कक्ष स्थापित करें । जिला स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित की गई हैं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्बाध रूप से कार्य कर सके । राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे जमाखोरों, चोरबाजारियों तथा समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य कानूनों के तहत सख्त कार्यवाही करें ।

वन क्षेत्र में कमी

148. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा, पर्यावरण और औद्योगिकी केन्द्र तथा नेशनल रिमोट एजेन्सी, हैदराबाद द्वारा वर्ष 1972-75 और 1980-82 की अवधि के दौरान देश के बड़े शहरों के आसपास के वन क्षेत्रों के परिवर्तन का अध्ययन किया था और यह निष्कर्ष निकला था कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर के आसपास 15 प्रतिशत तक तथा दिल्ली के आसपास 60 प्रतिशत तक वन क्षेत्र में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इस एजेन्सी के निष्कर्षों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या अध्ययन में उल्लिखित 9 शहरी केन्द्रों तथा राज्यों की राजधानियों सहित अन्य मुख्य शहरों और नगरों के आसपास वन क्षेत्रों में कमी को रोकने तथा इनमें वृद्धि करने हेतु कोई कार्यवाही की जाएगी और यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों से हरित क्षेत्र में वृद्धि करने और ईंधन की लकड़ी की कमी को पूरा करने के लिए बड़े शहरों और उनके आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने को कहा गया है ।

अनधिकृत रिहायशी कालोनियों का गिराया जाना

149. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम ने सातवीं योजनावधि के दौरान कोई अनधिकृत रिहायशी कालोनियां गिराई हैं;

(ख) यदि हां, तो गिराई गई कालोनियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और विस्थापित निवासियों को बसाने के लिए यदि कोई पुनर्वास योजना शुरू की गई है तो वह क्या है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान किसी मामले में न्यायालयों द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इस बारे में वास्तविक वर्तमान स्थिति क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में शहतूत की खेती

150. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इस समय कितने क्षेत्र में शहतूत की खेती होती है;

(ख) क्या अनेक किसानों ने रेशम उत्पादन शुरू किया है जिससे राज्य में उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) राज्य के किन-किन क्षेत्रों में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है;

(घ) राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या अल्लेपी जिले में केन्द्रीय रेशम बोर्ड का एक कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) इस समय केरल में लगभग 1200 एकड़ क्षेत्र में शहतूत की खेती होती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इद्दुकी, पालघाट, कसारगोड, कैन्नानौर, व्यनाड, एलप्पी और कोट्टायम के क्षेत्रों में रेशम उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ।

(घ) राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने राज में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) 2 रेशम विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें से एक पालघाट में और दूसरा कोट्टायम जिले में है ।

(2) वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य को शहतूती कलमों से भरे 76 ट्रकों तथा 4,99,600 पौध की सप्लाई की गई ।

(3) केरल सरकार द्वारा स्थापित रेशम धागाकरण एकक को चलाने के लिए तकनीकी मार्ग-निर्देशन दिया गया है ।

(4) रेशम उत्पादन के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 4 प्रमुख स्वैच्छिक अभिकरणों को, शहतूती कलमों/पौध की सप्लाई करने, कृषक प्रशिक्षण और अध्ययन दौरों का आयोजन करने, विकसित चरखों की सप्लाई करने आदि के जरिए तकनीकी मार्ग-निर्देशन और सहायता प्रदान की गई है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार नियोजन के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

151. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा वर्ष 1988-89 के दौरान राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में इन लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया; और

(ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए निश्चित लक्ष्यों और उपलब्धियों के तरीकेवार और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार विवरण 1, 2, 3 और 4 संलग्न हैं ।

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गति लाने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) सेवाएं प्रदान करने के बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।

(2) कार्यक्रम के ढांचे की दक्षता और कारगरता में सुधार ।

(3) जन्म में अन्तर रखने के तरीकों पर बल, विशेष रूप से युवा आयु वर्ग के दम्पतियों के सन्दर्भ में ।

(4) कन्या के विरुद्ध भावना को दूर करने के लिए विशेष अभियान ।

(5) विवाह के सभव न्यूनतम आयु सम्बन्धी कानून के बारे में जागरूकता पैदा करना ।

(6) कम दम्पती सुरक्षा दरों वाले राज्यों पर विशेष ध्यान और शहरी गन्दी बस्तियां पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों तथा ग्रामीण निर्धन लोगों पर विशेष ध्यान ।

(7) परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों का अधिकाधिक सहयोग ।

(8) स्वीकारकर्ताओं को मुआवजा और प्रेरकों को प्रोत्साहन का भुगतान ।

(9) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य तथा व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रमों को गहन करना ।

(10) सूचना, शिक्षा और संचार घटकों को सुदृढ़ करना ।

(11) स्थानीय समुदायों आदि का और अधिक सहयोग लेना ।

विवरण-1

1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान आई० यू० टी० निवेशकों के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेन्सी	लक्ष्य			उपलब्धि		
		1988-89	1987-88	1986-87	1988-89 (अप्रैल, 88 से दिसम्बर, 88 तक)	1987-88	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	प्रमुख राज्य (एक करोड़ इससे अधिक आबादी वाले)						
1.	आन्ध्र प्रदेश	321000	250000	160000	139631	173974	99551
2.	असम	68400	35000	30000	15462	21079	31031
3.	बिहार	355000	272000	272000	121196	206360	200923
4.	गुजरात	317000	313000	300000	197872	318661	287819
5.	हरियाणा	187000	167000	150000	134597	182573	161769
6.	कर्नाटक	210000	198000	180000	139794	189765	187542
7.	केरल	115000	121000	70000	75627	85530	76164

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	मध्य प्रदेश	251000	265000	220000	181566	233544	216147
9.	महाराष्ट्र	475000	525000	650000	239149	393732	420841
10.	उड़ीसा	148000	122000	100000	103451	114086	105635
11.	पंजाब	270000	250000	250000	235050	348826	313633
12.	राजस्थान	210000	120000	120000	119710	140055	126094
13.	तमिलनाडु	453000	288000	300000	264677	493770	395468
14.	उत्तर प्रदेश	1151000	982000	750000	872445	1197824	1082246
15.	पश्चिम बंगाल	168000	115000	115000	69460	94994	75473
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
1.	हिमाचल प्रदेश	43200	32000	30000	22568	31365	30761
2.	जम्मू और कश्मीर	25700	17000	17000	8018*	12709	13113
3.	मणिपुर	7000	7000	6000	4526*	6158	4958
4.	मेघालय	5300	1500	1400	740**	1208	1487
5.	नागालैण्ड	4100	1500	1400	362**	493	1002
6.	सिक्किम	1700	1700	1400	991	1017	1146
7.	त्रिपुरा	4000	4400	4000	1099*	1529	2139
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1700	1500	1000	1207	1227	962

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	अरुणाचल प्रदेश	4200	2000	1500	1490	1902	1954
10.	चण्डीगढ़	10000	10000	6000	4361	6186	5783
11.	दादरा और नागर हवेली	180	200	150	152	160	213
12.	दिल्ली	110000	100000	720000	49335	64246	61659
13.	गोवा	3050	2840	1500†	1983	3162	2499
14.	दमन और द्वीव	250	160	155††	83	99	††
15.	लक्षद्वीप	100	100	100	28	86	105
16.	मिजोरम	2700	2500	1950	1245**	3192	1651
17.	पांडिचेरी	3300	3600	3600	3047	3491	3584
III.	अन्य एजेंसियां						
1.	रक्षा मन्त्रालय	18200	16000	14000	8793	12156	12009
2.	रेल मन्त्रालय	26100	23000	20000	8423	10804	9284
	अखिल भारत :	4970000	4250000	3750000	3028143	4355953	393469

आंकड़े अनन्तिम *नवम्बर तक के आंकड़े।

**अक्तूबर तक के आंकड़े।

†संयुक्त कार्य-निष्पादन पर आधारित क्योंकि गोवा, दमण और द्वीव के अलग लक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।

††गोवा में शामिल।

विवरण-2

1986-87, 1987-88 और 1988-89 में नसबन्दी के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेन्सी	लक्ष्य			उपलब्धियां		
		1988-89	1987-88	1986-87	1988-89 (अप्रैल, 88 से दिसम्बर, 88)	1987-88	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	मध्य प्रदेश	400000	450000	450000	127585	318311	452723
9.	महाराष्ट्र	500000	570000	570000	320627	460612	555353
10.	उड़ीसा	200000	225000	225000	101111	146982	149805
11.	पंजाब	120000	125000	125000	64936	149030	144106
12.	राजस्थान	225000	300000	300000	48184	194479	224880
13.	तमिलनाडु	450000	560000	560000	267922	511744	498890
14.	उत्तर प्रदेश	650000	650000	650000	340837	751670	743226
15.	पश्चिम बंगाल	437000	500000	500000	195645	324575	301171
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
1.	हिमाचल प्रदेश	30000	35000	35000	18988	31576	33038
2.	जम्मू और कश्मीर	36600	60000	60000	6941*	25669	35130
3.	मणिपुर	7000	7000	7000	2241*	4711	5328
4.	मेघालय	1000	700	700	263**	558	457
5.	नागालैंड	1000	1000	1000	410**	548	679
6.	सिक्किम	1100	1000	1000	524	861	1057
7.	त्रिपुरा	10000	10000	10000	3703*	5945	10786
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2000	1500	1500	1364	1522	1553

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	अरुणाचल प्रदेश	1800	1500	500	927	944	1039
10.	चण्डीगढ़	3500	3500	3500	1356	3708	3653
11.	दादरा और नगर हवेली	1100	1000	1000	310	1905	1722
12.	दिल्ली	36000	40000	40000	20960	28971	26901
13.	गोवा	4500	4270	4740†	3035	4457	4571†
14.	दमन और दीव	450	470	††	245	417	††
15.	लक्षद्वीप	60	60	60	36	25	34
16.	मिजोरम	3000	3000	3000	1745**	3565	2709
17.	पांडिचेरी	5300	6000	6000	4523	5727	5747
III.	अन्य एजेंसियां						
1.	रक्षा मन्त्रालय	28800	30000	30000	12675	22192	20913
2.	रेल मन्त्रालय	38400	40000	40000	17183	22659	20250
	अखिल भारत :	5374000	600000	6000000	2588281	4938937	5043185

आंकड़े अनन्तिम

*नवम्बर तक के आंकड़े ।

**अक्तूबर तक के आंकड़े ।

†संयुक्त कार्यनिष्पादन पर आधारित क्योंकि गोवा और दमण और दीव के अलग लक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं ।

††गोवा में शामिल ।

विवरण-3

1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान लाई जाने वाली गोलियों के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेन्सी	लक्ष्य			उपलब्धियां		
		1988-89	1987-88	1986-87	1988-89* (अप्रैल, 88 से दिसम्बर, 88)	1987-88*	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8
I. बड़े राज्य (एक करोड़ या इससे अधिक आबादी वाले)							
1.	आन्ध्र प्रदेश	151000	70000	80000	122410	108587	62980
2.	असम	12900	10000	10000	7570	6333	7429
3.	बिहार	20700	20000	20000	19005	16569	13564
4.	गुजरात	78000	100000	100000	104133	111476	96277
5.	हरियाणा	25000	25000	27000	39284	32871	30637
6.	कर्नाटक	65000	63000	63000	70701	71790	54765
7.	केरल	34500	40000	40000	34427	28000	27858

1	2	3	4	5	6,	7	8
8.	मध्य प्रदेश	132000	110000	100000	175139	131225	175781
9.	महाराष्ट्र	181000	217000	203000	230279	247562	212334
10.	उड़ीसा	37700	36000	36000	52830	44948	36852
11.	पंजाब	31000	28000	28000	53673	54598	52484
12.	राजस्थान	45990	20000	20000	40283	44182	35582
13.	तमिलनाडु	82100	76000	76000	124283	158666	79997
14.	उत्तर प्रदेश	112000	117000	120000	166764	155572	125076
15.	पश्चिम बंगाल	44700	37600	46500	66308	81084	85002
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
1.	हिमाचल प्रदेश	9500	6000	5400	7974	7472	8936
2.	जम्मू और कश्मीर	2600	4000	4000	2640	2290	2313
3.	मणिपुर	190	900	900	387	192	188
4.	मेघालय	2500	1000	900	1034	1342	924
5.	नागालैण्ड	980	500	1000	104	105	890
6.	सिक्किम	2100	2000	2000	1394	1150	1191
7.	त्रिपुरा	2900	2500	2500	2831	2291	1911
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	280	200	200	398	290	282

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	अरुणाचल प्रदेश	1600	700	700	905	812	763
10.	चण्डीगढ़	420	500	1000	355	336	345
11.	दादरा व नागर हवेली	40	100	100	73	79	82
12.	दिल्ली	2000	1500	1450	4143	2509	1768
13.	गोवा	1950	1120	1100*	1489	1362	1883
14.	दमण व द्वीव	150	80	**	57	73	**
15.	लक्षद्वीप	50	100	50	43	41	41
16.	मिजोरम	920	700	700	1197*	1069	598
17.	पांडिचेरी	990	1200	1200	982	1083	1399
III.	अन्य एजेंसियां						
1.	रक्षा मन्त्रालय	3800	3700	3700	2705	2954	3028
2.	रेल मन्त्रालय	3700	3600	3600	3842	3467	3349
3.	वाणिज्यिक वितरण	1050000	1000000	—	190667	741646	702333
	अखिल भारत :	2140260	2000000	1000000	152°909	2064206	1828842

*आंकड़े अन्तिम अनन्तिम ।

**गोवा राज्य में शामिल ।

†संयुक्त कार्य-निष्पादन पर आधारित क्योंकि गोवा, दमण और दीव के अलग-अलग लक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं ।

—शून्य ।

***नवम्बर तक के आंकड़े ।

विवरण-4

1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान प्रचलित गर्भ निरोधकों के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेन्सी	लक्ष्य			उपलब्धियां		
		1988-89	1987-88	1986-87	1988-89† (अप्रैल, 88 से दिसम्बर, 88)	1987-88†	1986-87
1	2	3	4	5	6	7	8
क.	प्रमुख राज्य (एक करोड़ या इससे अधिक आबादी वाले)						
1.	आन्ध्र प्रदेश	773000	540000	350000	554889	423695	206648
2.	असम	119000	46300	37000	30682	30460	42508
3.	बिहार	202000	150000	110000	93041	101116	86443
4.	गुजरात	650000	588000	450000	598770	573844	547204
5.	हरियाणा	628000	470000	470000	618560	581639	481555
6.	कर्नाटक	222000	220000	140000	204050	209316	178690
7.	केरल	271000	150000	150000	203762	169992	173585

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	मध्य प्रदेश	961000	747000	580000	932270	692741	761480
9.	महाराष्ट्र	849000	850000	700000	734139	728891	733719
10.	उड़ीसा	268000	192000	150000	232722	196210	165618
11.	पंजाब	462000	380000	380000	497815	504758	475327
12.	राजस्थान	527990	220000	140000	373996	298022	240247
13.	तमिलनाडु	320000	293000	130000	202642	303521	175763
14.	उत्तर प्रदेश	1183000	1000000	880000	984799	960398	894629
15.	पश्चिम बंगाल	412000	250000	200000	187749	197732	154096
II.	छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र						
1.	हिमाचल प्रदेश	69300	42000	35000	46871	42211	40563
2.	जम्मू व कश्मीर	31200	15000	15000	10825	10418	12402
3.	मणिपुर	3900	6600	6600	1881	1541	2348
4.	मेघालय	13600	6000	6000	1556	2494	2770
5.	नागालैंड	640	600	500	16	25	74
6.	सिक्किम	600	400	500	269	137	211
7.	त्रिपुरा	8100	4000	3000	2594	2999	3923
8.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1300	900	500	988	995	763

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	अरुणाचल प्रदेश	1700	700	600	556	516	650
10.	चण्डीगढ़	14200	9000	8000	8739	7811	7846
11.	दादरा व नागर हवेली	600	700	500	488	506	586
12.	दिल्ली	345000	248000	190000	200325	237050	200692
13.	गोवा	17700	9500	8000*	11591	11033	12203*
14.	दमण व द्वीव	1400	500	**	203	240	**
15.	लक्षद्वीप	790	500	500	255	156	357
16.	मिजोरम	2200	2300	2300	1181***	1272	1082
17.	पांडिचेरी	8400	6000	6000	9086	8279	8875
III.	अन्य एजेंसियां						
1.	रक्षा मन्त्रालय	82700	65000	60000	46438	49963	50292
2.	रेल मन्त्रालय	402000	316000	290000	291214	282218	273768
3.	वाणिज्यिक वितरण	420000	4000000	5000000	2484815	4693472	3883889
	अखिल भारत :	13043320	10750000	10500000	9569777	11325981	9824806

†आंकड़े अनन्तिम ।

*संयुक्त कार्यनिष्पादन पर आधारित क्योंकि गोवा, दमण और द्वीव के अलग-अलग लक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं ।

**गोवा राज्य में शामिल ।

***नवम्बर तक के आंकड़े ।

कोबाल्ट थेरापी यूनिट स्थापित करने के लिए केरल द्वारा वित्तीय सहायता की मांग

152. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने जनरल हास्पीटल इरनाकुलम के लिए एक नई कोबाल्ट थेरापी यूनिट स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय द्वारा टेली थिरेपी पर स्थापित की गई स्थायी समिति ने 26-7-1988 को हुई अपनी बैठक में जनरल हास्पिटल एर्णाकुलम के न्यू कोबाल्ट थिरेपी यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया परन्तु इसने प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया। इसलिए, केरल सरकार को इस उद्देश्य के लिए कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकी।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

153. **श्री वी० तुलसीराम** :
श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की ट्रेड यूनियनों ने केन्द्रीय सरकार से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई शृंखला को वापस लेने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार से मांग करने वाली ट्रेड यूनियनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, हां।

(ख) (1) सेंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि०, इम्पलाईज यूनियन, साहिबाबाद।

(2) भारत इलैक्ट्रानिक्स इम्पलाईज यूनियन, गाजियाबाद।

(3) म्यूनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन, दिल्ली।

(4) कर्नाटक थाट्स कर्मिकारा संघ, अंकलेश्वर।

(5) प्रिंट पाक इम्पलाईज यूनियन, फरीदाबाद।

(6) द इण्डिया टिन इण्डस्ट्रीज वर्कर्स यूनियन, बंगलौर।

(7) जनरल इंश्योरेंस इम्पलाईज आल इण्डिया एसोसिएशन, बम्बई।

(8) भारत गोल्ड माइन्स इम्पलाईज यूनियन, अरगाम ।

(9) कापरा मजदूर लाल झंडा यूनियन, दिल्ली ।

(ग) सरकार का नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100) को वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1960 आधार वर्ष के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की शृंखला वर्ष 1958-59 के दौरान किए गए परिवार रहन सहन सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर बनाई गई थी। समय बीतने के साथ इस सर्वेक्षण पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पुराना हो गया है। 1982 को आधार वर्ष लेकर नई शृंखला को नियोजकों, कर्मचारियों और राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर परामर्श करने के पश्चात् प्रारम्भ किया गया था। 1982 सूचकांक वास्तविक उपयोग व्यय पद्धति पर आधारित है जैसाकि 1981-82 के दौरान किए गए परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण में पाया गया।

राष्ट्रीय वेतन नीति

154 **श्री वी० तुलसीराम :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वेतन नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय वेतन नीति के अन्तर्गत किन-किन रोजगारों को शामिल किए जाने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्री (श्री विन्देश्वरी दुबे) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने के प्रश्न पर विभिन्न फोरमों में समय-समय पर विचार किया गया है। इस विषय पर 23 सितम्बर, 1985 को राज्य श्रम मन्त्रियों के एक ग्रुप द्वारा विचार-विमर्श किया गया था और बहुमत यह था इस स्तर पर राष्ट्रीय वेतन नीति बनाना व्यवहार्य नहीं है। 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि जब तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी व्यवहार्य नहीं हो जाती है तो एक क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी का होना वांछनीय होगा जिसके लिए केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित करे। यह दिशा-निर्देश जुलाई, 1987 में परिचालित किए गए थे।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्रस्ताव

155. **श्री वी० तुलसीराम :**
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कर्मचारी संख्या कम करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन कार्यालयों की कर्मचारी संख्या कम किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या उनकी वैकल्पिक नियुक्ति का प्रबन्ध कर दिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसा करने से राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने घाटे को कितना कम कर सकेगा ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) एन० टी० सी० में कर्मचारियों की विद्यमान क्षमता आवश्यकता से अधिक है। फिर भी बेशी कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी। एन० टी० सी० ने विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत कर्मचारी स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे सकते हैं। स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने वाले ऐसे कर्मचारियों को आकर्षक मुआवजा भी दिया जाता है।

(घ) एन० टी० सी० अनेक उपाय करके घाटे को कम करने का प्रयास कर रही है। इनमें शामिल हैं : चुनिंदा आधुनिकीकरण करना, उत्पाद उन्नत बनाना, बेहतर क्षमता उपयोग तथा उच्चतर उत्पादकता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय बाजार में भारतीय सूती वस्त्र

156. **श्री वी० तुलसीराम :**
डा० कृपासिंधु भोई :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय बाजार में भारतीय सूती वस्त्रों की मांग घट रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987 की तुलना में वर्ष 1988 में हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्यात के प्रयोजन हेतु भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा हानि को पूरा करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय बाजारों में भारतीय वस्त्रों को पीछे छोड़ देने वाले सूती वस्त्र निर्यातक देशों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय को 1987 के दौरान 422 करोड़ रुपए की तुलना में 1988 के दौरान 338 करोड़ रुपए की राशि के सूती वस्त्र का निर्यात हुआ इस कमी का मुख्य कारण सूती यार्न के निर्यात में कमी है।

(ग) कई अत्याधुनिक वस्त्र मशीनरियों को रियायती शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी गई है। टैक्सटाइल उद्योग द्वारा प्रयोग की जाने वाली कई मशीनरियों पर उत्पाद शुल्क 15% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यार्न और फैब्रिकों के निर्यात के बदले कपास के आयात की अनुमति दी जाती है।

(घ) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाजार में सूती वस्त्रों के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान आदि भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वनों का सर्वेक्षण

157. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वनों के बारे में सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष वनों का अपक्षीणन हो रहा है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिवर्ष कितने क्षेत्र का अपक्षीणन हो रहा है; और

(घ) वनों के अपक्षीणन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) उपग्रह प्रतिबिम्बकी के जरिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि 1972-75 से 1980-82 की अवधि के दौरान वन क्षेत्र के विनाश की वार्षिक औसत दर लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर थी।

(घ) वनों के अवक्रमण को रोकने और उनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर और अधिक बल दिया गया है।
2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था। 1988 में इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।
3. वनों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबन्धों को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।
4. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है।
5. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।
6. वन उत्पादों के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है।
7. लकड़ी के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
8. झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
9. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं :—
    1. प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य बागवानी दृष्टिकोणों से, इस प्रकार की कटाई अपरिहार्य हो, वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

3. पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें वनों की कटाई से सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है।

4. 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीवमंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

विभिन्न राज्यों से चावल की खरीद

158. **श्री राधाकांत डिगाल :**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में विभिन्न राज्यों से चावल की खरीद के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार चावल की कुल कितनी मात्रा में खरीद की गई है; और

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) चावल की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि चावल की वसूली मिल-मालिकों और व्यापारियों के उत्पाद/स्टॉक पर सांविधिक लेवी के अधीन की जाती है और चावल तैयार करने के लिए धान की वसूली सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसानों द्वारा स्वेच्छा से पेश किए गए धान से की जाती है।

(ख) 50.63 लाख मीटरी टन चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य/संघ शासित प्रदेश	मात्रा लाख मीटरी टन में
1	2
आंध्र प्रदेश	4.04
असम	0.01
हरियाणा	6.25

1	2
जम्मू तथा कश्मीर	0.06
कर्नाटक	0.66
मध्य प्रदेश	1.87
उड़ीसा	0.68
पंजाब	26.77
राजस्थान	0.15
उत्तर प्रदेश	9.63
पश्चिम बंगाल	0.36
चंडीगढ़	0.12
दिल्ली	0.02
पांडिचेरी	0.01
जोड़ :	50.63

पंजाब को पर्यावरण के संरक्षण हेतु धन का आवंटन

159. **श्री कमल चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए पर्यावरण के संरक्षण हेतु कितनी धन-राशि आवंटित की गई;

(ख) इन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि खर्च की गई;

(ग) क्या सम्पूर्ण धन-राशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पंजाब राज्य पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान 19.464 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी।

(ख) और (ग) अब तक लगभग 12.20 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) इस राशि का उपयोग करने के लिए वित्तीय वर्ष 1988-89 अभी समाप्त नहीं हुआ है।

वर्ष 1988 में दिल्ली में श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल के बाद उन्हें परेशान किया जाना

[हिन्दी]

160. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और इसके निकटवर्ती औद्योगिक नगरों में नवम्बर, 1988 के दौरान जिन औद्योगिक श्रमिकों ने सात दिन की हड़ताल की थी जिनको अब प्रबन्धकों द्वारा परेशान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) श्रमिकों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) से (ग) उन कर्मकारों को जो 22-11-88 से 28-11-88 तक के दौरान हड़ताल पर थे प्रबन्ध तन्त्र द्वारा परेशान किए जाने की कोई सूचना दिल्ली प्रशासन या हरियाणा सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मणिपुर को गेहूं और चावल

[अनुवाद]

161. **श्री एम० टोम्बी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार मणिपुर राज्य को कितनी मात्रा में चावल और गेहूं की सप्लाई की गई और मांग की तुलना में उनका क्या अनुपात था;

(ख) क्या सरकार को दीनापुर से इम्फाल के बीच खाद्यान्न की चोरी होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस बारे में स्थानीय यूनिट से जानकारी प्राप्त करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एस० बैठा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

मणिपुर के सम्बन्ध में गेहूं और चावल की मांग, आबंटन और उठान

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

वर्ष	चावल				गेहूं			
	मांग	आबंटन	उठान	प्रतिशतता	मांग	आबंटन	उठान	प्रतिशतता
1986	57.0	52.5	27.9	48.94	37.0	33.0	5.0	13.51
1987	96.0	58.5	48.0	50.0	48.0	24.0	11.2	23.33
1988	96.0	66.0	42.5	44.27	38.0	24.0	9.0	23.68

अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से धनराशि प्राप्त करना

162. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से विजयवाड़ा शहर और आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य शहरों तथा कस्बों में गन्दी बस्तियों और जल विकास की सुविधाओं में सुधार लाने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार विजयवाड़ा के 136 मलिनबस्तियों के उन्नयन हेतु एक परियोजना प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्रशासन (ओवरसीज डिवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन) से सहायता के लिए केन्द्र सरकार को भेजा है। केन्द्र सरकार ने परियोजना का अनुमोदन कर दिया है और सहायता के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को प्रस्तुत किया है। ब्रिटिश सहायता से हैदराबाद मलिन बस्ती सुधार परियोजना 11-ए) और विशाखापट्टनम मलिनबस्ती सुधार परियोजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है।

अहमदाबाद में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के मजदूरों को पुनर्वास राहत

163. **श्री हरुभाई मेहता** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों के ऐसे मजदूरों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 987 और 1988 के दौरान पुनर्वास राहत दी गई है;

(ख) अहमदाबाद में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है और इनसे कितने मजदूर भावित हुए हैं; और

(ग) शेष मजदूरों को पुनर्वास सम्बन्धी राहत की राशि का भुगतान न किए जाने के क्या ारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) 8-2-1989 की स्थिति के अनुसार क अहमदाबाद मिल के कामगारों को वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के तहत 1.33 करोड़ ये की राशि अदा की गई है।

(ख) 30-9-1988 की स्थिति के अनुसार अहमदाबाद में कुल 24 ऐसी सूती/मानव निर्मित ाइबर वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हुई थीं जिनमें 42,538 कामगार कार्यरत थे।

(ग) वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना के तहत, योजना की शर्तों को पूरा करने पर ही जाती है।

दिल्ली में शरणार्थियों को प्लाटों/फ्लैटों का आबंटन

164. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने शरणार्थियों को प्लाट अथवा फ्लैट आबंटित किए गए हैं और कितनों के पास रहने के लिए अभी कोई स्थान नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का शेष शरणार्थियों को प्लाट अथवा फ्लैट आबंटित करने का विचार है; यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में गैंडों की संख्या

165. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कुल कितने गैंडे हैं; और

(ख) 1984 तथा 1986 में उनकी संख्या कितनी-कितनी थी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) काजीरंगा में 1984 से गैंडों की कोई गणना नहीं की गई है और इसलिए सही संख्या नहीं दी जा सकती।

(ख) 1984 की गणना के अनुसार, काजीरंगा में गैंडों की संख्या 1086 थी। 1986 में कोई गणना नहीं की गई थी।

खाद्य राजसहायता पर खर्च की गई धनराशि

166. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 की अवधि के दौरान खाद्य राजसहायता पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इसी अवधि के दौरान इसमें से गेहूं और चावल पर राजसहायता के रूप में पृथक्-पृथक् कितनी धनराशि खर्च की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) 1986-87 और 1987-88 के दौरान सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दी गई सब्सिडि की कुल राशि (उपभोक्ता सब्सिडि और बफर स्टाक रखने की लागत) निम्नानुसार थी :—

वर्ष	करोड़ रुपयों में
1986-87	2000
1987-88	2000

(ख) 1986-87 और 1987-88 के लिए गेहूं और चावल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा

क्लेम की गई उपभोक्ता सब्सिडि और बफर स्टाक रखने की लागत निम्नानुसार थी :—

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	वर्ष	उपभोक्ता सब्सिडि		जोड़ (3+4)	बफर स्टाक रखने की लागत (गेहूं और चावल के लिए औसत पूल्ह लागत)	कुल जोड़ (5+6)
		गेहूं	चावल			
1	2	3	4	5	6	7
1.	1986-87	936.06	686.53	1622.59	510.05	2132.64
2.	1987-88	1140.32	784.01	1924.33	208.82	2128.15

तथापि, भारतीय खाद्य निगम को प्रत्येक वर्ष के लिए सब्सिडि का भुगतान वास्तविक के आधार पर समायोजन करने की शर्त पर 2000/- करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में सुझाव

167. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों ने उनके मन्त्रालय को नए और पुराने मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं सम्बन्धी सम्बद्ध कारणों के बारे में कुछ सुझाव दिए थे;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार ने कर्मचारियों और श्रमिकों के सुझावों को किस हद तक स्वीकार या अस्वीकार किया है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1960 तथा 1982 आधार श्रृंखलाओं से सम्बन्ध जोड़ने के संबद्ध कारण का पता लगाने के लिए, कर्मचारी प्रतिनिधियों ने नई श्रृंखलाओं के लागू किए जाने वाले माह से पहले के 12 महीनों के सूचकांकों के औसत के अनुपात का सुझाव दिया था। सरकार ने कर्मचारी प्रतिनिधियों के सुझाव को स्वीकार कर लिया।

नौएडा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरी खोलना

168. **श्री कमल चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** नौएडा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरी खोले जाने के बारे में 30 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2579 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नौएडा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की डिस्पेंसरी खोलने के लिए उपयुक्त स्थान मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और डिस्पेंसरी कब तक खोली जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार ने नौएडा में रह रहे केन्द्रीय सरकार में कार्यरत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार के पेंशनर निकटतम औषधालय से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें प्राप्त करने के पात्र हैं ।

कपास एकाधिकार योजना

169. **श्री उत्तमराव पाटिल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कपास एकाधिकार योजना को जो 10 जून, 1989 तक वैध है आगामी दस वर्षों तक जारी रखने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

अनधिकृत कालोनियों में नागरिक सुविधाएं

170. **श्री गंगा राम** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनधिकृत कालोनियों में सीवर, जल कनेक्शन, सड़कों जैसी नागरिक सुविधाओं में सुधार करने हेतु 600 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कालोनियों का विवरण क्या है जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989 में सम्मिलित किया जायेगा;

(ग) ऐसी कालोनियों का चयन करने के मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) क्या वर्ष 1973 में स्थापित वैशाली कालोनी, डाबरी एक्सटेंशन पालम रोड, नई दिल्ली को इन कालोनियों की सूची में सम्मिलित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) अनधिकृत कालोनियों

में नागरिक सुविधायें मुहैया करने के लिए कोई अनुमोदित योजना नहीं है। तथापि, दिल्ली प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन कालोनियों में पेयजल मुहैया किया जाएगा।

(घ) वैशाली कालोनी और डाबरी एक्सटेंशन (इसका वह भाग जो 1977 में निर्णायक तिथि से पूर्व अस्तित्व में था) ग्रामीण नजफगढ़ जोन में अनधिकृत नियमित कालोनियां हैं। अनधिकृत नियमित कालोनियों में नागरिक सुविधायें अनुमोदित प्लान स्कीम "नियमित अनधिकृत कालोनियों का विकास" के अन्तर्गत मुहैया की जा रही हैं।

लद्दाख क्षेत्र में साह (स्नो लेपर्ड)

171. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में विश्व में जंगली बिल्लियों की एक दुर्लभ प्रजाति साह (स्नो लेपर्ड) के होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी आदतों का अध्ययन प्रारम्भ किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में ऐसे ही और पशुओं के होने का अनुमान है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का उन्हें पकड़ने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि लद्दाख हिम तेंदुओं के वास स्थलों में से एक है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय वन्यप्राणी संस्थान द्वारा हिम तेंदुआ की पारिस्थितिकी के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के एक भाग के रूप में हिम तेंदुआ के शिकार की विभिन्न प्रजातियों का पता लगाया गया है और अध्ययन क्षेत्र में उनकी भिन्न-भिन्न संख्या को निर्धारित किया गया है। इन शिकार प्रजातियों के रहने के स्थलों और उस क्षेत्र की वनस्पति का तृण भक्षियों द्वारा इसके उपयोग के संदर्भ में अध्ययन भी किया जा रहा है, जिनका शिकार हिम तेंदुआ करता है। हिम तेंदुए के गले में रेडियो-कलर्ड (पट्टा) लगाया जाता है और इसकी गतिविधियों, व्यवहार और क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए इससे गहन सम्पर्क बनाए रखा जाता है। अध्ययन जारी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अन्य हिम तेंदुओं के गले में रेडियो-कलर्ड (पट्टा) लगाने के लिए उन्हें बेहोश करना और फिर उन्हें उनके वास स्थल में छोड़ने का प्रयास चालू अध्ययन के एक भाग के रूप में किया जा सकता है।

मणिपुर में बुनकरों के लिए बेहतर करघे

172. **श्री एम० टोम्बी सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मणिपुर में हथकरघा बुनकरों के लिए बेहतर आधुनिक करघे, चरखे तथा अन्य बुनाई उपकरण उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) भारत सरकार ने वर्ष 1987 में मणिपुर राज्य सरकार के लिए 212.00 लाख रुपये की लागत से ऊनी एक्रेलिक वस्त्रों की एक पर्वतीय क्षेत्र हथकरघा विकास परियोजना स्वीकृत की है। ऋण/अनदान के रूप में सहायता पैटर्न 50 : 50 का है, जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर दिया जाएगा। परियोजना के तहत एक मद आधुनिकीकरण कार्यक्रम है। राज्य सरकार ने बुनकरों को उन्नत घुमावदार चर्खों वाले फ्लाई शटल फ्रेम करघों का सेट प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जिससे वे अपने कम उत्पादकता वाले लोइन करघे प्रतिस्थापित कर सकें। मणिपुर राज्य सरकार ने बताया है कि परियोजना कार्यान्वित करने वाले अभिकरण "मणिपुर हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम" ने अभी तक 309 हथकरघा बुनकरों को सहायक उपकरणों सहित पूरेफ्लाई शटल करघे सप्लाई किए हैं।

मणिपुर में वनरोपण योजना

173. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार से वर्तमान वन क्षेत्रों का मूल्यांकन उनके संरक्षण तथा काटे गए वन-क्षेत्रों में वनरोपण हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के समेकित विकास की योजना के अन्तर्गत मणिपुर को सहायता

174. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों के समेकित विकास योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मणिपुर को शहर-वार कितनी-कितनी सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान और अधिक शहरों को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दलबीर सिंह : (क)

(रुपये लाखों में)

नगर	1985-86	1986-87	1987-88
1. जिरिनाम	—	9.00	8.00
2. कच्छिग	12.00	—	9.00
3. तमलई	—	—	15.00
4. बिशुनपुर	—	—	15.00
योग :	12.00	9.00	47.00

(ख) और (ग) जी, हां । इम्फाल को वर्ष 1989-90 के दौरान इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

चावल की कीमतों में वृद्धि

175. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
डा० कृपासिंधु भोई :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले सभी किस्मों के चावल की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है तथा कीमतों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(ख) कीमतों में वृद्धि का उपभोक्ताओं पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एस० बैंठा) : (क) खरीफ मौसम 1988-89 के लिए धान के समर्थन मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण, भारत सरकार ने केन्द्रीय पूल से राज्य सरकारों को उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के लिए सप्लाई किए जा रहे चावल के निर्गम मूल्यों में वृद्धि की है । इस वृद्धि की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

चावल की किस्म	वृद्धि की प्रतिशतता
साधारण	2.09
बढ़िया	15.15
उत्तम	16.49

(ख) उपभोक्ता पर मूल्य-वृद्धि का प्रभाव राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए गए अन्तिम मूल्यों पर निर्भर करेगा। केन्द्रीय सरकार के निर्गम मूल्यों में पर्याप्त सब्सिडि होती है।

जन्म दर में कमी

176. **श्री एच० डी० पाटिल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक परिवार नियोजन अभियान के परिणास्वरूप, जिसे देश में गत कई वर्षों से जोर शोर से चलाया जा रहा है, जन्म दर में बहुत अधिक कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां जन्म दर कम हो रही है तथा कब से कम हो रही है और शिक्षा और जाति को देखते हुए समाज के किस वर्ग तथा किस आयु वर्ग पर इसका प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) देश में जन्म दर जो 1961-71 (जनगणना अनुमान) में 41.2 थी अनुमान है कि 1987 (नमूना पंजीयन पद्धति के अन्तिम अनुमान) में घटकर 32.0 प्रति हजार आबादी हो गई है।

(ख) वर्ष 1975-77, 1980-82, 1985-87 (अनन्तिम) के नमूना पंजीयन पद्धति के अनुमानों के अनुसार जिन बड़े राज्यों ने उपर्युक्त अवधि में जन्म दर में कमी दर्शायी है वे हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तथापि, राज्यों की जन्म दरों के अनुमान प्रश्न में निर्दिष्ट वर्षों के अनुसार नहीं लगाए जाते हैं।

केरल को चावल, गेहूं, चीनी तथा पामोलीन की सप्लाई

177. **प्रो० के० वी० थामस** :
श्री वी० एस० विजयराघवन :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान केरल को कितनी मात्रा में चावल, गेहूं, चीनी तथा पामोलीन सप्लाई किया गया;

(ख) क्या पिछले वर्षों की तुलना में गत वर्ष के दौरान चावल, गेहूं, चीनी तथा पामोलीन का कोटा कम कर दिया गया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने केरल को चावल, गेहूं, चीनी तथा पामोलीन की सप्लाई के लिए कितनी राशि की राजसहायता दी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान केरल राज्य सरकार को चावल और गेहूं की आपूर्ति करने में संघ सरकार द्वारा 146.36 करोड़ रुपए की सब्सिडी वहन की गई।

विवरण

1987 और 1988 के वर्षों के लिए केरल के सम्बन्ध में चावल, गेहूं, चीनी और पामोलीन के आवंटन और उठान

(हजार मीटरी टन)

वर्ष	चावल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)		गेहूं (सार्वजनिक वितरण प्रणाली)	
	आवंटित की गई मात्रा	उठाई गई मात्रा	आवंटित की गई मात्रा	उठाई गई मात्रा
1987	1660.0	1605.0	420.0	105.6
1988	1550.0	1642.9	235.0	153.4

वर्ष	खाद्य तेल		चीनी	
	आवंटित की गई मात्रा	उठाई गई मात्रा	आवंटित की गई मात्रा	उठाई गई मात्रा
1987	63.5	54.84	146.3	**
1988	64.35	53.72	147.0	**

**राज्य सरकार, आवंटित की गई चीनी को फैक्ट्रियों से उठाने का प्रबन्ध स्वयं करती है।

वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान खाद्यान्नों का आयात

[हिन्दी]

178. श्री राम पूजन पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान खाद्यान्नों का आयात किया गया था; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक खाद्यान्न का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ग) इन खाद्यान्नों के लिए देश में इनकी कीमतों की तुलना में कितनी अधिक राशि का भुगतान किया गया तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एस० बैठा) : (क) और (ख) 1987

के दौरान गेहूं और चावल का कोई आयात नहीं किया गया। तथापि, 1987 में पड़े सूखे के कारण बफर स्टाक काफी कम हो गया था जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव पड़ा था और कम वसूली हुई थी; इस बफर स्टाक की भरपाई करने के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान 20.11 लाख मीटरी टन गेहूं और 6.84 लाख मीटरी टन चावल का आयात किया गया।

(ग) आयातित गेहूं और चावल की उतरान लागत की तुलना में स्वदेशी गेहूं और चावल के अनुमानित मूल्य निम्नानुसार है :—

(प्रति मीटरी टन दर)

	स्वदेशी	आयातित
गेहूं	2522.70	2626.30
चावल	3674.30	4082.84

केरल राज्य के लिए चावल के कोटे में कटौती

[अनुवाद]

179. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लिए चावल के कोटे में हाल ही में भारी कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में सार्वजनिक वितरण के लिए चावल की मासिक आवश्यकता कितनी है, प्रति माह कितना आवंटन किया जाता है; वर्ष 1988 के दौरान कितना आवंटन किया गया और हाल में की गई कटौती के बाद इस समय चावल की कितनी मात्रा का आवंटन किया जा रहा है; और

(ग) उक्त राज्य के लिए आवंटन में की गई कटौती के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ग) केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, चावल की नई फसल की आमद पर सुधरी हुई बाजार उपलब्धता और इस तथ्य की दृष्टि में कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आपूर्ति केवल अनुपूरक स्वरूप की होती है, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के चावल के आवंटनों की फरवरी, 1989 में ससीक्षा की गई थी। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप, केरल सहित अधिकांश राज्यों का चावल का कोटा समान रूप से 20% कम कर दिया गया था।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें केरल के सम्बन्ध में जनवरी, 1988 से फरवरी, 1989 तक चावल की मांग और आवंटन का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

केरल के सम्बन्ध में जनवरी, 1988 से फरवरी, 198 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल की मांग और आवंटन का ब्यौरा

(हजार मीटरी टन में)

मास	मांग	आवंटन
1988		
जनवरी	200.0	145.0
फरवरी	200.0	135.0
मार्च	200.0	125.0
अप्रैल	200.0	125.0
मई	200.0	125.0
जून	200.0	125.0
जुलाई	200.0	125.0
अगस्त	200.0	145.0
सितम्बर	200.0	125.0
अक्तूबर	200.0	125.0
नवम्बर	200.0	125.0
दिसम्बर	200.0	125.0
1989		
जनवरी	200.0	125.0
फरवरी	200.0	100.0

केरल के लिए सेला चावल के कोटे में वृद्धि

180. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए सेला चावल के कोटे में वृद्धि करने के लिए केरल राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिसम्बर, 1988 और जनवरी, 1989 के दौरान उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए केरल को चावल और खाद्य तेल की क्रमशः कुल कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) सेला चावल के कोटे में वृद्धि करने विषयक ऐसा कोई अनुरोध राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) दिसम्बर, 1988 और जनवरी, 1989 के महीनों के दौरान केरल सरकार को आवंटित किए गए और उनके द्वारा उठाए गए चावल और खाद्य तेल की मात्राओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मीटर टन में)

	दिसम्बर, 1988		जनवरी, 1989	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
चावल	1,25,000	1,13,300	1,25,000	1,05,900
खाद्य तेल	3,500	*6,503.5	3,500	807.5

*पिछले महीनों से आगे लाए गए बैक लाग के कारण अधिक उठान हुआ है।

आपरेशनल बफर स्टाक से गेहूं की सप्लाई

181. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशनल बफर स्टाक से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रति माह गेहूं और चावल कितनी मात्रा में जारी किया जाता है;

(ख) क्या दोनों खाद्यान्नों की सप्लाई अब कम कर दी गई है; यदि हां, तो कितनी कमी की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और समाज के कमजोर वर्गों के लोग राशन में की गई इस कटौती को किस प्रकार कहां से और किस मूल्य पर खरीद करके पूरी करेंगे ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें जनवरी, 1988 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को गेहूं और चावल के किए गए मासवार आवंटन का ब्यौरा दिया गया है। बाजार में नई फसल की आमद होने, केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फरवरी, 1989 मास के लिए चावल के समूचे आवंटन में कमी कर दी गई है।

(ग) केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों का आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप का होता है। देश में 1988-89 के दौरान कृषि उत्पादन अच्छा होने की दृष्टि में, खुले बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार होगा और उनके मूल्य स्थिर होंगे।

विवरण

(हजार मीटर टन में)

मास	गेहूं	चावल	जोड़
जनवरी, 1988	946.27	973.35	1919.62
फरवरी, 1988	1008.22	833.55	1841.77
मार्च, 1988	895.95	737.55	1633.50
अप्रैल, 1988	719.62	776.45	1496.07
मई, 1988	725.55	721.50	1447.05
जून, 1988	699.45	702.50	1401.95
जुलाई, 1988	677.55	779.00	1456.55
अगस्त, 1988	680.45	751.00	1431.45
सितम्बर, 1988	703.50	745.30	1448.80
अक्तूबर, 1988	688.63	798.80	1487.43
नवम्बर, 1988	692.45	786.30	1478.75
दिसम्बर, 1988	692.44	776.30	1468.74
जनवरी, 1989	694.19	850.30	1544.49
फरवरी, 1989	697.99	644.22	1342.21

दैनिक मजूरी कामगारों को नियमित करने के लिए विधान

[हिन्दी]

182. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक मजदूरी श्रमिकों को स्थायी बनाने के लिए कोई कानून बनाने का कोई प्रस्ताव है जिससे भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्य में लगे दो करोड़ से अधिक दैनिक मजदूरी श्रमिकों को लाभ मिल सकेगा;

(ख) यदि हां, तो यह विधान संसद में कब प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि विधेयक कब तक अधिनियमित कर दिया जाएगा और यह कब से लागू होगा, और इसमें देरी के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देशवरी दुबे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख कताई मिलों को लाइसेंस

[अनुवाद]

183. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के ऐसे कताई मिलों को लाइसेंस देने हेतु उदार नीति अपनाने का फैसला किया है जो अपने उत्पादन का शत प्रतिशत निर्यात करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सूची में उन एककों को भी शामिल किया जाएगा, जिन्होंने पहले कोई निर्यात नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (घ) शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों को लाइसेंस देने की नीति का ब्यौरा वाणिज्य मंत्रालय के समय-समय पर संशोधित दिनांक 31 दिसम्बर, 1980 के सरकारी संकल्प सं० 8(15)/78/ई० पी० में दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त निर्यातोन्मुख कताई मिलों के मामले में आवेदनकर्ता के यार्न बनाने/निर्यात के पिछले अनुभव को भी ध्यान में रखा जाता है ।

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर रोक

184. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के कुछ क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर रोक लगाई गई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसी ही रोक अन्य राज्यों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में भी लगाई गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन सभी राज्यों में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित वैकल्पिक विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरद-जंजीरा क्षेत्र में जो उद्योग पर्यटन के संवर्धन और विकास से सम्बन्धित हैं और जिनकी

स्थापना के लिए पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करने के बाद केन्द्र सरकार ने अनुमति दे दी है उनके अतिरिक्त अन्य उद्योगों की स्थापना पर रोक लगा दी गई है। यह रोक उच्च ज्वारीय संकेत (हाई टाइड मार्क) से लगभग एक किलोमीटर के बेल्ट क्षेत्र, रेवडंडा क्रीक से देवगढ़ प्लाइंट तक एक किलोमीटर क्षेत्र में और राजपुरी क्रीक के किनारे से महासला तक एक किलोमीटर बेल्ट के लिए है। ऐसा पारिस्थितिकीय रूप से कमजोर तटवर्ती क्षेत्र को औद्योगिक विकास प्रभावों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें कच्छ वनस्पति, पहाड़ों को काटना और समतल बनाना, समुद्र में बहिस्रावों के विसर्जन, ऐतिहासिक स्मारकों व आसपास के वनस्पतिजात और प्राणिजात की क्षति, क्षेत्र में सामान्य पर्यावरण अवक्रमण को रोकना शामिल है।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री माधव रेड्डी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुन सकता हूं। मैंने माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी खड़े क्यों हैं ? आप क्यों ठीक तरह से नहीं बैठ सकते हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री सी० माधव रेड्डी (अदिलाबाद) : भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजे के सम्बन्ध में मेरे स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई है···

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि मुझे इसके लिए कोई कारण नहीं देना है, मैं समझता हूं कि इसका उस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु प्रश्न को देखते हुए और जिस विषय पर आप चर्चा करना चाहते हैं उसको देखते हुए, मैंने इसको उच्च प्राथमिकता दी है और मैंने पहले ही चर्चा की अनुमति दे दी है और इस विषय पर 4 बजे चर्चा आरम्भ होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं । आप क्या कर रहे हैं। आप बैठते क्यों नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब आपका टर्न आएगा, तब आपको बुलाऊंगा ।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम समझते हैं कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी के आगे पूर्ण समर्पण है ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह सारी बातें चर्चा के दौरान कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम सरकार की निन्दा करना चाहते हैं । यह पूरा विश्वासघात है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी बात भी सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । क्यों शोर कर रहे हैं । इस बात से क्या फायदा है ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरी बात सुनिए, सुनने में कोई बुराई नहीं है । मैं यह कहना चाहता हूं कि दो मुद्दे ऐसे हैं, जो संसद के अधिकारों से पूरी तरह सम्बद्ध हैं। मैं उच्चतम न्यायालय का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। लगता है कि आप यह समझ रहे हैं कि यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही है । हम इसके बारे में नहीं कर रहे हैं । उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व, यूनियन कार्बाइड और सरकार ने न्यायालय से बाहर समझौता किया ।

अध्यक्ष महोदय : आप चर्चा के दौरान यह सारी बातें उठा सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : और ऐसा करने के लिए उन्होंने 1985 अधिनियम का उल्लंघन किया अत: उच्चतम न्यायालय का निर्णय न केवल कानून की व्याख्या करता है किन्तु यह कानून का संशोधन भी कर रहा है । अत: पीड़ितों को न्यायालय जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा । कितने ही व्यक्ति मारे गए ।

लोग मर गए, विकलांग हो गए किन्तु उन्हें न्यायालय जाने का कोई अधिकार ही नहीं है। मानव अधिकार और मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यदि इस मामले को उठाने का यह मंच नहीं है, तो और कहां जाएं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मंच नहीं होता तो मैंने इस चर्चा की अनुमति कतई नहीं दी होती। मैं आपकी बातों, आपके विचारों से पूरी-पूरी सहानुभूति रखता हूं, किन्तु विभिन्न विचार भी तो हो सकते हैं। किन्तु इसको देखते हुए कि यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, मैंने चर्चा की अनुमति दे दी है। क्योंकि आप इन दो को अलग नहीं कर सकते हैं, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, हम इसे अलग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मत चिल्लाइए। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मैंने आपको भरपूर मौका दिया है। मैं वाद-विवाद को निष्कर्ष तक ले जाऊंगा और आप पूरी तरह ऐसा कर सकेंगे। मैंने यह 4 बजे आरम्भ करने की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, कुमारी ममता बनर्जी बोलेंगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुमारी ममता बनर्जी को अनुमति दी है। मैंने शान्ति से आपकी बात सुनी है। अब मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान मत डालिए। श्री आचार्य, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मैंने उनका नाम पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइए नहीं। अजी, यह आपकी इच्छानुसार नहीं है। आप कभी भी निन्दा कर सकते हैं, यदि आप में ऐसा करने की शक्ति है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, सी० पी० एम० के लोगों ने एक संसद सदस्य श्री गुरूंग की निर्दयतापूर्वक हत्या की है। हम इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की मांग करते हैं। गृह मन्त्री को इसकी जांच करनी चाहिए। आज तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : पश्चिम बंगाल में एक निगम पार्षद की भी हत्या हुई। महोदय, कृपया सुरक्षा कीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपने को नहीं सुनते हैं। ना आप सुनाते हैं और ना इनको सुनाने देते हैं।

[अनुवाद]

मैं क्या कर सकता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : इस प्रकार एक संसद सदस्य की हत्या की गई। कृपया गृह मन्त्री को वक्तव्य देने को कहिए। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : आन्ध्र प्रदेश में श्री मोहन रंगा राव की तेलुगु देसम के लोगों द्वारा नृशंस हत्या की गई। **(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मुझे एक दो मिनट दीजिए। यदि मैं गलत बोलूंगा तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। किन्तु मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी सूचनाओं विशेषकर उच्चतम न्यायालय आदेश के प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर विचार किया जाए। हम केवल नैतिक तौर पर निन्दनीय आदेश पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं जिसकी ओर अन्तर्राष्ट्रीय ध्यान दिया गया है। किन्तु हमें इतनी ही या इससे अधिक चिन्तन इस संविधान में सुरक्षित सांविधिक अधिकारों के हनन की है क्योंकि सदन को इसका अधिक ध्यान रखना है। केवल यह सदन इसके लिए सक्षम है क्योंकि केवल यह सदन प्रभुसत्ता-सम्पन्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात चर्चा के दौरान उठा सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : भावी पीढ़ियों के मूलभूत अधिकार भी निहित हैं। इस सभा के अतिरिक्त और किसी मंच पर इस सम्बन्ध में चर्चा करने का अधिकार नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बार-बार व्यवधान डालते हैं? आपकी यह बुरी आदत क्यों पड़ी है?

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह मिलि-भगत और आपराधिक षड्यन्त्र है और स्थगन प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव के अलावा किसी भी चीज से हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि यही मंच है और मैंने चर्चा की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : हम स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको चर्चा की अनुमति दी है।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे। श्री बिन्देशवरी दुबे।

(व्यवधान)

[इस समय श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदय, कांग्रेस के एक निर्वाचित पार्षद की दमदम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कसिस्ट) तथा समाज विरोधी तत्त्वों द्वारा निर्दयता से हत्या की गई।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है और मैं कुछ नहीं कर सकता। श्री दुबे।

12.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

शिक्षु (संशोधन) नियम, 1988

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शिक्षु (संशोधन) नियम, 1988, जो 8 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 810 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7217/89]

नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली, महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखे आदि

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1987 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 1987 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7218/89]

(2) (एक) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान तथा कस्तूरबा अस्पताल, सेवाग्राम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7219/89]

बाट और माप मानक नियम 1988 तथा सुपर बाजार सहकारी भण्डार लिमिटेड नई दिल्ली की वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बाट और माप मानक (राष्ट्रीय मानक) नियम, 1988, जो 16 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1076(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7220/89]

(2) (एक) सुपर बाजार, सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सुपर बाजार, सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7221/89]

कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 1988 तथा कर्मचारी परिवार पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 1988

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 1988, जो 3 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 945 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) परिवार कल्याण पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 1988, जो 3 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 946 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7222/89]

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : पिछले दो महीने में पश्चिम बंगाल में एक संसद सदस्य सहित तीन निर्वाचित प्रतिनिधियों की हत्याएं हुई हैं और कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। व्यापक हिंसा हुई है। समाचारपत्रों में खबरें हैं। गृह मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानते हैं कि यह राज्य का विषय है और मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको अपने बनाए हुए नियमों को ध्यान में रखने चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कृपासिन्धु भोई बोलेंगे।

12.10½ म०प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1988।

(2) पंजाब विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1988।

(3) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1988।

(4) विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 1988।

(दो) महोदय, संसद की दोनों सभाओं द्वारा गत सत्र में पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित नौ विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथा अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1988।

(2) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1988।

(3) जांच आयोग (संशोधन) विधेयक, 1988।

(4) बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) विधेयक, 1988।

(5) संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 1988।

(6) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 1988।

(7) संविधान (साठवां संशोधन) विधेयक, 1988।

(8) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1988।

(9) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 1988।

12.11½ म० प०

रेल अभिसमय समिति

13वां प्रतिवेदन

श्री सुभाष यादव (खारगोन) : महोदय, मैं 1989-90 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक मामलों सम्बन्धी रेल अभिसमय समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.12 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

(एक) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में केवल परमाणु खनिज और बहुमूल्य धातुओं को सम्मिलित किए जाने के लिए उसमें संशोधन किए जाने की मांग

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : विभिन्न खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टा देने पर नियन्त्रण रखने वाले खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम तथा खनिज रियायत सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों से केन्द्र सरकार के पास शक्तियां आ गई हैं तथा राज्य सरकारों वे अवशिष्ट शक्तियां भी ले ली गई हैं जो खनिज रियायतों के नियन्त्रण तथा मंजूरी के लिए उनके पास थीं। डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बाक्साइट, जिप्सम, क्यानाइट और सिलीमेनाइट आदि जैसे खनिजों को राज्य सरकारों के नियन्त्रण से हटाकर उन्हें पहली अनुसूची मे शामिल किया गया है। देश में खनिज संसाधनों का विधिवत और शीघ्र विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रथम अनुसूची में केवल परमाणु खनिज और बहुमूल्य धातुओं को ही शामिल किया जाये। अन्य खनिजों के सम्बन्ध में खनिज रियायतें देने और नियन्त्रित करने के अधिकार पूर्णतः राज्य सरकारों के पास होने चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि विद्यमान खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में संशोधन के लिए एक व्यापक विधेयक शीघ्र ही सभा में पेश किया जाए।

(दो) केरल के पालघाट जिले में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने की मांग

*श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : केरल के पालघाट जिले में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं। अनेक केन्द्रीय उद्यमों के होते हुए भी यह जिला अभी भी टेलीफोन

---

* मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद क; हिन्दी रूपान्तर।

सुविधाओं के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। राज्य के अनेक महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्र पालघाट में स्थित हैं। अतः राज्य के आर्थिक विकास में यह जिला अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पालघाट के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी रहते हैं तथा यह राज्य में सबसे बड़ा आदिवासी खंड है। अतः यह आवश्यक है कि यहां टेलीफोन सुविधाओं में वृद्धि की जाए तथा टेलीफोन व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाये।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पालघाट जिले में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाएं।

(तीन) बिहार में अगस्त, 1988 में आए भूकम्प से हुए नुकसान का सही मूल्यांकन करने के लिए वहां एक अन्य केन्द्रीय दल भेजा जाना

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, अगस्त, 1988 के भूकम्प से प्रभावित लोगों के दुःखों को बयान नहीं किया जा सकता। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लाखों मकानों में दरारें पड़ गई हैं और वे रहने योग्य नहीं रहे हैं। इस ठंडे मौसम में असंख्य गरीब लोग खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं।

हजारों स्कूलों और कालेजों की इमारतें ढह गई हैं इस कारण इन संस्थाओं में शिक्षा कार्य पूरी तरह बन्द हो गया है।

हजारों ट्यूबवैलों में रेत भरी हुई है। पीने के पानी का कोई अन्य साधन नहीं है। संक्षेप में, लोगों के दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता।

जिस समय केन्द्रीय दल बिहार का दौरा करने गया था, तब वहां राजपत्रित और गैर-राजपत्रित कर्मचारी हड़ताल पर थे। इसलिए उसे स्थिति की सही जानकारी नहीं मिल सकी।

अतः अनुरोध है कि भूकम्प से हुई हानि का सही-सही पता लगाने के लिए और केन्द्रीय दल बिहार भेजा जाए। इस बीच पीड़ित लोगों को राहत देना तथा उनके पुनर्वास हेतु केन्द्र बिहार को एक सौ करोड़ रुपए की अन्तरिम सहायता प्रदान करे। केन्द्र यह भी सुनिश्चित करे कि राहत जरूरमंद लोगों में पहुंचे।

(चार) उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाए जाने के लिए दक्षिण कोरिया के हयून्डाई कारपोरेशन के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने तथा कार्यान्वित किए जाने तथा पारादीप पत्तन का विकास किए जाने की मांग

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में उड़ीसा से लौह अयस्क के निर्यात में कमी आई है और वर्ष 1988-89 के दौरान निर्यात में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। उड़ीसा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला एक मुख्य राज्य है तथा एक अध्ययन के अनुसार विद्यमान लौह अयस्क की खानें 6 से 7 मिलियन टन से भी अधिक लौह अयस्क निर्यात करने में सक्षम होंगी। लेकिन यह खेद का विषय है कि उड़ीसा से लौह अयस्क का कुल वार्षिक निर्यात 2 मिलियन टन से अधिक नहीं हुआ है। राज्य की आर्थिक सम्पन्नता में लौह अयस्क उद्योग की

महत्वपूर्ण भूमिका है। इस उद्योग से हजारों कामगार अपनी आजिविका कमाते हैं। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाया जाए। यह प्रसन्नता की बात है कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा रूमानिया जैसे देश उड़ीसा से लौह अयस्क आयात करने के इच्छुक हैं। लेकिन दुःखद बात यह है कि पारादीप बन्दरगाह पर निर्यात की सुविधा के लिए आवश्यक बुनियादी ढ़ांचे में विस्तार नहीं किया गया है।

मैं मांग करता हूं कि दक्षिणी कोरिया की मैसर्स हयुनडाय कार्पोरेशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए तथा तत्काल लागू कर दिया जाए और उड़ीसा से लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बन्दरगाह का विकास किया जाए।

(पांच) इटावा-कोटा मार्ग को मुरैना और श्योपुर कलां होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री कम्मोदी लाल जाटव (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का कोटा व उत्तर प्रदेश का इटावा मार्ग मुरैना श्योपुर कलां होते हुए 600 किलोमीटर के करीब पड़ता है। इस मार्ग पर बीसों मण्डियां पड़ती है। इन मण्डियों का गल्ला गुजरात व कलकत्ता की ओर जाता रहता है। यह मार्ग काफी संकरा व ऊबड़-खाबड़ है। यहां पर ज्यादा वाहन चलने के कारण प्रतिदिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। पिछले कई वर्षों से इस मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ने की मांग होती रही है लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि इटावा व कोटा मार्ग को मुरैना व श्योपुर कलां होते हुए राष्ट्रीय मार्ग में शामिल किया जाय ताकि इस मार्ग पर किसानों का माल आसानी से बड़े-बड़े शहरों में पहुंच सके।

(छः) मूंगफली के बीज का बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए अन्तराष्ट्रीय अर्ध-शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान को पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : महोदय, हमारे देश में मूंगफली की औसत पैदावार बहुत कम है। इसकी मात्रा प्रति हैक्टेयर लगभग एक हजार किलोग्राम है। मूंगफली की पैदावार कम होने का कारण किसानों को निम्न और घटिया किस्म के बीजों का दिया जाना है। यदि उन्नत किस्म के बीजों का विकास करके किसानों को दिया जाए तो मूंगफली की प्रति-हैक्टेयर पैदावार दस हजार किलोग्राम तक हो सकती है। अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबन्धीय अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ने मूंगफली का एक ऐसा बीज विकसित किया हैं जिससे बहुत अधिक पैदावार हो सकती है। ऐसे कहा जा रहा है कि बीज की इस किस्म से प्रति-हैक्टेयर दस-हजार किलोग्राम से अधिक पैदावार होगी। किसानों को यह बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराया गया है। बीज की अधिक मात्रा तैयार करने की समस्या के कारण अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबन्धीय अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान

बीजों की अपेक्षित मात्रा का उत्पादन करने में असमर्थ है। इसलिए हमारे किसान प्रति-हैक्टेयर पैदावार बढ़ाने की स्थिति में नहीं हैं। अर्द्ध-शुष्क उष्णकटिबन्धीय, अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान किसानों को इस बीज की केवल एक या दो किलो मात्रा ही प्रदान कर रहा है।

इस बीज का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाना और इसे किसानों को अधिक मात्रा में दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। संघ सरकार के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह इस बीज की गुणनात्मकता के मार्ग में आने वाली अड़चनों और अवरोधों का विश्लेषण करे।

इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार बीज की इस किस्म की अधिक मात्रा उत्पादित करने तथा किसानों को प्रचुर मात्रा में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूंगफली के इस बीज को अधिक मात्रा में उत्पादित किए जाने की आधारभूत आवश्यकता उत्पन्न करने और किसानों को इसकी पूर्ति करने हेतु पर्याप्त धन का आवंटन किया जाना चाहिए।

(सात) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा असम राइफल्स के कार्मिकों के वेतन और भत्तों में समानता लाए जाने की मांग

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की भांति असम राइफल्स भी अर्द्ध-सैनिक बल है। किन्तु वेतन एवं भत्तों और वेतनमान आदि पर केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन में असम राइफल्स के कर्मचारियों के साथ प्राधिकारियों द्वारा भेद-भाव बरता जा रहा है। जब बार-बार अपील करने से कोई हल नहीं निकला तो जवानों ने इसका विरोध किया। अधिकारियों ने, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ वेतनमानों की समानता की उनकी वैधानिक मांगों को मानने के बजाय उनके विरोध का दमन करके उन पर अत्याचार करके बदला लिया। कुछ जवानों ने इस दमन से अपना बचाव करने के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। किन्तु अधिकारी इस सम्बन्ध में न्यायालय के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय पुलिस बल तथा असम राइफल्स के बीच, असम राइफल्स अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके, भेदभाव को समाप्त किया जाए ताकि सभी अर्द्ध-सैनिक बलों को समान लाभ दिए जा सकें। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर शीघ्र ध्यान दिया जाए।

(आठ) पृथक राज्यों की मांग करने और उसके लिए आंदोलन करने वाले दलों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा विचार-विमर्श किए जाने की मांग

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : जिस प्रकार झारखंड आन्दोलन तीव्र होता जा रहा है, पृथक राज्य के लिए बोडो आन्दोलन द्वारा असम में अशांति और कुछ लोगों द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए किए जा रहे आन्दोलन आदि को यदि और अधिक नजर-अन्दाज किया गया तो यह स्थिति देश के लिए बहुत ही दु:खद स्थिति हो सकती है। स्पष्टत: दार्जीलिंग में गोरखा आन्दोलन की सफलता ने अपने-अपने समुदाय के लिए इसी प्रकार के परिवर्तन की मांग करने वाले लोगों में आशा की किरण पैदा कर दी है। इस मामले को राज्य स्तर पर ही निपटाने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। केन्द्र द्वारा उन सभी से, जो पृथक राजनीतिक अस्मिता चाहते हैं, इन मामलों पर चर्चा करके, कि राष्ट्रीय और

राज्यों के हितों को बनाए रखते हुए उनकी वैधानिक स्थानीय आकांक्षाओं को किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक पहल करनी चाहिए। इस मामले में मार्गदर्शन निर्धारित करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाया जा सकता है ताकि ऐसा कोई भी आन्दोलन बिगड़ने न पाए।

12.23 म० प०

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 8 पर चर्चा करेंगे। श्री एस० बी० चव्हाण।

वित्त मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सदस्यों को यह ध्यान होगा कि वित्तीय वर्ष 1988-89 (बजट भाषण के भाग ख का पैरा 94) का बजट प्रस्तुत करते समय मेरे पूर्वाधिकारी ने लोक सभा में यह आश्वासन दिया था कि प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के कुछ प्रावधानों के सम्बन्ध में विशेषज्ञों, संबंधित संस्थाओं (एसोसिएशन), चेम्बर्स ऑफ कामर्स और अन्य कर-दाताओं से प्राप्त प्रतिवेदनों में बताई गई वास्तविक शिकायतों पर विचार करने के लिए और संशोधन करने वाला विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने विशिष्ट रूप से उन चार क्षेत्रों का उल्लेख किया जिन पर प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में दिए गए प्रावधानों से सम्बन्धित संशोधनों पर विचार किया जाएगा। यह इस प्रकार है :

(एक) मूल्यांकन के मामलों पर पुनर्विचार;

(दो) धार्मिक और धमार्थ संस्थानों, न्यासों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों का मूल्यांकन;

(तीन) अतिरिक्त कर लगाया जाना; और

(चार) फर्मों और साझेदारों की आय का मूल्यांकन।

12.25 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तत्पश्चात् वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान मेरे पूर्वाधिकारी ने सरकार के निर्णय की घोषणा करते हुए कुछ निश्चित कर रियायतों और प्रोत्साहन प्रदान करने के वक्तव्य दिए थे। इसके साथ-साथ

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

इन वक्तव्यों का संबंध विद्यमान निवेश जमा योजना के विकल्प के रूप में निवेश भत्तों को पुनः लागू किए जाने, इन्हें आय कर अधिनियम की धारा 115ब के अधिकार क्षेत्र से बाहर मानकर निर्यात लाभों के सम्बन्ध में पूर्ण छूट देने, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ निश्चित उपाय करने और विदेशी विनिमय संसाधनों में संवर्धन करने से था ।

बजट सत्र के बाद, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू किए नए अपतट कोष और गैर परिवर्तनीय एन० आर० आई० बॉड के संवर्धन के लिए तथा भारत की सुरक्षा से सम्बद्ध कुछ उद्योगों को तकनीकी जानकारी प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में भी कुछ कर रियायतें देने पर सहमति हुई थी ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ विसंगतियों को बढ़ने से रोकने तथा प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथासंशोधित विभिन्न प्रत्यक्ष करों के कुछ प्रावधानों में अनुवर्ती परिवर्तन करने के लिए भी कुछ प्रावधानों में संशोधन किए जाने आवश्यक थे । सम्पत्ति कर अधिनियम में परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए, कर निर्धारण के मामले में निश्चितता बनाने और इस सम्बन्ध में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए नियमों को समाविष्ट करने हेतु भी संशोधनों की आवश्यकता थी । प्रत्यक्ष कर विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1987 में किए गए संशोधनों से सम्बधित बहुत अधिक संख्या में प्राप्त प्रतिवेदनों और सरकार की इस चिन्ता के कारण कि सरकार के ध्यान में लाई गई विभिन्न कठिनाइयों पर उचित विचार किया जाए, ऊपर उल्लिखित संशोधनों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिए जाने में समय लगा ।

चूंकि प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में लागू नए प्रावधान भी पहले से ही लागू हो चुके थे, इसलिए निर्धारण वर्ष 1989-90 से सम्बन्धित लेखा अवधि में पहले वायदा किए गए पुनर्विचार में विलम्ब होने से साझेदारी फर्मों, धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों तथा स्वयंसेवी संगठनों और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं आदि के लिए कुछ अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है जिससे उन्हें अपने मामले तैयार करने में कठिनाई हुई है । इस अनिश्चितता और कष्ट को दूर करने के लिए सरकार ने, 30 मार्च, 1988 और 5 सितम्बर, 1988 को संसद में की गई घोषणा के अनुसार, फर्मों और साझेदारों, धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं के कर निर्धारण से सम्बन्धित प्रावधानों को एक वर्ष तक लागू न करने के लिए स्थगित कर दिया है ।

गत शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किए गए और विचार के लिए अब प्रस्तुत किए जा रहे विधेयक में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों और विभिन्न कर रियायतों से सम्बन्धित संशोधन हैं ।

विधेयक में फर्मों और साझेदारों के कर-निर्धारण के लिए नई योजना लागू करने हेतु किए गए संशोधनों को वापिस लेने और इस सम्बन्ध में पुराने प्रावधानों को बनाए रखने का प्रस्ताव है ।

इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के कार्यक्रमों के लिए कटौतियों से सम्बन्धित प्रावधानों को बहाल करने का प्रस्ताव है और धर्मार्थ या धार्मिक न्यासों/संस्थाओं या कोषों के निर्धारण में लागू किए गए संशोधनों को भी वापिस लेने का प्रस्ताव है तथा इस सम्बन्ध में पुराने प्रावधानों को बहाल करने का प्रावधान है । विधेयक में धारा 10(21) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, धारा 10(23) के अधीन खेल एसोसिएशनों की आय और धारा 10(23ग) (चार) और (पांच) के अधीन राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की आय के सम्बन्ध में भी छूट को बहाल रखने का प्रस्ताव है । हालांकि निर्धारण वर्ष 1990-91 के लिए अप्रैल, 1990 के प्रथम

दिन से कुछ निश्चित शर्तें पूरी करने पर अर्थात् इन संस्थाओं द्वारा लेखा परीक्षा किए गए लेखों सहित प्रवर्तन पर छूट के सम्बन्ध में निर्धारित प्राधिकार द्वारा अधिसूचना जारी करने, जवाहरात, फर्नीचर या बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली कोई वस्तु आदि के रूप में प्राप्त दान को छोड़कर विनिर्धारित प्रतिभूतियों में आय/कोषों का निवेश, संस्थान के उद्देश्यों के लिए आय का प्रवर्तन या उस आय का संचयन, उद्देश्यों से प्रासंगिक क्रियाकलापों को छोड़कर व्यावसायिक क्रियाकलापों को करने पर प्रतिबन्ध लगाना आदि, ऐसी छूट दिए जाने का विचार है। समूह (कॉर्पस) दान को शामिल करने के लिए 'आय' की परिभाषा में किए गए संशोधनों में परिवर्तन किए जाने का विचार नहीं है। हालांकि, आय कर अधिनियम की धारा 11 में संशोधन करके ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि यदि किसी न्यास को धारा 11 के अन्तर्गत छूट नहीं मिलती है तो न्यास की कुल आय को समूह (कॉर्पस) दान में शामिल किया जाना चाहिए। इससे प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में "आय" की परिभाषा में किए गए संशोधन के विरोध में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अपने प्रतिवेदनों में व्यक्त की गई कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा।

विधेयक के खण्ड 95(जे) के द्वारा नियमित निर्धारण पर अतिरिक्त कर लगाने के उपबन्ध को हटाने का प्रस्ताव है। तथापि नयी निर्धारण प्रक्रिया निर्धारण वर्ष 1989-90 से अपनायी जाएगी जिसमें लगभग सभी विवरणों को स्वीकार करने की व्यवस्था है उन दोषी कर दाताओं के लिए दण्ड की व्यवस्था करना आवश्यक है जो कर सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारियों को उचित रूप से नहीं निभाते हैं तथा ऐसे भत्ते दिखाकर अपनी कर सम्बन्धी जिम्मेदारियों को कम करने का प्रयास करते हैं जो मान्य नहीं हैं अथवा अपनी आय का विवरण देने में लापरवाह हैं और इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। इसलिए विवरण को ठीक करने के लिए आयकर विभाग द्वारा की गयी पुनः गणना से बढ़ते हुए अतिरिक्त कर पर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाने का प्रस्ताव है। यदि निर्धारिती को इस कर से परेशानी है तो वह निर्धारण अधिकारी के समक्ष संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है और यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो वह अपीलीय तरीका अपना सकता है।

नियमित निर्धारण पर से अतिरिक्त कर हटाने तथा नयी निर्धारण प्रक्रिया अपनाने के परिणामस्वरूप आय छिपाव के लिए दण्ड की पुनः व्यवस्था इस शर्त पर करने का प्रस्ताव है कि दण्ड की उच्च सीमा 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 300 प्रतिशत कर दी जाएगी।

इसी प्रकार अग्रिम विनिर्णय से सम्बन्धित उपबन्धों को विधेयक के खण्ड 44 और 95(त) से हटाने का प्रस्ताव है जो नियमित निर्धारण पर अतिरिक्त कर लगाने से सम्बन्धित थे। छिपाव के दण्ड को पुनः शुरू करने की दृष्टि से धारा 273क के अन्तर्गत छिपाव के दण्डों के अधित्याग के सम्बन्ध में प्रावधानों को पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है।

निर्धारण पुनः करने के मामले में 'विश्वास के कारण' की अवधारणा पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है।

पूंजीगत लाभ अथवा वर्तमान आय में आकस्मिक आय को सम्मिलित करने के कारण अग्रिम कर का भुगतान करने सम्बन्धी उपबन्ध के अन्तर्गत ब्याज लगाए जाने की दशा में होने वाली कठिनाइयों के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विधेयक में प्रस्ताव है कि इस प्रकार की आय पर किस्त का भुगतान न करने पर ब्याज लगाया जाए परन्तु ऐसा तभी किया जाएगा जब कर दाता अगली किस्त का भुगतान कर दे।

मुझे विश्वास है कि उपरोक्त प्रस्तावित संशोधनों में उन कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाएगा जो कर दाताओं ने प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रत्यक्ष कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में बतायी हैं।

अब मैं संक्षेप में उन रियायतों तथा उदारताओं का उल्लेख करना चाहता हूं जिनका प्रस्ताव इस विधेयक में किया गया है, और जिनकी सरकार ने समय-समय पर संसद के पिछले सत्रों में घोषणाएं की हैं तथा जिनके बारे में निर्णय सत्र की समाप्ति पर लिया गया है।

31 मार्च, 1988 के बाद खरीदे गए पोत और विमान तथा लगायी गयी मशीनों के सम्बन्ध में विद्यमान निवेश जमा योजना के विकल्प के रूप में निवेश छूट पुनः देने का प्रस्ताव है। यह निवेश छूट लागत की (25 प्रतिशत से घटाकर) 20 प्रतिशत कर दी जाएगी क्योंकि निवेश जमा योजना से निकाली गयी धनराशि कम कर दी गयी है। यह भी प्रस्ताव है कि निवेश जमा योजना तथा निवेश छूट के लाभ की अनुमति केवल उस वर्ष के लिए ही नहीं बल्कि लगातार चार वर्षों के लिए होगी।

विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्ताव है कि मान्यता प्राप्त होटलों अथवा ट्रेवल एजेन्टों द्वारा विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गयी सेवाओं के बदले में अर्जित विदेशी मुद्रा की आय के 50 प्रतिशत को आय में से कम किया जाए। शेष 50 प्रतिशत आय को भी ऐसी ही छूट मिलेगी यदि इस आय को रक्षित निधि में जमा करा दिया जाए और कुछ शर्तों को पूरा करते हुए उसका उपयोग निर्धारिती द्वारा व्यवसाय में किया जाए। निर्यातकों, मान्यता प्राप्त होटलों तथा ट्रेवल एजेन्टों को होने वाली विदेशी मुद्रा की आय पर शत प्रतिशत छूट देने के लिए प्रस्ताव है कि इस प्रकार के लाभ की धारा 115(ब) में शामिल न किया जाए।

इसके अतिरिक्त विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 10 में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव है कि अनिवासी भारतीयों को अहस्तांरणीय अनिवासी भारतीय बांडों से होने वाली आय तथा उन विदेशी कम्पनियों की आय को आयकर से छूट दी जाए जो भारत अथवा भारत के बाहर भारत की सुरक्षा सम्बन्धी स्वीकृत परियोजनाओं में तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

उदारता के रूप में विधेयक में आयकर अधिनियम की धारा 80ग में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत भविष्य निधि में कर्मचारियों द्वारा जमा की जाने वाली राशि की 10,000 रुपए की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। धारा 80ग के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों, विश्वविद्यालयों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों द्वारा अपने नियोजकों से भवन निर्माण के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के सम्बन्ध में भी दिए जाने का भी प्रस्ताव है। तथापि सन्देह दूर करने के लिए यह प्रस्ताव है कि यदि भविष्य निधि से लिए गए ऋण की अदायगी कर दी जाएगी तो धारा 80ग के अन्तर्गत नयी कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मद्य व्यापार तथा इमारती लकड़ी के व्यापार के क्षेत्रों में वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा सम्भावित आधार पर निर्धारण की नयी अवधारणा शुरू की गयी थी जिनमें अधिक कर वंचन होता था अथवा विद्यमान आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आय की सही गणना करना सम्भव नहीं था। धारा 44कग और 206ग के प्रावधानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ऐसे मामलों में वित्त अधिनियम, 1988 द्वारा ऐसा किया गया तथा विधेयक में इन

धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि यह व्यवस्था हो सके कि ये उन वस्तुओं के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगी जिनकी बिक्री नीलामी से नहीं होती है तथा बिक्री मूल्य राज्य कानून द्वारा नियन्त्रित होते हैं। यह भी प्रस्ताव है कि इमारती लकड़ी की बिक्री पर कर की दर अन्य वन उत्पादों से 10 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक कम हो। इस योजना के अन्तर्गत स्रोत से कर संग्रह की जांच के लिए अर्धवार्षिक विवरणी के निर्धारण का प्रस्ताव है।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विधेयक के कुछ प्रस्तावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिनकी सम्पूर्ण देश में व्यापक चर्चा हुई है।

ये प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

(एक) आय के क्षेत्र में विस्तार के लिए आय की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव;

(दो) परिसम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर अधिनियम में नयी अनुसूची शामिल करने का प्रस्ताव।

आय की परिभाषा में उन विशेष भत्तों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जो निर्धारिती को अपने कर्त्तव्यों को पूर्णतः आवश्यकता और अनन्यतः पालन करने के लिए व्यय की पूर्ति के लिए विनिर्दिष्ट रूप से दिया गया है तथा कोई भत्ता निर्धारिती को व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति अथवा जीवन निर्वाह के बढ़े हुए खर्चों के प्रतिकर के स्वरूप उस स्थान पर दिए जाते हैं जहां वह कर्त्तव्य का पालन करता है इसका स्पष्टीकरण हो चुका है तथा ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू हैं जिससे कि निर्धारण अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी तथा न्यायालयों के समक्ष इस प्रकार के भत्तों से सम्बन्धित मामलों में सरकार की मंशा स्पष्ट की जा सके। मैं इस अवसर का उपयोग माननीय सदस्यों तथा उनके माध्यम से जनता को यह आश्वासन दिलाने के लिए करता हूं कि अब तक जिस आय पर कर नहीं लगाया गया है उस पर कर लगाने का इरादा नहीं है तथा जिन भत्तों पर छूट है वह लागू रहेगी। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 से आय कर अधिनियम की धारा 10(14) में जैसा संशोधन किया गया है तथा जिन भत्तों को कुल आय से अलग रखने के लिए प्रस्तावित संशोधनों के फलस्वरूप आय में सम्मिलित कर लिया गया उनकी अधिसूचनाएं उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए शीघ्र जारी की जा रही हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में व्यक्त की गयी हैं।

सम्पत्ति कर अधिनियम में अनुसूची द्वारा परिसम्पत्ति के मूल्यांकन सम्बन्धी नियमों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव निर्धारण के मामले में निश्चितता करने तथा इस मामले में मुकदमेबाजी कम करने के लिए किया गया है। यदि अनुसूची की योजना के अनुसार परिसम्पत्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता तो प्रस्ताव के परिणामस्वरूप परिसम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए बाजार मूल्य की धारणा लागू होगी। अनुसूची में मूल्यांकन का तरीका उन नियमों पर आधारित है जिनमें वे संशोधन हैं जिनसे प्रक्रिया को सरल तथा न्यायसंगत बनाने का प्रस्ताव किया गया है। जैसाकि मैंने विधेयक को पुरःस्थापित करते समय ही कहा था। प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के अधिनियमन के पीछे बुनियादी उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानूनों को और उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सरल और युक्तिसंगत बनाना है। यद्यपि प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के कुछ उपबन्धों का कर दाताओं द्वारा जोरदार विरोध किया गया है तथापि आलोचना को देखते हुए प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987

के अधिकतर क्षेत्रों में, जिनमें आलोचना की गई थी, काफी सीमा तक यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए इस विधेयक में प्रस्ताव पुरःस्थापित किए गए हैं। इस विधेयक में देश में बचतों और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि को बढ़ाने के लिए तथा देश में विदेशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए भी कर रियायतें दी गई हैं। विधेयक के अन्य प्रस्ताव वर्तमान उपबन्धों को सरल और युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से लाए गए हैं। इस विधेयक के उपबन्ध सम्पूर्ण देश में लागू होंगे। इस विधेयक के अधिकतर उपबन्ध 1-4-1989 से प्रभावी होंगे।

माननीय सदस्यों की प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के बारे में मुख्य आलोचना यह थी कि सरकार ने इन प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और इस विधेयक पर संसद में जल्दबाजी में विचार किया गया था। इसीलिए इस विधेयक को संसद के पिछले अधिवेशन में लाया गया था जिससे कि सदस्यों और सम्पूर्ण देश के करदाताओं को सामान्य रूप से विधेयक में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तथापि, प्रत्यक्ष कर कानूनों के उपबन्धों के बारे में सुनिश्चितता प्रदान करने के लिए, यह आवश्यक है कि इस विधेयक के उपबन्धों को 31 मार्च, 1989 से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। अतः इस विधान को कानून बनाने में और देरी करना वांछित नहीं है।

अतः महोदय, मुझे विश्वास है कि इस विधेयक को सदन का सर्वसम्मत समर्थन मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में देश भर में पहले ही पर्याप्त चर्चा हो चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

> "कि आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बी० बी० रमैया।

श्री बी० बी० रमैया (ऐलुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक विशेष, प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 को मुख्यतः कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए लाया गया था और इसे जल्दबाजी में लाया गया था। इस पर सदन में पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं हुई थी। 220 पृष्ठ वाले इस विधेयक को कुछ ही मिनटों में पारित किया गया था। दुर्भाग्यवश यह मामला फिर से लोगों में उठा था और अन्त में गत बजट अधिवेशन में पिछले वित्त मन्त्री श्री तिवारी जी इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि इसमें जो संशोधन किए जाने चाहिए थे उनके साथ वह इसे फिर से चर्चा के लिए लाएंगे। मैं वित्त मन्त्री का धन्यवाद करता हूं कि वे सभी सुसंगत तथ्यों तथा इसके बारे में जो आलोचनाएं की गई थीं उन्हें निपटने के लिए उपायों सहित विधेयक को सदन में लाए हैं। मेरे विचार में इस तरह के अधिनियम से, जिसके बारे में समझा जा सकता था कि वह सरल बनाया गया होगा। कुछ अधिक नुकसान हुआ है और उसके लिए पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। सदन के बहुमूल्य समय में हम यही करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हमें वास्तव में क्या करना होगा, फिर भी केवल कुछ बातें हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं क्योंकि वित्त मन्त्री ने 1987 में किए गए सम्पूर्ण सम्बन्धित तथ्यों को तथा वर्ष 1988 में सरल की गई बातों को अच्छी तरह देखा है।

जहां तक परिसम्मतियों के मूल्यांकन का सम्बन्ध है, उन्होंने आज कुछ रियायतें भी दी हैं। यह एक मुद्दा है जिससे हम सभी को चिन्ता हुई है। यदि हम परिसम्मतियों के बाजार मूल्य को देखें तो उसे न्यायसंगत ठहराने के लिए अनावश्यक पैचीदगियां और कानूनी बातें पैदा हो सकती हैं। मैं यह मुद्दा आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, कि यदि सरकार अथवा राज्य सरकारें लोक परिसरों अथवा किराए के भवनों के कुछ भागों का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें इन भवनों का सम्बद्ध बाजार मूल्य देना चाहिए। वह भी उनके पक्ष में जाएगी। हमें उसी बात को आधार मानकर चलना चाहिए जो कि पहले किया गया है और जिस पर अब विचार किया गया है ताकि धनकर और दानकर तथा अन्य कर अधिक सुसंगत बन सके। शेयर मूल्य की ओर आते हुए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शेयर बाजार हमें अनुमोदित मूल्य देते रहे हैं लेकिन अनुद्धृत मूल्य का अधिक महत्व है जिसके बारे में हमें अधिक सावधान और सतर्क रहना चाहिए। यहां मैं यह महसूस करता हूं कि हमें इसे मुकदमेबाजी के आधार पर किए जाने के लिए ही नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि इससे पेचीदगियां बढ़ेंगी। यह एक और आवश्यक पहलू है जिसको हमें सरल बनाना चाहिए और मुकदमेबाजी तथा अन्य पेचीदगियों के लिए अधिक अवसर नहीं देना चाहिए।

अन्य मुद्दा ट्रस्ट के बारे में है। निस्सन्देह आपने जो पहले किया था वह बुनियादी रूप से वापस ले लिया है लेकिन मुझे वास्तव में इस बात पर हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि दान और मन्दिर की सम्पत्तियों पर भी कर लगाया गया है। यह बहुत ही दुर्भाग्यिपूर्ण बात है। प्राइवेट ट्रस्ट प्रायः ऐसा काम कर रहे हैं। दान और मन्दिर की सम्मतियों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। यह एक सम्बद्ध मुद्दा है।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू आम आदमी और वेतनभोगी लोगों के बारे में है। नगर प्रतिपूर्ति भत्ता और विभिन्न अन्य भत्तों को 1962 से कर के अन्तर्गत लाया गया है। मैं नहीं समझता कि इसे किस प्रकार लागू किया जा सकता है अथवा यह कहां तक व्यवहार्य है। मैं नहीं जानता कि इसके बारे में किसने सोचा है, कि यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते उसकी आय में जोड़े जाएं।

हमें इन सभी बातों को विचार के लिए नहीं लाना चाहिए था। ये सभी साधारण मामले हैं और अनावश्यक रूप से हम जटिलताएं और कानूनी पेचीदगियां पैदा कर रहे हैं। हम फिर इसको छोड़ रहे हैं और वापस ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि इसके बाद इस प्रकार की बातें नहीं की जाएंगी। इस प्रकार की पद्धति लागू करते समय हमें बहुत ही अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें बहुत ही अधिक यथार्थवादी होना चाहिए और हमें इसके प्रयोजन और सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करना चाहिए।

साझेदारी वाली फर्मों के मामले में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपने 1987 में जो कुछ किया था उसमें पर्याप्त सुधार किया है। लेकिन कर की सीमांत दर-उन बातों में एक है जिससे छोटी फर्मों को वास्तव में बहुत कठिनाई होगी। यह एक आवश्यक सच्चाई है और मुझे यकीन है कि वित्त मन्त्री इस पर विचार करेंगे और उनके साथ न्याय करेंगे।

अब मैं धारा 42(1) और 142(2) के अन्तर्गत जुर्माने की बात पर आता हूं, यह जुर्माना 1,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। यह बहुत असाधारण वृद्धि है। मेरे विचार में वास्तव में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। इस पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है

और हमें इसमें उपयुक्त वृद्धि करनी चाहिए। नेमी प्रकार की गल्तियां हो सकती हैं, कोई उचित गल्ती भी कर सकता है। इसमें अन्तर करना होगा और इसके लिए तरीका निकालना होगा कि इसे किस प्रकार किया जाए।

इसके अतिरिक्त अनुसंधान और विकास तथा ऐसी अन्य गतिविधियों पर होने वाले खर्च के बारे में 1987 से पहले के उपबन्धों को फिर से बहाल किया गया है। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की अधिक प्रसन्नता होती यदि उन्होंने इसकी प्रक्रिया को सरल बनाया होता। अनुसंधान और विकास पर आज जो धनराशि हम खर्च कर रहे हैं वह बहुत ही कम है। आपको इसमें वृद्धि करनी चाहिए। अन्य देशों से उधार लेने की बजाए इसको हर प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिए : मैं माननीय मन्त्री से यही चाहता हूं। मुझे यकीन है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे और वह यह देखने का प्रयास करेंगे कि हम देश में उन्नति करें और अनुसंधान और विकास को और अधिक प्रोत्साहन दें। हमें इस प्रकार की चीजों के लिए और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि लोग इसकी ओर आकर्षित हों।

ऊर्जा की बचत के बारे में आपको कुछ करना चाहिए। जो लोग इस कार्य में लगे हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऊर्जा उत्पादन के लिए भी आपको कुछ करना चाहिए और उसके लिए अधिक प्रोत्साहन दिए जाएं। बुनियादी तौर पर हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में विकास आज ऊर्जा पर निर्भर करता है। यदि सरकारी क्षेत्र मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और यदि कोई इसकी मांग को पूरा करना चाहता है, तो हमें अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उससे देश में उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलेगा और इसमें वृद्धि होगी। उससे आपको अधिक राजस्व भी प्राप्त होगा।

यदि आप कर संग्रह पर नजर डालें तो आपको पता लगेगा कि प्रत्यक्ष कर से आय बहुत कम है, करों का 80 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से आता है। अतः हमें देश में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास करना चाहिए। इसके साथ-साथ इसमें रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और अन्य देश से आयात भी कम करना पड़ेगा। मैं माननीय मन्त्री से यही चाहता हूं और मुझे आशा है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे।

अब लेखा वर्ष के विषय पर आता हूं। मैं यह महसूस करता हूं कि हर वर्ष लेखों को बन्द करने के लिए एक निश्चित तारीख रखने की बजाए हमें अधिक व्यवहारिक होना चाहिए। अलग-अलग मौसम में चलने वाली फैक्टरियों और सहकारिता क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं हैं। सभी के लिए एक समान लेखा वर्ष रखने से लेखा परीक्षण सम्बन्धी कठिनाइयां भी हो सकती हैं। वे एक समय में यह भार स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकते और उससे कठिनाई पैदा होगी। मैं यह सुझाव दूंगा कि आप लेखा वर्ष के लिए दो अथवा तीन तारीखें निश्चित करें जिससे कि आपकी समस्याओं और सरकारी और औद्योगिक उपक्रमों की समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके। आप इस प्रयोजन के लिए मार्च, सितम्बर और दिसम्बर, निश्चित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे।

इससे पहले कि मैं अपनी बात को समाप्त करूं, मैं एक बार फिर माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ करें ताकि लोग इसे समझ सकें और लागू कर सकें। इस समय बहुत से लोग प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाते हैं। प्राय उनके लिए किसी और को

फार्म भरना पड़ता है। हम काफी समय से इसको सरल बनाने की बात करते आ रहे हैं लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह और अधिक पेचीदा हो गया है। मुझे यकीन है कि माननीय मन्त्री इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे और इसके लिए कुछ करेंगे।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम, 1988 जो लाया गया है मैं समझता हूं जितने बिल हम पिछले सालों में लाए यह सबसे अधिक प्रशंसनीय है। 1987 में जब दिसम्बर के महीने में बिल लाया गया था तो हमें डर था कि इसका जो पब्लिक रिएक्शन होगा वह बहुत बुरा होगा। हमारी अपनी एपरीहैंशंस सच निकली और पूरे देश में एक तरह से इसका विरोध हुआ। यह बहुत ही सन्तोष की बात है कि हमारी सरकार ने जनता की भावनाओं की कद्र की और जो-जो खामियां 1987 के बिल में थीं उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। बहुत से राइट अप 1987 के बिल के बारे में अखबारों में आए। कहा गया कि सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सेज में कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने मन्त्रालय को गुमराह किया, जिन्होंने कहा कि जजेज या पब्लिकमैन को चेयरमैनशिप में आप टैक्सरिफार्म्स की कोई कमेटी बनाते हैं तो वह सच्चाई को नहीं जान पाएगी। आप कमेटी बनाएं नौकरशाही के चेयरमैनशिप में। क्योंकि नौकरशाह यह जानते हैं कि टैक्सेज की चोरी कहां-कहां होती है। वे अधिकारी यह मानकर चलते थे कि सभी टैक्स देने वाले चोर होते हैं, जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि वह निर्दोष है। जैसे पुलिस के लोग मानकर चलते हैं कि हर आदमी अपराधी होता है, जब तक वह अपने को साबित न करे कि वह निर्दोष है। उसकी कोई सब कमेटी बनी, कई सेमिनार हुए, पूरे देश में चर्चा हुई उस समय से ही इस पर बहुत जोर था, ट्रेड यूनियन्स से रिसेन्टमेंट था, चैम्बर्स आफ कामर्स से रिसेन्टमेंट था, अलग-अलग एसोसिएशंस से रिसेन्टमेंट था, फिर भी यह बिल पास करा दिया गया। उस समय के वित्त मन्त्री जी ने कहा अधिकारियों से कि तुम पूरे देश मे घूम जाओ और यह कहो कि यह बिल ठीक है। जहां-जहां यह अधिकारी गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब जगह उन्हें होस्टीलिटी बर्दाश्त करनी पड़ी। अन्त में सरकार ने निश्चय किया कि इस बिल में सुधार किया जाएगा और इसकी खामियों को दूर किया जाएगा। मैं बिल के प्रोवीजन के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, बहुत सी बातों के स्टेटस को लाया गया है जो 1988 के पहले थे। मन्त्री जी बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मैं एक एक-दो बातें कहूंगा। आपने एलाउन्सेज को टैक्सेबुल बना दिया है। आपने एक लिस्ट बनाई है कि कौन-से टैक्स अलाउन्सेज होंगे कौन से नहीं होंगे। लेकिन जनता में खासकर ट्रेडस यूनियंस में एक डर समाया हुआ है कि आप नगर क्षति पूर्ति भत्ता, यात्रा भत्ता को या और दूसरे अलाउन्सेज को टैक्स करेंगे। मन्त्री जी अपने जवाब में बताएंगे कि वह क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आप देखें, बिल में यह है कि अपनी ड्यूटी में जाने वाले आदमी को यदि किसी तरह का अलाउन्स मिलता है तो वह टैक्सेबुल होगा। एक जर्नलिस्ट जो कि खबरें लाने के लिए पूरा दिन भागता रहता है और उसे मान लीजिए दो सौ रुपए कंवेंस अलाउन्स मिलता है, जबकि उसका वाजिब खर्चा तीन सौ रुपये से ज्यादा हो जाता है। यह कहां का न्याय है कि उसे मिलने वाले 300 रुपये के एलाउन्सेज पर भी टैक्स लगाया जाए। आप सिटी कम्पैनसेटरी एलाउन्स कर्मचारियों को देते हैं। उसके पीछे भावना यही है कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहरों में रहने पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, उसे महंगाई से थोड़ा राहत मिल सके इसीलिए आप सिटी कम्पैन्सेटरी एलाउन्स देते हैं। यदि आप उसे भी टैक्सेबल इन्कम गिनते हैं तो उसका औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। वह स्थिति हाउस रैंट एलाउन्स के सम्बन्ध में है। बड़े-बड़े महानगरों

में मकानों के किराए आज आसमान छू रहे हैं। एक एम्पलाई अपने मकान मालिक को जितना मकान का किराया देता है, क्या कोई कम्पनी वाला या उसका एम्पलायर वह राशि उसे हाउस रैंट एलाउन्स में देता है, कोई नहीं देता और न दे सकता है। उसका एक हिस्सा कर्मचारी को मिलता है। यदि उस हिस्से पर भी आप टैक्स लगा देंगे तो यह कितना घोर अन्याय है। आप एलाउन्सेज पर जो टैक्स लगाते हैं, उसका सीधा असर फिक्सड इन्कम ग्रुप के लोगों पर पड़ता है, जिनकी बंधी-बंधाई आमदनी होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मिडिल क्लास के आदमी को आप इतना मत दबाइए कि वह टूट जाए। पहले ही वह महंगाई के बोझ से टूटा हुआ है। आप उस पर और ज्यादा बोझ मत डालिए। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि एलाउन्सेज पर किसी तरह का टैक्स न लगाया जाए। आप सारे मामले को फिर से रिव्यू करा लें। आज के जमाने में, एक साधारण मजदूर, जो मैट्रिक पास भी नहीं होता है, वह भी इन्कम टैक्स के दायरे में आ गया है। जिन लोगों को जानकारी है, वे बता सकते हैं कि एक साधारण लेबर को मिलने वाले एलाउन्सेज पर भी यदि टैक्स लगाया जाता है तो उसका टैक्स कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिए, यही मेरी गुजारिश है।

बाकी आपने एक्सपोर्ट प्रोमोशन के लिए, होटलों को इंसैन्टिव देने के लिए, इस बिल में बहुत डिटेल में जाकर प्रावधान किए हैं जो बहुत ही काबिले-तारीफ हैं। पार्टनरशिप के मामले में, कुछ फर्मस के मामलों में, 1987 से पहले की स्थिति बरकरार रखी है, वह भी तारीफ के योग्य है। एन० आर० आई० बौंड्स के बारे में जो प्रावधान किया है, वह भी तारीफ की बात है। सारे प्रावधानों को देखने से लगता है कि सरकार सही अर्थ में लोगों को लाभ पहुंचाना चाहती है। परन्तु वैल्थ टैक्स के लिए आपने जो फारमूला बनाया है, कहीं 12.5 परसेंट, कहीं 8 परसेंट, कहीं 5 परसेंट, चूंकि लेमैन बहुत-सी बातें नहीं समझता है, वह इतना डिटेल में कहां तक जाएगा कि मेन्टेनेबल रैंट का क्या मतलब है, जो बड़ी काम्पलैक्स्ड सिचुएशन बन जाती है। सारी दुनिया में सीधा सिद्धांत है कि टैक्स ऐसे लगाए जाएं जिन्हें एक मामूली आदमी, लेमैन भी आसानी से समझ जाए कि उसे कितना टैक्स देना है। यदि फार्म भरने के लिए उसे किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट या लाइयर के पास जाना पड़ा तो आपका परपज ही खत्म हो जाएगा। आप टैक्स इवेजन रोकने के लिए ही डायरैक्ट टैक्स अमैंडमेंट बिल लाए हैं परन्तु काम्पलीकेटिड करने से उसका सारा परपज ही खत्म हो जाएगा।

आपने इसमें जो प्रावधान किए हैं, मेरा विचार है कि उससे टैक्स इवेजन रुकेगा नहीं। मैं मन्त्री जी से कहता हूं कि आए दिन फाइव स्टार होटलों में जिस तरह से शादी-ब्याह होते रहते हैं, आप अपने किसी प्रतिनिधि को प्लेन क्लाथ में भिजवा कर पता लगवाएं कि उनमें कितनी वल्गर डिस्प्ले ऑफ वैल्थ होती है, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनको देखने से लगता है कि वह सब हिन्दुस्तान में नहीं हो रहा है। दो नम्बर की कमाई, जो इस देश में आती है, क्या कोई उपाय नहीं है कि उसे बाहर निकाला जाए, ऐसी कमाई पर टैक्स लगाया जा सके, ऐसे लोगों को जेल में डाला जा सके जिन्होंने कालाधन कमाया है।

आप जिस तरह की ये सुपरफ्लुअस बातें करते हैं, इससे लोगों को राहत नहीं मिलेगी। जैसाकि कहा गया है ज्यादा टैक्स तो इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में ही आता है। हम और आप देते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स उनसे वसूलिए जो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं, जो दिखने में भी नहीं आते हैं। जो लोग महंगाई से पीड़ित हैं, उन पर ज्यादा बोझ मत डालिए।

मैं इतना ही कहूंगा कि कालाधन एक अजगर की तरह से इस देश में फैल रहा है। श्रीमन्

आपकी ताकत है आप उस अजगर को समाप्त कर सकते हैं। जब तक आप कालेधन रूपी अजगर को समाप्त नहीं करेंगे तब तक लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इतनी ही मेरी आपसे गुजारिश है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होगी।

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक—जारी

श्री एन० टोम्बी सिंह (आंतरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक, अर्थात् प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक बहुत बड़ा विधेयक है और इस विधेयक की प्रत्येक धारा महत्वपूर्ण है और हम लोग इस समय प्रत्येक धारा पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते। माननीय मन्त्री महोदय ने संशोधन विधेयक 1987 के तुरन्त बाद इस विधेयक के लाए जाने के प्रसंग का वर्णन किया है। जैसाकि बताया जा चुका है कि उन प्रमुख अधिनियमों का, जो कि इस विधेयक में सम्मिलित हैं, अपना-अपना महत्व है। माननीय मन्त्री महोदय ने इस विधेयक को कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की भी विस्तृत व्याख्या की है।

मैं इस विधेयक के कुछ पहलुओं की बात करना चाहता हूं, निश्चय ही कर निर्धारण के दर्शन के सम्बन्ध में नहीं, कर निर्धारण द्वारा सामाजिक एवम् आर्थिक विषमता दूर करने हेतु वित्त मन्त्रालय द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका के सम्बन्ध में।

1987 में इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद हुए और फिर सरकार के पास अभ्यावेदन भी आए। सरकार ने उन सभी अभ्यावेदनों को जिन्हें उसने महत्वपूर्ण समझा इस संशोधन विधेयक द्वारा निगमित करते हुए अपना उत्तरदायित्व निभाया। 1987 में पारित किए गए संशोधन के कुछ उपबन्ध वापस ले लिए गए हैं और कुछ पुराने उपबन्ध इस संशोधन विधेयक में पुर्नस्थापित किए गए हैं।

मैं माननीय मन्त्री का ध्यान छूट सम्बन्धी कुछ पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ छूटें सराहनीय हैं। किन्तु पिछड़े क्षेत्रों का विकास और इन क्षेत्रों का ओद्योगीकरण उन बड़े निकायों द्वारा जल्दी किया जा सकता है जो कि उन क्षेत्रों में, विशेषतः पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पिछड़े इलाकों में और अन्य

दूरवर्ती इलाकों में, उद्योग स्थापित करने और धन व्यय करने की क्षमता रखते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े इलाके हैं। जो इन क्षेत्रों में वास्तविक और अर्थपूर्ण रूप से व्यय कर सकते हैं, इन क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से बड़े घरानों और कम्पनियों के लिए सत्य है जो कि व्यय कर सकते हैं और वे कर निर्धारण के मामले में वास्तविक छूठ के हकदार हैं। और फिर न्यासों और धार्मिक संस्थाओं तथा अन्य वैज्ञानिक और शोध संस्थाओं में छूट की उचितता हेतु वाद-विवाद पहले ही हो चुके हैं। मुझे तनिक याद है कि प्रो० मधु दण्डवते ने कुछ कारणवश उन सभी धार्मिक संस्थाओं और न्यासों को छूट प्रदान करने का विरोध किया था। मैं इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। यदि न्यासों का उद्देश्य हितकर हो और उनमें उनके द्वारा जो न्यासों का निर्माण कर सकते हैं, उन पर व्यय कर सकते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से धन लगाया जाए तो यह बात सराहनीय है। सामाजिक उत्थान में योगदान देने की क्षमता रखने वालों को बढ़ावा देने का यह एक तरीका है। यह पहलू और शोध तथा वैज्ञानिक संस्थाएं और संगठनों को प्रदत्त छूट सराहनीय है।

स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में यह बात बार-बार कही गई है कि उन संशोधनों में प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है और कर कानूनों को युक्तिसंगत किया गया है। मैं न तो एक कर अधिवक्ता हूं और न ही कर निर्धारण क्षेत्र में दक्ष हूं, और जन साधारण, यहां तक कि शिक्षित माने जाने वाले व्यक्तियों को भी अब तक कर कानूनों और कर की अपेक्षाओं की न्यूनतम जानकारी भी नहीं हो पाई है। सरकार को इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोगों को एक पारस्परिक विश्वास के वातावरण की आवश्यकता है ऐसा नहीं है कि नागरिक कर चुकाना नहीं चाहते हैं। जब दुकानदार बिक्री कर के नाम पर कुछ अतिरिक्त पैसों की मांग करता है तो साधारणतया हम कहते हैं कि हमें नगदी रसीद की आवश्यकता नहीं है। बिना नगदी रसीद और बिना बिक्री कर चुकाए ही क्रेता और विक्रेता के बीच वैसे ही फैसला हो जाता है। हम लोगों ने किसी प्रकार यह धारणा बना ली है कि दुकानदार दो प्रकार की रोकड़-बही रखा करता है—एक तो कर निर्धारण कार्यालय के लिए और दूसरी अपनी जानकारी हेतु। हम लोगों को इस पारस्परिक विश्वास की कमी को दूर करने हेतु कुछ कदम उठाने चाहिए। उदाहरण-स्वरूप, कर अदायगी और दण्ड निर्धारण करने वाले अधिकारी को उस वातावरण का एक हिस्सा होना चाहिए जिसमें कि वह स्वयं, कर कानून और करदाता अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। इसकी पूर्ति हेतु देश में साधारण करदाताओं को शिक्षित करने के लिए वित्त मन्त्रालय को कदम उठाने पड़ेंगे।

मैं वेतनभोगी वर्ग का भी उल्लेख करना चाहूंगा। वेतनभोगी वर्ग, चाहे उन्हें कितना अधिक वेतन ही क्यों न मिले, एक निश्चित आय वर्ग ही होता है। इन महंगाई के दिनों में निश्चित आय वर्ग के व्यक्तियों के साथ सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए। कुछ दूसरे व्यक्ति भी हैं जिनका सम्बन्ध वेतनभोगी वर्ग के साथ नहीं है और जिनके पास व्यय के साधन हैं। ये ऐसे लोग हैं जो काले धन की कमाई करते हैं और देश में सामाजिक-आर्थिक विषमता की स्थिति पैदा करते हैं। इस असन्तुलन को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिनका हम स्वागत करते हैं। किन्तु यह काफी नहीं हैं। साथ ही साथ वेतनभोगी वर्ग को एक निश्चित सीमा तक छूट दी जानी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि इन्हें पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए, किन्तु इनके सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

जैसा मैंने आरम्भ में कहा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर सामाजिक असन्तुलन दूर करने में सहायक हो सकते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि यह असन्तुलन एक व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति के बीच एक कम्पनी और दूसरी कम्पनी के बीच, एक संगठन और दूसरे संगठन और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के

बीच बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसे सही करने के लिए वित्त मन्त्रालय ने पिछले संशोधनों के आधार पर जनता के निवेदन के उत्तर में कर लगाकर कुछ उपाय किए हैं। किन्तु यह काफी नहीं हैं। हमें कोई मौलिक विचार-विमर्श करना चाहिए कि किस प्रकार से यह असन्तुलन दूर हो जाए। ऐसा हम कर लगाकर तथा जनता के कुछ वर्गों को छूट देकर पूरा कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेषकर मेरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहां कोई भी बड़ा घराना पूंजी नहीं लगाना चाहता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत सारी कठिनाइयां हैं और इनमें कोई आकर्षण नहीं है। सरकार कई प्रकार से प्रोत्साहन, ऋण अनुदान और वित्तीय सुविधाएं देकर इसे आकर्षक बना सकती है और साथ ही साथ नीति के तौर पर उन्हें करों के सम्बन्ध में भरपूर राहत दी जानी चाहिए। केवल ऐसा कर पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सकता है। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए।

यह समय है जब सरकार बनाए गए कानूनों की पूरी पूरी पुनरीक्षा कर सकती है क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब काला धन चलन में है और बेनामी सम्पत्ति का लेन देन हो रहा है तो ऐसे कानूनों का प्रभाव क्या है। कराधान सम्बन्धी कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए। इसके प्रभाव को असमानता में आई कमी से आंका जा सकता है। असंतुलन में वृद्धि हुई है। समृद्ध लोग और भी समृद्ध होते जा रहे हैं और गरीब लोग और भी गरीब होते जा रहे हैं। मैं यह बात राजनीतिक भावना से नहीं कह रहा हूं जैसा कि विपक्ष के सदस्यों ने किया होगा। किन्तु मैं यह साधारण व्यक्ति की दृष्टि से कह रहा हूं। मैं समझता हूं यही समय है कि इस दिशा में हमें बनाए गए कानूनों के प्रभावी होने तथा इनके कार्यान्वयन की ओर ध्यान दें।

यही समय है कि यह भी देखा जाए कि क्या यह प्रणाली असफल हुई है अथवा इसमें अधिक वैधता है या कार्यान्वयन के लिए कानून अपर्याप्त हैं। इन सभी बातों की ओर ध्यान दिया जाना है।

मैं फिर एक बार सरकार से कहना चाहता हूं कि जो कानून बनाए गए हैं उन्हें उचित ढंग से और कुशलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। सरकार को इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि जनता की शिकायतों की सुनवाई के नाम पर वर्तमान कानून में जल्दी में संशोधन नहीं होना चाहिए और फिर संशोधन किया जाए और फिर पुरानी स्थिति बहाल की जाए। इससे हमारी वर्तमान पीढ़ी की एक बहुत ही गन्दी छवि सामने आती है।

इन शब्दों के साथ ही, मैं आदरणीय वित मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक का पुनः एक बार समर्थन करता हूं।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : यह विधेयक गत अधिवेशन के अन्त में लाया गया था और उस समय इसे जल्दी में पारित करने की कोशिश की गई थी किन्तु इसे पारित नहीं किया गया क्योंकि सभा की समय-सूची के अन्तर्गत यह पारित नहीं किया जा सका क्योंकि विशेषकर चुनाव कानूनों में सुधार के सम्बन्ध में विधेयक पर विचार करना था। राजनीतिक तौर पर यह अधिक महत्त्वपूर्ण विषय था। अतः यह रोकना पड़ा। अब यह बजट सत्र के प्रथम विधेयक के रूप में आया है। स्पष्टतः सरकार इसको पारित करने की जल्दी में है। मैं उस समय उपस्थित नहीं था जब वित्त मंत्री ने विधेयक प्रस्तुत किया था। मैं आशा करता हूं कि विधेयक प्रस्तुत करते समय दिए गए भाषण के दौरान उन्होंने विधेयक का उद्देश्य और इस विधेयक को जल्दी पारित करने के सम्बन्ध में बताया होगा। मैं समझता हूं

कि यह विधेयक एक प्रकार से ऐसे अनेक खण्डों को पुरःस्थापित करके 1987 अधिनियम से पूर्व स्थिति बहाल करना चाहता है जो 1987 के अधिनियम में संशोधित हुए हैं। अतः स्पष्टतः उन संशोधनों पर उचित ढंग से विचार नहीं किया गया। इन पर उचित ढंग से विचार नहीं किया गया फिर भी सदन ने इन्हें पारित किया क्योंकि सरकार को बहुमत प्राप्त है और यह जानते हुए कि जो भी कोई विधेयक वे सभा के समक्ष लाएंगे वह पारित हो जाएगा। सदन लगभग "रबर स्टैम्प" की भांति कार्य करता है, उन्होंने विचार करना और परिणाम निकालना और यह विचार करना छोड़ दिया है कि क्या विधेयकों के खण्ड अनावश्यक हैं या प्रतिकूल होंगे। उन्होंने यह काम छोड़ दिया है और यह इस बात से व्यक्त होता है कि बहुत से खण्ड अब पुनः लाए जा रहे हैं.....(**व्यवधान**)। जो कुछ मैंने कहा है वह कह दिया। यह तो पहले ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित है। यदि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप इस पर एक प्रस्ताव लाइए। मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं।

महोदय, यह भी नोट किया जाए कि किस प्रकार सरकार ने बुद्धिहीनता का परिचय देते हुए कुछ इस प्रकार की छूट दी है जो विभिन्न कार्यों के लिए दी गई हैं। एक है होटल व्यवसाय जिसको विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में छूट देनी है। इसका हिसाब कैसे लगाया जाए मुझे मालूम नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति ठीक प्रकार से एक ऐसी योजना तैयार नहीं कर सकता जिससे केवल विदेशी पर्यटकों से प्राप्त आय का हिसाब लगाया जा सकता है। स्पष्टतः भारतीयों से प्राप्त आय कम और विदेशी पर्यटकों से अधिक आय दिखाने की प्रवृत्ति होगी; ताकि अधिक से अधिक राशि की छूट मिले। फिर कुछ ऐसी शर्तें भी हैं जिन पर यह छूट अन्तिम रूप से प्राप्त की जाएंगी, जैसे किसी उद्देश्य के लिए प्रयोग करना। हां, इसमें यह नहीं लिखा गया है कि किस उद्देश्य से किसके उपयोग के लिए और किस प्रकार तथा कौन निगरानी रखेंगे, और यह जानते हुए कि सरकार के पास इस उद्देश्य के लिए कैसी कार्य प्रणाली है, यह काम कभी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में यह पूर्णाधिकार है जो सरकार ने होटल उद्योग को उनकी कुल आय के 50 प्रतिशत को कर-मुक्त करने के लिए दिया है। अधिक शब्दों में कहने के बदले उन्होंने आगा-पीछा किया है।

फिर मूल्यह्रास के लिए एक नई तालिका आरम्भ की जा रही है। नई तालिका का उद्देश्य स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे इस समय मूल्यह्रास भत्ता काफी अधिक है और संभावना इस बात की है कि इसको और उदार बनाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में इससे उन लोगों को अधिक आय प्राप्त होती है जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं और राजस्व से और अधिक धन प्राप्त होगा। अतः मुझे लगता है कि यह एक उद्देश्य है, और स्पष्ट रूप से सरकार इसीलिए इस विधेयक को सदन में बजट प्रस्तुत होने से पूर्व ही प्रस्तुत कर रही है।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : यह पश्चिम बंगाल पर भी लागू होता है। मेरे विचार से आप यह बात जानते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : सभा पटल पर बजट रखे जाने से पूर्व नहीं किन्तु 31 मार्च तक।

श्री अमल दत्ता : ठीक है, 31 मार्च से पूर्व, अगले निर्धारण वर्ष के आरम्भ होने से पूर्व आप इसे पारित करना चाहते हैं।

श्री मुरली देवरा : चर्चा के दौरान आप अपनी राय बदल भी सकते हैं।

श्री अमल दत्ता : जब तक वित्त विधेयक पारित नहीं होता है, कुछ भी लागू नहीं होगा अतः यह ठीक है ।

कुछ उद्योगों के लिए कुछ छूट दी जा रही है जो भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं । अब कौन इस बात का निर्णय करेगा कि भारत की सुरक्षा के लिए क्या अनिवार्य है ? अनिवासी भारतीय बांडपत्रों को कुछ छूट दी गई हैं, न केवल भारत के बाहर रहने वाले अनिवासी भारतीय किन्तु उन लोगों को भी जिनको यह (बांड) पत्र उपहार के रूप में दिए जाते हैं अथवा जिन्हें यह बांड विरासत में मिलते । मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर यह छूट दी जा रही है, पर यह छूट दी जा रही है ।

श्री मुरली देवरा : अधिक पैसा प्राप्त करने के लिए ।

श्री अमल दत्ता : मुझे नहीं मालूम । मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता केवल यह कहूंगा । और मैं इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित करना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : वह आपकी सहायता कर रहे हैं ।

श्री अमल दत्ता : उन्हें स्वयं को स्पष्ट नहीं है तो वह मेरी क्या सहायता करेंगे ? महोदय, मैं इस विधेयक पर विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इस प्रकार के विधेयक पर चर्चा करना और प्रत्येक खंड पर विचार करना संभव नहीं है । इनमें से कुछ निश्चय ही इतने महत्वपूर्ण खण्ड नहीं हैं । फिर भी जितना समय एक सदस्य को मिलता है उतने समय में इस पर चर्चा करना सम्भव नहीं है ।

मेरा विचार है कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यवसायों को छूट देना ही नहीं होगा जो बहुत धन इकट्ठा कर रहे हैं किन्तु उन्हें ऐसे काम में लगाना जो अभी तक आर्थिक विकास की मुख्य बात नहीं समझी जाती हैं जिनके लिए छूट दी जानी चाहिए । दूसरे शब्दों में 5-सितारा होटलों के निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए यह राशि प्रयोग की जानी चाहिए । इसका अर्थ यह है कि सरकार जान बूझकर वित्तीय प्रणाली से ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रही है जो अभी तक आर्थिक गतिविधियों में प्रमुख नहीं मानी जाती थीं ।

अब इसे छोड़ दिया गया है । सरकार को एक नीति-निर्णय लेना चाहिए और इस प्रकार गुप्त रूप से करने की बजाय निर्भीकतापूर्वक घोषणा करनी चाहिए ।

अब इनके अलावा आज जिस प्रकार आय-कर तन्त्र कार्य कर रहा है उसमें वे कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं । इस तन्त्र का कार्य इतना खराब हो गया है कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 5000 निर्धारितियों की परीक्षण जांच करने पर 800 करोड़ रुपये के कर अपवंचन का मामला पाया गया । यदि यह परीक्षा जांच वास्तव में अच्छा उदाहरण है तो इसका मतलब होगा कि निर्धारितियों द्वारा एक वर्ष में 1250 करोड़ रुपये से बचा गया है इनकी संख्या लगभग 60 लाख है अथवा और अधिक भी हो सकती है और यह संख्या हर वर्ष बढ़ रही है । अतः यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार से आयकर तन्त्र कार्य कर रहा है । इस तंत्र में पाई गई खामियों तथा इस बारे में विभाग को बताने के बावजूद इस विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं सुझाया गया है । इसके अतिरिक्त नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई परीक्षा जांच के समय के बाद तन्त्र को और अधिक उदार बना दिया गया है ताकि निर्धारिती और अधिक मात्रा में करों से बच सकें । विभाग

का भार बढ़ गया है। आयकर आयुक्तों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है जबकि निचले स्तर पर अधिकारियों की संख्या नहीं बढ़ी है और इससे पूरे तन्त्र पर कार्यभार बढ़ गया है और यह बोझिल हो गया है। जिस उद्देश्य से इसे कार्य करने के लिए बनाया गया था उस तरह से यह कार्य नहीं कर रहा है और परिणाम यह है कि जैसा मैंने कहा भी है आयकर के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि से बचा गया है। अब इन खामियों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ नहीं। इस अधिनियमन से केवल और अधिक कर अथवा अधिक राजस्व के चले जाने में ही सुविधा होगी। इसमें इस बारे में कोई अनुमान नहीं है कि इन छूट तथा रियायतों के कारण कितनी मात्रा में कर या राजस्व का सरकार को नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। यह विधेयक अथवा इस दस्तावेज का किसी अनुलग्नक में यह नहीं दिया गया है। मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री ने इस बारे में कुछ कहा है। उन्होंने नहीं कहा। **(व्यवधान)**

श्री मुरली देवरा : उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा।

श्री अमल दत्ता : ठीक है, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में स्पष्ट करें कि इन रियायतों के कारण राजस्व की प्राप्ति के बारे मे वे क्या अपेक्षा रखते हैं। निःसन्देह अन्य खण्डों के कारण राजस्व और अधिक हो सकता है। लेकिन इस विधेयक में दी गई रियायतों तथा छूट के कारण राजस्व की हानि कितनी होगी, यह सभा के सम्मुख बताया जाए और मैं समझता हूं कि यह काफी होगी तथा इसी कारण इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

महोदय, मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से स्थिति यह है कि, मैं इस विधेयक के खण्डों के कारगर होने पर कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि पूर्व अधिनियम में अनेक धाराएं कारगार नहीं पाई गई तथा अनावश्यक थीं, उन्हें अब समाप्त किया जा रहा है, यह सोचना चाहिए कि वे 1987 के संशोधन की अन्य धाराओं तक इन्तजार करेंगे जिस पर अभी तक कार्य नहीं हुआ है, इनका प्रभाव अभी तक पता नहीं है—और कोई परिवर्तन करने से पहले एक या दो वर्ष तक इनका परिणाम देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, 1987 के अधिनियम में यह प्रावधान है कि संक्षिप्त निर्धारण के मामले में, तब तक सभी निर्धारण संक्षिप्त निर्धारण होंगे जब तक कि नोटिस न दिया जाए। अब 1987 के अधिनियम के लागू होने के बाद संक्षिप्त निर्धारण के सम्बन्ध में जब एक व्यक्ति अपना ब्यौरा देता है तो उस ब्यौरे की प्राप्ति ही निर्धारण होगी। इसका मतलब है कि उसे पेश होने की जरूरत नहीं है, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे जांच के लिए बुलाए, लेकिन यदि जांच की इच्छा की गई हो तो, छः महिने के अन्दर यह करनी होगी। अब इस विधेयक के अनुसार उसे बुलाने के लिए अथवा नोटिस देने के लिए न सिर्फ यह छः महिने की अवधि ही है, बल्कि दो वर्षों की अधिकतम सीमा है जिसमें मांग की जा सकती है। समय को और कम कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। संभवतः जांच की इच्छा वाले मामलों में, चार वर्ष की पूर्व समय की सीमा जारी रखी जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है यह मुझे नहीं पता है। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इसको स्पष्ट कर सकेंगे।

महोदय, इसके साथ ही मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं तथा सभा से आग्रह करता हूं कि इसे अस्वीकृत कर दे।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं।

महोदय, प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 के पारित होने के बाद एक वर्ष की कम अवधि में ही, सरकार ने एक और संशोधन विधेयक पेश किया है जिसमें लगभग 95 खण्ड हैं, जिनमें चार अधिनियमों—आयकर अधिनियम, धनकर अधिनियम, उपहार-कर अधिनियम तथा प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987, में संशोधन का प्रस्ताव है।

महोदय, जब प्रत्यक्ष कर कानून (संशोधन) अधिनियम, 1987 को पारित किया गया था तब इसे जनता के कुछ भागों से अत्यधिक विरोध मिला था और काफी अधिक आपत्तियां की गई थीं। सिर्फ यही नहीं इस कर के सम्बन्ध में कुछ कर विशेषज्ञों ने भी अत्यधिक कठोर बातें कही थीं। मैं नानी पालखीवाला को उद्धृत करता हूं, उन्होंने अधिनियम को "अत्यधिक सनकी, अनुचित, पक्षपातपूर्ण तथा कानून का असंगत भाग" बताया था। मैं इन सभी विशेषणों से सहमत नहीं हूं लेकिन मैं यह इसलिए उद्धृत कर रहा हूं कि पिछले कानून के सम्बन्ध में अत्यधिक कठोर शब्द इस्तेमाल हुए थे। जनता का रोष सांसदों पर भी पड़ा था और सभी जगह यह आलोचना हुई कि वाद-विवाद में सदस्यों द्वारा गंभीरता-पूर्वक भाग लिए बगैर ही इस लोक सभा ने इतना बड़ा विधेयक 15 मिनट की कम अवधि में कैसे पारित कर दिया।

अतः है यह स्वाभाविक ही कि सरकार ने जनता की आलोचना को समझा है और एक वर्ष में ही यह संशोधन विधेयक पेश किया है, जैसाकि मैं कह चुका हूं। अतः जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, अधिनियम के बाद भी जनता के विचारों तथा इच्छाओं के सम्मुख झुकने में सरकार की उदारता की प्रशंसा की जानी चाहिए।

अब, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य साझेदारी फर्म, धर्मार्थ न्यासों, धार्मिक न्यासों तथा अन्य संस्थाओं के सम्बन्ध में नई आयकर निर्धारण योजनाओं को वापस लेना है तथा पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करना है। मैं एक बहुत अच्छा कर विशेषज्ञ नहीं हूं और इसलिए मैं विद्यमान विभिन्न खण्डों पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं स्वयं को केवल अपने दो या तीन कथनों तक ही सीमित रखूंगा। जैसाकि मैंने कहा, यह स्वाभाविक ही था कि साझेदारी फर्मों के बारे में ये कठोर खण्ड वापस लेने पड़े क्योंकि इन खंडों की अत्यधिक आलोचना हुई। सारे देश में 75 लाख साझेदारी फर्में हैं तथा केवल महाराष्ट्र में ही 4 लाख साझेदारी फर्में हैं। अतः व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न करने वाले इन कुछ उपबन्धों को वापस लेना पड़ा। इस तत्काल कदम उठाने के लिए मैं सरकार की बधाई देता हूं। यह उपबन्ध था कि पूर्ण-कालिक साझीदार किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि वह अन्य कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो इस हठी साझेदार के कारण पूरी साझेदारी फर्म को नुकसान होगा। अतः ये सभी खण्ड समाप्त किए जा रहे हैं और यह अच्छा कदम उठाने के लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन इन फर्मों और साझेदारी के सम्बन्ध में इन सभी खण्डों को समाप्त करने की बजाय कुछ उपबन्धों की, जो बहुत अच्छे थे, समीक्षा की जाती और उन्हें रखा जाता तो बेहतर होता। अब स्थिति यह है कि सरकार ने सारा मुद्दा ही समाप्त कर दिया है। अतः मैं चाहूंगा कि अत्यधिक जांच पड़ताल की जाए और इन साझेदारी फर्मों के सम्बन्ध में कुछ उपबन्धों को रखा जाए।

अब मेरे मुताबिक, इस विधेयक में मुख्य रूप से गलत बात 'आय' की परिभाषा का विस्तार करना है। इसमें नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को शामिल किया गया है।

> "अपने खर्चों की पूर्ति हेतु निर्धारिती को दिए गए इसी प्रकार के कोई विशेष भत्ता अथवा लाभ की अदायगी···"

परिभाषा इतनी विस्तृत की गई है कि इसमें मजदूरों अथवा कर्मचारियों के सभी भत्ते शामिल होंगे। सम्भवतः सवारी भत्ता, धुलाई भत्ता, अवकाश यात्रा भत्ता सभी इस व्यापक परिभाषा के अन्तर्गत आ जायेंगे जिससे कर्मचारी और मजदूर बुरी तरह प्रभावित होंगे तथा कार्मिक संघों द्वारा अपने नियोजकों के साथ किए गए समझौतों तथा श्रम न्यायालयों तथा औद्योगिक न्यायालयों और निर्णायकों द्वारा किए गए निर्णय भी रद्द हो जायेंगे।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने इस स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। सम्भवतः आप वहां नहीं थे।

श्री शरद दिघे : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्थिति की समीक्षा करे तथा यह पता लगाए कि क्या परिभाषा को बढ़ाने से कर्मचारियों और मजदूरों को कोई रियायत और राहत दी जा सकती है।

एक और क्षेत्र में, इस अधिनियम की धारा 158 के अन्तर्गत कर दाताओं को पिछले विधेयक के कारण अत्यधिक कठिनाई हुई, इसके अनुसार निर्धारणकर्ता अधिकारी तथा निर्धारिती के मूल्यांकन में अन्तर होने पर 30% अतिरिक्त कर भार था। इस विधेयक में इस प्रावधान का लोप कर दिया गया है। तथापि निर्धारण अधिकारी अथवा करदाता की गणितीय अथवा अन्य गलती के समाधान हेतु एक नया प्रावधान अन्तःस्थापित किया गया है यदि यह धनराशि अधिक है तो उस स्थिति में 20 प्रतिशत अतिरिक्त आयकर लगाया जायेगा।

यह न्यायसंगत नहीं है। कम्प्यूटर भी गणितीय त्रुटियां कर सकते हैं। यदि करदाता को विवरणी में गणितीय त्रुटि के लिए पंडित किया जायेगा तो इस प्रावधान का भी पुनरीक्षण किया जाए।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मुरली देवरा : महोदय, मैं सरकार को सभा में बजट से पहले यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। जिस समय मैंने अपने साथी श्री अमल दत्ता का भाषण सुना तो मुझे साम्यवाद का सिद्धान्त याद आ गया जिसे रूस और चीन भूल चुके हैं। वे भी अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं। दुर्भाग्यवश कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे साथी यह अनुभव नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक द्वारा अधिक रियायतें दी जायेंगी। परन्तु ऐसा नहीं है।

श्री अमल दत्ता : यही दुविधा है।

श्री मुरली देवरा : आप दुविधा में हैं।

श्री अमल दत्ता : आप दुविधा में हैं।

श्री मुरली देवरा : हम देखेंगे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि मूल विधेयक के पुरःस्थापन के समय सभी प्रस्तावित वस्तुओं के विरुद्ध बहुत शोरगुल हुआ तथा यह अच्छी बात है कि सरकार व्यापार की आलोचना के प्रति बहुत अधिक सजग रही है। सरकार ने उनके प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया है जिन पर मूल विधेयक का प्रभाव पड़ा है, उन्होंने कुछ बातों का सुझाव दिया है और सरकार ने सभा के समक्ष ये संशोधन प्रस्तुत किये हैं। सरकार ने अनेक बातों को समाप्त करने के कदम उठाये हैं जो मूल अधिनियम में शामिल थीं। श्री एस० बी० चव्हाण ने अभी कुछ प्रमुख बातों की घोषणा की है वे वास्तव में प्रशंसनीय हैं। सबसे पहले निवेश छूट

को पुनः चालू कर दिया गया है जिसे आपने घाटा छूट कहा है। इसे एक वर्ष पहले बन्द कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि इसे पुनः शुरू कर दिया गया है। इससे पूंजी बाजार को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इससे हमारे देश में अधिक औद्योगिक विस्तार होगा। यदि उद्योग नहीं होंगे तथा अधिक उद्योग स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी तो कर राजस्व प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह इस दिशा में एक सही उपाय है।

धारा 115 क के संशोधन से निर्यातकों को सहायता मिलेगी तथा इससे निर्यात समुदाय की आय को छूट मिलेगी। इस विधेयक से सरकार ने इस धारा में पर्यटन विभाग तथा होटल मालिकों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा को शामिल कर दिया है। इससे भुगतान संतुलन में सहायता मिलेगी तथा हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेंगे। इससे सम्पूर्ण देश में अधिक होटल खुलने में सहायता मिलेगी।

श्री अमल दत्ता : सभी होटल पांच सितारा होंगे। (**व्यवधान**)

श्री मुरली देवरा : जी हां, पांच सितारा होटल भी होंगे। यदि पांच सितारा होटलों से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है तो पांच सितारा होटलों के खुलने में क्या बुराई है? उनसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। (**व्यवधान**)

इस विधेयक के पुरःस्थापन के पश्चात् न्यास तथा साझेदारी की फर्मों के कुछ पहलू के अधिनियमों से अधिक असन्तोष हुआ है। न्यास सम्बन्धी कानूनों के बारे में मेरे पूर्ववर्ती वक्ता श्री शरद दिघे ने ठीक कहा था। इसे हटा दिया गया है। यह भी स्वागत योग्य है और इससे अधिक सहायता मिलेगी।

मद्य तथा इमारती लकड़ी पर सम्भावित कर के सम्बन्ध में एक नया विचार है। यह सही दिशा में एक कदम है। मुझे इसके लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए। धारा 44-कग से हानि रोकने में मदद मिलेगी जिसे वे लोग समाप्त नहीं कर सकते थे जो निविदा से इमारती लकड़ी जैसी चीजें खरीद रहे हैं सरकार उन पर राज्य को अधिक राजस्व देने के लिए दबाव डालेगी।

जब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि अब यह वह समय है जब अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष कर अधिक होने चाहिए। यदि आज हम अपनी अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की साझेदारी देखें तो केवल 18 प्रतिशत कर राजस्व प्रत्यक्ष करके माध्यम से प्राप्त होता है तथा 82 प्रतिशत अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। कुछ आंकड़े मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने कुछ आंकड़े समाचारपत्रों में पढ़े हैं। इस प्रयास तथा सरकार और राजस्व विभाग के पहले के प्रयासों से प्रत्यक्ष करों के संग्रह में वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि इस वर्ष तथा आगामी वर्ष में प्रत्यक्ष करों के साझे में अवश्य वृद्धि होगी तथा इनकी तुलना में अप्रत्यक्ष करों के साझे में कमी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पर बहस हो रही है, मैं भी इस पर अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

सरकार ने प्रत्यक्ष विधि से सम्बन्धित मूल विधेयक 1987 में पारित कराया था और अल्पावधि में ही इसमें संशोधन लाने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। उसके कुछ खण्डों में संशोधन लाने के लिये ही यह विधेयक सदन में लाया गया है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वह अपनी आर्थिक नीति इस सदन में और देश के सामने स्पष्ट करने के बाद यदि यह विधेयक लाया जाता, तो ज्यादा अच्छा होता।

इसके उद्देश्यों में कहा गया है कि 1987 के मूल विधेयक के प्रावधानों को कुछ सरल बनाया जाये, कुछ उद्योगों को आप छूट देना चाहते हैं, कुछ सहूलियतें देना चाहते हैं। मेरा कहना है कि यदि आप उद्योगों को छूट देना ही चाहते हैं तो ऐसे इलाकों में दीजिए जो आज तक पिछड़े हैं, जहां उद्योग अभी नहीं लगे हैं। यदि कोई उद्योगपति देश के किसी पिछड़े इलाके में उद्योग स्थापित करना चाहे तो आप उसे अवश्य तमाम सहूलियतें और छूट दीजिए, इससे कोई असहमत नहीं होगा। इससे इन इलाकों का पिछड़ापन दूर होगा। सही तरीके से यदि आप उद्योगों को सहूलियतें दें तब तो देश का पिछड़ापन दूर हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि सरकार सिर्फ लोगों को दिखलाने मात्र के उद्देश्य से ये प्रावधान करना चाहती है। इस तरह से पिछड़े इलाकों का विकास नहीं हो पायेगा। हमारे देश में 60 प्रतिशत इलाके पिछड़े हैं और उनका पिछड़ापन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिसके चलते पूरे देश के अन्दर अराजकता की स्थिति बन गई है।

सरकार बराबर कहती है कि हम असन्तुलन को कम करेंगे, लेकिन असन्तुलन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए विद्वान लोगों को सोचना चाहिए कि जब हम ऐसे कानून ला रहे हैं, तब भी असन्तुलन कम होने के बजाय बढ़ता हो जा रहा है और जो खाई है, जो गड्ढा है, वह गहरा होता जा रहा है जिसको आप पाट नहीं सकते हैं, तो इन कानूनों में कहीं कोई दोष है, कमी है।

मेरा कहना है कि यह जो विधेयक आप अतिरिक्त धन एकत्रित करने के लिए लाए हैं और इसके माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होगा यदि आप उसको ईमानदारी से पिछड़े इलाकों के विकास के ऊपर लगाएंगे, तो देश को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा और देश में उत्पादन भी बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे, इसमें हमें बहुत ज्यादा शंका है।

दूसरी चीज यह है कि जो पैसा आप अभी खर्च कर रहे हैं वह भी पिछड़े इलाकों में नहीं खर्च कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने कुछ अखबारों में पढ़ा है कि आप दिल्ली की तरह ही कुछ और शहरों का विकास करने जा रहे हैं ताकि दिल्ली पर जो दबाव बना हुआ है, वह कम हो। तो आप इस पर विचार कीजिएगा कि जो प्रत्यक्ष कर आपने बढ़ाया है इससे जो पैसा इकट्ठा होगा क्या उस पैसे को देहातों में भी खर्च किया जाएगा ताकि ऐसे इलाकों में जहां उद्योग नहीं हैं, उद्योग लग सकें और उनका विकास हो सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही इस विधेयक को पारित करना होगा। अगर आप शहरों का ही विकास करते जाएंगे, तो देहात जो शमशान होते जा रहे हैं वे दिनोंदिन और खराब होते जाएंगे। आज स्थिति यह है कि सुखी और सम्पन्न परिवारों के लोग देहातों में रहना पसन्द नहीं करते हैं। जो थे वे सब देहातों को छोड़कर शहरों में आ गए हैं। जो बचे हैं वे भी आते जा रहे। यदि इसी प्रकार का क्रम चलता रहा तो देश की क्या स्थिति होगी, इसकी तरफ भी सोचना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके पास होने से होटल वालों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और वे विदेशी मुद्रा ज्यादा अर्जित करेंगे, लेकिन यह कैसे माना जाए। मेरा कहना है

कि यदि उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी, तो वे और ज्यादा मोटे होते जाएंगे और धन संचय की उनकी जो प्रवृत्ति है वह बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि आज जितना आपका धन है उससे कई गुना काला धन बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि जिस देश में काला धन बहुत हो जाता है वहां मूल्य वृद्धि बहुत तेजी से होती है क्यों उसके अपने रुपए का मूल्य बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार से तो आप काले धन को और बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप शहरों की तरफ कम ध्यान दीजिए और ग्रामीण अंचलों की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि जहां उद्योग नहीं हैं, वहां लघु उद्योग खड़े हों जिससे देश के अन्दर जो अराजकता चल रही है, उसमें कमी आए। यही कहकर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, मैं प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 का समर्थन करता हूं। यह ऐसा विधेयक है जिसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों से थी इस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। इससे वह आश्वासन पूरा होगा जो वित्त मंत्री ने विगत वर्ष वार्षिक बजट की चर्चा में जवाब देते समय दिया था। इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। 1987 में प्रत्यक्ष कर कानूनों में अनेक संशोधन किए गए तथा संशोधित विधेयक के कुछ उपबन्धों की चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा विशेषज्ञों ने कटु आलोचना की थी। तत्पश्चात् सरकार ने उन आलोचनाओं पर उचित रूप से विचार किया और यह संशोधित विधेयक प्रस्तुत किया है। विपक्ष के एक सदस्य ने सरकार की असावधानी की आलोचना की है परन्तु मैं सरकार को उसकी उदारमति तथा जनता की आलोचना तथा उसके विचारों के प्रति सजगता के लिए बधाई देता हूं। यह लोकतांत्रिक सरकार है। जो जनता की महत्वाकांक्षाओं, आलोचनाओं, आशाओं, इच्छाओं तथा विचारों के प्रति सजग है। अन्यथा विधेयक पारित होने, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने तथा अधिनियम बनने के बाद सरकार को इन संशोधनों को प्रस्तुत करने की चिन्ता नहीं होती। सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है।

बुनियादी तौर पर संशोधित विधेयक का उद्देश्य वही है जो संशोधित विधेयक 1987 का था तथा संसद में शीघ्रता से पारित कर दिया गया था। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह यह मालूम करें कि इस विधेयक में ऐसे उपबन्धों को किस प्रकार अन्तःस्थापित किया गया तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है। यदि इसके लिए वे अधिकारी जिम्मेदार हैं जो जनता की भावना नहीं समझते तथा कभी-कभी सरकार को गलत सलाह देते हैं तो उनका पता लगाया जाए और उनकी सलाह पर विश्वास न किया जाए। यह सरकार के लिए विकट स्थिति है क्योंकि कुछ अधिकारियों ने गलत सलाह दी है। उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसाकि मैंने बताया कि महत्वपूर्ण बात सरकार की उदार-मति तथा जनता के विचारों और इच्छाओं के प्रति सजगता है।

इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ फर्मों, साझेदारों, धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यासों, संस्थाओं और कोषों के मूल्यांकन की योजना के पुराने उपबन्धों को पुनः शुरू किया गया है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान विकास कार्यक्रम तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को कटौती से सम्बन्धित धारा 35, 35 ग ग क तथा 35 से ग ग ङ के उपबन्धों को बहाल किया गया है। इसमें नयी धारा 143क(1) को छोड़कर धारा 246क तथा अग्रिम कर लगाने सम्बन्धी प्रावधानों को हटा दिया गया है। ये सब स्वागत योग्य हैं। आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के प्रोत्साहन के लिए एक अवसर भी दिया गया है। धारा 115अ के अनुसार बिजली का उत्पादन तथा वितरण करने वाली कम्पनी को न्यूनतम कर देयता से छूट दी जायेगी। यह स्वागत योग्य है।

3.00 म० प०

धारा 80 ज ज ग के अनुसार यदि निर्धारिती के पास होटल अथवा ट्रेवल एजेन्सी का रिजर्व धन है तो उसे निर्यातकों, पर्यटन तथा बिजली उत्पादन और वितरण करने की गतिविधियों को दिए जाने वाले महत्व से कम महत्व दिया गया है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत सरकार द्वारा इन उद्योगों को कितना महत्व दिया जाता है।

सरकार को ऊर्जा संरक्षण के प्रोत्साहन को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं विरोधी पक्ष से यह पूछना चाहूंगा कि क्या विद्युत उत्पादन, निर्यात आदि क्षेत्रों में छूट नहीं दी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा कितनी महत्वपूर्ण है। नई धारा द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा अर्जन को प्रोत्साहन देने के दोहरे उद्देश्य को प्रस्तावित किया गया है। इस नई धारा का स्वागत है।

इस विधेयक में धन-कर और दान-कर के बारे में एक नई और स्वागतयोग्य विशेषता है। पहली बार अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन अनुद्भूत शेयर के मूल्यांकन आदि को संचालित करने वाले नियमों को धन-कर अधिनियम और दान-कर अधिनियम का अंग बनाया गया है। अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन को सरल बनाया गया है। अब यह बात स्पष्ट है कि 1 जनवरी, 1974 के बाद प्राप्त की गई अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन, अर्जन लागत अथवा नगरीय मूल्यांकन, जो भी अधिक है के आधार पर किया जायेगा और उस दिनांक से पहले अर्जित की गई अचल सम्पत्ति नगरी मूल्यांकन पर आधारित होगी। अतः अब अनिश्चितता को दूर कर दिया गया है। यह वास्तव में एक हितकर उपबन्ध है।

मैं विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही मैं आय-कर प्रक्रिया के बारे में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। आय-कर तंत्र अर्थात् इसे कार्योन्वित करने वाली नौकरशाही को व्यवस्थित करने का यह उचित समय है। इसके साथ ही आय-कर प्रक्रिया और अधिक सरल होनी चाहिए। आयकर कार्यालय में केवल धनवान व्यक्तियों को ही नहीं अपितु उन लोगों को भी आयकर छूट और गैर-निर्धारण प्रमाण-पत्र लेने के लिए जाना पड़ता है जिन्हें आय-कर अदा करने की आवश्यकता नहीं है।

3.03 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

उन्हें कुछ प्रमाण-पत्र दर्ज करने पड़ते हैं। उसके लिए भी इन गरीब लोगों को काफी परेशान किया जाता है। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाना चाहिए और उन्हें कुछ तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए। कभी-कभी छात्रों को भी ऐसे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ सहायता दी जानी चाहिए ताकि उन्हें अधिवक्ताओं के पास न जाना पड़े और अनावश्यक रूप से धन खर्च न करना पड़े।

जैसाकि आप जानते हैं हमारे समाज जैसे जटिल समाज में कोई भी एकरूप कानून और प्रक्रियायें पूर्ण रूप से अपने उद्देश्य को हल नहीं कर सकते हैं। स्थिति की जटिलता और हमारे समाज की संरचना को ध्यान में रखते हुए बहुत से परन्तुकों की व्यवस्था की जानी चाहिए और कार्यान्वयन तंत्र को बहुत सी स्वविवेक की शक्तियां भी दी जानी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि इन सभी परन्तुकों और स्वविवेक शक्तियों का सही तरीके से उपयोग हो। हमारा अनुभव यह है कि उचित रूप

से उपयोग करने की बजाय ऐसे विषयों का दुरुपयोग कानून के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अधिकारियों के स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिये किया जाता है। इसे ठीक किया जाना चाहिए।

मैं पुनः सरकार को लोगों की राय, आलोचना, इच्छा और व्यथा के प्रति निष्पक्षता और सहानुभूति के लिए बधाई देता हूं। किसी भी समय पुनः अपना खाता खोलने की स्वविवेक शक्ति पहले आयकर अधिकारी को दी जाती थी, ऐसी सभी बातों को ध्यान में रखा गया है। विधेयक में केवल यही कमी है कि विभिन्न भत्तों को कर योग्य सीमा की प्रस्तावित परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। वेतनभोगी लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए इस बारे में उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए और वर्तमान मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए कर योग्य सीमा में भी वृद्धि की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः तहेदिल से विधेयक का समर्थन करता हूं और इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सरकार को बधाई देता हूं।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : सभापति महोदय, मुझे वह समय याद है जब प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक 1987 प्रस्तुत किया गया था उस विधेयक को बहुत जल्दबाजी में प्रस्तुत और निष्पादित किया गया था और विधेयक के अध्ययन के लिए बहुत कम समय दिया गया था। तथापि, सदन के सभी पक्षों की ओर से किये गये सभी विरोधों के बावजूद सरकार ने उसे पारित करना उचित समझा। तत्पश्चात् सरकार ने नरमी का रुख अपनाया और उठाई गई विभिन्न आपत्तियों, सरकार के समक्ष उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को सुना और कहा कि वे इन सभी मामलों के बारे में विचार करेंगे और एक और संशोधन विधेयक लायेंगे जैसाकि वे अब कर चुके हैं। अब भी मैं यह अनुभव करता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत कम समय दिया है जो प्रस्तावित संशोधनों के बारे में टिप्पणी करना चाहते हैं। उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिए था।

यह बात सच है कि इस विधेयक को जारी किया गया था। मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों को यह विधेयक उस समय जारी किया गया था जब पिछले सत्र की अवधि समाप्त हो गई थी।

एक माननीय सदस्य : इसे सत्र के अन्तिम दिन प्रस्तुत किया गया था।

श्री एच० एम० पटेल : परन्तु नया सत्र आरम्भ होने के बाद उन्हें थोड़ा अधिक समय देना चाहिए था। मैं सदन के अन्य सदस्यों के बारे में नहीं जानता। परन्तु आज इस विषय पर बोलने के लिए मैं तैयार नहीं था। तथापि मैं कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा, मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री महोदय इन टिप्पणियों पर कुछ विचार करेंगे।

मैं इस वास्तविकता के बारे में भी कुछ हैरानी व्यक्त करना चाहूंगा कि स्वयं वित्त मन्त्री महोदय ने स्वर्गीय श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति नियुक्त की थी और उस समिति की एक भी सिफारिश पर विचार नहीं किया गया, कुछ ऐसी सिफारिशों पर भी विचार नहीं किया गया जिनका पालन करने से विभाग और करदाताओं दोनों का कार्य सरल बन जाता जैसे धन-कर, आय-कर तथा अन्य करों के लिए अलग-अलग फार्म होने के बजाय सभी विभिन्न करों के लिए एक ही फार्म को स्वीकार करना। ऐसा करना पूर्णतः व्यवहार्य है परन्तु इस बारे में ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस विषय के बारे में श्री झा की विशेषज्ञता का वित्त मंत्री और

वित्त मंत्रालय कुछ तो सम्मान करते थे। उस वित्त मंत्रणा समिति के अन्य विभिन्न सदस्यों ने भी इस बारे में अपना काफी समय लगाया और मेरे अनुसार कुछ अति लाभदायक सिफारिशें की। परन्तु मैं नहीं समझता कि उन्हें इस विधेयक में कोई स्थान दिया गया है।

चूंकि मेरे पास समय सीमित है, इसलिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दों को प्रस्तुत करना चाहूंगा जिन्हें मेरे ध्यान में लाया गया है और मैं समझता हूं कि उनसे आयकर और धन-कर अदा-कर्ताओं के सामने भारी कठिनाई उत्पन्न होगी। उदाहरणतया धन-कर अधिनियम की धारा 7 में उल्लिखित निवेश कम्पनियों के अनुद्धृत शेयरों के मूल्यांकन के बारे में एक मुद्दा मेरे ध्यान में लाया गया है। विधेयक के खण्ड 62, 65 और 78 इससे सम्बन्धित है। धारा 7 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है और यह भी प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूची तीन। जिसमें मूल्यांकन नियम दिए गए हैं, को अधिनियम के साथ संलग्न कर दिया जाये। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। नियमों को अधिनियम का अंग बना दिया गया है जिससे निश्चित रूप से नियमों में अनावश्यक और परिहार्य कठोरता आयेगी .....जिसे मैं गलत दिशा में एक कदम समझता हूं। पहले भी वर्ष 1981 में केन्द्रीय बोर्ड ने संशोधन के लिए प्रारूप नियमों की अधिसूचना दी थी जिसे कई अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद त्याग दिया गया। फिर कुछ और परिवर्तन करने के बाद केन्द्रीय बोर्ड ने वर्ष 1986 में पुनः प्रारूप नियम लाये गए और गम्भीर आपत्तियां उठाने के कारण उन्होंने उसे त्यागने का निर्णय लिया। अब पुनः धन-कर अधिनियम धारा 7 में संशोधन करके ऐसे नियमों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे अनुद्धृत शेयरों का अलग-अलग मूल्य निर्धारित हो सकेगा जबकि भारत और सारे संसार में लाभ के आधार पर मूल्य निर्धारण करने के सिद्धान्त का पालन किया जाता है। इन परिवर्तनों से निवेश कम्पनियों के बहुत सारे शेयरधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे पूंजी बाजार पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ेगा जिसका महत्व अब हम समझने लगे हैं। अब हम भली प्रकार पूंजी बाजारों का महत्व समझते हैं। यदि इन परिवर्तनों को कार्यान्वित किया गया तो भविष्य के शेयरधारियों पर धन-कर का निर्धारण उन्हें कम्पनी से मिलने वाले लाभांश के आधार पर नहीं अपितु उस कम्पनी की परि-सम्पत्तियों के अलग-अलग मूल्य के आधार पर किया जाएगा, जिससे शेयरधारियों का कोई वास्ता नहीं है।

वित्त मन्त्री महोदय, मैं एक उदाहरण देता हूं। 'अ' महोदय ने 25 वर्ष पहले किसी कम्पनी में 100 रुपये की कीमत के 1000 शेयर खरीदे। यह एक अच्छी कम्पनी है और प्रतिवर्ष 30 प्रतिशत लाभांश की अदायगी करती है। अतः 'अ' महोदय को प्रतिवर्ष 30,000 रुपये मिलते हैं। इस आधार (लाभ-प्रद आधार) पर कम्पनी का शेयर मूल्य लगभग 400 रुपये प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रुपये से चार गुणा अधिक) परिचलित किया गया है। किन्तु यदि आप इस कम्पनी का अलग मूल्य लें तो इस कम्पनी ने टिस्को, हिन्दुस्तान लीवर आदि अन्य कम्पनियों में अपनी पूंजी का काफी बड़ा भाग निवेश किया है। इस कम्पनी की परिसम्पत्तियों का विघटित मूल्य उन कम्पनियों की परिसम्पतियों के विघटित मूल्य के आधार पर निकाला जाएगा जिन कम्पनियों के शेयरों में यह पूंजी निवेश की गई हैं। इस आधार पर इस कम्पनी का विघटित मूल्य इसके अंकित मूल्य से लगभग 4 गुणा होगा। इस प्रकार श्री 'क' द्वारा खरीदे गए 100 रुपये के शेयरों का मूल्य सम्पदा कर के प्रयोजन के लिए 4000 रुपये प्रति शेयर होगा और श्री 'क' को प्रतिवर्ष 80,000 रुपये का धन-कर अदा करना होगा। हालांकि उसे प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की अच्छी आमदनी हो रही है किन्तु धन-कर के रूप में वह 80,000 रुपये अदा कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय का ऐसा इरादा कतई नहीं था। मैं बिना किसी झिझक के यह कहना चाहूंगा कि अधिनियम में इस बात की अनुमति क्यों दी जा रही है?

यह अत्यधिक अन्यायपूर्ण और असमानता का प्रस्ताव है। इसका परिणाम यह होगा कि श्री 'क' को अपने शेयर बेचने पड़ेंगे और उन्हें खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके इन शेयरों को कौन खरीदेगा जिससे उसकी आय तो 30,000 रुपये होगी और उसे धन-कर के रूप 80,000 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार, यह काल्पनिक आय पर कर लगाना हुआ जिसमें करदाता को कोई आय नहीं हो रही है।

इस संशोधन का दूसरा प्रतिकूल प्रभाव यह होगा कि प्रस्तावित नए नियम अपने आप ही अधिनियम का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा करने के बाद नियम अनिवार्य हो जाएंगे और समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विभिन्न कारणों को समायोजित करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यह भी एक दोषपूर्ण प्रक्रिया है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शेयरों का मूल्यांकन लाभप्रद विधि से होता रहे और नियमों को अधिनियम का हिस्सा न बनाकर पृथक रूप से तैयार किया जाए, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सरकार धन कर अधिनियम से सम्बन्धित विधेयक के खण्ड संख्या 62, 65 और 78 का लोप करने पर विचार करे तथा दान कर अधिनियम से सम्बन्धित विधेयक के खण्ड संख्या 81 का भी लोप किया जाए क्योंकि यह धन कर अधिनियम में किए गए संशोधन का परिणामी खण्ड है। मूल्यांकन से सम्बन्धित नियम मेरे द्वारा पहले ही व्यक्त किए गए इस आशय के विचारों के समाविष्ट किए जाने के बाद कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुद्धृत शेयरों की कीमत वर्तमान की तरह ही लाभप्रद विधि द्वारा ही तय की जाए, पृथक रूप से निर्धारित और अधिसूचित किये जाने चाहिए।

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं के कर निर्धारण की नई योजना शुरू की गई थी। अब विधेयक में दोबारा संशोधन करने के विचार से वर्ष 1987 में किए गए संशोधनों को वापिस लेने तथा सभी पुराने प्रावधानों को वहाल रखने का प्रस्ताव है।

प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 में धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं को पुस्तकों की बिक्री आदि जैसे कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यावसायिक क्रियाकलाप करने की अनुमति थी। बहुत से न्यासों ने उक्त संशोधन के बाद ऐसे क्रियाकलाप शुरू कर दिए हैं। अब नए संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव देकर ऐसा संभव हो सकता है कि नए संशोधनों से उन न्यासों और संस्थाओं को, जिन्होंने वर्ष 1987 के संशोधन के अन्तर्गत ऐसे व्यावसायिक क्रियाकलाप आरम्भ कर दिए हैं, हानि हो या उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। एक पृथक आदेश द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इस सीमा तक नए संशोधन भविष्य में लागू होंगे और जिन न्यासों और संस्थाओं ने संशोधन के अनुसार व्यावसायिक क्रियाकलाप शुरू कर दिए थे उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस संदर्भ में मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आयकर अधिनियम की धारा 143 में एक नई उप-धारा 1क को अन्तःस्थापित करके विधेयक में यह प्रावधान रखा गया है कि जब कभी करदाता द्वारा घोषित आयकर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित आय से अधिक हो तो करदाता से 20 प्रतिशत अतिरिक्त आयकर की वसूली की जाएगी। कर निर्धारण अधिकारी को यह बहुत ही शक्तिशाली अधिकार दिया गया है। यह अतिरिक्त कर उस स्थिति में भी देय होगा जबकि अन्तर लम्बित कर-निर्धारण को उत्तरवर्ती वर्षों में निश्चित करने के कारण उत्पन्न हुआ हो या पूर्व वर्षों के कुछ दावों की अस्वीकृति के कारण उत्पन्न हुआ हो या वास्तविक गणित में हुई गलती के कारण उत्पन्न

हुआ हो। आश्चर्यजनक बात यह है कि हिसाब की गलतियों के लिए भी यह अतिरिक्त कर देय होगा। इस कर वसूली के विरोध में किसी प्रकार की अपील का भी प्रावधान नहीं है। ऐसा प्रावधान स्पष्टतः न्याय या औचित्य के सभी सिद्धान्तों के विरुद्ध है। प्रामाणिकता (वास्तविकता) हमेशा प्रत्येक मामले के गुणों पर निर्भर होनी चाहिए और इस पर पहले से ही निर्णय नहीं लिया जा सकता। प्रावधान या तो पूर्णतः वापिस लिया जाना चाहिए या प्रत्येक मामला अपने गुणों के आधार पर निर्धारण अधिकारी के विवेकाधिकार पर निश्चित किया जाना चाहिए। हां, वित्त मंत्री महोदय के लिए अच्छा मार्ग इसे वापिस लेना ही होगा।

इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी हैं जिन पर आगे विचार किए जाने की आवश्यकता है और मुझे नहीं पता कि इन बातों पर किस प्रकार विचार किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय, न्यायसंगत व्यक्ति होने के नाते विधेयक में किसी प्रकार के रूप भेद या संशोधन करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार करने के लिए तैयार होंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो कम से कम मैं तो सन्तुष्ट हूंगा।

सभापति महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि स्पष्टतः मैंने विधेयक को इतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ा है जितना कि विधेयक पर बोलने के लिए मैं इसे पढ़ना चाहता था। ये कुछ बातें मेरे ध्यान में लाई गई थी और मैंने इन्हें सदन के समक्ष रखा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, डाइरेक्ट टेक्स लाज (अमेंडमेंट) मिल, 1988 का मैं समर्थन करता हूं। पिछली दफा जो डायरेक्ट टेक्सिज के सम्बन्ध में जिस प्रकार का अमेंडमेंट बिल आया था उस वक्त भी हमने निवेदन किया था इसमे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वहज से लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उन सारी बातों को वित्त मन्त्री महोदय ने—जैसाकि उन्होंने बिल के ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस में भी कहा है—उन सारी बातों को माना है।

जिस प्रकार की कठिनाइयां लोगों को होती हैं उनका अनुभव तो आपके ब्योरोक्रेट्स को होता नहीं है। वे केवल अपने अनुभव के आधार पर ही बिल में ऐसी बातों को रख देते हैं जिनसे लोगों को कठिनाइयां होती हैं। आपके आई० ए० एस० अफसर जो हैं वे यह समझते हैं कि वे दुनिया के हर मामले के एक्सपर्ट हैं। वे यह समझते हैं कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिसके वे एक्सपर्ट न हों। ये लोग अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानते हुए हर चीज में कुछ न कुछ नुक्ताचीनी करने में लगे रहते हैं।

फाइनेंस का ऐसा मामला है कि इसमें अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दें तो उससे सरकार को भी बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है और उनके साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनके भी बहुत बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। इसलिए जैसाकि माननीय पटेल साहब ने भी कहा, यह निवेदन करना अत्यन्त आवश्यक है कि जब डाइरेक्ट टेक्सिज के सम्बन्ध में कोई बिल लाया जाए तो उस पर विचार करने के लिए ज्यादा समय दिया जाना चाहिए जिससे कि सब लोग उसको अच्छी तरह से स्टडी करके अपने सुझावों को आपके सामने रख सकें। उन सुझावों को मानना या न मानना आपकी मर्जी पर है। मगर सब तरह के दृष्टिकोण आपके सामने आ जाएं और आप उनको देख लें कि कौन-सी चीज से आपको फायदा हो सकता है और भारत सरकार का खजाना बढ़ सकता है और जनता की तकलीफ कम हो सकती है। इससे निश्चित तरीके से सरकार को लाभ होगा और यह जनता के लिए भी लाभदायक होगा।

आप जो इस बिल के द्वारा अमेंडमेंट्स लाए हैं उनका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन डायरेक्ट टेक्सिज के सम्बन्ध में जो भी कठिनाइयां पैदा होती हैं उनको कम करने के बारे में जो भी सुझाव आते हैं या इन टेक्सिज के जो एक्सपर्ट लोग जो व्यापारी इन टेक्सेशन से ताल्लुक रखते हैं, उनकी तरफ से भी जो राय और सुझाव आयें उन पर आप विचार करें ताकि उनका लाभ सरकार को भी मिले और इनके सम्बन्ध में जनता को जो कठिनाइयां पैदा होती हैं, वे भी दूर हों। इस बात को सोचने का एक बहुत बड़ा प्रश्न है।

एक प्रश्न जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था वह है चेरिटेबल ट्रस्ट्स, वोलेन्ट्री एजेंसीज एण्ड इंस्टीच्युशंज केरींग आन साइन्टीफिक रिसर्च में रिजल्ट इन हार्डशिप जिसको आपने भी माना है। हमने पहले निवेदन किया था कि चेरिटेबिल ट्रस्ट पर डायरेक्ट टेक्स लगाना उचित नहीं होगा, मगर यहां पर बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं जो कई प्रकार के काम करते हैं, वहां का पैसा दूसरे कामों में लगाते हैं। बड़े-बड़े पूंजीपति, टाटा, बिड़ला तथा अन्य लोगों ने चेरीटेबल ट्रस्ट खोल रखे हैं और उनका पैसा दूसरे धन्धों में लगाकर किस तरीके से पैसा कमाते हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं। पहले आपने उनको छोड़ रखा था, इसके बाद जो अन्य प्रकार के व्यापार करते हैं, उन ट्रस्टों की डायरेक्ट टैक्स के अन्दर लाने की कोशिश की, अब उनको वापिस छोड़ने की व्यवस्था की जा रही है, कुछ सहूलियतें देने की व्यवस्था की जा रही है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे किस तरह से प्रयत्न करेंगे कि बोनाफाइड लोग तो बच जाएं और गलत तरीके से काम करने वाले लोग, सरकार की आमदनी को कम करने वाले लोग जो हैं, उनके खिलाफ इस कानून के जरिए किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी, जिससे सरकार का लाभ कम न हो और गलत तरीके से काम करने वाले लोगों को मदद न मिले, इस प्रकार की व्यवस्था कैसे हो पाएगी।

पार्टनरशिप के बारे में पहले मेक्सिमम रेट लगा दिया गया था, अब मेक्सिमम रेट के बजाय मिनिमम रेट कायम कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम रेट का मेक्सिमम रेट वसूल किया जाए, यह एक क्लाज इसमें और जोड़ दी है। यह किस पंडित का या एक्सपर्ट का दिमाग है जिसके अन्तर्गत मेक्सीमम, मार्जिनल रेट्स की तीन तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। मेक्सीमम, मार्जिनल, सब का सब एक साथ कैसे चल पाएगा, इसलिए इन चीजों में जो व्यवधान पैदा होगा, असेसमेंट करने वाली अथारिटीज को जो डिसक्रेशन इससे मिलेगा, जिस प्रकार का ह्रासमेंट उन पार्टनरशिप से सम्बन्धित लोगों को मिलेगा, उससे उनको कैसे बचाया जाएगा और सरकार की आमदनी कैसे वसूल की जाएगी, यह मेरी समझ में नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि अलग-अलग तरीके से लफ्ज इस्तेमाल करके किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को चलाना चाहते हैं।

एक निवेदन और है कि आपने गिफ्ट टैक्स वैल्थ टैक्स के असेसमेंट के बारे में कहा है, मेरा निवेदन है कि बड़े-बड़े लोग जिनके पास पुराने जमाने की पूंजी है जिनके बाप-दादाओं ने हम लोगों का शोषण करके बहुत धन इकट्ठा किया है, उनके पास हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, वे लोग एक हीरे की कीमत 5 लाख बताते हैं, जबकि बाजार में उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, तो वैल्थ टैक्स के अन्दर उसका असेसमेंट किस तरीके से किया जाएगा। क्या उनके कहने को ही ठीक मान लिया जाएगा, ज्वेलरी की जो कीमत रिटर्न में दिखाई है, उसको मान लिया जाएगा या उसका वैल्थ टैक्स के बारे में असेसमेंट करके डायरेक्ट टैक्स वसूल किया जाएगा, इस बारे में क्या कोई व्यवस्था की गई है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। पिछली दफा वैल्थ टैक्स जब समाप्त

किया जा रहा था तो हमने इसका विरोध किया था। बड़े-बड़े लोगों के पास पुराने जमाने की जो संपत्ति पड़ी हुई है, जमीन-जायदाद है, मकान हैं ज्वेलरी है, उन लोगों को क्यों वैल्थ टैक्स से और गिफ्ट टैक्स से छोड़ा जा रहा है, ऐसी हालत में आप उनको बहुत बड़ी रियायत दे रहे हैं। इस अमेंडमेंट के जरिए यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पहले वाले अमेंडमेंट में व्यवस्था की गई थी और उसमें असेसमेंट ठीक प्रकार से न हो सका क्योंकि कहीं ज्यादा हो गया और कहीं कम हो गया तो उसका ठीक प्रकार से असेसमेंट कैसे किया जायेगा उसके लिए कुछ अमेंडमेंट इसमें लाने का प्रावधान किया है। यह बहुत अच्छा कदम है और स्वागत योग्य है। असेसमेंट करने वाली अथारिटी ऐसी होनी चाहिए जो ठीक प्रकार से असेस कर सके और सरकार को किसी प्रकार का नुकसान न हो। जो गलत असेसमेंट हो जाते हैं उनको री-ओपन करने की मनाही कर दी गई थी। उसको इस अमेंडमेंट के जरिए खोलने की स्वीकृति दी जा रही है, इससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। टैक्सेज के बारे में आपने लम्बे-चौड़े कायदे-कानून बना दिए हैं जिनको मामूली आदमी नहीं समझ सकता। बेहतरीन से बेहतरीन वकील अपने टैक्स को छुड़वाने के लिए तय करना पड़ेगा जिससे टैक्स से पिंड छुड़ सके। ज्यादा से ज्यादा फीस देकर वकील की जेब भरी जायेगी, इससे सरकार की आमदनी कम हो जायेगी। कितना पैसा सरकार को लेना है, यह आप आमदनी की जानकारी में होना चाहिए जिससे सीधे तरीके से वह सरकार के खजाने में पैसा जमा कराए। अमेरिका तथा यूरोपियन कंट्रीज में लोग अपने आप पैसा जमा करवाते हैं जबकि अपने यहां टैक्स की चोरी की बात की जाती है। मेरा निवेदन यही है कि ऐसा टैक्स लगाना चाहिए जिससे चोरी न हो। इतनी बड़ी तादाद में टैक्स लगे हुए हैं जिससे आम आदमी चोरी करने की कोशिश करता है। काला धन ज्यादा होने का मूल कारण यही है कि डायरेक्ट टैक्स की वसूली कम हो रही है। आधा पैसा उन लोगों की जेबों में चला जाता है और सरकार के खजाने में बहुत कम पैसा जमा होता है। ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे आपका टैक्स पूरा हो और व्यापारी लुटे नहीं तथा हिन्दुस्तान की तरक्की हो। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : सभापति महोदय, मैं प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 का स्वागत करता हूं। वास्तव में जैसा कि मेरे साथियों ने पहले ही कहा है जब वर्ष 1987 विधेयक प्रस्तुत किया गया था तो अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया गया था कि विधेयक जल्दबाजी में पास किया गया था और विधेयक मैं सम्पूर्ण कर ढ़ांचे की भावना के विरुद्ध प्रावधान किए गए हैं। किन्तु मैं एक दलील का उत्तर देना चाहूंगा। जिसका किसी ओर से भी उत्तर नहीं दिया गया है। उत्तर इस प्रकार है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विधेयक जल्दबाजी में पास किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं उन सदस्यों में से एक था जिन्होंने अधिकांश चर्चाओं में भाग लिया और मुझे वह समय याद है जब विधेयक पेश किया गया था।

इससे पहले नियम 193 के अधीन बहुत सी चर्चाएं हो चुकी थी और सरकार के बहुत सारे विधेयक लम्बित रह गए थे और यह विधेयक भी उनमें से एक था और अन्ततोगत्वा इसे पेश किया गया तथा इस पर चर्चाएं हुईं और विधेयक पारित किया गया। किसी का भी जल्दबाजी और सरकार का भी विधेयक को जल्दबाजी में पास करने का कोई इरादा नहीं था।

इस तथ्य के बावजूद कि मैं सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि यह सच है कि यह विधेयक जल्दबाजी में पास नहीं किया गया था। जहां तक विधेयक में

निहित प्रावधानों का सम्बन्ध है, जैसा कुछ सदस्य पहले भी कह चुके हैं, सरकार ने निसंकोच भाव से उन प्रावधानों को परिशोधित किया जहां उनमें कमियां थीं। निःसन्देह विपक्षी सदस्य इसकी आलोचना करेंगे किन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वे इसकी आलोचना कैसे कर रहे हैं जबकि सरकार लोगों के सुझावों को स्वीकार कर चुकी है और उसने यह विधेयक पेश किया है।

जहां तक कर क्रियाविधि का सम्बन्ध है उन्हें इसे शीघ्र निपटाने तथा मामलों को निपटाने के लिए कुछ करना है और यह देखना है कि करदाताओं के प्रति न्याय किया जाए। कभी-कभी कुछ मामले प्रेस में प्रकाशित हुए हैं। प्रेस में फिल्म अभिनेत्री रेखा के सम्बन्ध में एक मामला छपा था। तीन महीने पूर्व प्रेस में यह मामला विस्तार से छपा था कि करके मामलों से संबंधित प्राधिकारियों ने उस फिल्म अभिनेत्री को बहुत सी रियायतें दी हैं और कर माफ कर दिया है आदि। किन्तु सरकार की ओर से कोई समुचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ऐसी कोई माफी नहीं दी गई है, और उसे कोई विशेष रियायत नहीं दी गई है। जिस किसी बात की उसे मंजूरी दी गई है वह सब कानून के अन्तर्गत ही दी गई है। मैं इसे केवल रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही समझ सका हूं। इसलिए, यदि कोई ऐसी रिपोर्ट हो जिसमें यह कहा गया हो कि कुछ चुनींदा व्यक्तियों को कुछ निश्चित रियायतें दी गई है या उनके मामले माफ कर दिए गए हैं तो मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

जहां तक विधेयक के खण्डों का सम्बन्ध है, मैं उस खण्ड का स्वागत करता हूं जिसके अन्तर्गत उस कम्पनी को कुछ रियायतें दी गई हैं जो होटल उद्योग चला रही है। यदि कम्पनी लाभ का 50 प्रतिशत नये होटल के निर्माण, नई कारों को खरीदने, खेल कूद का सामान खरीदने, सम्मेलन केन्द्रो की स्थापना करने अथवा ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए उपयोग करती है जिससे देश में पर्यटन को प्रोत्साहन मिले तो सरकार उसे विशेष रियायत दे सकती है। यदि वे ऐसी रियायतों या कटौतियों का उन क्षेत्रों में निवेश करें जिनका वर्तमान विधेयक में उल्लेख किया गया है, तो मेरे विचार से इन सुविधाओं के द्वारा देश में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। केवल एक बात है कि उस कम्पनी पर सतत निगरानी रखी जाए कि क्या वह वास्तविक रूप से लाभ का सम्बन्धित क्षेत्रों में निवेश कर रही है अथवा नहीं क्योंकि कुछ होटल उद्योग के मालिक इस विधेयक के माध्यम से सरकार द्वारा दी गई राजसहायता का दुरुपयोग करते हैं। वे उन रियायतों का दुरुपयोग करते हैं जो किसी विशेष उद्योग में निवेश के लिए सरकार द्वारा दी जाती है।

जहां तक समान लेखा वर्ष का सम्बन्ध है निसंदेह व्यापार समुदाय द्वारा आपत्तियां उठाई गई थीं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे लेखा परीक्षण प्रणाली, बैंकों और डाक प्रणाली पर कुछ दवाव पड़ेगा; वे यह भी सोचते हैं कि इससे सीजनल उद्योग आदि भी प्रभावित होंगे। निसंदेह इन आपत्तियों में कुछ तथ्य है, लेकिन, समूचे बेहतर कर प्रशासन के हित में है। समान लेखा वर्ष जिसे सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है एक स्वागत योग्य उपाय है, और इस समान लेखा वर्ष को शुरू करने से अधिक फायदे होंगे लेकिन वर्तमान लेखा वर्ष में हानि अधिक है।

वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में निवेश करने पर कतिपय रियायतें देने का प्रस्ताव है। यह एक स्वागत योग्य उपाय है। लेकिन, फिर भी इस प्रावधान के दुरुपयोग किये जाने की सम्भावना है या फिर कुछ तत्व इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन, इस पर पैनी दृष्टि रखनी होगी कि वास्तविक निवेश वैज्ञानिक क्षेत्र में ही किया जाए।

अग्रिम कर के भुगतान में, कतिपय खामियां सामने आई है जिसे सरकार के ध्यान में लाया गया और सरकार ने उन त्रुटियों को दूर करने और अग्रिम कर प्रणाली को तर्कसंगत बनाया है।

जहां तक पति व पत्नी के बीच 'पार्टनरशिप' का सम्बन्ध है जब वे एक ही फर्म के पार्टनर हैं तब उनकी आय एक साथ नहीं मिलाई जाएगी। उनकी आय अलग से आंकी जाएगी। यह एक स्वागत-योग्य कदम है हम महिलाओं को एक अलग दर्जा देना चाहेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में अपने महिलाओं को स्वतन्त्र रूप से उनके अलग अधिकारों के लिए कानून लागू किए हैं। आय-कर के उद्देश्य से उनकी आय के हिस्से को अलग से मानने का यह प्रावधान भी स्वागतयोग्य है। वास्तव में मैं गोवा का उदाहरण दूंगा जहां समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत महिलाओं को और उनकी सम्पत्ति को भी अलग से माना जाता है। इसलिए पति और पत्नी की आय को एक साथ न मिलाने का प्रावधान करने वाला यह खण्ड बहुत ही स्वागतयोग्य कदम है।

जहां तक हमारी कराधान व्यवस्था का सम्बन्ध है कुल मिलाकर यह भली प्रकार कार्य करती है। और हमारे कर कानून देश के कई भागों में लागू हैं। हाल ही में एक बात नोटिस में आई है कि छोटे से राज्य, हमने पढ़ा है कि सिक्किम में कतिपय प्रत्यक्ष कर कानूनों का बहुत बड़ा विरोध हुआ है चूंकि ये कानून उस राज्य में पहले लागू नहीं थे इसलिए कतिपय उद्योगपतियों के लिए पहले वाली व्यवस्था बहुत फायदेमन्द थी। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि सिक्किम राज्य में उन कानूनों को लागू करने का ठीक ही प्रयास किया गया है। वास्तव में यह कानून समूचे देश में है और मेरे विचार से किसी राज्य को छूट-प्राप्त नहीं होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रत्यक्ष कर कानून लागू करने से उन्हें एक करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। जबकि सिक्किम राज्य को सरकार से बहुत अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है और इसलिए इस मामले को सुलझाया जा सकता है लेकिन जो मैं सैद्धान्तिक रूप में कह रहा हूं कि राष्ट्रीय हित में हमें उस राज्य में भी प्रत्यक्ष कर कानून लागू करने चाहिए।

मैं खेप कर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे विचार से इस बारे में विधेयक लाए जाने की सम्भावना है और मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया है कि आगामी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। मैं केवल प्रक्रियात्मक मामले के रूप में कह रहा हूं। ऐसा अलग से कानून नहीं होना चाहिए। हम विद्यमान केन्द्रीय कर-कानून में संशोधन कर सकते हैं। खेप कर के लिए तर्कसंगत ढ़ांचा तैयार कर सकते हैं, हाल ही में हुए सम्मेलन में भले ही कुछ भी निर्णय लिया गया हो।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैं प्रत्यक्ष कर कानून संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। वैज्ञानिक अनुसंधान, ग्रामीण विकास और अन्य प्रशंसनीय उद्देश्यों के लिए आयकर अधिनियम में विभिन्न रियायतें दी गई हैं जो समाज के लिए लाभदायक है, जिनका कुछ प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। अनुसंधान के नाम पर जनशक्ति का उपयोग किया जाता है जिसे उत्पादन या अन्य विकासात्मक कार्यों पर उपयोग में लाया जाता है जबकि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ नहीं हो जा रहा है। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे ऐसे लोगों को कुछ प्रोत्साहन दिया जा सके जो आगे आकर ग्रामीण विकास कार्य में राशि निवेश करते हैं।

हमारे पास अधिनियमों और नियमों और दाण्डिक व्यवस्था के बावजूद बहुत धन इस देश से बाहर जा रहा है। विशेषतया पिछले तीन या चार वर्षों से तो देश का धन बहुत अधिक बाहर जा रहा है। भारतीयों का लगभग 1300 करोड़ रुपए से अधिक धन स्विस बैंकों में जमा है। सम्भवत:

भारत सरकार स्विस बैंक के साथ इन खातों का पता लगाने के लिए उस देश के साथ कोई सहयोग करने की बात सोच रही है जिससे इस प्रवृत्ति को टोका जा सके, किन्तु जब तक यह होता है अपराधी अपना धन दूसरे देशों में जमा करा देंगे।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में, आवास की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास पर निवेश करने के लिए आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए उन गांवों में जहां 2,000 से कम जनसंख्या है। अगर हम ऐसे निवेशकों को कर में छूट के माध्यम से कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए अच्छी बात होगी और इससे शहरों में झुग्गी झोंपड़ी भी कम होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आवासीय गतिविधियां नहीं हैं। भवन निर्माताओं और निवेशकों को कुछ रियायतें देकर हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

महोदय, शहरों या उपनगरों में भूमि पर धन निवेश करना अधिक लाभदायक है। उन क्षेत्रों में हजारों प्रोपर्टी डीलर हैं और उन पर कर नहीं लगाया जाता है। अगर हम पीतमपुरा की तरफ नौएडा या दिल्ली के किसी हिस्से या बड़े शहरों के किसी अन्य हिस्से की तरफ जाएं तो हम पाते हैं कि प्रोपर्टी डीलर का बोर्ड है। उन पर कर नहीं लगता है। हम अन्य व्यवसायों पर कर लगा रहे हैं। हम साझेदारी वाली फर्मों पर कर लगा रहे हैं। प्रोपर्टी डीलरों का क्या हुआ, जो बड़े पैमाने पर यह व्यवसाय कर रहे हैं? वह दो एकड़ या तीन एकड़ जमीन काले धन से खरदीते हैं और उस जमीन पर कुछ नहीं बनाते। चार या पांच वर्षों बाद, इसकी कीमत दस गुना से तीस गुना तक बढ़ जाती है। कुछ ऐसे कानून होने चाहिए कि यदि भूमि खरीदने की तारीख से दो वर्षों के भीतर निर्माण कार्य नहीं किया जाता तो इस पर प्रत्येक वर्ष तीस प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा, जैसाकि हम कुछ मामलों में हमने अतिरिक्त प्रतिशत कर लगाते हैं।

साझेदारी फर्मों के सम्बन्ध में उपबन्धों को बनाए रखने के लिए संशोधन का मैं स्वागत करता हूं और चैरीटेबल ट्रस्ट के लिए भी जो देश के बहुत से हिस्सों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनमें कुछ बेईमान तत्व भी हैं। लेकिन बहुत से ट्रस्ट आम व्यक्तियों के फायदे के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।

मैं यहां एक मुद्दे पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अनेक वर्षों से कृषि आय की अधिकतम सीमा 36 हजार रुपए पर निर्धारित की गई है। हमने आयकर की मूल अधिकतम सीमा को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 और फिर 18,000 रुपए किया है किन्तु कृषि आय की अधिकतम सीमा में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बजट में क्या हो सकता है मैं नहीं जानता। लेकिन कृषि आय की अधिकतम सीमा 36,000 रुपए है। मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कीमतों में वृद्धि के कारण और कृषि निवेश की लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय की सीमा में भी वृद्धि की जानी चाहिए। मुर्गी पालन और पशु-पालन के सम्बन्ध में हमने देखा है बहुत से माध्यम वर्ग के लोग इन व्यवसायों में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बड़े पैमाने पर मुर्गीपालन और डेरी फार्म हैं। यदि उन्हें भी कुछ छूट दी जाए तो इससे जनता और सरकार को लाभ होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री एस० बी० चव्हाण : सर्वप्रथम मैं सदन के दोनों ओर बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और अपना बहुमूल्य परामर्श

दिया है कि क्या किया जाना चाहिए। वस्तुतः दो माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए दो पक्ष थे। एक पक्ष ने कहा कि यह तथ्य कि अधिनियम 1987 का संशोधन 1989 द्वारा किया जाना है स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार ने इस पर ध्यानपूर्वक विचार नहीं किया था, इस प्रकार के विधि निर्माण में उन्होंने जल्दीबाजी की और उन्हें पुनः अपनी कार्यवाही सुधार कर इस संशोधन विधेयक के साथ सदन के समक्ष उपस्थिति होना पड़ा। दूसरे पक्ष ने कहा कि इस विधान से प्रभावित होने वाले लोगों द्वारा व्यक्त जनमत और समालोचना की उत्तरदायी सरकार है। मेरे मन में भी इस प्रकार के प्रतिद्वन्द उठ रहे थे—मैं स्पष्ट रूप से सदन के समक्ष यह स्वीकार करता हूं—क्या सही परिपेक्ष्य में इसकी व्याख्या की जाएगी या यह मान लिया जाएगा कि सरकार कुछ वर्गों द्वारा लाए रहे दबाव के समक्ष झुक गई है। अनन्तोगत्वा मैंने यह सही समझा कि हम लोगों को झूठी प्रतिष्ठा नहीं बनाई रखनी चाहिए। यदि यह एक वास्तविक शिकायत है और हमें यह विश्वास हो जाता है कि आप किसी बात की आलोचना कर रहे हैं और यदि हम आलोचना के बावजूद भी विचार-विमर्श करेंगे और आपके दबाव में नहीं आएं तो मेरे विचार से इस प्रकार की समस्या से निपटने का यह अलोकतांत्रिक, अवैध तथा अनुचित तरीका होगा। विधान के सम्बन्ध में मतान्तर तो होंगे ही। इस तथ्य के बावजूद कि मेरा एक विशेष दृष्टिकोण है और दूसरे भी हैं जो स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि इससे उन्हें नुकसान पहुंचेगा, मैं उनके उद्देश्य पर प्रश्न नहीं करूंगा लेकिन सरकार के लिए नितान्त आवश्यक राजस्व हेतु मैं कहता हूं कि इस प्रकार के तरीकों को अपनाना आवश्यक हो गया है और आप जो कह रहे हैं उसे सम्भवतः मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। यह इस समस्या से निपटने का एक बहुत ही सरल तरीका है। मुझे यह कहना चाहिए कि इस तरीके से ही हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बगैर किसी झूठी प्रतिष्ठा के हम सोचें कि कुछ समस्याएं हैं जिन पर हमें विचार करना है कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है कि हम अपने निश्चय पर दृढ़ रहें अथवा हमें संशोधन लाना चाहिए। इस प्रकार से ही संशोधन लाए गए हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त पक्षों की मैं विशद व्याख्या नहीं करता हूं। माननीय सदस्य द्वारा बताए गए अन्तिम विषय निश्चित रूप से केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते है। कृषि राज्य सरकार का अधीनस्थ विषय है। कृषि पर आयकर का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा न करके राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अतः इस समस्या को मैं उन्हें राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तावित करने की सलाह देता हूं। यदि वे इस विषय को राज्य सरकार के समक्ष प्रस्ताविक करने योग्य समझते हैं तो निश्चय ही वे इसे राज्य सरकार को प्रस्ताविक कर इसका समाधान पा सकते हैं।

महोदय, यह अनेक विषय प्रस्तावित किए गए हैं परन्तु धारा-2 के अन्तर्गत वर्णित आय की परिभाषा सर्व प्रमुख है। मुझे विश्वास है कि वे माननीय सदस्य जिन्होंने परामर्श दिया था, यदि इस सभा में उपस्थित होते और यदि उन्होंने मेरे प्रारम्भिक विचार सुने होते तो उन्हें पता होता कि मैंने समस्या को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। एक मामले में केवल ऐसा हुआ था। यह सिर्फ नगर प्रतिपूर्ति भत्ता के मामले में हुआ था जोकि वस्तुतः प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा चुका दिया गया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि यह आय नहीं है, बम्बई उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण में यह आवश्यक रूप से आय है। यह दो उच्च न्यायालयों द्वारा दिया गया परस्पर विपरीत निर्णय है। आजकल अलग-अलग व्यक्ति न्यायालयों में जा रहे हैं और इस कारण ही हम चाहते हैं कि हमें विधि निर्माण करके वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए जिससे कि किसी भी विवाद के लिए जरा भी गुंजाईश न रहे। इस आधार पर की गई व्याख्या यह है कि अब कामगारों और नियोजकों के बीच हुए

समझौते पूर्णतः व्यर्थ हैं और अधिकांश भत्तों पर कर लगाया जा रहा है। मैं पुनः सदन को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। पहले से कर मुक्त भत्तों पर इस स्थिति में कर लगाने का हमारा कोई विचार नहीं है। प्रत्येक सम्बन्धित व्यक्ति को इस सम्बन्ध में निश्चित रहना चाहिए क्योंकि पहले से कर मुक्त भत्तों पर करलगाने का हमारा विचार नहीं है। यह नगर प्रतिपूर्ति भत्ता कभी कर मुक्त नहीं था, परन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार हमने आवश्यक समझा कि सुस्पष्ट परिभाषा द्वारा हमें वस्तु स्थिति स्पष्ट कर लेनी चाहिए जिससे कि गलत व्याख्या की कोई गुंजाईश न रहे। यही एक बात है। सिर्फ इसमें ही सुस्पष्ट व्याख्या की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता हूं कि 'आय' की परिभाषा में अब कोई सारपूर्ण परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि अब यह उचित रूप से सदन के समक्ष लाया जा चुका है।

3.58 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, कुछ मुद्दे उठाए गए थे लेकिन यह प्रमुख मुद्दा अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था। श्री अमल दत्ता ने कुछ मुद्दे उठाए और होटल उद्योग में परिवर्तन लाकर सरकार के उद्देश्यों पर प्रश्न किया। तो यदि कुछ अप्रवासी भारतीय बन्धों को स्थानीय व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया जाए तो वे भी कर मुक्त होते हैं। उन्होंने यह कहकर बहुत कड़ा विरोध प्रकट किया कि यह एक और प्रमुख उद्योग है और एक गैर प्रमुख क्षेत्र जहां सरकार कुछ अन्य चीजें स्थापित करने की कोशिश कर रही है, और होटल मालिकों द्वारा इसका पूर्णरूपेण दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या माननीय मंत्री महोदय उस धारा को पढ़ने का कष्ट करेंगे जहां छूट का वर्णन किया गया है यह स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है कि होटल दो प्रकार के होते हैं। इसमें विशेषकर पांच सितारा होटल आएंगे। शेष होटलों में मेरे विचार से किसी भी विदेशी कोकोई रुचि नहीं है। आरम्भ में कर की छूट 50 प्रतिशत होगी, किन्तु यह तब दी जाएगी जब आय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो। मेरे विचार से कोई स्थानीय व्यक्ति विदेशी मुद्रा का भुगतान करता होगा केवल विदेशी लोग ही विदेशी मुद्रा दे सकते होंगे। विभिन्न स्रोतों से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के क्रम में, यह भी एक स्रोत है जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्रकार की छूट देने से ·····**(व्यवधान)**

श्री अमल दत्ता : जो बात मैंने पूछी थी आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। मैंने यह पूछा था कि विदेशी पर्यटकों से होने वाली आय का हिसाब आप कैसे लगाएंगे ? इसका हिसाब लगाने का कोई तरीका है। वे रुपयों में किए गए भुगतान को भी विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान में जोड़कर इसको बढ़ा कर दिखा सकते हैं।

4.00 म० प०

श्री एस० बी० चव्हाण : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि 50% की छूट विदेशी मुद्रा के आधार पर दी जाएगी जो होटलों की कुल आय का हिस्सा है और उस कुल आय में से, जो भी भाग विदेशी मुद्रा का होगा, उसका 50% राहत देते समय ध्यान रखा जाएगा और 50% हम 10 वर्ष की अवधि में जमा करेंगे ताकि विदेशी पर्यटकों से सम्बन्धित कोई काम, अर्थात् पर्यटन के विकास के लिए नया हॉल बनवाना; होटलवालों द्वारा विशेषकर नई गाड़ियां आदि खरीदना·····

श्री अमल दत्ता : इस पर निगरानी की जा सकती है।

श्री एस० बी० चव्हाण : हां, इस पर निगरानी रखी जा सकती। निश्चय ही, यदि हमें सारा कुछ लागू करने के पश्चात् कोई कठिनाई होगी तो निश्चय ही सदन के समक्ष आने और यह कहने में कि हमें यह कठिनाई है और इसके लिए किसी खण्ड में संशोधन करना है, तो इसके लिए मेरे विचार से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप अपना उत्तर कल या बाद में जारी रख सकते हैं।

4.01 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के सम्बन्ध में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच हुए समझौते से उत्पन्न स्थिति

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा आरम्भ करते हैं।

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह चर्चा कल भी जारी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : जैसा आप चाहें.....देखते हैं।

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, वाद-विवाद का उत्तर कौन देगा?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप उत्तर भाषण पहले दिलवाएंगे?

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : महोदय, मंत्री जी पहले ही उत्तर तैयार करके लाए हैं।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, मैं केवल यह पूछ रहा था कि क्या यह कल भी जारी रहेगा।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : हम रसायन उद्योग पर चर्चा नहीं रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते, आप चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं यह निवेदन करता हूं और आशा है कि आप हमें गलत नहीं समझें जो कि हम विपक्षी सदस्य 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की समस्या सुलझाने में सरकार की भारी असफलता पर इसकी निन्दा करना चाहते थे। इतना ही नहीं। संसद और इसके अधिकार की भी अवहेलना हुई है। एक अधिनियम भोपाल गैस विभीषिका दावा कार्यवाही अधिनियम, 1985 भी है। इसका उल्लंघन किया गया है। पीड़ितों के आधारभूत अधिकार, जीने और स्वतन्त्रता का अधिकार, न्यायिक न्याय पाने का अधिकार, जब यह सब कुछ नहीं मिलता है, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा और कोई मुद्दा हो नहीं सकता जिस पर हम सरकार की निन्दा न करें। महोदय, किंतु आपकी बुद्धिमता के अनुसार जिसे हम बिल्कुल चुनौती नहीं देते, आपने यह निश्चय किया कि यद्यपि मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा है और निर्णय अभी होना है, आपने स्थगन प्रस्ताव की

अनुमति देने की जरूरत नहीं समझी । किन्तु आपने इस मुद्दे पर पूरी तरह चर्चा करने के नियम 193 के अन्तर्गत प्रस्ताव की अनुमति देने की कृपा की है । महोदय, आज सहस्रों महिलाएं और बच्चे संसद के सामने खड़े हैं । यदि आप जाकर उन्हें देखेंगे तो उनमें सहस्रो विकृत अंगों वाली महिलाएं और बच्चे नजर आयेंगे, जो मूक-बधिर हुए हैं, जो ज्योतिहीन हुए हैं, जिनके फेफड़े खराब हो गए हैं और सब से बड़ी बात यह है कि उनके अन्तःकरण छलनी हुए हैं—मैं समझता हूं कि यह कोई नई बात नहीं है ।

बोट क्लब पर हिन्दु, मुस्लिम और इसाई सभी लोग हैं । मैं चाहूंगा कि उनके दुख, दर्द और व्यवस्था के बारे में संसद में चर्चा की जाए उन्हें यह आश्वासन देने का प्रयास करूंगा कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय चाहे जो हो, लेकिन उनके लिए यहां एक मंच अवश्य है जहां उनके दुखों को अभिव्यक्त किया जाएगा और भोपाल में 1984 में गैस विभीषिका के पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का प्रयास करेंगे ।

महोदय, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आड़ लेने का प्रयास कर रही है और आपने भी यह अनुभव किया होगा कि जब उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है तो स्थगन कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है । महोदय, हमारा तर्क यह था कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय कोई अचम्भा नहीं है । निर्णय दिये जाने से पहले ही मुआवजे के बारे में सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच न्यायालय से बाहर एक समझौता हो गया था·····

श्री जे० बेंगल राव : महोदय, यह बात गलत है । वे सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : ठीक है, आप बाद में कह सकते हैं । चर्चा के दौरान हमें अपने तर्क प्रस्तुत करने का अधिकार है और अपने चर्चा का उत्तर देते समय आपको यह देखना होगा कि यदि चर्चा में कोई गुमराह करने वाली बात है तो आप सदन को उचित राह दिखायें । निश्चित रूप से यह समझा जाता है कि प्रधान मन्त्री महोदय सदन का नेतृत्व करते हैं परन्तु वे ऐसा कर सकते हैं (**व्यवधान**)

श्री एस० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यदि तथ्यों को पूर्णत तरोड़ा-मरोड़ा गया हो तो ?

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वे इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि हम गलत अर्थ लगाते हैं सत्यपथ से विचलित होते हैं अथवा उत्कर्ष की बात करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका खंडन करने का अधिकार है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक है । आप इस बारे में आश्वश्त रहें जब आप भाषण देंगे तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह तथ्यों को तरोड़ना मरोड़ना है ।

श्री ए० चार्ल्स : उन्हें केवल सच बोलना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री चार्ल्स व्यवधान मत डालिये ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उन्हें सदन को गुमराह करने की अनुमति नहीं की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात जारी रखिये, कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, कई बार सच कड़वा लगता है । मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता (व्यवधान) यह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है । मैं वास्तविकता का उचित निरूपण कर रहा हूं ।

महोदय, मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा था कि उन्होंने एक साथ बैठकर कुछ समझौता किया । उच्चतम न्यायालय ने उस समझौते की केवल पुष्टि की है । निश्चित रूप से मैं निर्णय के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं परन्तु मैं नहीं चाहता कि सरकार दायित्व विपत्ति से बच जाये और सारा दायित्व केवल उच्चतम न्यायालय के कन्धों पर डाल दिया जाए । मैं समझता हूं कि वे भी दायित्व में सम्मिलित हैं ।

महोदय, मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के 14 और 15 फरवरी 1989 के निर्णयों के फलस्वरूप समझौता हुआ है और सरकार द्वारा भोपाल गैस विभीषिका के पीड़ित लोगों के साथ विश्वासघात किया गया है और बहुराष्ट्रीय कम्पनी के आगे घुटने टेके गए हैं । और इसी सन्दर्भ में मैं अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं ।

महोदय, अपने भाषण को आगे बढ़ाने से पहले मैं सदन का ध्यान समझौते की मुख्य विशेषताओं और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । 15 फरवरी 1989 का उच्चतम न्यायालय का आदेश 14 करवरी के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बिलकुल भिन्न है । 14 फरवरी के निर्णय में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि यूनियन कार्बाइड द्वारा लगभग 470 मिलियन डालर अथवा लगभग 750 करोड़ रुपये की राशि 23 मार्च 1989 तक मुआवजे के रूप में दी जानी है ।

15 फरवरी 1989 के आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना रुचिकर है । मेरे पास उस आदेश की प्रति है इसमें तरोड़ मरोड़ करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

जहां तक 15 फरवरी के आदेश का सम्बन्ध है यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन द्वारा 425 मिलियन डालर की धनराशि मुआवजे के रूप में दी जानी है । कारपोरेशन द्वारा अमरीका के न्यायालय के आदेश के अनुसार 500 मिलितन डालर की अदायगी पहले ही की जा चुकी है ।

फिर, महोदय, उस आदेश में भी यह उल्लेख किया गया है कि यूनियन कार्बाइड इन्डिया लिमिटेड को भारत संघ को 45 मिलियन डालर के समकक्ष राशि रुपयों में देनी है । इस आदेश और समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे उन सभी अधिकारों, दावों और दायित्वों का अन्तिम निपटान हो जाता है जिनमें दीवानी और फौजदारी देनदारियां भी शामिल हैं । यह कहा गया है कि वर्तमान, अतीत और भविष्य की इन सभी देनदारियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है । हमने भौतिक विज्ञान में समाप्त (एक्सटिंग्विष्ट) शब्द का प्रयोग किया था । परन्तु राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में भी यह शब्द स्थाई बन गया है । ये इन समझौते की प्रमुख विशेषतायें हैं ।

मैं सदन में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस समझौते का निहितार्थ क्या है और वास्तव में यह मामला नियम 193 के अधीन चर्चा का विषय है । मेरी पहली शिकायत यह है कि मुआवजे के आंकड़ों के बारे में निर्णय लेने के लिए किन्हीं मानदण्डों का सुझाव नहीं दिया गया है । बिलकुल निरकुंश तरीके से ऐसा किया गया है । आपको याद होगा कि भोपाल त्रासदी के तुरन्त बाद यूनियन कार्बाइड ने 300

मिलियन डालर मुआवजे के रूप में देने का प्रस्ताव किया था जो अब तक ब्याज सहित 470 मिलियन डालर बन जाती है। यदि उन्होंने 470 मिलियन डालर का सुझाव दिया है तो सम्भवतः स्वयं यूनियन कार्बाइड ने 300 मिलियन डालर देने का सुझाव पहले ही दिया था और आज के मूल्य सूचकांक के अनुसार यह राशि 470 मिलियन डालर बनती है। अतः जैसाकि मैंने पहले कहा है यह समझौता वास्तव में युनियन कार्बाइड के सामने घुटने टेकना है। इस बात पर विश्वास करने का आधार है। आप त्रासदी के समय पहले प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की जांच कीजिये। इस बात पर विश्वास करने का ठोस आधार है कि भोपाल त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड 500 मिलियन डालर की अदायगी करने पर सहमत हो गई थी जो अब लगभग 1000 मिलियन डालर बनती है।

मेरे पास उस अधिनियम की एक प्रति है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था अर्थात् भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 की एक प्रति मेरे पास है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही न्यायालय में अपने आप को भोपाल गैस पीड़ितों के संरक्षक के रूप में घोषित किया है। उस समय इन सरकारों ने दावा किया था—हम साधारण शब्द शैली में इसे अनुमानित कहते हैं—परन्तु अधिवक्ता इसे अभिकथन 'दावा' कहते हैं—और उस समय दावे के बारे सरकार का यह अभिकथन था कि प्रधान कम्पनी द्वारा 3.3 बिलियन अमरीकी डालर की अदायगी की जानी है। उस समय यूनियन कार्बाइड (इन्डिया) लिमिटेड जोकि एक सहायक कम्पनी है का कोई उल्लेख नहीं था। उस समय सरकार द्वारा यह दावा और प्राक्कलन किया गया था कि प्रधान कम्पनी द्वारा 3.3 बिलियन डालर की अदायगी की जानी है। परन्तु वास्तव में अब हमें 470 मिलियन डालर प्राप्त हुए हैं। प्रधान कम्पनी द्वारा 5 मिलियन और यूनियन कार्बाइड कम्पनी द्वारा 45 मिलियन डालर की अदायगी के बाद (470—50) 410 मिलियन डालर की अदायगी बाकी है। मैं आगे यह भी उल्लेख करूंगा कि कैसे इस राशि में भी कमी होने की सम्भावना है। अब इस अन्तर का उत्तर-दायित्व कौन लेगा? सरकार द्वारा 3.3 बिलियन डालर के मुआवजे के लिए मूल दावा किया गया था। इस 45 मिलियन डालर को घटाकर 420 मिलियन डालर बनते हैं। जब मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो मैं उनसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या मध्य प्रदेश सरकार और यूनियन कार्बाइड जो अपने आप को पीड़ितों के संरक्षक कहते हैं, इस अन्तर की अदायगी का उत्तरदायित्व लेने जा रही हैं।

सरकार के दावे के अनुसार—यदि आप समाचार-पत्रों की जांच करें तो यह त्रासदी के बाद बात समाचार-पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित हुई है—2 हजार से अधिक व्यक्ति भोपाल गैस त्रासदी में मरे और 5.5 लाख लोग अपंग हुये। उनमें आई विकलांगता अलग तरह की थी। अब जो मुआवजा दिया जा रहा है वह बहुत कम है। हमारी मुद्रा में यह राशि 715 करोड़ रुपये है।

मैंने गणना करने का प्रयास किया और यह पाया कि अपंग और मृत व्यक्तियों में भेद किए बिना 1984 में मुआवजे की प्रतिव्यक्ति राशि 8,847 रुपये बैठती थी। आज यह राशि 11,953 रुपये बनती है।

इस मुद्दे का एक और पहलू है। मैं नहीं जानता कि उस पहलू पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है अथवा नहीं। जब मैं निर्णय में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि यह अधिकारों, दावों, उत्तर-दायित्वों का अन्तिम समझौता है भूत, भविष्य और वर्तमान की प्रत्येक बात को समाप्त कर दिया गया है तो इसका क्या व्यावहारिक प्रभाव होगा?

यदि मैं भोपाल गैस दुर्घटना से पीड़ित हूं और जब तक इसकी कोई जांच नहीं हो जाती और छः महीने के बाद मैं चिकित्सालय में अपनी चिकित्सीय जांच कराता हूं और डाक्टरों को यह पता लगता है कि मेरे फेफड़ों, हृदय और मेरी दृष्टि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि मुझे अपनी कमियों और विकृतियों और असमानताओं का पता लग गया था—मैं यहां चिकित्सा सम्बन्धी असमानताओं का उल्लेख कर रहा हूं—जब कुछ समय बाद वास्तव में इनका पता लगता है, तब तक निर्णय पहले ही सुना दिया गया होगा और न्यायाधीश महोदय ने यह पहले ही बता दिया है कि अब सब कुछ समाप्त होता है। यह जो मामला चल रहा था वह समाप्त होता है, सभी वर्तमान, भूतपूर्व और भविष्य की सभी देनदारियां समाप्त होती है, ऐसी स्थिति में, मुझे चुप रहकर दुख झेलना होगा और शान्तिपूर्वक मरना होगा। इस निर्णय के बाद हमारे पास इसके सिवाए और क्या बचा है।

एक माननीय सदस्य : घोर व्यथा में मरना।

प्रो० मधु दण्डवते : जी हां, घोर व्यथा में मरना। मैंने यही बात अलग रूप में कही है। यही विडम्बना है और यही अनर्थकारी बात है।

यूनियन कार्बाइड ने एक बहुत ही अजीब खेल खेला है। आप विभिन्न अमरीकी निर्णयों और आदेशों को देखें—बहुत से निर्णय और आदेश उपलब्ध हैं—जोकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं और यहां तक कि मुख्य कम्पनी यूनियन कार्बाइड की दुर्घटनाओं के बने हैं। इससे पहले, उसका उल्लेख करते समय, मैंने उनमें से कुछ का उल्लेख किया है। मैंने आंकड़ों का उल्लेख किया था। मैं अमरीकी निर्णयों और आदेशों के सभी उद्धरणों को दोहराने में सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। आप देखेंगे कि वहां जो मुआवजा दिया गया था अथवा अमरीकी न्यायालयों द्वारा दिया गया था वह बहुत अधिक था और इसी वजह से इस सदन में हममें से बहुत से लोगों ने यह मांग की थी कि जब वे न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहे हैं, तो यूनियन कार्बाइड यह चाहेगी कि इस मामले को न्यायालय के बाहर निपटा लिया जाए क्योंकि उनके कानूनी विद्वानों द्वारा उनको दी गई कानूनी सलाह के आधार पर वे जानते हैं कि यदि वे अमरीकी न्यायालयों के मानदण्डों का पालन करते हैं तो उन पर कितना बोझ पड़ेगा और इसीलिए शुरू से ही, उनका यह परिणाम रहा है और उनकी लॉबी भरसक प्रयास करती रही है कि जैसे भी हो इस मामले को न्यायालय से बाहर लाया जाए और न्यायालय के बाहर ही इस पर समझौता कर लिया जाए। यदि ऐसा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओट ली जाए लेकिन सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए न्यायालय के बाहर समझौता करने का प्रयास किया जाए। अतः इस समझौते में भी इसी प्रकार का दबाव था।

यूनियन कार्बाइड ने वास्तव में न्यायालय के बाहर समझौता करके उसे उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृति दिलाए जाने को ही प्राथमिकता दी। इस देश में ऐसे काफी लोग हैं और मैं उनमें से बहुत से लोगों से भोपाल में मिला हूं और उनमें से कुछ लोगों को मैं आज वोट कल्ब पर भी मिला हूं, तो उन्हें इस बात का शक है कि जब सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच किसी तरह का समझौता हो गया है, तो वे कहते हैं कि जब यह समझौता हुआ तो उन्हें बहुत ही दुखी मन से बोफोर्स के बारे में, बिचौलियों की भूमिका और उनकी कमीशन के बारे में याद ताजा हो जाती है। ये यादें आसानी से भुलाई नहीं जाती हैं। यही बात मैं ही नहीं कहता हूं। (**व्यवधान**) कृपया एक आम आदमी की बात सुनिए। आप जाइए और उन लोगों से मिलिए जो भोपाल दुर्घटना के शिकार हुए हैं। आप महिलाओं से बातचीत कीजिए। वे हमारे नामजद व्यक्ति नहीं हैं। वे लोग जिनके अंग विकृत हो गए हैं, जिनकी आंखों की रोशनी चली

गई है, वे हमारे नामजद व्यक्ति नहीं हैं। वे भोपाल दुर्घटना के शिकार व्यक्ति हैं। वे भोपाल दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति हैं। आप वोट कल्ब जाइये और उन महिलाओं से मिलिये और उस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वे क्या कहती हैं। उन्हें भी शक है। उनका वह शक दूर करना होगा।

महोदय, इसमें कई कानूनी त्रुटियां हैं। 14 फरवरी के आदेश, केस नम्बर 13080 अर्थात् विशेष अनुमति याचिका (सिविल) में कहा गया है कि केवल यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन अर्थात् मुख्य कम्पनी और भारत सरकार—वास्तव में गैस पीड़ितों के दो संगठन—ये पक्षकार थे। 14 फरवरी का यह आदेश है। आप कृपया उसे पढ़िये। यह मेरे पास है। मैं इस सभा का समयनष्ट नहीं करना चाहता। ये पक्षकार थे अर्थात मुख्य कम्पनी, भारत सरकार तथा पीड़ितों के दो संगठन। भोपाल गैस दुर्घटना के पीड़ितों के दो संगठन हैं। महोदय, आप कृपया 15 फरवरी के आदेश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मेरे पास 15 फरवरी, 1989 का आदेश है। उसके पहले पैराग्राफ में कहा गया है :

> "दी यूनियन कार्बाइड इण्डिया लिमिटेड जोकि बहुत से उन मामलों में पहले ही एक पक्षकार है जिन्हें भोपाल के जिला न्यायालय में दायर किया गया है आदि आदि..."

आप देखेंगे कि वे भी एक पक्षकार बन गए। वे इससे पहले मुकदमे में पक्षकार नहीं थे लेकिन वे भी अब एक पक्षकार बन गए हैं। ये याचिकाएं शुरू में केवल मध्य प्रदेश न्यायालय के अधिकार से सम्बन्धित थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यहां यह बात समझाना चाहता हूं। आप कृपया इन मामलों से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। आप कृपया न्यायालय की कार्यवाहियों का बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए तो आपको पता लगेगा कि ये याचिकाएं शुरू में केवल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकार से सम्बन्धित थी कि क्या वह अन्तरिम राहत का निर्णय दे सकती है। इसी अधिकार को चुनौती दी गई थी। बाद में, इसके सिविल पक्ष के साथ, इसमें फौजदारी पक्ष भी जोड़ दिया गया था। मैं यहां भी उन पूर्वोदाहरणों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें यह सिद्ध किया जा चुका है कि एक सिविल मामले में आप फौजदारी मामले को इस तरह नहीं घसीट सकते। उच्चतम न्यायालय के आदेश में जितना बताया गया है उससे कहीं अधिक छुपाया गया है। अमरीकी न्यायालयों में कार्यवाहियों का उल्लेख असंगत है। अमरीकी न्यायालयों के सामने जो मुद्दा था वह यह था कि क्या अमरीकी न्यायालय इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने तथा समझौते में अमरीकी न्यायविदों द्वारा ली जाने वाली आकस्मिकता फीस को अनदेखा किया गया है। सरकार को इस तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। उनके वक्तव्य अमरीकी अखबारों में प्रकाशित हुए थे। उनके वक्तव्य भारतीय अखबारों में भी प्रकाशित हुए थे। 13 अमरीकी क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत बहुत से न्यायविदों, बहुत से अमरीकी वकीलों और लगभग 135 न्यायालय कार्यवाहियों के अनुसार, भोपाल दुर्घटना के एक सप्ताह बाद मुकदमा दायर किया गया और अमरीकी न्यायाधीश कीनन के सामने उन सभी को इकट्ठा करके उन्हें भारत को हस्तांतरित कर दिया गया था। अब प्रश्न यह है उनकी फीस के बारे में क्या हुआ ? संयुक्त राज्य अमरीका के वकीलों के एक दल ने पहले ही एक संयुक्त वक्तव्य में कहा था "क्योंकि हम न्यायालयों के सामने उपस्थित हुए थे, हमारी आकस्मिकता फीस शुल्क के बारे में क्या हुआ ?" वे कहते हैं कि यूनियन कार्बाइड को वह अवश्य देनी चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि यदि सम्बन्धित कम्पनी अलग से व्यवस्था नहीं कर सकती तो वह निश्चित रूप से मान कर चलेंगे कि 470 मिलियन डालर का यह मुआवजा विशेष, जोकि पहले ही निर्धारित कर दिया गया है, वह 45 और 5 मिलियन को कराने के बाद 420 मिलियन रह जाएगा। उस 420 मिलियन में से क्या हमें यह आशा करनी चाहिए

कि यह उस धनराशि से समायोजित किया जाना चाहिए। इसी प्रश्न को हमने उठाया है। यह कोई काल्पनिक प्रश्न नहीं है। यही बात उन्होंने एक संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में कही है। यही बात भारतीय अखबारों में भी प्रकाशित हुई है। अतः इसमें एक अन्य कानूनी उलझन है, उसकी ओर भी ध्यान देना होगा। और यदि ऐसा होता है तो उस धनराशि में और भी कमी हो जाएगी और जो धनराशि बचेगी वही पीड़ितों की राहत के लिए उपलब्ध रहेगी।

यह अभूतपूर्व आदेश पारित करके, सभी दाण्डिक और सिविल मुकदमों अथवा भूतपूर्व, वर्तमान अथवा भविष्य के किसी अन्य मुकदमे को खारिज कर दिया है, और उच्चतम न्यायालय ने 1985 के अधिनियम के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया है तथा इस विधेयक के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी गई है। मेरे पास यहां **भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) अधिनियम, 1985** है। इसमें बहुत सी बातों का उल्लेख है जैसे दावों के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अधिकार, दावेदारों के अधिकार के लिए एक कानूनी व्यवसाय करने वाले द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाए। ये केन्द्रीय सरकार, आयुक्त और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार हैं। इन सभी को अधिकार प्रत्यायोजित करने के बारे में बहुत ही साफ तौर पर बताया गया है। यहां इसमें ऐसी एक योजना भी है जिसका यहां उल्लेख है। इसमें सम्पूर्ण अधिनियम का केन्द्र बिन्दू यह है कि यह अधिनियम उन सबकी सहायता करना चाहता है जोकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं से पीड़ित हैं। इसमें राहत पाने के अधिकार की पहले ही अनुमति दी गई है। उसके लिए वकील की व्यवस्था पहले ही की गई है। जहां तक निर्णय का सम्बन्ध है, इसका यह अर्थ होगा कि ये सभी रास्ते उनके लिए बन्द हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रति मैं अत्यधिक आदर रखता हूं। मैंने कभी भी न्यायाधीशों के व्यवहार को चुनौती नहीं दी है क्योंकि स्वयं मैंने अनेक बार व्यवस्था के प्रश्न में कहा है कि इस सभा की परम्परा तथा संविधान के उपबन्धों के अनुसार भी संसद उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के व्यवहार पर चर्चा नहीं कर सकती। इसी प्रकार हम भी अलग हैं। न्यायालय में न्यायाधीश संसद की दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। संविधान के निर्माताओं ने राज्य विधानमण्डल तथा केन्द्रीय विधानमण्डल दोनों के लिए यह व्यवस्था की है तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी यही व्यवस्था है। लेकिन इस संवैधानिक उपबन्ध ने इस सभा को किसी फैसले के प्रभावों पर चर्चा करने से कभी भी नहीं रोका है। मैं इसका ठोस उदाहरण दूंगा। शंकरी प्रसाद का फैसला, सज्जन सिंह का फैसला वास्तव में गोलक नाथ के फैसले से बदल कर विपरीत हो गया था। हममें से कुछ में इसे लेकर अत्यधिक मतभेद था तथा सभा के दोनों पक्षों में एक सहमति थी। इसके फलस्वरूप, चौबिसवां संविधान संशोधन आया, पहले यह संसद के संविधान संशोधन करने के अधिकार को कायम रखते हुए 'संविधान संशोधन विधेयक, के रूप में एक निजी विधेयक के माध्यम से आया था। मैंने और श्री सोमनाथ चटर्जी ने इस विधेयक के समर्थन में मत नहीं दिया था और जब अदालत में शाहबानो का फैसला दिया गया तो फैसला पहले ही दिया जा चुका था। और तब एक निजी सदस्य विधेयक लाए जिसे सरकारी विधेयक द्वारा और अधिक शुद्ध करके लाया गया ताकि भूल कानून का पुनः समायोजन हो सके। उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद भी उन्होंने कानून के कुछ उपबन्धों की धारणाओं को बदलने का प्रयास किया·····(**व्यवधान**) यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यद्यपि मुआवजे की राशि कम है फिर भी समय काफी होना चाहिए। मैं यहां कहना चाहूंगा कि मैं न्यायालय के न्यायाधीशों का आदर करता हूं। मैं उनके व्यवहार को कभी भी चुनौति नहीं दूंगा और ऐसा मैंने अपने जीवनकाल में कभी भी नहीं किया है। लेकिन इसके साथ ही, भावष्य की पीढ़ियों पर फैसले के प्रभाव

पर चर्चा की जानी है। जब केशवानन्द भारती का फैसला आया और कहा गया कि आप अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान के मौलिक स्वरूप को नहीं बदल सकते हैं तब सरकार ने मिनर्वा केस में केशवानन्द भारती केस के इस विशेष फैसले की समीक्षा की मांग की। मैं आपसे कह रहा हूं कि यद्यपि हम वास्तव में एक न्यायाधीश पर लांछन नहीं लगाते लेकिन हमें फैसले के प्रभावों का अध्ययन करना होता है। हमने ऐसा पहले भी किया। मैं आपको कहता हूं कि इस देश में उच्चतम न्यायालय का आदर करते हुए हम लेकिन किसी भी अवस्था में राज्य सभा तथा लोक सभा की शक्तियों को कम करके उच्चतम न्यायालय को तीसरी सभा नहीं बनने देंगे। इसलिए यदि हम महसूस करते हैं कि किसी फैसले के कारण अन्याय हुआ है तो हमारा यह अधिकार है कि हम संविधान संशोधन लाएं, ऐसा कानून बनाएं जिससे उच्चतम न्यायालय के कुछ फैसलों से उत्पन्न विकृतियों में कुछ ठीक हो सकें। कभी-कभी ये ठीक प्रकार से सही की गई हैं तथा कभी-कभी इस सभा में यह गलत रूप में ठीक की गई हैं। आखिरकार यह स्वतन्त्रता तो पहले से ही है। यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए।

मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि आप अधीर हैं लेकिन यह मेरा आखिरी अथवा दूसरा आखिरी मुद्दा होगा।

आप महसूस करते हैं कि प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ है—भोपाल संयंत्र में कुछ उत्क्रमण तथा त्रुटियां हुई हैं। एक अफवाह यह है कि खतरनाक फ्रांसीसी (मिक) (एम० आई० सी०) प्रौद्योगिकी की खरीद हो सकती है। फ्रांस की अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी रोन-पोलिन्क भारत में मियाइल आइसी-साइनेट अर्थात् 'मिक' लाने का गंभीर प्रयास कर रही है, यह सर्वश्रेष्ठ कीटनाशक प्रौद्योगिकी ही भोपाल में रासायनिक आपदा का कारण थी। जब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे तब मैं उनसे यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वह फ्रांस से इस खतरनाक प्रौद्योगिकी को बिल्कुल नहीं आने देंगे। आप फ्रांस महोत्सव मना सकते हैं; लेकिन इस खतरनाक प्रौद्योगिकी को लाने का प्रयास मत कीजिए। हम इस प्रकार का उत्तर नहीं चाहते कि ऐसा हो सकता है अथवा 'ऐसा नहीं हो सकता है'। हम इस सभा में स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, हम ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं रोक सकते। भोपाल में जो कुछ हुआ, वह दुबारा हो सकता है। अतः यह आश्वासन मन्त्री द्वारा दिया जाना चाहिए।

सरकार को यह स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि पहले हमारा अनुभव बहुत खराब रहा है। कृपया मुझे गलत मत समझिए और मैं आशा करता हूं कि सत्ताधारी दल के सदस्य मुझे गलत नहीं समझेंगे। मैं पहले का एक उदाहरण देता हूं। पहले, उद्योग मन्त्री के रूप में श्री फखरूद्दीन अली अहमद ने आटोमोबाइल उद्योग के विस्तार पर एक नीति सम्बन्धी घोषणा की थी। उन्होंने घोषणा की थी कि हमारे यहां देश में छोटी-कार बनाने वाली पर्याप्त फैक्ट्रियां हैं। हमें तो जनता के परिवहन के लिए गाड़ियों की जरूरत है। कार बनाने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस केवल तभी मिलेगा जब वह यह आश्वासन देता है कि वह केवल सार्वजनिक परिवहन के लिए निर्माण करने को तैयार रहेगा। केवल कुछ सप्ताह में ही जब श्री संजय गांधी ने एक आवेदन पत्र दिया तो हमने पाया कि पूरी नीति ही बदल दी गई और मारुति कार को अनुमति दे दी गई। (व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : यह बताने की जरूरत नहीं है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या जरूरत है यह स्पष्ट करने के लिए मुझे एक मिनट दें।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मुझे इस पर अत्यधिक आपत्ति है·····(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : जी हां, महोदय। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह चर्चा भोपाल त्रासदी पर है। माननीय सदस्य किस नियम के तहत अथवा कैसे श्री संजय गांधी को जारी हुए लाइसेंस का मुद्दा उठा सकते हैं और यह भी गलत है, वह ठीक नहीं है ? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि आप व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दे चुके हैं। अब मैं प्रासंगिकता के तर्क पर आता हूं। मैं आपको प्रासंगिकता बताता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : कार्यवाही वृत्तान्त से क्या निकाला जाना चाहिए ? असंसदीय क्या है ?

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : वह एक ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख कर रहे हैं जो जीवित नहीं है तथा सभा का सदस्य नहीं है। और यह सच नहीं है·····(**व्यवधान**) यह तथ्यों का गलत वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहिब आप स्वयं को विजय तक सीमित रखिए।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : इस बारे में मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह असंसदीय नहीं है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं इसके असंसदीय होने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं श्री संजय गांधी के नाम का उल्लेख करने की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसका जवाब देने की अनुमति दूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी अनावश्यक ही क्यों चिल्ला रहे हैं। मैं इसे अधिक महत्व नहीं देता हूं। जब मैं आपको अवसर दूं तब आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे किस पर निर्णय करना है। निर्णय करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि वह कुछ गलत कह रहे हैं तो आप इसे ठीक कर सकते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : क्या आप एक ऐसे व्यक्ति के नाम का उल्लेख करने की अनुमति देंगे जो इस सभा का सदस्य नहीं है और जीवित नहीं है ?

प्रो० मधु दण्डवते : भोपाल गैस त्रासदी के अनेकों पीड़ित लोग जीवित नहीं है। क्या मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता हूं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुद्दा रद्द कर दिया गया है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी व्यक्ति के लिए इतनी अधिक आपत्तिजनक हो। नाम का उल्लेख करना अपराध नहीं। बहुत से नामों का उल्लेख किया गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है। यह कोई आरोप नहीं है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : यह आरोप है। वह कहते हैं कि संजय गांधी को लाइसेंस दिया गया था। क्या यह आरोप नहीं है ? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें सिद्ध करने दीजिए कि यह नहीं दिया गया था। मैं इसे स्वीकार करूंगा **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : मैं इस पर आपका निर्देश चाहता हूं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संजय गांधी को मारूति के निर्माण की अनुमति दी गई थी। यह एक आरोप है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल भी आरोप नहीं है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : यह आरोप है। मैं आपके निर्णय के विरोध में सदन से बाहर जाता हूं।

[इस समय श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह सभा भवन से बाहर चले गये।]

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने यह उदाहरण केवल यह बताने के लिए दिया है कि कभी-कभी नीतियों की कुछ ऐसी घोषणाएं की जाती हैं और वे बदल दी जाती हैं। जहां तक इस एम० आई० जी० प्रोद्योगिकी का सम्बन्ध है मैं इस पर बल दे रहा हूं कि इसे फ्रांस से लाये जाने की सम्भावना है। मैं स्पष्टतया यह आश्वासन चाहता हूं कि आप दिए गए आश्वासन पर कायम रहेंगे और इसे किसी दबाव या मजबूरी के अन्तर्गत बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा **(व्यवधान)**

महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि यूनियन कारबाइड और सरकार द्वारा किया गया समझौता भोपाल पीड़ितों के हितों के प्रति विश्वासघात है। दूसरा···

एक माननीय सदस्य : महोदय, वह कब तक बोलेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : नम्बर दो मेरी राय में, यह बहुराष्ट्रीय यूनियन कारबाइड को समर्पण करना है। नम्बर तीन, यह पहले से ही पारित किए गए अधिनियम के उल्लंघन में संसद के अधिकार की निन्दा करना है। महोदय, यह मानव अधिकारों की कठोर अवज्ञा है। न्यायालय द्वारा साधारण समझौते का वैज्ञानिकीकरण है। इसलिए यह कहते हुए मैं अपनी चर्चा समाप्त करूंगा कि हममें से जिन्होंने इस प्रकार के समझौते का विरोध किया है वे उच्चतम न्यायालय के इस प्रकार के निर्णय से बहुत दुःखी है। हम संसद में और बाहर प्रजातान्त्रिक और शान्तिपूर्ण तरीके से अपने कार्य करते रहेंगे

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय बदल जाए और हम देखते हैं कि सरकार ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाने में समर्थ नहीं है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, प्रो० मधु दण्डवते की बात सुनी है। मुझे कहना चाहिए कि उनके द्वारा लगाए गए कुछ आरोप जैसे भोपाल पीड़ितों के हितों का विश्वासघात, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को समर्पण, मानव अधिकारों की कठोर अवज्ञा से मुझे लगता है कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। दण्डवते जी जब इस पर चर्चा कर रहे थे तो गैस रिसाव द्वारा प्रभावित लोगों की स्थिति का उन्होंने हवाला दिया था। हम सब इनसे सहमत हैं कि अधिकतर लोगों ने रिसाव के कारण कठिनाइयों का सामना किया और वे अब भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। जैसाकि उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कहा है कि समस्या की भयंकरता को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए यह छोटा रास्ता अपनाया हैं। उन्होंने ऐसा पहले ही कहा था जिसे उन्होंने व्यक्त किया है।

महोदय, इस मामले में लगे समय को देखिए। उदाहरण के लिए यह मामला जिला न्यायालय में गया है यू० एस० ए० और विभिन्न न्यायालयों में गया है। फिर सभी मामले इकट्ठा करके भारत स्थानान्तरित किए गए। यहां जिला न्यायाधीश ने यह सुनवाई की। यह मामले अभी भी वाद-कालीन आदेशों से जकड़े हुए हैं और उससे आगे कार्यवाही नहीं हुई है और चार वर्ष बीत चुके हैं। इन मामलों को कैसे निपटाया जाए, अगर आपको इस बारे में कोई विचार है। मुझे विश्वास है प्रो० दण्डवते सहमत होंगे कि इसे निपटाने में कम से कम दसियों वर्ष लगेंगे। क्या वह चाहते हैं कि गैस पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए राहत नहीं दी जानी चाहिए या उनका पुनर्वास नहीं किया जाना चाहिए और वे न्यायालयों के अन्तिम निर्णय का इन्तजार करें? मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही असाधारण कदम उठाया है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने मानवीय पहलू को अधिक महत्व दिया है और अन्य सभी विचारों कानूनी औपचारिकताएं तथा प्रक्रियाओं आदि पर ध्यान नहीं दिया है। वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उनको दिया जाना चाहिए और उन्होंने 470 मिलियन डालर देने का निर्णय किया है। यह मनमाना निर्णय नहीं है। वे जिला न्यायाधीश और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखकर वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आकलन के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 470 मिलियन डालर का निर्णय दिया।

4.45 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

मेरे मित्र प्रो० दण्डवते कहते हैं कि आपने चार वर्ष इन्तजार क्यों किया? आपने तीन या चार वर्ष पहले यूनियन कारबाइड द्वारा प्रस्तावित 300 मिलियन डालर स्वीकार क्यों नहीं किए थे। जिसका कुल मिलाकर ब्याज शायद अब जो 470 मिलियन डालर दिए जाते रहे हैं, हमने मूल्यवान समय व धन भी खोया है। मैं प्रो० मधु दण्डवते और अन्य मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यूनियन कारबाइड ने क्या प्रस्ताव रखा था। उन्होंने 300 मिलियन डालर को किश्तों में, दस से तीस वर्षों तक भुगतान करने का प्रस्ताव किया था। अगर आप इन सब बातों को देखें तो आप पायेंगे कि यह आधी राशि होती। प्रो० दण्डवते ने हमारे 3 बिलियन डालर के दावे का भी उल्लेख किया। हमने उसका

दावा किया लेकिन उस आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि इसमें कम से कम 20 वर्षों का समय लगेगा। यदि यह मामला सभी स्तरों पर जाता है जैसे जांच न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और डिकरी के निष्पादन में तथा अन्य में 20 वर्षों तक का समय लगेगा। इसका हिसाब क्यों नहीं लगाया जाता और पता क्यों नहीं किया जाता कि अगर यह राशि पीड़ितों को 20 वर्षों में मिलती तो उसका क्या महत्व (मूल्य) रहता। पीड़ितों को शीघ्र ही राहत व मुआवजा मिलना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : प्रति व्यक्ति वे कितना धन प्राप्त करेंगे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : वह निर्धारण बाद में किया जायेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन्हें जल्दी से जल्दी राहत दी जानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। उन्होंने कहा है "·····समझौते को प्रभावी बनाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी से सम्बन्धित दीवानी मामले इस न्यायालय में भेजे जाते हैं और इस समझौते के सन्दर्भ में निर्णय दिए जाते हैं।"

मैं नहीं समझता कि इस विशेष भाग से आपकी कोई असहमति थी। प्रमुख शिकायत यह हो सकती है कि त्रासदी से सम्बन्धित अपराधिक मामले जहां भी विचाराधीन थे उन्हें समाप्त कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? न्यायाधीश उत्सुक थे कि जो भी निर्णय हों उनको तुरन्त लागू किया जाए तथा यूनियन कारबाइड को 23 मार्च तक मुआवजा जमा कर देना चाहिए। उन्होंने मामले को 4 अप्रैल, तक लम्बित रखा ताकि वे इन्कार न कर सकें। यूनियन कारबाइड से इस समझौते को स्वीकार कराने तथा तदनुसार कार्य करने के लिए उन्होंने ये सब असाधारण कदम उठाए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने हमेशा चाहा कि यह मुआवजा सम्बन्धी मामला शीघ्र ही निपट जाए तथा धनराशि पीड़ितों को यथाशीघ्र दी जाए। इसके लिए एक उपयुक्त तन्त्र का गठन करना होगा। मैं समझता हूं कि भोपाल सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पहले ही पीड़ितों के कल्याण आयुक्त के रूप में नियुक्त कर दिया है। मेरा कहना है कि सरकार को एक उपयुक्त तन्त्र का गठन करना चाहिए जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भुगतात निष्पक्ष और सुचारू रूप से हो। भोपाल के राहत कार्यों के मन्त्री ने वक्तव्य दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तन्त्र की आवश्यकता है। उनका यह भी कहना है कि विगत अनुभव से स्पष्ट है कि उचित व्यक्तियों को उतनी धनराशि नहीं मिलती है। जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। जब सरकार धनराशि का वितरण शुरू करती है तो दलाल बीच में आ जाते हैं जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और कठिनाई पैदा हो जाती है। इसलिए मन्त्री महोदय से मेरा सुझाव है कि उपयुक्त तन्त्र का गठन किया जाए जिससे पीड़ितों को मुआवजा समान तथा निष्पक्ष रूप से मिल सके। एक बात कही गई है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने राहत तथा पुनर्वास कार्य पर कुछ धनराशि खर्च की है। जो सम्भवतः 80 करोड़ रुपए से लेकर 90 करोड़ रुपए तक है वे इस धनराशि की कटौती कर सकते हैं इससे भोपाल गैस पीड़ितों के लिए मुआवजे की धनराशि और भी कम हो जाएगी। मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को यह कहकर सद्भावना प्रदर्शित करनी चाहिए कि वह इस धनराशि को कम करके नहीं देगी।

मेरा यह भी सुझाव है कि सरकार को पीड़ितों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताओं का ध्यान रखना बन्द नहीं करना चाहिए।

मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सरकार ने इन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अनेक योजनायें पहले ही शुरू कर दी गई हैं। उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में जगह दी गई है, उन्हें कुछ व्यवसाय दिए हैं तथा उन्हें ऋण देकर उनकी सहायता की है। लगभग सभी सहायता दी जा रही हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पीड़ितों को नकद राशि दी जाएगी तो संदेह है कि धनराशि उचित ढंग से किसी लाभदायक या उत्पादक कार्य पर खर्च नहीं की जाएगी। मेरा सुझाव है कि एक बैंक खाता खोल दिया जाना चाहिए तथा हम एक कोष बना सकते हैं जिससे पीड़ितों को नियमित आय मिलती रहे और अनावश्यक वस्तुओं पर धनराशि खर्च न हो।

यह कहा गया है कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के समक्ष समर्पण है। इसमें समर्पण की कोई बात नहीं है। एक तरह से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हमारी न्याय व्यवस्था के समक्ष समर्पण कर दिया है। यूनियन कारबाइड कोई दूसरा दृष्टिकोण अपना सकती थी। यदि भारतीय न्यायालय डिगरी का निर्णय देते तो क्या वह भारत में मिल सकती थी? क्या डिगरी को पूरा करने के लिए भारत में यूनियन कारबाईड की पर्याप्त परिसम्पत्ति है? डिगरी के लिए हमें अमेरिका जाना पड़ता और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना समय लगता। अब यूनियन कारबाइड ने न्यायालय के समक्ष समर्पण कर दिया है और इस धनराशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई है। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह भोपाल गैस पीड़ितों के साथ धोखा है·····(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने धोखा शब्द प्रयोग किया है क्योंकि मुझे और कोई कटु शब्द नहीं मिला।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : इसमें बिल्कुल भी धोखा नहीं है। मानवीय कारण इस निर्णय के लिए उत्तरदाई हो सकते हैं। आप इस बात से सहमत हो जायेंगे कि पीड़ितों को तत्काल सहायता मिलनी चाहिए। यह प्रमुख कारण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने एक बहुत खराब मामले से बहुत ही अच्छे तरीके से निपटा है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : पीड़ितों तथा घायलों की सूची बनाई जा रही है। मुझे आशा है कि दो तीन महीनों में उन पीड़ितों की संख्या मालूम हो जायेगी जिन्हें मुआवजा दिया जाना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फार्मूला के आधार पर यह धनराशि निकाली गई है। उनके सम्बन्ध में जो मामले अन्तिम निर्णय के लिए भेजे गए उनमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन किया कि मुआवजा क्षति के आधार पर दिया जाना चाहिए गम्भीर क्षति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख अथवा 1 लाख और 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनेक तथ्य तथा परिस्थितियां थीं मुआवजे के रूप में विशेष धनराशि का निर्णय लेने से पहले उच्चतम न्यायालय ने इन सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा था।

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : लगभग 2 लाख दावेदारों का पता नहीं है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : लगभग 5 लाख लोगों ने दावे किए हैं। उन सबको मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा हुआ है···(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : आप सदस्य से नहीं बल्कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आपको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अनेक लोगों ने दावे के लिए आवेदन पत्र दिए हैं। इनकी जांच की जानी होगी तथा ऐसा किया जा रहा है।

मेरा अनुरोध है कि प्रो० मधु दण्डवते को उच्चतम न्यायालय के निर्णय की आलोचना नहीं करनी चाहिए इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने जो न्यायिक सक्रियता दिखाई है वह नवीन है हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए इससे श्री सोमनाथ चटर्जी भी सहमत होंगे। दूसरे प्रो० मधु दण्डवते जो बहुत समझदार व्यक्ति हैं अपनी बात को न दोहरायें क्योंकि इससे चारों ओर संदेह पैदा होता है। यदि आप लोकतांत्रिक ढंग से चल रहे हैं तो आपको उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह देश का उच्चतम न्यायालय है और इसका निर्णय स्वीकार किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आपने शाहबानों का निर्णय स्वीकार किया था ?

सभापति महोदय : कृपया, विषयांतर बात न करें। व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : इन शब्दों के साथ ही मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों को यथाशीघ्र राहत दिलाने में असाधारण कदम उठाया है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार से इस बात का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व न्यायालय के बाहर भी कोई समझौता किया गया था। महोदय, यदि न्यायालय से बाहर भी कोई समझौता हुआ है तो मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहूंगा कि यह बहुराष्ट्रीय कम्पनी के समक्ष समर्पण के अलावा और कुछ नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि यह भोपाल गैस पीड़ितों के साथ एक विश्वासघात है।

संघ सरकार ने जिसमें स्वयं 3250 मिलियन डालर की मांग की थी, अब 470 मिलियन डालर की एक तुच्छ राशि स्वीकार कर ली है। जैसाकि आप जानते हैं कि 3300 से भी अधिक व्यक्तियों के हताहत होने का अनुमान लगाया गया था। हम लोगों ने पाया कि करीब 4135 ने क्षतिपूर्ति हेतु दावा किया है। करीब पांच लाख और अस्सी हजार व्यक्तियों ने दावा किया है कि वे लोग गैस द्वारा प्रभावित हुए थे।

5.00 म० प०

इसके परिणाम विनाशकारी हैं। कुछ घण्टे पहले हम लोग गैस पीड़ितों को देखने बोट क्लब मैदान गये थे। मेरे पूर्व वक्ता प्रो० मधु दण्डवते ने पहले ही उनकी दशा का बयान किया है और मैं पुनः उनके कथन को दुहराना नहीं चाहूंगा ! लेकिन मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। उन विकलांग महिलाओं के अतिरिक्त जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शित करने आयी, भोपाल में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो गैस रिसाव के कुप्रभावों को झेल रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा किया गया अत्यन्त भयावह है। इस दुर्घटना के पश्चात् जन्म लेने वाले बच्चों पर कुल मिलाकर संक्रमण दर बढ़ी है और गैस त्रासदी के पश्चात् जन्म लेने वाले बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम, दस्त और श्वसन सम्बन्धी शिकायतें बढ़ गयी हैं। 0-5 आयु वर्ग के बच्चों में 10.13 प्रतिशत की दर से फेफड़ों की क्षमता का कम हो जाना और साथ ही विकलांगपन देखा गया है जबकि उसी आयुवर्ग के सामान्य बच्चों में यह 0.37 प्रतिशत से भी कम है। साथ ही 26 प्रतिशत गैस पीड़ित बच्चों में श्वासहीनता की शिकायतें अभी तक बनी हुई हैं।

उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन करीब 2,117 गर्भवती माताओं ने जहरीली गैस का श्वसन किया और अपने बच्चों को जन्म दिया। उनमें से अब तक 232 बच्चे कालग्रसित हो चुके हैं और हम नहीं जानते हैं कि शेष बच्चों का क्या होगा।

अब ये प्रभावित व्यक्ति ही सिर्फ पीड़ित नहीं हैं बल्कि इन परिवारों की आने वाली पीढ़ियां भी कुछ विकारों से प्रभावित होंगी क्योंकि यह गैस रिसाव आनुवंशिक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है।

जबकि इतनी अधिक मात्रा में क्षति हो चुकी है तथा और क्षति होने वाली है तो सरकार ने इस समझौते को कैसे स्वीकार कर लिया है ?

पहले जब यूनियन कार्बाइड 350 मिलियन डालर दे रही थी तो सरकार ने उस प्रस्ताव को अप्रमाणिक और अतार्किक बताते हुए अस्वीकार कर दिया था। आपसी समझौते के पश्चात् तय की गयी 615 मिलियन डालर की राशि भी सरकार द्वारा अपर्याप्त बतायी गयी थी। यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज और व्यय पर ध्यान दें तो सरकार ने वस्तुतः उसी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसे एक बार काफी कम समझा गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्र को निराश किया है और भोपाल के गैस पीड़ितों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी यद्यपि गैस पीड़ितों को न्याय दिलाना है, इसने उन्हें धोखा दिया है। यदि मैं उपयुक्त अभिव्यक्ति का प्रयोग करूं यह एक ऐसी बाड़ है जो फसल की सुरक्षा करने के बदले इसे खाये जा रही है। यदि सरकार को इन दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों के सम्बन्ध में कोई वास्तविक रुचि अथवा सहानुभूति है, तो उन्होंने इस समझौते को स्वीकार ही नहीं किया होता। जैसाकि श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा ने कहा है सरकार किसी ने किसी न किसी समझौते के लिए उत्सुक है। इसीलिए यह समझौता स्वीकार करने के लिए तैयार किया गया जो तनिक भी न्यायसंगत और उचित नहीं है।

वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक भारत सरकार ने केवल 76 करोड़ रुपये 9.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण के रूप में दिए हैं जो बहुत कम हैं। केन्द्रीय सरकार ने अपना कोई पैसा खर्च नहीं किया है। इस वर्ष, अर्थात 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को केवल 90 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए हैं। आप इतनी कम राशि में से सहायता तथा पुनर्वास की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं ? प्रश्न तो यह है। नौवें वित्त आयोग ने भी अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकार को सात वर्ष की कार्य योजना पूरी करनी चाहिए जिसका सुझाव मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिया है। केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या नौवें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार की गई ? माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें।

यह सरकार पहले ही इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आगे झुक गई है। जैसा हमारे विद्वान प्रो० दण्डवते ने कहा है कि इसने पेप्सी कोला को अनुमति दे दी है। अब यूनियन कार्बाइड के आगे झुक रही है। केन्द्रीय सरकार ने इसी यूनियन कार्बाइड को उन सहस्त्रों कर्मकारों के हित के के खिलाफ बम्बई को चेम्बूर इकाई को बन्द करने के लिए कहा है यद्यपि कम्पनी बहुत लाभ कमा रही है। सरकार के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इन प्रभावशाली बहुराष्ट्रीय कंम्पनियों के आगे झुकती है। इसने पीड़ितों के अधिकारों को बन्धक रख दिया है। अब केन्द्रीय सरकार के पास भोपाल के पीड़ितों की सहायता करने के लिए पैसा नहीं है। यदि केन्द्रीय सरकार भोपाल के पीड़ितों के लिए राहत और

पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए अधिक धन खर्च करना चाहती है तो सरकार को यह समझौता स्वीकार करने की जरूरत नहीं है जो उस प्रारम्भिक मांग से बहुत ही कम है जिसकी उन्होंने मांग की। किन्तु दुर्भाग्य से सरकार राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और उत्सवों पर बहुत सा धन खर्च करती है। प्रधान मंत्री की विदेश यात्राओं में भी धन की कमी नहीं होती है। वह बार-बार विदेश जाते हैं। सरकार उनके दौरों के लिए कोई भी राशि खर्च करती है किन्तु उनके पास भोपाल के पीड़ित लोगों की सहायता के लिए पैसा नहीं है। यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार भारतीय निवासी के जीवन को इतना तुच्छ समझती है। इसका कोई मूल्य नहीं है। यदि आप इनकी तुलना अमेरिका के नागरिकों से करेंगे तो इनका कोई मूल्य ही नहीं। वे यही समझते हैं। अमेरिका में जहां की यूनियन कार्बाइड कम्पनी हैं वहां ऐस्बेस्टॉस की एक बृहद कम्पनी, मैनविल कारपोरेशन है जो ऐस्बेस्टॉस का काम कर रही थी। एक हजार लोग 5 वर्षों तक फेफड़ों की बीमारी के लिए क्षति के दावे करते रहे जो ऐस्बेस्टॉस के कारण हुई थी जो ऐस्बेस्टॉस यह कम्पनी द्वितीय महायुद्ध से जहाजों और मकानों में लगा रही थी। इसको लगभग 3000 करोड़ रुपये देने पड़े हैं। इसने दावेदारों को मुआवजा देने के लिए एक न्यास स्थापित किया है। जब यह बात है तो सरकार ने इतनी थोड़ी राशि क्यों स्वीकार की? उच्चतम न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अपना आदर प्रकट करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया जबकि न्यायालय में लम्बित पड़ा मामला पूर्ण रूप से अंतरिम सहायता से सम्बद्ध है? अंतरिम सहायता के सम्बन्ध में पहले भी भोपाल जिला न्यायालय ने एक ऐसा निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि गैस पीड़ितों को लगभग 350 करोड़ रुपये दिए जाने चाहिएं जिसके अन्तिम निर्णय पर समायोजन किया जाएगा। अतः मुख्य समस्या यह है कि उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड के साथ अन्तिम समझौता करने का निर्णय किस प्रकार लिया? इन्होंने कोई साक्ष्य नहीं लिया। जैसाकि प्रो० दण्डवते ने कहा इसने केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त सभी सम्बद्ध दलों की सलाह क्यों नहीं ली। दो संगठनों ऐसे हैं जो ऐसे सहस्त्रों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो आज भी पीड़ित हैं। इसने उन लोगों का भी साक्ष्य नहीं लिया है। इसने पूरा और अन्तिम निर्णय दिया है। इसने यह निर्णय दिया है कि वर्तमान में, विगत में तथा भविष्य में यूनियन कार्बाइड के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार भोपाल गैस पीड़ितों का बचाव कर रही है या यूनियन कार्बाइड का। आप निर्णय को धारा 3(क) पढ़िये। भोपाल गैस पीड़ितों को बचाने की जिम्मेदारी पूरी करने के बदले इन्होंने स्वीकार किया है कि यदि भविष्य में कोई न्यायालय में जाता है तो हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड का पक्ष लेगी।

क्या निर्णय में इस धारा से भी अधिक कोई दुर्भाग्यपूर्ण भाग है? इस निर्णय से पीड़ितों का यह हक छीना गया है वह कि वह उपयुक्त मंच से अपने मूलभूत अधिकारों के प्रति न्याय मांग सकते हैं।

इस प्रकार का निर्णय दिए जाने से उन्होंने भोपाल की जनता को उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए हैं। इससे इस संसद द्वारा पारित भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 का उल्लंघन हुआ है। अतः उन्होंने संसद की शक्ति भी छीन ली है। उच्चतम न्यायालय कैसे इस प्रकार का निर्णय दे सकता है? मैं मांग करता हूं कि सरकार को इस घृणित निर्णय को रद्द करना चाहिए। मैं यह मांग भी करता हूं कि सरकार को यह शीघ्र करना चाहिए।

यह अत्यन्त चिन्ताजनक है कि हमारे महान्यायवादी श्री प्रसन्नन कहते हैं कि सरकार के पास

इस समय दावों के 5.7 लाख मामलों के निपटाने में 350 वर्ष लगेंगे। ऐसे महान्यायवादी से भोपाल गैस पीड़ितों को कैसे कोई न्याय प्राप्त होगा जिन्हें उन पीड़ितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है? वह स्वयं कहते हैं कि 350 वर्ष लगेंगे? गैस पीड़ितों की वकालत करना उनका कर्त्तव्य नहीं है? क्या वह यूनियन कार्बाइड की वकालत करते हैं? मैं इस बात की मांग कर रहा हूं कि केन्द्रीय सरकार को पीड़ितों को सहायता, पुनर्वास और मदद के लिए शीघ्र 300 करोड़ रुपये देने चाहिए और पीड़ितों को उचित न्याय दिलाने के लिए उचित कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

मैं यह मांग भी करता हूं कि केन्द्रीय सरकार को अपनी कार्यवाही योजना की अन्तरिम रिपोर्ट में नौवें वित्त आयोग की सिफारिश स्वीकार करनी चाहिए और भोपाल गैस पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस विषय पर मुझे बोलने का समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : सभापति जी, भोपाल में दुनिया की सबसे बड़ी दुखद घटना हुई लेकिन उसके बाद जो लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है वह यह है कि वहां की वास्तविक स्थिति क्या रही है, वहां के लोगों की वास्तविक आवश्यकता किस बात की रही है, इसको सही ढंग से सब लोग नहीं सोच पाये हैं।

5.13 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ऐसे मामलों में यह समझा जाता है कि जो हमारे विरोधी पक्ष के लोग हैं वे उन गरीब लोगों के लिए क्या लाभकारी हो सकता है, कम से कम उसको तो हाईलाइट करते। जिस रोज से यह गैस ट्रेजेडी हुई है उस रोज से ही विरोधी दल के लोगों ने इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है और उन गरीब लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं जतायी है। (व्यवधान) आप जरा मेरी बात को सुनिये। (व्यवधान)

इस देश के प्रधान मंत्री इस गैस ट्रेजेडी के बाद सब से पहले भोपाल पहुंचे थे। श्री राजीव गांधी ने सब से पहले यह काम किया था। और किसी पार्टी के लीडर ने यह नहीं किया। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह वहां जा कर वहां के लोगों की स्थिति को देख सकें। गरीबों के बारे में उनकी हमदर्दी का यह सबसे बड़ा सबूत है।

हमारे प्रोफेसर मधु दण्डवते जी ने गरीबों के बारे में बड़े जबरदस्त शब्दों में यहां कहा। दण्डवते जी ने चाहे कितना ही पार्टियां बदली हों लेकिन मैं उनको बेसिकल्ली समाजवादी मानता हूं। मुझे अफसोस है कि गैस पीड़ितों के लिए क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने रत्तीभर भी प्रकाश नहीं डाला। लम्बे चौड़े शब्दों में उन्होंने इस समझौते को संदेह के घेरे में लाने की कोशिश की है। शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी, यह बहुत पुरानी कहावत है, इसलिए अगर आप शक में हैं तो आपका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप कितना ही ढिंढोरा पीटते रहें, इससे कोई लाभ आप उठा

नहीं पाएंगे । भोपाल गैस पीड़ितों की समस्या को कभी आपने समझने की कोशिश नहीं की ।

(व्यवधान)

हम तो समझाते रहे हैं, लेकिन आप अपना राजनीतिक चश्मा उतारेंगे तभी तो समझ सकेंगे ।

(व्यवधान)

जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं है, वे लोग इस बारे में लम्बे चौड़े भाषण करते हैं, बड़ी हमदर्दी जताते हैं, लेकिन मैं पूरी स्थिति आपको बताऊंगा । मैं गैस पीड़ितों की पूरी हालत आपको बताऊंगा । (व्यवधान)

अमेरिका के एजेंट तो आप होंगे, मैं इस बात को भी साबित कर सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय दो तीन प्रश्न उपस्थित हैं, एक तो मुआवजा पर्याप्त है या नहीं, दूसरा यह कि कोर्ट का फैसला सही है या नहीं और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस कोर्ट के फैसले के बाद गैस पीड़ितों का क्या होगा और क्या होना चाहिए । किसी भी समझदार आदमी के लिए, किसी भी शरीफ, ईमानदार, देशभक्त और पीड़ितों की स्थिति समझने वाले, उनके साथ हमदर्दी रखने वाले आदमी के लिए तीसरा प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी आपको परवाह नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है । (व्यवधान)

इन लोगों ने बड़े जोरों से कोर्ट के फैसले की चर्चा की, दण्डवते जी ने भी कहा कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए । मैं बताना चाहता हूं, मैं केवल उन पीड़ितों का ही प्रतिनिधि नहीं हूं, बल्कि स्वयं भी पीड़ित हूं । जिस जगह मैं रहता हूं वहां पर गैस बिल्कुल हल्के ढंग से पहुंची थी, यह बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप वहां के पीड़ितों की स्थिति को अच्छे ढंग से नहीं समझते हैं । जिस जगह पर मैं रहता था वहां सबसे हल्की गैस पहुंची थी, लेकिन आज मेरा लीवर, लंग्स और हार्ट तीनों इफेक्टेड हैं । मैं इस सदन का सदस्य हूं, मुझे कई सुविधाएं प्राप्त हैं । मैंने एनेक्सी में, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, बम्बई के अस्पताल में अपनी जांच करवा ली है और बड़े से डाक्टरों को दिखाया है, लेकिन भोपाल के गरीब विक्टिम के पास ये सारी सहूलियतें नहीं हैं । यह मैंने इसलिए बताया कि इससे आप अंदाजा लगाइए कि जहां पर ज्यादा गैस निकली या मंझोले स्तर की गैस निकली, वहां के विक्टिम्स की क्या हालत होगी । (व्यवधान)

आप लोग जरा खामोश रहिए, यह कोई मजाक की बात नहीं है, आप जरा सुनिए कि मैं क्या बोलता हूं मैं यह बताना चाहता हूं कि इस आसपेक्ट को हमारी नौकरशाही ने पूरी तरह से नहीं समझा, उन्होंने इस ट्रेजडी को उसी तरह से समझा है जैसे ट्रेमर आते हैं, सूखा और बाढ़ आती है और इस तरह की आपदाएं आकर चली जाती हैं, नुकसान हुआ और खत्म हो गया, लेकिन वहां यह स्थिति नहीं है । वहां स्थिति यह है कि जिसको आप चलता फिरता अच्छा खासा आदमी समझते हैं, जिसकी जांच करने पर यह साबित नहीं हो सकता कि वह बीमार है, लेकिन उसकी रेसिसटेंस पावर कम हुई है, फेफड़ों पर असर हुआ है, लीवर पर असर हुआ है । वहां पर 3500 लोग मरे हैं और 15-20 हजार गंभीर रूप से बीमार हैं और हजारों लोग अच्छे खासे चलते-फिरते लगते हैं, लेकिन वे भी बीमार हैं । गैस रिसने के बाद मुझे सांस फूलना शुरू हुआ, मैंने कोई परवाह नहीं की । लेकिन जब मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, घबराहट हुई तब मैंने महसूस किया कि वही भोपाल के हर आदमी की हालत है । आज जिस आदमी को तन्दरुस्त कहते हैं, कल कौन सी बीमारी अचानक ही एग्रावेट हो जाए, नहीं कहा जा

सकता । सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पीड़ितों का क्या होगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जैसे भी हुआ हो भविष्य अनिश्चित है । भविष्य को आपको सिक्योर करना पड़ेगा । हमारे प्रो० मधु दण्डवते जी ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट पर हम कोई एसपरसन नहीं डालना चाहते । अगर एसपरसन नहीं डालना चाहते तो इतना सब कुछ क्यों कहा । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि मेरी नजर में भी यह कंपनसेशन कम है । लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाना चाहूं या लोगों को भड़काकर यह बताना चाहूं कि हमारे बस में आ जाओ । पीड़ित लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं, अपना अच्छा-बुरा वे जानते हैं । इलैक्शन्स के समय पर भी पूरी अपोजिशन ने यह बताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस से लोग नाराज हैं । पूरी कांस्टीच्युऐंसी में सत्तर परसेंट वोट मिले थे, वहीं पर कांग्रेस को जो इलाके सबसे ज्यादा पीड़ित थे उनमें 85 से 95 परसेंट वोट मिले थे । राजीव जी के प्रति लोगों ने विश्वास व्यक्त किया था कि हमारे इण्टरेस्ट सेफगार्ड होंगे और आज भी उनको विश्वास है । मैं इस बात को नहीं कहना चाहता जो लोग इस सदन में नहीं हैं वे क्या करते रहे हैं । दो-दो तीन-तीन बार हजारों लोगों को दिल्ली लाना, जबलपुर ले जाना, किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है । इतना पैसा कहां से आता है । क्या आपने कभी यह देखा कि यूनियन कारबाइड के हाथ कितने लम्बे रहे हैं । उसने आपको इस्तेमाल किया···**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : हमको इस्तेमाल करने वाला अभी पैदा नहीं हुआ ।

श्री के० एन० प्रधान् : अमेरिका के कोर्ट में जब केस चलने की बात थी तो तब टिड्डी दल की तरह अमेरिका के पचासों वकील भोपाल आये थे । उन्होंने कोशिश की थी कि वह केस उनको मिले । अगर अमेरिका में केस चलता और इस तरह से वकील पैरवी करते तो कितनों का सावित होता और कितनों का नहीं होता । उनको यह फिक्र रहती कि पोजिटिव फैसला होने पर ही उनको फीस मिलती । उन वकीलों से छुटकारा मिला तो यूनियन कारबाइड ने कई ऐसे लोगों को खड़ा किया जिनके द्वारा पचासों तरह के केस लगाकर केस को सत्यानाश करने की कोशिश की । इंटरिम रिलीफ की बात बीच में लाकर हाईकोर्ट के जजमेंट की बात आई है । आप पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इस नतीजे पर पहुंचा । मैं आपसे कहता हूं कि बीच-बीच में जो आपने केस लगाए हैं और गलत इन्फारमेशन दी है, उससे कोर्ट मिसलेड हुआ है । हाईकोर्ट ने 250 करोड़ रुपये देने की बात कही है और जब फाइनल सैटलमेंट होगा तब मुआवजा का आकार बताया है कि जो मरने वाले के वारिस हैं उनको कम से कम दो लाख रुपया, जो गम्भीर रूप से बीमार हैं उनको दो लाख रुपया, जो कम गम्भीर हैं उनको एक लाख रुपया और जो मामूली बीमार हैं उनको पचास हजार रुपया । यह उन्होंने ब्यू दिया है जब पूरा कंपनसेशन मिलेगा । इंटरिम रिलीफ में कम से कम जो गम्भीर रूप से बीमार हैं या मरने वाले के वारिस हैं उनको एक-एक लाख रुपया और जो कम गम्भीर बीमार हैं उनको पचास हजार रुपया और जो मामूली बीमार हैं उनको पच्चीस हजार रुपया । इसका मतलब क्या हुआ । इसका मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि इसका दुगुना जो है वह पूरा मुआवजा हो सकता है । 250 करोड़ का दुगुना 500 करोड़ हो गया, उसने तो आपको 715 करोड़ रुपये दे दिये । मैं भी कहता हूं कि कम है । मैं प्रोफेसर दण्डवते जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो अभी भाषण दिया, क्या उनको गरीबों को जिनके लिए आपने छाती ठोंककर मगरमच्छी आंसू बहाये, जिनको आप पीड़ित कहते हो, जो मर गये हैं और जो डिसएबल हैं, कब तक न्याय दिलायेंगे । आप जितने सदस्य बैठे हुए हैं बता सकते हैं कि आपके जिला अदालत में जो केस चल रहे हैं वह प्रीलीमनेरी स्टेज से भी आगे क्यों नहीं निकले । कब हाईकोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर पता नहीं अमरीका की कोर्ट्स में कितना समय लगता और कितनी स्टेज और

आतीं। अपने देश के जो बड़े-बड़े ज्यूरिस्ट हैं वे भी कहते हैं कि 20 साल कम से कम इस केस में लगते। 20 साल बाद क्या कीमत होगी उस पैसे की। आपने पिछले पैसे को केलकुलेट कर लिया, लेकिन अगले पैसे को जो गरीबों को देना चाहते हैं उसकी क्या कीमत होगी, वह आप बताने के लिए तैयार नहीं हैं। आप में से कई लोग बोलेंगे रीजेक्ट करने के बाद क्या होगा? जो पैसा मिल रहा है कैसे मिलेगा, कौन एक्जीक्यूट करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो साझेदारों का काम किया है, क्योंकि कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स होते हैं उनके आधार पर फैसला होता है। इस देश में अगर प्रजातन्त्र मौजूद है तो वह इसलिए है कि जनता की मानसिकता प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाली है, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस देश की न्यायपालिका ने इस देश में लोकतन्त्र को मजबूत करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। वही लोग इस प्रकार के एसपर्शन कर सकते हैं जो प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करते या प्रजातंत्र की जड़ों में मठा डालना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और जजेज पर कोई एसपर्शन नहीं कर सकते। कई लोग इस बात की आलोचना कर रहे थे कि पुनर्वास ठीक से नहीं हुआ। दुनिया में जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिसास्टर था उसमें जो पुनर्वास का काम हुआ वह आपको दुनियां के इतिहास में इतना बड़ा पुनर्वास का काम किसी और डिसास्टर में नहीं मिलेगा। आप बतायें कि जब भी पुनर्वास का काम होता है, आप कहीं की भी मिसाल ले लें, रूस में भी जो इतना बड़ा ट्रेमर हुआ वहां पर क्या स्थिति हुई। इसलिए बाढ़ सूखे आदि से भी जो नुकसान होता है उसमें संतोषजनक पुनर्वास नहीं हो पाता, तो यह तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। जितना नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई तो दुनिया में नहीं हो सकती। जो लोग मर गये उनके परिवार वालों को 10 हजार रुपये, 83000 लोगों को 15000 रुपये अन्तरिम सहायता के रूप में दिये गये कुछ लाख से अधिक लोगों को फ्री राशन एक वर्ष से ज्यादा समय तक दिया है। अस्पताल, डिस्पेंसरीज खोली गई, पर्यावरण सुधार के लिए काम हो रहे हैं, यह सब कार्य सरकार ने किया है। यह जरूर है कि आप सिर्फ गाल बजाने में विश्वास करते हैं। आप चाहते हैं कि आदमी मर जाए तो हम मुर्दे पर बैठकर दावत उड़ायेंगे।

मैं उद्योग मन्त्री जी से कुछ कहना चाहता हूं। हम लोग भोपाल की गैस त्रासदी की स्थिति को वास्तविक रूप से नहीं समझ पाये। मैं नौकरशाही के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अधिकारियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लोकतन्त्र इसलिए है कि कम से कम भावनाओं के रूप में हम जन प्रतिनिधि हैं, हम सही ढंग से असेसमेंट कर सकते हैं, नौकरशाह पत्थर का दिल रखते हैं, उनमें भावनाएं नहीं होती हैं, उन पर यह काम आप न छोड़िये, उनके फैसलों को सरकार अपनी नीति न बनाए कि अब फैसला हो गया अब मुर्दा जन्नत में जाए या दोजख में जाए। यह ऐसी त्रासदी है जो खत्म तो हो गई, लेकिन उसके बाद भी यही पीढ़ी नहीं.....

इस पीढ़ी की तो आप समझ लीजिए कि सब की उम्र कम हो गयी है, क्योंकि सब की रैसिस्टैंस पावर कम हो गयी है, लेकिन अगली पीढ़ी को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उस कांड के बाद जो मरे हुए बच्चे पैदा हुए, या कुछ दिनों बाद मर गए, जिनकी मां उस गैस रिसने के बाद गर्भवती हुई या गैस रिसने के वक्त गर्भवती थीं, जब उन सब बच्चों का पोस्टमार्टम कराया गया तो यह पाया गया कि वे सब इफैक्टिड थे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि अगली पीढ़ी भी इफैक्टिड रहेगी। आज जो बच्चे जिन्दा हैं, उनमें भी कुछ न कुछ सायनाइड की मात्रा पायी गयी है, उनके किसी न किसी अंग पर प्रभाव है। यूनियन कारबाइड को तो अपने पास्ट, प्रेजेन्ट और फ्यूचर सबसे बरी कर दिया कि जाओ, लेकिन हमारा नैतिक कर्त्तव्य है, केन्द्रीय सरकार का नैतिक कर्त्तव्य है कि प्रभावित व्यक्तियों के

भविष्य की रक्षा की जाए। उनकी रक्षा हम सब का कर्त्तव्य है। आज भी भोपाल में प्रतिदिन कम से कम दो व्यक्ति गैस से मर रहे हैं। जो लोग नेचुरल कोर्स में मर रहे हैं, वे अलग हैं। यदि ईमानदारी से देखा जाए तो भोपाल में आज नेचुरल डैथ्स कम हो रही हैं, अन-नेचुरल डैथ्स ज्यादा हो रही हैं क्योंकि लोगों में रैसिस्टैंस पावर नहीं रह गयी है। भोपाल का हर मरने वाला व्यक्ति अपनी नेचुरल डैथ मे पहले मर रहा है। भोपाल में गैस पीड़ितों की स्थिति का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 15 से 20 हजार तक लोग आज भी गम्भीर रूप से प्रभावित हैं, जिनकी बराबर चिकित्सा होनी चाहिए। जैसा यहां अभी दत्ता सामन्त जी कह रहे थे, 5 लाख लोगों की बात चली, कुछ मजदूर आने-जाने वाले थे, वे चले गए, यह ठीक है कि उस दौरान भोपाल में जितने लोग थे, वे सब प्रभावित हैं, वे कहीं नहीं गये हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे आप फरमा रहे हैं, बल्कि ऐसा हुआ कि जब फ्री राशन कार्ड बांटे जा रहे थे या मकान देने की बात चल रही थी तो उत्तर प्रदेश या दूसरी जगह से कुछ मजदूर वहां आ गये कि चलो कुछ इस बहाने मिल जाये। मेरे पास भी कई लोग आये कि साहब इस पर दस्तखत कर दीजिए, मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कैसे सर्टिफाई कर दूं कि वह यहां रह रहा था। कल को क्या बात हो जाए। मैं और ज्यादा न कहकर आपके सामने कुछ सुझाव देना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप उन पर खास ध्यान देंगे।

(1) मुआवजे की रकम में से, सेन्ट्रल गवर्नमैंट, मध्य प्रदेश सरकार या जितनी सैमी-गवर्नमैंटल आर्गेनाइजेशन्स हैं, जैसे कारपोरेशन ऑफ भोपाल, इन किसी को भी कोई पैसा नहीं लेना चाहिये।

(2) केन्द्रीय सरकार ने अब तक 91 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार को लोन के रूप में उपलब्ध करवाया है, जिसमें से 89 करोड़ रुपया तो खर्च हो चुका है, शेष एक-दो करोड़ रुपया भी खर्च हो जाएगा, परन्तु केन्द्र सरकार ने जो 91 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार को दिया, चाहे वह फ्री या किसी भी शक्ल में दिया, जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च कर दिया, इस पैसे को उस रकम में से काटने का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए।

(3) चूंकि यह पैसा सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने दिया है, इसलिए उस पैसे को मध्य प्रदेश सरकार को दी गयी अनुदान राशि के रूप में मानना चाहिए।

(4) मध्य प्रदेश सरकार ने आपके पास 7 वर्षीय एक्शन-प्लान 371 करोड़ रुपये को भेजा है, यदि ह्यूमैनिटी प्वाइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जैसा मैं कह रहा हूं, आपके यहां कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं, वे कहते हैं कि फैसला हो गया, अब वे जानें, उनका काम जाने, लेकिन श्रीमन् यह जिम्मेदारी हमारी है और आप 371 करोड़ रुपये की उस 7 वर्षीय योजना को मंजूरी प्रदान करें। इसलिए कि जो लोग बच गए हैं, उनकी हालत सुधारी जाये। वहां जितनी बालवाड़ियां चल रही हैं, छोटे बच्चों को हम दूध और रोटी दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दे रहे हैं, क्या आपके औफिसर उसे बन्द करवाना चाहेंगे।

श्रीमान्, हमने जो नए अस्पताल खोले हैं और जिनकी एक्सपेंशन की है, क्या आप उनको बन्द करवाना चाहते हैं। हमने वहां पर जो डिस्पेंसरीज खोली हैं क्या आप उनको बन्द करवाना चाहेंगे। मैं समझता हूं कि आपकी ऐसी मंशा कभी नहीं होगी।

इस गैस के कारण वहां के लोगों की रेसिस्टेंस पावर कम हुई है, जो काम करने की शक्ति में ह्रास हुआ है, उसको देखते हुए वहां के लोगों को ऐसे काम मिलें जिनको वे अच्छी तरह से कर सकें। वहां पर ऐसे लोगों के लिए कई शेड्स खोले गए हैं, लेकिन हम उनको पूरी तरह से नहीं लगा पाए हैं।

इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि भोपाल को गारमेंट जोन बनाने की जो योजना है, उसको हम पूरी करें और वहां गारमेंट जोन बनाने की कोशिश करें। वहां नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, जिसका शिलान्यास आप ही कर के आए हैं, वह डिवेलप हो रहा है। उसमें कई हजार लोगों को रोजगार मिल सकेगा। लेकिन क्या आप उसे बन्द करवाना चाहेंगे? इसी तरह से वहां पर पर्यावरण सुधार का काम है। सब जानते हैं कि हैल्थ हैजार्ड है। इसके लिए वहां पर जो काम चल रहा है, उन सब को क्या आप बन्द करवाना चाहेंगे। इसलिए इन सब बातों पर आप ध्यान से विचार कीजिए।

हमारे लिए वहां सबसे बड़ी उम्मीद वह इंडस्ट्रियल एरिया है जो विकसित हो रहा है। इसको आप जिंदा रखिएगा शिससे हमारी उम्मीदें पूरी हो सकें। वह के लिए जो 371 करोड़ रुपए की योजना बनी है, उसके लिए आप राशि दीजिए। उसके लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे रेलवे कंटेनर सर्विस शुरू हो, जो नेशनल और इण्टरनेशरल दोनों स्तरों पर हो। वहां के लिए रेलवे और दूसरी पब्लिक अंडर-टेकिंग्स अपनी एंसीलियरीज सैंक्शन करें। वहां के लिए एअर लाइन्स अपने इंटरनेशनल कारगो प्रारम्भ करें। कस्टम अथॉरिटी ड्राई पोर्ट की सुविधाएं दें। कामर्स मिनिस्ट्री का टैक्सटाइल विभाग गारमेंट एक्सपोर्ट के लिए स्पेशल कोटा दे। इसी प्रकार से राज्य का एक्सपोर्ट कारपोरेशन और लघु उद्योग निगम स्पेशल रिकगनीशन दे। एपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल अपने फण्ड से वहां ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट करें।

इनके अलावा एक-दो चीजें और कहना चाहता हूं। इस गैस के सिलसिले में कुछ एम० आई० सी० को वहां स्टोरेज कर के रखा था। उस वक्त 42 टन गैस रिसी थी और उसका 20-22 टन रेजीड्यू हमारे पास रह गया है। कहीं ऐसा न हो कि अधिकारी सोच लें कि वहां सुरक्षा की व्यवस्था है और फिर उसमें ढील दे दी जाए और कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में वह गैस फिर रिस जाए और भोपाल के लोगों को फिर मौत का सामना करना पड़े। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस बची हुई गैस को सुरक्षात्मक ढंग से डिस्ट्राय किया जाए।

श्रीमान्, यूनियन कार्बाइड के सम्बन्ध में अब कुछ भी फैसला हुआ हो, लेकिन भोपाल में उसको किसी भी रूप में काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां के लोग यूनियन कारबाइड के नाम से इतनी नफरत करते हैं और उन लोगों का इस नाम को सुनते ही खून खौल उठता है और उनको मौत का फरिश्ता सामने नजर आने लगता है। यूनियन कार्बाइड के पास वहां पर जो 87 एकड़ जमीन है और जिसको सरकार ने लीज पर दिया हुआ है वह 87 एकड़ जमीन गैस पीड़ितों के कल्याण के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए।

श्रीमान्, मुझे पूरी आशा है कि मेरे इन सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। जहां तक मुआवजे का सवाल है, मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मुआवजा बहुत कम है। मेरे साथी प्रो० मधु दंडवते इसको अपोज कर रहे हैं, मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि वे इसको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ही अपोज न करें। अगर उन्हें गैस पीड़ितों के साथ वास्तव में हमदर्दी है और अगर आप में लियाकत है, तो आप ऐसा रास्ता बताईए जिससे मुआवजा भी अधिक मिले और फैसला भी जल्दी हो जाए। अगर आप इस बात की गारण्टी देते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी गवर्नमेंट से इस बारे में कहूंगा। क्योंकि आप समाजवादी हैं, चाहे आपने कितनी ही पार्टियां बदली हों, लेकिन मैं आपको समाजवादी मानता हूं इसलिए मैं आपसे यह बात कह रहा हूं। यदि आप इससे ज्यादा और जल्दी मुआवजा दिलवा दें, तो मैं अपनी गवर्नमेंट से स्वयं कहूंगा। और अगर आप

हमारे गरीबों को अनिश्चितता के गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं तो हम उनको नहीं ढकेलने देंगे। जो कुछ कमी होगी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ेंगे, उससे लेने की कोशिश करेंगे, उनको कम्पैसेट करने की कोशिश करेंगे। इतने सस्ते और हल्के ढंग से हमारी न्यायपालिका पर हमला करना, यह विरोधी दलों को भी शोभा नहीं देता है, इससे उनकी इज्जत नहीं बढ़ती है। उसी जुडिशियरी ने, हमारी न्यायपालिका ने हमारे प्रजातन्त्र को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने सुबह ठीक ही कहा कि वह सभी सदस्य जो वाद-विवाद में भाग लेना चाहते हैं उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा क्योंकि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और नाजुक मुद्दा है।

महोदय, इस वाद-विवाद के प्रवर्तक प्रो० दण्डवते ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय अथवा आदेश का उल्लेख किया है कि इससे इस मामले से सम्बद्ध जिम्मेवारियों का विगत, वर्तमान और भविष्य नष्ट किया है। मैं समझता हूं कि इस मामले से सम्बद्ध विगत, वर्तमान तथा भविष्य को पुनर्जीवित करना हमारा कर्त्तव्य है। यह समझौता इस देश, इसकी जनता विशेषकर इस त्रासदी से पीड़ित उन लोगों को जो आज भी अभिघातज प्रभाव कर सामना कर रहे हैं और भावी वर्षों में भी सामना करते रहेंगे के साथ विश्वासघात है। महोदय, यह समझौता जो उच्चतम न्यायालय के आदेश के रूप में आया है तीसरा विश्वासघात है। प्रथम विश्वासघात उस समय हुआ जब सरकार ने बहुराष्ट्रीय कार्बाइड, कम्पनी से सांठ-गांठ करके उचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना अपना काम आरम्भ करने दिया।

एक माननीय सदस्य : आपको घटना घटने के बाद होश आता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप अब बुद्धि से काम लीजिए। (**व्यवधान**)

दूसरा विश्वासघात उस समय हुआ जब दुर्घटना हुई और सरकार जनता को बचाने के लिए नहीं आई और धीरे-धीरे कार्यवाही करने से उन्हें काफी समय तक कानूनी बचाव के सम्बन्ध में यातनाएं सहन करनी पड़ी और वॉरन एण्डसर्न को सजा दिए बिना छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा और अत्यन्त निन्दनीय धोखा इस वर्ष 14 फरवरी को हुआ जब देश का उच्चतम न्यायालय न्याय देने में असफल रहा और सरकार ने तथाकथित समझौता किया।

पहले हमने अनेक बार शंका व्यक्त की थी कि यह सरकार न्यायालय के बाहर समझौता करेगी। यदि आप रिकार्ड पर गौर करें तो आप देखेंगे कि इन बेंचों से हमने चिंता जताई थी और अपनी आवाज उठायी थी कि उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं है कि वे बहुराष्ट्रीय कारबाइड कारपोरेशन को हमारे उन प्रयासों को रोकने से मना करें जो हम अपने लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए उनको सुझाव देने के लिए कर रहे हैं। यदि हम कुछ दिन पहले का उल्लेख करें तो आप देखेंगे कि हमारी शंका उस समय और बढ़ गयी जब हमें मालूम पड़ा कि कारबाइड कारपोरेशन द्वारा भोपाल से सुरक्षा सम्बन्धी नियमों का लगातार उल्लंघन किए जाने के बावजूद मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और मंत्रियों ने उसके कार्यों का समर्थन किया है।

नगर निगम प्रशासक एम० एन० बुचाने 1975 में यूनियन कारबाईड को, दूसरी जगह पर बसाने का नोटिस दिया था, जो कि अमेरिका में अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में अव्वल दर्जे की

पर्यावरण की दुश्मन के रूप में ऋरकात है। परन्तु जब यह मध्य प्रदेश की विधान सभा में पूछा गया तो मंत्री महोदय ने कहा कि यह पत्थर नहीं है जिसे उठाकर फैंक दिया जाए। तत्पश्चात् बुच का स्थान्तरण कर दिया गया। अब आप देखिये कि इन सब बातों के पीछे क्या हैं।

महोदय, 26 दिसम्बर 1981 को पहली बार फास्जीन गैस रिसी थी। उससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। चौदह दिन के पश्चात् इस संयंत्र से मिथाइल आइसो साइनेट गैस रिसी। उससे चौबीस व्यक्ति प्रभावित हुए। इसके बावजूद भी दिसम्बर 1982 में राज्य श्रम मंत्री ने विधान सभा में कारबाईड के वर्तमान स्थान का समर्थन किया।

महोदय, मई 1982 में कारबाइड के मुख्यालय अमेरिका से संयंत्र के सुरक्षा उपाय की जांच के लिए सुरक्षा जांच दल भोपाल आया। दल ने दस प्रमुख खामियां बतायीं उनमें से कुछ अनेक कारकों तथा चौकसी की कमी के कारण अनियन्त्रित क्रिया कर सकती हैं। यूनियन कारबाइड के अधिकारियों ने यह माना कि भोपाल में सुरक्षा का स्तर अमेरिका के स्तर के बराबर नहीं है। हमारे यहां वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जांच की है कि भोपाल में यह सब कैसे हुआ। 1985 में वरदराजन समिति ने कहा :

> "अत्यधिक लम्बी अवधि तक वृहद आकार के डिब्बों में एम० आई० सी० सामग्री का अधिक मात्रा में अनावश्यक भण्डारण और भण्डारण प्रणाली पर और अस्थिरता दर्शाने वाली स्टोर की गई सामग्री की गुणता पर अपर्याप्त नियंत्रण के साथ-साथ डिजाइन, निर्माण सामग्री के चयन और मापने और अलारम यन्त्रों पर पर्याप्त सावधानी बरतने के कारण, दुर्घटना हुई है। दुर्घटना की स्थितियों का तालमेल स्वाभाविक तथा सहज था।"

अब इस बात का प्रत्येक व्यक्ति को पता है। वहां के कर्मचारियों ने देश के सभी व्यक्तियों को बता दिया है। उन्होंने पोस्टर लगा दिये कि यह संयंत्र लोगों को मार देगा। अनेक रिपोर्टें तैयार की गयीं। उन पर धूल जम गयी।

तत्पश्चात् जब यह दुर्घटना घटित हो गयी तो आपने क्या किया ? मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि सरकार ने क्या किया तथा राहत कार्य पर कितने करोड़ रुपये खर्च किए गए। उसके सम्बन्ध में वहां के पीड़ित लोग बतायेंगे। आपने अमरीका के न्यायालयों में चक्कर काटने में इतना अधिक समय क्यों बर्बाद किया ? किसने समय बर्बाद किया तथा किसने हमारी न्यायपालिका का अपमान किया ? अमरीका के न्यायालयों के पीछे कौन दौड़ा। न्यायाधीश केनन के न्यायालय के समक्ष हमारी सरकार ने कहा था कि संघीय न्यायपालिका प्रणाली सभी दावों के उचित, तीव्र और संकल्प का उपयुक्त मंच है। इसका अर्थ है कि हमारी सरकार ने स्वयं ही हमारी न्यायपालिका प्रणाली का अपमान किया और कहा कि "भोपाल के पीड़ितों को राहत देने के लिए अमेरिका की प्रणाली अधिक बेहतर है।" अब यह सच है कि अमेरिका में अधिक मुआवजा दिया जाता है तथा कानून भी सरल है। उत्पाद सम्बन्धी दायित्व की परिभाषा भी हमारे कानून से अधिक विस्तार से की गयी है। यदि किसी व्यक्ति को किसी कम्पनी के विशेष उत्पाद के प्रयोग अथवा प्रभाव के कारण कोई हानि होती है तो वह व्यक्ति उस कम्पनी से मुआवजा ले सकता है। मैं सभी मामलों के सम्बन्ध में नहीं बताना चाहता। 1980 में, वियतनाम के एक उस भूतपूर्व अमेरिकी सैनिक को 200 मिलियन डालर का मुआवजा निर्माता द्वारा दिया गया था जिसको प्रभावशाली कारक के प्रभाव से क्षति हुई थी क्योंकि न्यायाधीश ने निर्णय दिया था कि कम्पनी "उत्पाद दायित्व" के कारण हुई क्षति का मुआवजा देगी।

परन्तु अपने देश में हमें यह प्रमाणित करना पड़ता है कि कम्पनी द्वारा लापरवाही की गई है। परन्तु फिर हमें अपनी न्यायपालिका प्रणाली में विश्वास। था उसने नवीनता दिखायी है। श्रीराम फूड एण्ड फर्टीलाइजर प्लांट के मामले में न्यायाधीश भगवती ने नवीनता दिखायी थी। दिसम्बर 1986 में उन्होंने निर्णय में कहा :

"हमारा मत यह है कि खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक उद्योगों वाले उद्यम जो कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों और उस कारखाने के आस-पास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं उनका यह पूर्ण और अहस्तांतरणीय कर्त्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचे।"

उद्योग को ऐसी हानि के लिए मुआवजा देने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह हमारे देश का महत्वपूर्ण निर्णय है। उच्चतम न्यायालय ने 14 करवरी के अपने निर्णय से इस उपलब्धि को कम कर दिया है। आपने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को स्वतन्त्रता दे दी है। श्रीराम फूड एण्ड फर्टीलाइजर तथा कारबाइड के साथ अलग-अलग व्यवहार क्यों किया गया है? इसका कारण है कि वह अमेरिकी है और वह श्रेष्ठ है। वहां जीवन की कीमत है जबकि यहां जीवन सस्ता है। जैसाकि कार्बाईड ने अमरीका की अदालत में निवेदन किया है आप भारत और अमरीका में जीवन के मूल्यांकन के लिए समान स्तर नहीं अपना सकते। यहां जीवन सस्ता है। परन्तु कार्बाइड की पहुंच बहुत ऊंची है। जब भोपाल जिला न्यायालय के न्यायमूर्ति देव ने अन्तरिम राहता आदेश, मुआवजा आदेश दिया था तो उन्होंने काफी शोरगुल मचाया था। वे चाहते थे कि मामले को न्यायमूर्ति देव की अदालत से हस्तांतरित करा लिया जाए। इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया हुई। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि न्यायमूर्ति श्री देव का स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : पदोन्नति द्वारा स्थानांतरण किया गया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम अपने देश के न्यायाधीशों, न्यायालयों और न्यायिक प्रणाली का सम्मान करते हैं।

जब वे यह प्रयास कर रहे थे कि मामले को अमरीकी अदालतों को सौंप दिया जाए तो न्यायमूर्ति केनन ने यह कहा था :

"इस मुकदमे को अमरीकी न्यायालय में रखना उचित नहीं होगा। इससे साम्राज्यवाद पनपेगा। भारत विश्व में एक बड़ी शक्ति है तथा इसके न्यायालयों में लोगों को उचित और सही न्याय प्रदान किया जाता है ऐसा सभी मानते हैं।"

न्यायमूर्ति केनन की यह राय थी। मुकदमे को भारत भेजते समय न्यायमूर्ति केनन ने कार्बाइड के सामने तीन शर्तें रखी थी। श्री वेंगल राव, ये तीनों शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन पर ध्यान दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वे जानते हैं कि आप किस प्रश्न को उठाने जा रहे हैं। अत वे पहले ही इस पर ध्यान दे चुके हैं। आप चिन्ता मत कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे कहते हैं कि यदि कार्बाइड इसे मानने से इंकार कर देती है तो इस

मुकदमे को पुनः अमरीकी न्यायालय में उठाया जाएगा। वे शर्तें क्या थी ? ये शर्तें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूनियन कार्बाइड भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करेगी और परिसीमन सम्बन्धी विधान में निहित बचाव के अपने अधिकार को छोड़ देगी 20, 50 अथवा 350 वर्ष पीछे जाने की बात मिथ्या है।

यूनियन कार्बाइड भारत में किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय से सहमत होगी, अगर वह किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा उस देश में दिया गया हो जहां वह निर्णय उचित न्यूनतम प्रक्रिया के अनुसार दिया गया है। और तीसरा यह कि वादी द्वारा उचित मांग के पश्चात् यूनियन कार्बाइड संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय नियमों और सिविल प्रक्रियाओं के अध्यधीन होगी।

इन शर्तों का वर्णन न्यायमूर्ति श्री केनन ने किया था और तीसरी शर्त के बारे में कार्बाइड ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। फिर भी इन शर्तों पर मुकदमे को भारत में हस्तान्तरित कर दिया गया।

इस संदर्भ में न्यायमूर्ति श्री केनन ने एक और प्रमुख निर्णय दिया, जहां इसे यू० सी० आई० एल० बना रहे हैं जबकि न्यायमूर्ति श्री केनन ने इसे यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बना दिया।

अतः सभी फायदे हमारे पक्ष में हैं। इस बारे में विलम्ब क्यों किया जाना चाहिए ? ये हमारे न्यायालय हैं। हमारे न्यायालय मानवीय भावना से प्रेरित न्यायालय हैं। वहां लाखों लोग कष्ट उठा रहे हैं। उन्हें विकलांग और अपंग बना दिया गया है। हम असंवेदी नहीं बन सकते। हम विधि प्रक्रिया में विलम्ब की अनुमति नहीं दे सकते। परन्तु यह 20, 50 अथवा 350 वर्षों की बात क्यों की जा रही है ? क्या आपको इसकी बिल्कुल चिन्ता नहीं है।

एक और भी रुचिकर पहलू है। मैं समझता हूं कि उस पहलू को भी लोगों के ध्यान में लाना चाहिए। जब हमने अपने मामले को भोपाल जिला न्यायालय में दर्ज किया तो कारपोरेशन के उपसभापति और कोषाध्यक्ष, जोन ए० कलेरिकों ने एक विशेष शपथ-पत्र दायर किया जिसमें कहा गया कि कार्बाइड किसी सम्भावित डिगरी को पूरा करने के लिए आरक्षित राशि के रूप में 3 बिलियन डालर धरोहर के रूप में रखने के लिए तैयार थी। विपत्ति के उत्तरदायित्व को स्वीकार किये बिना ही उन्होंने एक स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा इन परिसम्पत्तियों के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए एक तिमाही प्रमाण पत्र उपलब्ध करने की पेशकश की। वे 3 बिलियन डालर देने के लिए तैयार थे परन्तु वे अपना दायित्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके लिए मुद्दा दायित्व का था। उन्होंने यह उल्लेख किया है कि वे 3 बिलियन डालर की परिसम्पत्ति आरक्षित रूप में देख रहे थे। उन्हों यह सोचा कि हमारी सरकार स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार आकलन करेगी। उन्होंने यह सोचा था कि उनके सामने यह मांग रखी गई है कि न्यायालय द्वारा 3 बिलियन डालर को बढ़ाकर 5 वितियन डालर कर दिया जायेगा। उन्हें इसी बात का डर था। परन्तु इस बारे में एक न्यायिक अड़चन उत्पन्न हो गई। समझौता कैसे किया गया ? हमारी सरकार ने इसे स्वीकार क्यों किया ? अब आप लोगों के कष्टों के बारे में बात कर रहे हैं। आप सूखा शुल्क के समान ही यहां की जनता पर शुल्क लगा सकते थे। इसे भोपाल गैस त्रासदी विपत्ति राहत के लिए शुल्क कहा जा सकता था। इस कार्य के लिए धन देने में हमें प्रसन्नता होती। हमारे देश के सभी लोगों को खुशी होती। परन्तु यदि ऐसा किया जाता है तो इसके लिए इससे सम्बन्धित लोगों में सम्मान, स्वाभिमान की आवश्यकता है। उदाहरणतया यदि पूर्व के एक राज्य के 6 करोड़ लोग एक विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपये जुटा सकते हैं

क्योंकि सरकार ने वह राशि देने से इन्कार कर दिया है तो 80 करोड़ लोग इन पीड़ित व्यक्तियों के लिए हजारों करोड़ रुपये क्यों नहीं जुटा सकते ? इन पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने के लिए हम यूनियन कार्बाइड द्वारा धन दिए जाने का इन्तजार नहीं कर सकते। मैं सम्पुर्ण राशि की जांच नहीं कर रहा हूं। वे धनराशि देने के लिए तैयार थे। उन्हें यह डर था कि उन्हें 3 बिलियन डालर देने पड़ेंगे। हमने उसमें गड़बड़ क्यों की ? हमने यह समझौता क्यों किया ? आपको इसका उत्तर देना चाहिए। अब चुनाव का समय नजदीक आने पर आप यह समझते हैं कि आपको इस मुद्दे को निपटाना चाहिए। आपने ये सभी कार्य क्यों किए थे ?

समझौते के अनुसार श्री पाठक को हेग जाना चाहिए। क्यों ? वे क्यों जा रहे हैं ? हम उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्यों भेज रहे हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। वे मुख्य न्यायाधीश पर लांछन नहीं लगा सकते···(**व्यवधान**) मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि मुख्य न्यायाधीश श्री पाठक अपना निर्णय देने के बाद हेग जा रहे हैं। यह एक आक्षेप है और इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिए (**व्यवधान**)

श्री संफुद्दीन चौधरी : नहीं, उन्हें कौन भेज रहा है ? (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड की जांच करूंगा।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक गलतफहमी है। उन्होंने 'नरक' नहीं कहा था, उन्होंने 'हेग' कहा था। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उनके नाम को लाना आवश्यक नहीं। आप उनके नाम को क्यों लाना चाहते हैं ?

श्री संफुद्दीन चौधरी : मैंने मुख्य न्यायाधीश पाठक के बारे में कुछ नहीं कहा है। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार उनके नाम को प्रस्तावित कर रही है। उन्होंने कोई लांछन नहीं लगाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप उस बात को इससे कैसे जोड़ सकते हैं ? आप निर्णय की आलोचना कर सकते हैं। मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हम उनके आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते।

(**व्यवधान**)

श्री संफुद्दीन चौधरी : मैंने मुख्य न्यायाधीश श्री पाठक की आलोचना नहीं की है। परन्तु मुझे एक प्रश्न पूछने का अधिकार है। अन्तरिम राहत की अदायगी के प्रश्न पर यूनियन कार्बाइड इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गई। वे कहां फैसला सुन सकते थे। वे उनके क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों गए ? उच्चतम न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड को अपराध के दायित्व से मुक्त क्यों कर दिया ? कितनी धनराशि से इस त्रासदी का मुआवजा दिया जा सकता है ? आपको इस बारे में जानकारी देनी होगी।

हम इस बारे में चुप नहीं रह सकते यदि आप यह कहते हैं कि न्यायपालिका ने ऐसा किया है तो फिर मुझे यह कहना चाहिए कि यह एक न्यायिक प्रहार है। श्री केनन से हमारी सरकार ने क्या निवेदन किया है ?···(**व्यवधान**) हमने न्यायालय से यह निवेदन किया था कि वे जो कुछ कहते हैं हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। हमने कहा है :

> "किसी भी बहुराष्ट्रीय निगम का मुख्य तथा अनिवार्य रूप से यह कर्त्तव्य है कि जिस देश में उसने व्यक्तियों को···तथा उस द्वारा किया जाने वाला कार्य किसी भी रूप में अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो अथवा जिसमें खतरे की सम्भावना हो···यूनियन कार्बाइड सुरक्षा के उच्चतम स्तर भोपाल संयंत्र में उपलब्ध नहीं कर सकी तथा उसमें निहित खतरों से भारतीय संघ और उसकी जनता को अवगत नहीं करा सकी। ऐसा न करने का अभिप्राय है कि इस गैस द्वारा हुए समस्त नुकसान के लिए वह मुख्यत: और पूर्णत: उत्तरदायी है···"

हमारी सरकार का यह मत है। इस बारे में क्या हुआ ? समूचा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हम इस मामले में क्या कार्यवाही करेंगे। हमारे न्यायालय द्वारा इस बारे में किस प्रकार का निर्णय दिया जाएगा क्योंकि हर जगह के लोग इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं। वे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं और लोगों के जीवन की परवाह नहीं करते। संयुपत राष्ट्र संघ में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में नियुक्त एक समिति इस बारे में टिप्पणी कर रही है। और हमने समर्पण कर दिया है। मैं यह नहीं जानता कि इसमें से कितनी राशि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित व्यक्तियों तक पहुंचेगी। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि हजारों महिलायें बोट कलब पर आईं और उन्होंने यह कहा कि "वे कष्ट उठा रही हैं परन्तु वे अपमानित होना नहीं चाहती।" उनमें आत्म-सम्मान है। वह चाहती हैं कि हम इस पर गम्भीरता से विचार करें अब मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इस फैसले को बदलने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए।

5.59 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

65वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मन्त्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 65वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल प्रात: 11 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 23 फरवरी, 1984/4 फाल्गुन, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी स्टील स्लेट मैं० कं० (प्रैस विभाग) अजमेरी गेट, दिल्ली-6